



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xv
अध्याय-1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		1-14
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
मध्य प्रदेश परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	15-47
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	48-83
मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	84-114
अध्याय-3		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	3	115-139
सरकारी कम्पनियाँ		
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.1	115-116
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
विद्युत शुल्क की अनुचित छूट	3.2	116-117
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		
कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली	3.3	117-119
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड		
अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण राजस्व हानि	3.4	119-120
ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करना	3.5	120-123
मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान	3.6	124-125
अत्यधिक मोटाई अपनाने के कारण अतिरिक्त व्यय	3.7	125-126
आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.8	126-127
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड		
अनुचित लाभ दिया जाना	3.9	127-128
इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) लिमिटेड		
भूमि के आवंटन में अनियमितताएं	3.10	129-130
मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
परिहार्य निष्क्रिय खदानें और अनिवार्य भाटक (डेड रेंट) का भुगतान	3.11	131-132

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड			
ब्याज की हानि	3.12	132-133	
रेलवे मालभाड़ा खाते में निष्क्रिय निधि	3.13	133-135	
उच्च दर पर ठेका दिया जाना	3.14	135-137	
परिहार्य व्यय	3.15	137-139	
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	विवरण		
1.1	अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांरांशित वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	1.1 एवं 1.15	141-148
1.2	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किया गया निवेश जिनके लेखे लंबित हैं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.11	149
2.1.1	योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित जिलें और संभागों के नाम दर्शाता पत्रक	2.1.2	150
2.1.2	30/06/2016 को फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय चरण) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दर्शाता पत्रक	2.1.2	151-152
2.1.3	मई 2016 की स्थिति में आपूर्ति भाग पर कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली को दर्शाता पत्रक	2.1.14	153
2.1.4	योजना के अन्तर्गत दिये गये ठेको में अप्रैल 2016 की स्थिति में मोबिलाइजेशन एवं सामग्री अग्रिम के ब्याज की कम वसूली को दर्शाता पत्रक	2.1.15	154-155
2.1.5	योजना के अन्तर्गत टर्नकी ठेके की पूर्णता में हुए विलम्ब के विवरण को दर्शाता पत्रक	2.1.19	156-157
2.1.6	ठेकेदारों को दिये गये अनुचित विस्तार दर्शाता पत्र	2.1.24	158-160
2.1.7	फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेको के निरस्तीकरण में हुए विलंब के कारण टीएण्डडी हानि में कमी के रूप में परिकल्पित लाभों का मूल्य न मिलने को दर्शाता पत्रक	2.1.27	161
2.2.1	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गये आई.टी. पार्क/पी.ओ.पी./सीएससी	2.2.5, 2.2.23 एवं 2.2.26	162
2.2.2	विभागों का विवरण जिन्हे स्वान परियोजना के अंतर्गत होरिजोन्टल कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी तथा राज्य डाटा सेन्टर परियोजना के अंतर्गत होस्ट किए गए डॉटा/एप्लीकेशन का विवरण	2.2.22 एवं 2.2.27	163
2.2.3	अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान भोपाल तथा इन्दौर की कैलेब्रेशन प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन	2.2.36	164

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
2.3.1	वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खाद्यान्नों के उपार्जन लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध वास्तविक उपार्जन	2.3.10	165
2.3.2	परिवहन ठेकेदारों से किये गये अनुबन्ध के प्रकार	2.3.20	166
2.3.3	लम्बी दूरी परिवहन (उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं लम्बी दूरी परिवहन एवं रखरखाव अनुबन्ध के लिये 25 किलोमीटर तक की लोकल लीड हेतु परिवहन दरों की तुलना दर्शाता विवरण पत्रक	2.3.21	167-168
2.3.4	कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.3.28	169-170
2.3.5	भारतीय खाद्य निगम को समर्पित गेहूं के विरुद्ध प्राप्य योग्य राशि तथा कैरीओवर व्ययो एवं क्रय कर के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि	2.3.32	171
3.1	निविदा अंतिमीकरण के अभाव में निष्क्रिय नवसृजित पर्यटक मार्ग सुविधा परिसम्पत्तियों दर्शाता पत्रक	3.1	172-173
3.2	सड़क परियोजनाओं में कोलतार के लिए किये गए अतिरिक्त पी.व्ही. राशि भुगतान का नियंत्रण पत्रक	3.6	174
3.3	वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को मीट्रिक टन में आवंटित गेहूं और चावल, जूट बारदाने में उठाई गई मात्रा एवं रखे हुए बारदानों का प्राप्य मूल्य जिसको आर.टी.ई. उत्पादों की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किया गया को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.9	175
3.4	आई.आई.डी.सी. ग्वालियर द्वारा भूमि आवंटन में गलत दरों के प्रयोग के कारण कम्पनी को हुई राजस्व हानि को दर्शाता पत्रक	3.10	176
3.5	समर्पित रेलवे मालभाड़ा खाते में राशि निष्क्रिय रहने के कारण ब्याज की हानि को दर्शाता पत्रक (चालू खाता संख्या 33504078211, एस.बी.आई., सीवरिया शाखा)	3.13	177

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा की गई है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं धारा 139 (7) के अन्तर्गत कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं और सीएजी इस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा भी की जाती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि वर्ष 2015–16 के दौरान किये गये नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि के मामलों को भी, यथा आवश्यक, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समिलित है। अध्याय एक में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं राज्य के सांविधिक निगमों के कार्यकलाप समिलित है। अध्याय दो में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं (i) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन (ii) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलाप और (iii) मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलाप समिलित है। अध्याय तीन में वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी 15 लेखापरीक्षा कंडिकाएं समिलित हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष का मौद्रिक प्रभाव ₹ 831.56 करोड़ है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश राज्य में 64 सरकारी कम्पनियाँ (नौ अकार्यशील कम्पनियाँ शामिल) करते हुए एवं तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपुरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा सम्पन्न की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा नियंत्रित होती है। 30 सितंबर 2016 तक इन कम्पनियों ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 78315.94 करोड़ का आवर्त दर्ज किया और 31 मार्च 2016 को इनमें 63,459 कर्मचारी नियोजित थे।

(कंडिका 1.1, 1.2 और 1.3)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में विनियोग

31 मार्च 2016 को 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक निगमों को शामिल करते हुए) में विनियोग (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 69,754.35 करोड़ था। इसमें वर्ष 2011–12 में ₹ 33511.25 करोड़ से 108.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कुल विनियोग का 30.24 प्रतिशत पूँजी एवं 69.76 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण में विनियोजित था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः उर्जा के क्षेत्र में था, यह वर्ष 2011–12 में ₹ 30239.74 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 60,496.51 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 9,908 करोड़ समता, ऋण एवं अनुदान/उपदानों के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में अंशदान किया।

(कंडिका 1.6, 1.7 और 1.8)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

सितम्बर 2016 को 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 79 लेखे बकाया थे। बकायों को समाप्त करने के लिये लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

अघतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, कुल 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (तीन सांविधिक निगमों को शामिल करते हुए) में से 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल ₹ 729.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 5,321.92 करोड़ की हानि वहन की। पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे ‘न लाभ न हानि’ के आधार पर तैयार किये एवं शेष एक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपने प्रथम लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1207.01 करोड़) तथा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1161.58 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनियाँ रहीं।

(कंडिका 1.16)

लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गए 56 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 32 लेखों में अमर्यादित प्रमाणपत्र एवं 24 लेखों पर मर्यादित प्रमाणपत्र दिये गये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह दर्शाता है कि लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.21 और 1.22)

2 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने एवं कृषि पर्म्पों को न्यूनतम आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने तथा वितरण प्रणाली के पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने अप्रैल 2010 में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (कार्यक्रम) की शुरुआत की। मध्य प्रदेश विधानसभा ने राज्य के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिये, ‘संकल्प-2013’ नामक प्रस्ताव पारित (14 मई 2010) किया। संकल्प 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2013 से घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे तथा कृषि पर्म्पों को आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने की परिकल्पना की। कार्यक्रम के कार्यों को दो चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम चरण के कार्यों को अगस्त 2012 तक पूर्ण किया जाना था तथा द्वितीय चरण के कार्यों को मई 2013 तक पूर्ण किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में सम्पन्न किये गये कार्यक्रम के कार्यों की संस्थीकृति (2010–11) से लेकर उनके क्रियान्वयन (2015–16) की अवधि को समाहित किया गया।

कार्यक्रम की आयोजना, वित्तीय प्रबन्ध, क्रियान्वयन तथा निगरानी और नियंत्रण को समाहित करते हुए कार्यक्रम के सम्पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा करने पर निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईः

- कम्पनी ने ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि के अंदर कार्य के प्रमुख घटकों को पूर्ण नहीं किया। ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा के सापेक्ष मई 2013 तक 56.90 प्रतिशत और 74.83 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्य तथा जून 2016 तक 10.99 प्रतिशत तथा 15.15 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्यों को सम्पादित किया जाना था। परिणामस्वरूप कम्पनी 'संकल्प 2013' के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2013 से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने की मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता को पूर्ण नहीं कर सकी। कम्पनी कुल 13 वृत्तों में से चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम के अंतर्गत परिलक्षित लक्ष्यों तक घटाने में भी असफल रही।

(कंडिका 2.1.7)

- कम्पनी ने ठेके की विशेष शर्तों में परिवर्तन करके दोषी ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत दायित्व को ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप समाप्त किये गये ठेकों में शेष बचे हुये कार्यों को पूरा करने के लिये आने वाली ₹ 11.94 करोड़ की अतिरिक्त लागत को कम्पनी को स्वयं वहन करना पड़ा।

(कंडिका 2.1.10)

- 10 लॉटों में कुल 108 फीडरों के सापेक्ष किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन में से 100 फीडरों (कुल फीडरों का 92.59 प्रतिशत) में फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पारेषण एवं वितरण हानियों की फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत की सीमा की तुलना में अधिक थी। आगे, कुल 13 वृत्तों में से चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के समक्ष प्रतिबद्ध किये गये स्तर तक नहीं लाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को वर्ष 2015–16 के दौरान अतिरिक्त पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 9.38 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.25)

- कम्पनी ने वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किया जिसके कारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्य की व्यापक मदों की मात्राओं में अधिक भिन्नता पाई गई। परिणामस्वरूप, वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों में दर्शाई गई कार्य की अधिक मात्राओं के आधार पर कम्पनी ने ₹ 238.80 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति प्राप्त की जिसके कारण कम्पनी को ₹ 9.55 करोड़ के गारण्टी फीस तथा ₹ 23 लाख के प्रतिबद्धता प्रभार का परिहार्य खर्च करना पड़ा।

(कंडिका 2.1.9)

- कम्पनी ने, कार्यक्रम के अंतर्गत ठेके प्रदान करने से पहले भूमि की उपलब्धता आश्वस्त नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप नौ सबस्टेशनों का कार्य तीन माह से 34 माह विलम्ब से पूर्ण किया गया तथा तीन सबस्टेशनों का कार्य जून 2016 तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.22)

- कार्यक्रम के द्वितीय चरण के कार्यों को निष्पादित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 239.47 करोड़ की धनराशि समता अंश पूँजी के रूप में कम्पनी को स्वीकृत की। जिसमें से कम्पनी ने ₹ 173.63 करोड़ की धनराशि प्रथम चरण के कार्यों हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान पर खर्च कर दिया जो कि मध्य

प्रदेश शासन द्वारा अनुमत नहीं थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के विरुद्ध कार्यक्रम के लिये उपलब्ध कराई गई धनराशि को अनभिप्रत कार्यों पर खर्च किया गया।

(कंडिका 2.1.17)

- कम्पनी ने मोबिलाइजेशन व सामग्री अग्रिम की असमायोजित राशि पर ब्याज लगाने के लिये गलत विधि को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा सामग्री अग्रिम पर ब्याज क्रमशः ₹ 11.06 करोड़ तथा ₹ 13.92 करोड़ की कम वसूली की गई।

(कंडिका 2.1.15)

- ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को परिसम्पत्तियों का मानचित्रण तथा उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य करना था तथा इनसे सम्बन्धित समस्त ऑकड़ों को सीवाईएमडीआईएसटी साफ्टवेयर के सुसंगत प्रारूप में उपलब्ध कराना था। ठेकेदारों द्वारा कम्पनी को इन जानकारियों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य कम्पनी को वितरण तंत्र पर सिमूलेशन तथा 'हॉट इफ' विश्लेषण करने हेतु सक्षम बनाना था। हालांकि कम्पनी ने इन जानकारियों को आवश्यक प्रारूपों में प्राप्त किये बिना ही 10 लॉटों का समाप्त प्रमाणपत्र जारी कर दिया। जिसके कारण कम्पनी वितरण तंत्र पर उचित लोड प्रबन्धन को आश्वस्त करने से वंचित हो गई।

(कंडिका 2.1.20)

- ठेके को शर्तों के अनुसार, कम्पनी द्वारा परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ठेकेदारों को पूर्ण किये गये कार्यों की क्रियाशीलता गारण्टी परीक्षण का कार्य सम्पन्न करना था तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत तक लाना था। कम्पनी ने कुल 1184 फीडरों के लिये परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जिसमें से 632 फीडरों, जिनका प्रतिनिधित्व 53.38 प्रतिशत था, का परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र ठेकेदारों से हानियों का प्रदर्शन कराये बिना ही जारी कर दिये गये। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के निर्धारित उद्देश्य की अवहेलना करते हुये कम्पनी ने फीडरों की परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने तथा कार्यों को समाप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

(कंडिका 2.1.23)

- 10 लॉटों में से आठ में जिनमें संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था 701 सामग्री नमूनों को गुणवत्ता जाँच हेतु विभिन्न एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं में भेजा गया था जिसमें से 340 नमूनों (भेजे गये नमूनों का 49.07 प्रतिशत) के परीक्षण प्रतिवेदन जून 2016 तक अप्राप्त थे। अतः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खरीदी गई ₹ 90.08 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ जिनमें से इन नमूनों का चयन किया गया था गुणवत्ता की जाँच कराये बिना ही रह गई थी।

(कंडिका 2.1.33)

- ठेकेदार की वित्तीय स्थिति को बैंक स्रोतों से सुनिश्चित किये बिना ही कम्पनी ने ठेके के समाप्त को रद्द कर दिया तथा उसके पश्चात ठेकेदार कार्यों को पूर्ण करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप कम्पनी घटे हुए पारेषण एवं वितरण हानियों के परिणामतः होनें वाले ₹ 12.41 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही। आगे कार्य पूर्ण करने में ठेकेदारों को लगातार असफलता के बावजूद कम्पनी ने दो लॉटों के

ठेको को समाप्त करने में देरी की जिसके कारण कम्पनी घटे हुये पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 29.65 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही।

(कंडिका^ए 2.1.26 तथा 2.1.27)

2.2 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) कि स्थापना नवम्बर 1983 में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में की गयी थी। कम्पनी का उद्देश्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), आई.टी. संवर्धित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का प्रोत्साहन एवं विकास करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–12 से 2015–16 हेतु कम्पनी के विविध पहलुओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन, आई.टी. नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन तथा प्रोत्साहनों का नियमन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न आई.टी. योजनाओं के क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिये की गयी थी। साथ ही वित्तीय प्रबंधन, संविदा प्रबंधन तथा निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की भी समीक्षा की गयी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

- कम्पनी भोपाल इंदौर तथा जबलपुर के आई.टी. पार्क हेतु चिह्नित की गयी 250.25 एकड़ भूमि में से मार्च 2016 तक 92.32 एकड़ भूमि ही आवंटित कर पायी। कम आवंटन का मुख्य कारण विकास कार्यों की धीमी गति था। अतः कम्पनी आई.टी. नीति में निहित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

(कंडिका 2.2.16)

- कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना का कार्यान्वयन लिया गया था। योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 5,159 जगहों पर होरिजोंटल कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गयी जबकि योजनानुसार 33,000 जगहों पर उपलब्ध कराना था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.20 से 2.2.22)

- कम्पनी द्वारा कामन सर्विस सेंटर स्कीम के अंतर्गत 9,232 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी थी। किन्तु ग्राम पंचायत कर्यालयों में कोई भी सीएससी स्थापित नहीं किया गया जैसा कि योजना में परिकल्पित था। जबकि 31 मार्च 2016 तक मात्र 3,499 सीएससी ही चलन में थे। न्यून निष्पादन के मुख्य कारण आई.टी. आधारभूत ढांचे के उपलब्धता की कमी तथा इन्टरनेट सुविधा की कमी होना था।

(कंडिका 2.2.24)

- कम्पनी द्वारा एक आई.टी. इकाई को 10.13 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी। भूमि का आवंटन कलेक्टर के विद्यमान दिशानिर्देशों के 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 3.34 करोड़ में आवंटन किया जाना था। जबकि आई.टी. इकाई को भूमि का आवंटन अतिरिक्त छूट देते हुए ₹ 2.23 करोड़ में किया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश शासन को ₹ 1.11 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 2.2.15)

- 36 सीएससी के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि मात्र 15 सीएससी ही चलन में थे। 11 सीएससी अस्तिव में नहीं पाये गये, 4 सीएससी स्वामीयों द्वारा गतिविधियों बंद कर दी गयी, तथा 6 सीएससी शहरी क्षेत्र में चलते हुए पाये गये। आगे 10 सीएससी जगहों पर 24 लाभान्वित हितग्राहियों के सर्वे में पाया गया कि इनमें सरकारी सेवाएँ नहीं मिल पा रही थी। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. के माध्यम से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवाने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.26)

- कम्पनी द्वारा ₹ 4.83 करोड़ (योजना लागत का 2.77 प्रतिशत) स्वान परियोजना में तथा ₹ 4.34 करोड़ (राजस्व सहायता का 35 प्रतिशत) सीएससी योजना में वर्ष 2014–15 तक प्रशासनिक व्यय के रूप में भारित किये गये। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय ₹ 1.74 करोड़ तथा ₹ 49 लाख ही मान्य था। इसके परिणामस्वरूप स्वान परियोजना में ₹ 3.09 करोड़ तथा सीएससी योजना में ₹ 3.85 प्रशासनिक व्यय के रूप में अधिक भारित किये गये।

(कंडिका 2.2.39)

- कम्पनी द्वारा सर्विस सेन्टर एजेन्सी को राजस्व सहायता के रूप में ₹ 8.08 करोड़ स्व प्रमाणन के आधार पर जारी किये गये। तथापि राजस्व सहायता जारी करने के पूर्व भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप ऑनलाईन निगरानी यंत्र की स्थापना सुनिश्चित नहीं की गयी।

(कंडिका 2.2.25)

- मध्य प्रदेश शासन ने लाभान्वित उपयोगकर्ता विभागों से स्टेट डाटा सेन्टर के अंतर्गत उपयोग शुल्क वसूल करने हेतु कम्पनी को निर्देशित (जून 2011) किया। तथापि कम्पनी स्टेट डाटा सेन्टर की सुविधाओं का उपयोग करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं मण्डलों पर ₹ 1.23 करोड़ (नवम्बर 2013 से मार्च 2016) उपयोग शुल्क के रूप में आरोपित तथा वसूली नहीं कर सकी।

(कंडिका 2.2.28)

- कम्पनी द्वारा ग्वालियर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया। किन्तु कम्पनी 90,000 वर्गफीट निर्माण क्षेत्रफल के विरुद्ध मात्र 10,200 वर्गफीट ही किराये पर दे सकी। यह परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व ग्वालियर में आई टी उद्योग हेतु व्यावसायिक क्षमता का निर्धारण करने में कम्पनी की विफलता के कारण था।

(कंडिका 2.2.32)

- कम्पनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये कोई लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना नहीं बनाई। लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना प्रक्रिया के अभाव में कम्पनी के व्यवसाय तथा विकासात्मक उद्देश्यों के संचालन के लिये दिशानिर्देशों की कमी थी।

(कंडिका 2.2.8)

- आंतरिक निरीक्षण तंत्र कमजोर था क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया कार्यक्षेत्र व्यापक नहीं था साथ ही कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। आगे यह कि आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में कम्पनी की मुख्य चालन गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया तथा इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाए सामान्य प्रकृति की थी।

(कंडिका 2.2.47)

2.3 मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अप्रैल, 1974 में अनाजों के उपार्जन एवं वितरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख अभिकरण के रूप में निगमित हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनाजों का उपार्जन, संग्रहण, परिवहन, वितरण एवं आवागमन की गतिविधियों को संचालन करना था। हालांकि कम्पनी केवल उपार्जन एवं वितरण का कार्य करती है और अनाजों के भण्डारण की सुविधा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा मुहैया करायी जाती है, जो कि भण्डारण के लिए राज्य का प्रमुख अभिकरण है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत अनाजों का वितरण किया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भोपाल में है साथ ही आठ क्षेत्रीय कार्यालय एवं 48 जिला कार्यालय हैं। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने 343.55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ एवं 63.09 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान कम्पनी की बिक्री ₹ 8,438.71 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,439.75 करोड़ हो गई। जबकि कम्पनी की लाभप्रदता जो वर्ष 2011–12 में ₹ 5.25 करोड़ थी वह वर्ष 2014–15 में ₹ 69.12 करोड़ की हानि में बदल गई।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से बकाया जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 1,977.10 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,848.28 करोड़ के मध्य थी, न वसूल हो पाने के कारण खराब हुयी। परिणामस्वरूप कम्पनी ने हानि को पूरा करने के लिये बैंक से उधारी का सहारा लिया जिससे उसकी वित्तीय लागत, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 701.60 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,722.18 करोड़ हो गई थी।

(कंडिका 2.3.29)

- कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये मध्य प्रदेश शासन चरणबद्ध तरीके से कम्पनी को अतिरिक्त पूँजी प्रदाय कर सकती है या ब्याज मुक्त ऋण या सहायता अनुदान उपलब्ध या उपार्जन लागत का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान कर सकती है जिससे ऋण कम हो सके तथा कम्पनी अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सके।

(कंडिका 2.3.28)

- गेहूँ एवं धान के उपार्जन के लिए तय लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने फसल उपज के अनुमान के सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुये उपार्जन लक्ष्य को संशोधित नहीं किया था। जिसके बजह से लक्ष्य से ज्यादा उपार्जित धानों की मिलिंग नहीं हो सकी क्योंकि वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान राज्य में मिलिंग क्षमता पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप धान स्टॉक के संचय एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 114.40 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.10, 2.3.11 एवं 2.3.14)

- कम्पनी वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए उपार्जित मक्का जो कि क्षतिग्रस्त हो गयी थी, के एवज में भारतीय खाद्य निगम से भण्डारण शुल्क एवं ब्याज

के ₹ ४८ करोड़ का दावा करने में असफल रही। इसके अलावा क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में देरी होने से ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य भण्डारण शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका एँ 2.3.15 एवं 2.3.26)

- कम्पनी ने बारदानों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अवास्तविक धान उपार्जन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये अधिक बारदानों का उपार्जन किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उधार ली गई राशि के अवरुद्ध होने के साथ साथ ₹ 176.01 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.18)

- कम्पनी ने भोपाल एवं उज्जैन क्षेत्र के लीड दरों में असामान्य अन्तर होने के बावजूद परिवहन हेतु ठेके देते समय मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा। परिणामस्वरूप परिवहन व्यय के लिए उच्चतर दर से भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 2.3.21)

- कम्पनी, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के साथ स्वीकार्य भण्डारण हानियों के लिए मानक तय करने में असफल रही। परिणामस्वरूप भण्डारण कमी के दावों ₹ 103 करोड़ की वसूली मार्च 2016 तक नहीं हो पायी थी जो कि वर्ष 2013 से 2016 तक से सम्बन्धित है।

(कंडिका 2.3.25)

- कम्पनी में प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी पायी गयी। इसके अलावा कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपर्जित अनाजों के मात्रानुसार उपार्जन के दौरान गुणवत्ता जॉच के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की।

(कंडिका एँ 2.3.36 एवं 2.3.37)

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय में सम्प्रिलित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। 15 मामलों में नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं, नियमों और ठेके की नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं करने से ₹ 79.34 करोड़ की हानि हुई।

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार इस प्रकार है:

- मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड ने सङ्क परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती और ठेकेदार को ₹ 7.07 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(कंडिका 3.5)

- मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने आरटीई उत्पाद की उत्पादन लागत अन्तिमीकरण में रखे हुए बारदानों का प्राप्त मूल्य समायोजित न करके संयुक्त उपक्रम भागीदार को ₹ 5.68 करोड़ का अनुचित लाभ पैहुचाया।

(कंडिका 3.9)

- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड, बुधनी को लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत शुल्क में ₹ 3.12 करोड़ की अनुचित छूट दी।

(कंडिका 3.2)

- मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नियम और शर्तों में परिवर्तन के कारण पूर्ण हुए पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्रों के पट्टा अनुबंध का निष्पादन न होने से ₹ 1.33 करोड़ की राजस्व हानि।

(कंडिका 3.1)

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने ₹ 5.93 करोड़ कर्मकार कल्याण उपकार की कम वसूली की जिससे इस सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

(कंडिका 3.3)

- मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा रियायत अनुबंध और एस्क्रो खाते के अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप रियायतग्राही से ₹ 4.56 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.4)

- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन न करते हुए रहवासी आवासों के निर्माण का कार्य ₹ 26.13 करोड़ के उच्च दरों पर प्रदाय किया।

(कंडिका 3.14)

- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने निविदा विशिष्टताओं में संशोधनों के कारण कम्पनी ने आयातित कोयले की खरीद में ₹ 16.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 3.15)

- इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) लिमिटेड ने ₹ 3.88 करोड़ मूल्य भूमि के आवंटन में अनियमितता की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 61.59 लाख राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 3.10)

अध्याय—१

अध्याय—1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश में 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना नहीं हुई तथा न ही कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बंद हुआ। 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	55	9	64
सांविधिक निगम ³	3	—	3
योग	58	9	67

(प्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित औँकड़े)

31 मार्च 2016 को 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगमों को शामिल करते हुए) थे। सितम्बर 2016 तक की अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 78315.94 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के वर्ष 2015–16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13.86 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल मिलाकर ₹ 4592.58 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुसार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 63459 कर्मचारी नियोजित थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक स्वायतशासी निकाय मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

31 मार्च 2016 को नौं अकार्यशील उपक्रम छ: से 26 वर्षों तक अस्तित्व में थे जिनमें ₹ 192.03 करोड़ का निवेश था। यह जोखिमपूर्ण क्षेत्र है चूंकि अकार्यशील उपक्रम में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं रहता।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की

¹ सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये हैं।

² सरकारी कम्पनियों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा 5 व 7 में वर्णित अन्य कम्पनियों शामिल हैं।

³ मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम।

धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कम्पनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी में कम से कम 51 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार का हो और जिसमें उस सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी सम्मिलित हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच कर सकता है तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जा सकती है। 01 अप्रैल 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

सांविधिक निगमों⁴ की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्य प्रदेश राज्य सङ्कर परिवहन निगम के लिए सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

⁴ म.प्र.रा.स.प.नि.: राज्य सङ्कर परिवहन अधिनियम 1950; म.प्र.वे.ला.को.: वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 तथा म.प्र.वि.नि.: राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951

मध्य प्रदेश शासन का अंश

1.5 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के हैं:

- **अंश पूँजी एवं ऋण—** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता—**राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकता अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति—**राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 69754.35 करोड़ था जिसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील उपक्रम	20513.43	46628.38	67141.81	525.97	1894.54	2420.51	69562.32
अकार्यशील उपक्रम	57.59	134.44	192.03	—	—	—	192.03
योग	20571.02	46762.82	67333.84	525.97	1894.54	2420.51	69754.35

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.72 प्रतिशत पूँजी कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एवं शेष 0.28 प्रतिशत पूँजी अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। इस कुल निवेश का, 30.24 प्रतिशत पूँजी में और 69.76 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश वर्ष 2011–12 में ₹ 33511.25 करोड़ से 108.15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 69754.35 करोड़ हो गया जैसा कि रेखाचित्र—1.1 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र—1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)



(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

1.7 31 मार्च 2016 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्र वार सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।


तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील उपक्रम		
ऊर्जा	60496.51	0	0	60496.51
विनिर्माण	310.94	166.77	0	477.71
वित्त	645.97	1.20	1341.31	1988.48
सेवा	5030.23	0	858.65	5888.88
अधोसंरचना	615.55	18.14	0	633.69
कृषि एवं संबद्ध	42.61	5.92	220.55	269.08
कुल	67141.81	192.03	2420.51	69754.35

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र-1.2 में दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, जो कि 2011–12 में ₹ 30239.74 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 60496.51 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश



पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश, वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें 108.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2011–12 से 2015–16) जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समता / ऋण में किया गया निवेश एवं ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/ रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/ विकास/ उन्नयन कार्यों के लिए ऋण प्राप्त किया जाना रहा।

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समता, ऋण, अनुदान/ उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2015–16 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		सार्वजनि के क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनि के क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	06	1544.67	08	803.10	6	468.57
2.	बजट से दिये गए ऋण	06	3786.50	05	2060.14	5	1216.82
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/उपदान	18	4456.45	15	6058.22	21	8222.61
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	.	9787.62	..	8921.46	..	9908.00
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	01	1379.23
6.	निर्गत प्रत्याभूति	08	6528.32	10	3311.27	11	1327.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	09	7873.52	10	8958.90	8	1405.99

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण रेखाचित्र-1.3 में दिया गया है।

रेखाचित्र-1.3 : समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन



(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

बजट से समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान सहायता वर्ष 2014–15 में ₹ 8921.46 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 9908 करोड़ बहिर्गमित हुई। बजट के ₹ 9908 करोड़ बहिर्गमन में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दी गई सहायता ₹ 7870.18 करोड़ शामिल हैं जो क्रमशः ₹ 3268.72 करोड़ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को, ₹ 3007.37 करोड़ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और ₹ 1594.09 करोड़ मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को समता ऋण एवं अनुदान/उपदान के रूप में दी गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य गारण्टी नियम 2009 के तहत गारण्टी दी जाती है

जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा गारण्टी शुल्क आरोपित किया जाता है। यह शुल्क 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक की दर से राज्य सरकार द्वारा ऋणी के आधार पर लगाया जाता है। गारण्टी प्रतिबद्धता वर्ष 2013–14 में ₹ 7873.52 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 1405.99 करोड़ हो गयी। इसके अलावा वर्ष 2015–16 के दौरान चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारण्टी शुल्क ₹ 82.57 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारण्टी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और जिनके विरुद्ध संचित/बकाया गारण्टी शुल्क/कमीशन ₹ 124.52 करोड़ था (31 मार्च 2016 को)।

वित्तीय लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अभिलेखों के अदत्त अनुसार समता, ऋण और प्रत्याभूति के आँकड़े, राज्य के वित लेखों में दर्शाये गये आकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आँकड़ों में भिन्नता हो तो, संबंधित पी.एस.यू. और वित विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति तालिका 1.5 में दर्शित है।

तालिका 1.5: वित्त लेखों और पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार अदत्त समता, ऋण और प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	8783.96	14298.75	5514.79
ऋण	17883.38	30938.61	13055.23
प्रत्याभूतियां	6071.84	5907.42	164.42

(स्रोत : वित्तीय लेखे 2015–16 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अन्तर थे, और इनमें से कुछ अन्तरों का मिलान पूर्व के पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्यतः अन्तर उर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में पाया गया। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आँकड़े और पी.एस.यू. के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित किया गया था, परन्तु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये तय समय सीमा के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिये।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) के साथ धारा 129(2) के प्रावधानों के अनुसार सितंबर माह के अंत तक संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जो प्रदान करती है कि कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक लाख रुपये तक का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है और सतत चूक के मामले में अर्थिक दण्ड को बढ़ाकर पाँच हजार रुपये प्रतिदिन तक जब तक चूक बनी रहें तक विस्तार किया जा सकता है। सरकारी कम्पनियाँ जिनके लेखा बकाया हैं के प्रबन्धन इस चूक के लिये उत्तरदायी होंगे। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

30 सितम्बर 2016 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका 1.6** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.6: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्र. स.	विवरण	2011–12	2012–3	2013–14	2014–15	2015–16
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	55	55	58	58	58
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	50	49	47	59	56
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	63	64	84	77	79
4.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	26	25	32	36	32
5.	बकायों की सीमा (वर्षों की सीमा)	1–8	1–9	1–10	1–11	1–12

जैसा कि तालिका 1.6 में देखा जा सकता है कि कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित लेखों की संख्या 63 (2011–12) से बढ़कर 79 (2015–16) हो गई। लंबित लेखों में 70 सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 12 वर्ष की अवधि तथा दो सांविधिक निगमों के लेखे अर्थात् मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कॉर्पोरेशन के एक वर्ष के लेखे और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के आठ वर्षों के लेखे शामिल हैं।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना कि ये पी.एस.यू. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। संबंधित विभाग/मंत्रालय को नियमित रूप से उपमहालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया। इसके अलावा, इस मामले को महालेखाकार द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से लेखा की बकाया स्थिति को समाप्त करने हेतु मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया गया। यद्यपि कोई सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 1874.13 करोड़ { (समता: ₹ 159.59 करोड़ (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), ऋण: ₹ 1096.59 करोड़ (तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) एवं अनुदान: ₹ 617.95 करोड़ (सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)} का निवेश उन वर्षों में किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि, किये गये निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इस प्रकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का अंतिमीकरण लंबित था। नौ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से सात⁵ परिसमापन की प्रक्रिया में थे। शेष दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों का विलंबन चार से सात वर्ष के बीच था।

⁵ म.प्र. लिफट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड

तालिका 1.7: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित बकाया लेखों की स्थिति

अकार्यशील उपक्रम का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखों लंबित रहे	लेखों में विलम्बन संख्या वर्षों में
मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009–10	07
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड	2012–13	04

लेखों के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 से 1.12) लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की संभावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2015–16 में राज्य की जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया। अतः ये अनुशंसा की जाती है कि :

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिये और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिये लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिये जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाये।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिये बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिये।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.14 निगम की वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निगम के प्रबंध निदेशक और राज्य शासन को जारी की जाती हैं। प्रत्येक निगम के संबंधित कानून के अनुसार, प्रबंध निदेशक एसएआर को अग्रेषित कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार के द्वारा एसएआर को राज्य विधायिका में रखा जायेगा।

सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को (30 सितम्बर 2016 तक) राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शित है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	शासन को जारी करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014–15	2015–16	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
2	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	2007–08	2008–09	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए
3	म.प्र. वित्त निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिये गए

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवर्त का राज्य के जीडीपी के साथ अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को दर्शाता है। समाप्त हुये वर्ष 2015–16 से पूर्व के पाँच वर्षों की अवधि का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका 1.9** में प्रदर्शित है।

तालिका 1.9: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
आवर्त ⁶	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36	78315.94
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	305158.00	361270.00	434730.00	508006.00	565053.43
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	12.44	16.12	13.77	12.06	13.86

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आंकड़े)

राज्य की जीडीपी में आवर्त की प्रतिशतता वर्ष 2011–12 में 12.44 प्रतिशत से बढ़कर 2012–13 में 16.12 प्रतिशत हो गयी तत्पश्चात 2014–15 में घटकर 12.06 प्रतिशत हो गई जो कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घटते योगदान को इंगित करता है। हालांकि, यह वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़कर 13.86 प्रतिशत हुई।

1.16 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई समग्र हानि **रेखाचित्र 1.4** में प्रदर्शित की गई है।

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समग्र हानि वर्ष के दौरान कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उठाई गई कुल हानि



(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते हैं।)

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आंकड़े)

⁶ 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

रेखाचित्र 1.4 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्ष 2014–15 तक हानि की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। हानि वर्ष 2011–12 में ₹ 2297.41 से बढ़कर, 2014–15 तक ₹ 6281.87 हुई तथा वर्ष 2015–16 में घटकर ₹ 4592.58 हुई। 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार, 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 729.34 करोड़ लाभ अर्जित किया और 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 5321.92 करोड़ की हानि वहन की। पाँच कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये और एक कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपने प्रथम लेखे का अंतिमीकरण नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 120.81 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 118.66 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 107.87 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 70.50 करोड़) का था।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1207.01 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1161.58 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनियाँ रही।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मापदण्ड तालिका 1.10 में दिये गये हैं।

तालिका 1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में) ⁷	--	--	--	--	--
ऋण	21670.95	28932.24	34988.54	37178.92	46322.04
आवर्त ¹	37949.25	58237.27	59860.12	61264.36	78315.03
ऋण/आवर्त अनुपात	0.57:1	0.50:1	0.58:1	0.61:1	0.59:1
ब्याज का भुगतान	1601.69	2715.97	3382.32	4064.62	4616.10
संचित लाभ / (हानि)	(-)15348.27	(-)21743.28	(-)28254.01	(-)29597.25	(-)31609.10

(स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकलित आँकड़े)

संचित हानि प्रतिमान में वृद्धि देखी गई, जो 2011–12 में ₹ 15348.27 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 31609.10 करोड़ हो गई। मुख्य योगदान करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 13998.21 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 10001.41 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 9986.02 करोड़) थे। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिचालन की बिगड़ती स्थिति को इंगित करता है। ऋण आवर्त अनुपात 2011–12 में 0.57:1 से बढ़कर 2015–16 में 0.59:1 हुआ। इससे प्रदर्शित होता है कि इस दौरान जिस अनुपात में ऋण में वृद्धि में हुई उस अनुपात में सालाना बिक्री में वृद्धि नहीं हुई।

⁷ नियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय नकारात्मक है, अतः निरंक माना गया।

¹ 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त।

1.18 राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2005 में लाभांश नीति तैयार की गई थी जिसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 729.34 करोड़ लाभ अर्जित किया और उनमें से सिर्फ दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁸ ने ₹ 12.10 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जित करने के बावजूद लाभांश घोषित न करके मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन किया।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रम अकार्यशील थे। उनमें से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
अकार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	09	09	09	09	09
अकार्यशील सांविधिक निगमों की संख्या	—	—	—	—	—
कुल	09	09	09	09	09

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान और अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिये इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को या तो बंद किये जाने या पुनर्जीवित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। वर्ष 2015–16 के दौरान दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁹ का प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय ₹ छ: लाख रहा। इन व्ययों के लिए वित्तपोषण मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया (₹ 2.43 करोड़)।

1.20 वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी कम्पनी की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के विभिन्न चरणों की तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के चरण

संख्या	विवरण	कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9	—	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे			
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	—	—	—
(ब)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7	—	7 ¹⁰

⁸ म.प्र. सङ्क. विकास निगम लिमिटेड व म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड।

⁹ म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड।

¹⁰ मध्य प्रदेश लिफ्ट ईरिगेशन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेली कम्प्युनिकेशन लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

संख्या	विवरण	कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
(स)	समापन/बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए हैं परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रांतीय नहीं हुई है।	2	—	2

(स्रोत : कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त जानकारी¹¹)

वर्ष 2015–16 के दौरान, किसी भी कम्पनी का परिसमापन नहीं हुआ। सरकार दो अकार्यशील उपक्रमों¹² के परिसमापन के संबंध में निर्णय ले सकती है जबकि इनके अकार्यशील होने के बावजूद चालू रखने या न रखने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिये गये।

कम्पनी अधिनियम में स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया अधिक तेज है और इसे सख्ती से अपनाये जाने की आवश्यकता है।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2015–16 के दौरान, 46 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके 56 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को भेजे गए। इनमें से 24 सरकारी कंपनियों के 31 लेखों का अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: कार्यशील कम्पनियों पर लेखा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	02	15.87	03	8.39	13	190.33
2.	हानि में वृद्धि	03	181.06	02	52.16	05	9850.28
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	06	110.63	02	697.28	08	123.79
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	10	234.26	02	2548.36	14	843.87

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 32 लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र और 24 लेखों में मर्यादित प्रमाण पत्र दिये गये। वर्ष के दौरान 16 लेखों में 81 मामले ऐसे थे जिनमें लेखामानको का अनुपालन नहीं किया गया।

1.22 इसी तरह मध्य प्रदेश वित्त निगम ने वर्ष 2015–16 के लेखे महालेखाकार को भेजे। इस लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अर्हता प्रमाण पत्र दिया गया और लेखे को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणी की मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

¹¹ वर्ष 2015–16 में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्णायक जानकारी प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 से ग्रहण की गई।

¹² म.प्र. राज्य वस्त्रोदयोग निगम लिमिटेड एवं म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड।

तालिका 1.14: कार्यशील सांविधिक निगमों के लेखों पर अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16		(₹ करोड़ में)
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	
1.	लाभ में कमी	02	8.80	01	13.30	1 ¹³	1.54	
2.	वर्गीकरण की त्रुटियां	02	23.60	—	—	1	17.23	

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ तथा कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, और छ: विभागों से जुड़े 17 अंकेक्षण कंडिकाएँ संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। हालांकि सात अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

लेखा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया के चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिये यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को मई 2016 में निर्देशित किया कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/पैराग्राफ के उत्तर निर्धारित प्रारूप में कोपू से प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना व्याख्यात्मक नोट विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें।

तालिका— 1.15: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2016 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक / पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ / कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2014–15	17.03.2016	03	13	02	06
कुल		03	13	02	06

उपरोक्त तालिका 1.15 से यह देखा जा सकता है कि 13 कंडिकाओं और तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से छ: कंडिकाओं और दो विभागों की दो निष्पादन लेखापरीक्षा पर टिप्पणी की गई थी, उनपर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थे (सितम्बर 2016)।

¹³ मध्य प्रदेश वित निगम

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.25 30 सितम्बर 2016 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एंवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में शामिल थी और जिन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के द्वारा चर्चा की गई जिसका विवरण नीचे तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		चर्चा की गई कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009–10	02	09	02	08
2012–13	05	11	04	05
2013–14	03	08	02	04
2014–15	03	13	00	00
कुल	13	41	08	17

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 सितम्बर 1976 एवं मार्च 2016 के मध्य राज्य की विधायिका के समक्ष कोपू के 49 प्रतिवेदनों से संबंधित 275 कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही का विवरण प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2016) जैसा कि तालिका 1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
1973–74 से 2003–04	28	653	167
2004–05	04	54	18
2005–06	05	45	25
2006–07	02	30	16
2007–08	03	28	16
2008–09	01	39	26
2009–10	01	03	02
2010–11	05	05	05
कुल	49	857	275

कोपू की इन प्रतिवेदनों में 11 विभागों से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएं थीं जो 1973–74 से 2010–11 के वर्षों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल थीं।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि:

- निरीक्षण प्रतिवेदनों / व्याख्यात्मक टिप्पणियों / प्रारूप कंडिकाओं / निष्पादन लेखापरीक्षकों एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरणों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में भेजे जाएं;
- हानियाँ / बकाया अग्रिम / अधिक भुगतान आदि की वसूली निर्धारित समय सीमा के अंदर की जाएं; एवं
- लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर देने के लिये तंत्र में सुधार लाया जाये।

अध्याय–२

अध्याय—2

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने एवं कृषि पर्मों को न्यूनतम आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने तथा वितरण प्रणाली के पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने अप्रैल 2010 में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (कार्यक्रम) की शुरुआत की। मध्य प्रदेश विधानसभा ने राज्य के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिये, 'संकल्प-2013' नामक प्रस्ताव पारित (14 मई 2010) किया। संकल्प 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2013 से घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे तथा कृषि पर्मों को आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने की परिकल्पना की। कार्यक्रम के कार्यों को दो चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम चरण के कार्यों को अगस्त 2012 तक पूर्ण किया जाना था तथा द्वितीय चरण के कार्यों को मई 2013 तक पूर्ण किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में सम्पन्न किये गये कार्यक्रम के कार्यों की संस्वीकृति (2010–11) से लेकर उनके क्रियान्वयन (2015–16) की अवधि को समाहित किया गया।

कार्यक्रम की आयोजना, वित्तीय प्रबन्ध, क्रियान्वयन तथा निगरानी और नियंत्रण को समाहित करते हुए कार्यक्रम के सम्पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा करने पर निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईः

- कम्पनी ने ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि के अंदर कार्य के प्रमुख घटकों को पूर्ण नहीं किया। ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा के सापेक्ष मई 2013 तक 56.90 प्रतिशत और 74.83 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्य तथा जून 2016 तक 10.99 प्रतिशत तथा 15.15 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्यों को सम्पादित किया जाना था। परिणामस्वरूप कम्पनी 'संकल्प 2013' के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2013 से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने की मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता को पूर्ण नहीं कर सकी। कम्पनी कुल 13 वृत्तों में से चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम के अंतर्गत परिलक्षित लक्ष्यों तक घटाने में भी असफल रही।

(कांडिका 2.1.7)

- कम्पनी ने ठेके की विशेष शर्तों में परिवर्तन करके दोषी ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत दायित्व को ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप समाप्त किये गये ठेकों में शेष बचे हुये कार्यों को पूरा करने के लिये आने वाली ₹ 11.94 करोड़ की अतिरिक्त लागत को कम्पनी को स्वयं वहन करना पड़ा।

(कांडिका 2.1.10)

- 10 लॉटों में कुल 108 फीडरों के सापेक्ष किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन में से 100 फीडरों (कुल फीडरों का 92.59 प्रतिशत) में फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पारेषण एवं वितरण हानियों की फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत की सीमा की तुलना में अधिक थी। आगे, कुल 13 वृत्तों में से चार वृत्तों में

पारेषण एवं वितरण हानियों को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के समक्ष प्रतिबद्ध किये गये स्तर तक नहीं लाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को वर्ष 2015–16 के दौरान अतिरिक्त पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 9.38 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.25)

- कम्पनी ने वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किया जिसके कारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्य की व्यापक मदों की मात्राओं में अधिक भिन्नता पाई गई। परिणामस्वरूप, वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों में दर्शाई गई कार्य की अधिक मात्राओं के आधार पर कम्पनी ने ₹ 238.80 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति प्राप्त की जिसके कारण कम्पनी को ₹ 9.55 करोड़ के गारण्टी फीस तथा ₹ 23 लाख के प्रतिबद्धता प्रभार का परिहार्य खर्च करना पड़ा।

(कंडिका 2.1.9)

- कम्पनी ने, कार्यक्रम के अंतर्गत ठेके प्रदान करने से पहले भूमि की उपलब्धता आश्वस्त नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप नौ सबस्टेशनों का कार्य तीन माह से 34 माह विलम्ब से पूर्ण किया गया तथा तीन सबस्टेशनों का कार्य जून 2016 तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.1.22)

- कार्यक्रम के द्वितीय चरण के कार्यों को निष्पादित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 239.47 करोड़ की धनराशि समता अंश पूँजी के रूप में कम्पनी को स्वीकृत की। जिसमें से कम्पनी ने ₹ 173.63 करोड़ की धनराशि प्रथम चरण के कार्यों हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान पर खर्च कर दिया जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमत नहीं थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के विरुद्ध कार्यक्रम के लिये उपलब्ध कराई गई धनराशि को अनभिप्रत कार्यों पर खर्च किया गया।

(कंडिका 2.1.17)

- कम्पनी ने मोबिलाइजेशन व सामग्री अग्रिम की असमायोजित राशि पर ब्याज लगाने के लिये गलत विधि को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा सामग्री अग्रिम पर ब्याज क्रमशः ₹ 11.06 करोड़ तथा ₹ 13.92 करोड़ की कम वसूली की गई।

(कंडिका 2.1.15)

- ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को परिसम्पत्तियों का मानचित्रण तथा उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य करना था तथा इनसे सम्बन्धित समस्त ऑकड़ों को सीवाईएमडीआईएसटी साफ्टवेयर के सुसंगत प्रारूप में उपलब्ध कराना था। ठेकेदारों द्वारा कम्पनी को इन जानकारियों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य कम्पनी को वितरण तंत्र पर सिमूलेशन तथा 'व्हॉट इफ' विश्लेषण करने हेतु सक्षम बनाना था। हालांकि कम्पनी ने इन जानकारियों को आवश्यक प्रारूपों में प्राप्त किये बिना ही 10 लॉटों का समापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया। जिसके कारण कम्पनी वितरण तंत्र पर उचित लोड प्रबन्धन को आश्वस्त करने से वंचित हो गई।

(कंडिका 2.1.20)

- ठेके को शर्तों के अनुसार, कम्पनी द्वारा परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ठेकेदारों को पूर्ण किये गये कार्यों की क्रियाशीलता गारण्टी परीक्षण का कार्य सम्पन्न करना था तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत तक लाना था। कम्पनी ने कुल 1184 फीडरों के लिये परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी

किये जिसमें से 632 फीडरों, जिनका प्रतिनिधित्व 53.38 प्रतिशत था, का परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र ठेकेदारों से हानियों का प्रदर्शन कराये बिना ही जारी कर दिये गये। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के निर्धारित उद्देश्य की अवहेलना करते हुये कम्पनी ने फीडरों की परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने तथा कार्यों को समाप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

(कंडिका 2.1.23)

- 10 लॉटो में से आठ में जिनमें संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था 701 सामग्री नमूनों को गुणवत्ता जाँच हेतु विभिन्न एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं में भेजा गया था जिसमें से 340 नमूनों (भेजे गये नमूनों का 49.07 प्रतिशत) के परीक्षण प्रतिवेदन जून 2016 तक अप्राप्त थे। अतः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खरीदी गई ₹ 90.08 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ जिनमें से इन नमूनों का चयन किया गया था गुणवत्ता की जाँच कराये बिना ही रह गई थी।

(कंडिका 2.1.33)

- ठेकेदार की वित्तीय स्थिति को बैंक स्रोतों से सुनिश्चित किये बिना ही कम्पनी ने ठेकेदार के समापन को रद्द कर दिया तथा उसके पश्चात ठेकेदार कार्यों को पूर्ण करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप कम्पनी घटे हुए पारेषण एवं वितरण हानियों के परिणामतः होनें वाले ₹ 12.41 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही। आगे कार्य पूर्ण करने में ठेकेदारों को लगातार असफलता के बावजूद कम्पनी ने दो लॉटों के ठेकेदारों को समाप्त करने में देरी की जिसके कारण कम्पनी घटे हुये पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 29.65 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही।

(कंडिका 2.1.26 तथा 2.1.27)

प्रस्तावना

2.1.1 ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत लोड को कृषि विद्युत लोड से अलग करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने फीडर विभिन्नकरण कार्यक्रम (जिसे आगे कार्यक्रम कहा गया है) की शुरुआत की। ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अप्रैल 2010 में इस कार्यक्रम को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। राज्य के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिये मध्य प्रदेश विधानसभा ने “संकल्प 2013” पारित (14 मई 2010) किया। संकल्प के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2013 से घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तथा कृषि पम्पों को आठ घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय (24 मई 2010) लिया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे— (i) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को लगातार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तथा कृषि पम्पों को न्यूनतम आठ घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना तथा (ii) कुल पारेषण एवं वितरण हानियों को फीडर स्तर पर अधिकतम 12 प्रतिशत तक घटाना तथा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किये गये वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को वृत्त-वार आठ प्रतिशत तक कम करना।

2.1.2. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत चार मुख्य कार्यों को सम्मिलित किया गया— (i) 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन से एक पृथक 11 के.व्ही. घरेलू फीडर (11 के.व्ही.लाइन) का निर्माण (ii) खुले विद्युत तारों को एरियल बन्चड (ए.बी.) केबल से बदलना, वितरण ट्रान्सफार्मरों को स्थापित करना तथा विद्युत लोड को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखने के लिये इनका मीटरीकरण करना, क्षतिग्रस्त सर्विस लाइनों को पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) केबल से बदलना (iii) 100 प्रतिशत परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा बिना मीटर वाले विद्युत उपभोक्ताओं


का मीटरीकरण करना तथा (iv) उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करना तथा वितरण ट्रान्सफार्मरों से उपभोक्ताओं के घर तक होने वाली वितरण हानियों को प्रमाणित करना।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (कम्पनी) ने इस कार्यक्रम को दो चरणों में क्रियान्वित किया। प्रथम चरण के कार्य सात वृत्तों में जो सात जिलों के अन्दर 11 लॉटों में विभाजित थे जून 2010 से मई 2012 के मध्य क्रियान्वित किये जाने थे तथा द्वितीय चरण के कार्य छः वृत्तों में जो सात जिलों के अन्दर 15 लॉटों में विभाजित थे, जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 के मध्य क्रियान्वित किये जाने थे। प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत सम्मिलित किये गये जिलों तथा लॉटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है। आगे प्रथम चरण के अंतर्गत जनवरी 2012 में पंधाना संभाग में कार्यक्रम के कार्यों को करनें के लिये एक अन्य लॉट (लॉट 27) शामिल किया गया। वृत्त-वार कार्यपूर्णता से सम्बंधित विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.1.2** में दी गई है।

प्रथम चरण के कार्यक्रम कार्यों की लागत हेतु रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आर.ई.सी.) से ₹ 708.24 करोड़ का ऋण लिया गया। उसी प्रकार द्वितीय चरण के कार्यक्रम कार्यों की लागत को वित्तपोषित करने के लिये इसकी परियोजना लागत के 80 प्रतिशत ₹ 554.72 करोड़ का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) से लिया गया तथा परियोजना लागत का शेष 20 प्रतिशत ₹ 139.30 करोड़ की राशि का समकक्ष वित्तपोषण मध्य प्रदेश शासन ने समता अंश पूंजी के रूप में किया। कार्यक्रम के कार्यों के पूर्ण होने पर कम्पनी के वितरण तंत्र का ढाँचा रेखाचित्र 2.1.1 में दिये गये ढाँचे के समान होगा।

रेखाचित्र 2.1.1

फीडर विभक्तिकरण के पश्चात वितरण तंत्र तथा सबस्टेशन को दर्शाता हुआ
रेखाचित्र




33/11, के.व्ही. सबस्टेशन तथा उससे निकलने वाले 11 के.व्ही. फीडर



कम्पनी का संगठनात्मक ढाँचा

2.1.3 कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मण्डल में निहित है तथा प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कम्पनी के रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिये प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये एक मुख्य महाप्रबन्धक, तीन कार्यकारी निदेशक चार मुख्य अभियन्ता तथा एक मुख्य वित्त अधिकारी होता है। कार्यकारी निदेशक (परियोजना) कम्पनी के परियोजना विंग का प्रमुख होता है जो परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिये उत्तरदायी होता है। कार्यकारी निदेशक (परियोजना) की सहायता के लिये अधीक्षण यंत्री जिनको वृत्तों में कार्यक्रम कार्यों के लिये परियोजना प्रबन्धक भी कहा जाता है तथा नोडल अधिकारी होते हैं। कम्पनी के संगठनात्मक ढाँचा रेखाचित्र 2.1.2 में दिया गया है।

कम्पनी के संगठनात्मक ढाँचे को दर्शाता हुआ रेखाचित्र 2.1.2



लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.4 कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलित करने के उद्देश्य से सम्पन्न की गई थी कि:

- कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु उचित योजना बनाई गई थी तथा जो परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त थी;
- कार्यक्रम के लिये निधियों की आवश्यकता का ऑकलन वास्तविकता के आधार पर किया गया था, निधियाँ समय पर स्वीकृत कराई गयी थी तथा उनका उपयोग कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययिता से किया गया था;
- कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया गया था तथा कार्यक्रम के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था; तथा
- कार्यक्रम कार्यों के गुणात्मक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी का प्रभावशाली तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.5 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थें।

- मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित 'संकल्प-2013' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश शासन, आर.ई.सी. तथा ए.डी.बी. द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश/लक्ष्य;
- आर.ई.सी./ए.डी.बी. के साथ सम्पादित किये गये ऋण अनुबन्ध तथा मध्य प्रदेश शासन के साथ सम्पादित ऑन-लैंडिंग¹ अनुबन्ध;
- वृहत परियोजना प्रतिवेदनों/निविदा प्रपत्रों तथा ठेके अनुबन्धों में दर्शाये गये लक्ष्य; तथा
- मध्य प्रदेश शासन/ऋण देने वाली एजेन्सियों/ठेकेदारों के साथ पत्राचार तथा कार्यक्रम के सामयिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत कम्पनी में कार्यक्रम के क्रियान्वयन को उसकी संस्थीकृति से वर्ष 2015–16 तक किये गये निष्पादन को सम्मिलित किया गया था। प्रमुख सचिव (ऊर्जा), मध्य प्रदेश शासन के साथ 17 फरवरी 2016 को प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के उपलब्ध प्रपत्र, इन्दौर स्थित कम्पनी के कार्पोरेट ऑफिस में उपलब्ध प्रपत्र तथा कार्यक्रम के अंतर्गत समस्वाभाविक पद्धति से चुने गये 10 लॉटों² (कुल 27 लॉटो का 37 प्रतिशत) के फील्ड ऑफिस में उपलब्ध प्रपत्रों की लेखा समीक्षा की गई। आगे, लेखापरीक्षा के अंतर्गत 14 नये सबस्टेशनों, जो कि कुल निर्मित नये सबस्टेशनों के 50 प्रतिशत के बराबर थे, का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। निकास सम्मेलन 03 सितम्बर 2016 को आयोजित किया गया तथा सरकार/कम्पनी के विचारों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

¹ ए.डी.बी. की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन व कम्पनी के मध्य आन-लैंडिंग अनुबंध हुआ जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन, ए.डी.बी. से प्राप्त ऋण की राशि को कम्पनी को उपलब्ध कराने के लिये सहमत हुआ।

² आगर, बुरहानपुर, उज्जैन, तराना, एवं बड़नगर, झाबुआ, शाजापुर, धार एवं मनावर, खण्डवा । एवं ii बड़वानी ,सेंधवा, देवास एवं सोनकच्छ तथा खरगौन । एवं ii ।

लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

कार्यक्रम के तय उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाना

2.1.7 कार्यक्रम के अंतर्गत तय किये गये सम्पूर्ण उद्देश्यों, जिनका विस्तृत विवरण कंडिका क्रमांक 2.1.1 में दिया गया है, को प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले कार्य के कई वृहत्त तत्वों जिनका विस्तृत विवरण कंडिका क्रमांक 2.1.2 में किया गया है, को कार्यक्रम में समाहित किया गया।

कम्पनी कार्य के मुख्य घटकों को 100 प्रतिशत पूरा नहीं कर पाई एवं जिससे पारेषण एवं वितरण हानियाँ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समुख प्रतिबद्धि लक्ष्यों से ज्यादा रही

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2016–17 (जून 2016 तक) के दौरान, घरेलू फीडरों को कृषि फीडरों से पृथक करने के लिये कम्पनी ने 1547 फीडरों का निर्माण किया। हालांकि कम्पनी ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति (मई 2013) तक इन फीडर कार्यों के प्रमुख तत्वों की 100 प्रतिशत पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकी अर्थात् (i) 35,771 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन बिछाये जाने के सापेक्ष 26,766 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन (74.83 प्रतिशत) नहीं बिछाई जा सकी (ii) 14,449 किलोमीटर ए.बी. केबल खीचे जाने के सापेक्ष 8,221 किलोमीटर (56.90 प्रतिशत) ए.बी. केबल नहीं खीची जा सकी (iii) अनुकूलतम लोड प्रबन्धन को आश्वस्त करने के लिये 19,815 वितरण ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने के सापेक्ष 11,491 वितरण ट्रान्सफार्मर (57.99 प्रतिशत) स्थापित नहीं किये गये तथा (iv) 7,05,058 परिवारों का 100 प्रतिशत मीटरीकरण करने के सापेक्ष 4,71,369 उपभोक्ताओं (66.86 प्रतिशत) का मीटरीकरण नहीं किया गया। अप्रैल 2013 तथा जून 2016 के समाप्ति के मध्य की अवधि के दौरान भी कम्पनी ने अपूर्ण लॉटों में कार्य के प्रमुख तत्वों के सम्पूर्ण कार्यों को पूरा नहीं किया तथा ठेकेदारों द्वारा सर्वेक्षण के बाद निर्धारित की गई कार्य की मात्रा के विरुद्ध 5372 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन (15.02 प्रतिशत) 1589 किलोमीटर ए.बी. केबल (10.99 प्रतिशत) 2846 वितरण ट्रान्सफार्मर (14.36 प्रतिशत) तथा 1,06,816 उपभोक्ताओं (15.15 प्रतिशत) का मीटरीकरण का कार्य करना शेष था।

अतः कार्य के उपरोक्त मुख्य तत्वों को पूर्ण किये बगैर ही कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन को प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से गलत सूचित (मार्च 2016) किया गया कि मार्च 2016 तक कार्यक्रम को 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि के अंदर इन कार्यों को पूरा न किये जाने के कारण कम्पनी संकल्प 2013– फीडर विभक्तिकरण द्वारा ग्रामीण परिवारों को लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय किये जाने की मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता, को पूरा नहीं कर सकी। आगे, ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि से लेकर जून 2016 तक तीन साल से अधिक की देरी होने के बावजूद भी कम्पनी कुल 13 वृत्तों में³ से चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को परिकल्पित स्तर तक घटाने में असफल रही। वर्ष 2015–16 के दौरान चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबद्धि लक्ष्यों से 6.23 प्रतिशत और 16.04 प्रतिशत के मध्य अधिक थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू), कार्य की जटिल प्रकृति, सामग्री की लगातार चोरी, कार्य निष्पादन में ठेकेदारों की असफलता जैसी समस्याओं के कारण वर्ष 2013 के अंत तक 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। तथापि कम्पनी वर्ष 2013–14 से ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय कर रही है तथा प्रत्येक वृत्त में पारेषण एवं वितरण हानियों को घटाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

³ शाजापूर,, खण्डवा, बुरहानपुर तथा झावूआ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम की निर्धारित पूर्णता अवधि (मई 2013) तक कम्पनी परियोजना कार्यों का केवल 35.86 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सकी थी। आगे यह संकल्प-2013 के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2013 से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने की मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में असफल रही तथा कम्पनी की ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति⁴ इसका प्रमाण है। कम्पनी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पारेषण एवं वितरण हानियों को एक स्तर तक घटाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी वर्ष 2015-16 के अंत तक पूर्ण नहीं कर सकी।

कार्यक्रम नियमन एवं योजना

2.1.8. कार्यक्रम के अंतर्गत, कम्पनी को वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को अनुमोदन हेतु वित्त पोषण एजेन्सियों के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस प्रकार समस्त कार्यक्रम कार्यों को 27 लॉटों में समाहित करते हुये (प्रथम चरण में लॉट क्रमांक 1 से 11 तक तथा लॉट क्रमांक 27 तथा द्वितीय चरण में लॉट क्रमांक 12 से 26 {33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों को सुदृढ़ करने हेतु तीन लॉट 24, 25 तथा 26 को सम्मिलित करते हुये}) मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम चरण और द्वितीय चरण में विभाजित किया गया तथा कम्पनी ने प्रथम चरण के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को आर.ई.सी. के समक्ष तथा द्वितीय चरण के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को ए.डी.बी. के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम की वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने में हुई कमियाँ

2.1.9. कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार (मार्च 2010) 23 वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों (प्रथम चरण के लिये 11 वृहत्त परियोजना प्रतिवेदन तथा द्वितीय चरण के लिये 12 वृहत्त परियोजना प्रतिवेदन) को अनुमोदन हेतु जून 2010 में आर.ई.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया तथा जून से जुलाई 2010 के दौरान आर.ई.सी. ने इनका अनुमोदन कर दिया। इसी बीच मध्य प्रदेश शासन ने (22 जुलाई 2010) कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु ए.डी.बी. से ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से अक्टूबर 2010 में द्वितीय चरण के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को ए.डी.बी. के समक्ष प्रस्तुत किया तथा ए.डी.बी. ने मई 2011 में इनको संस्थीकृत कर दिया।

वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

- कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की वास्तविक मात्राओं का निर्धारण करने के लिये कार्यक्षेत्र का सर्वेक्षण किये बिना ही क्षेत्र कार्यालयों से जानकारी एकत्रित करके वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार किया गया। यद्यपि कम्पनी ने कार्य की वास्तविक मात्रा के निर्धारण के लिये ठेकेदारों द्वारा कार्यक्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का प्रावधान ठेके की शर्तों के अंतर्गत किया था। उसी अनरुप ठेकेदारों ने सर्वेक्षण के उपरान्त मात्राओं का निर्धारण किया। इस कारण से वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित की गई चार मुख्य तत्वों (11 के.व्ही. लाइन, एल.टी. ए.बी. केबलिंग, 25 के.व्ही. ए.⁵ वितरण ट्रान्सफार्मर तथा सर्विस कनेक्शन्स) की मात्रा तथा सर्वेक्षण के उपरान्त निर्धारित की गई इन चार मुख्य तत्वों की मात्राओं में -43.93 प्रतिशत से 306.33 प्रतिशत का व्यापक परिवर्तन पाया गया। आगे जून 2016 तक 16 अपूर्ण लॉटों के सम्बन्ध में वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों की मात्रा तथा वास्तविक मात्रा में -47.88

⁴ यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक प्रबंध सूचना प्रणाली है जो कम्पनी द्वारा की जाने वाली लगातार विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित रीयल टाइम डाटा को प्रदर्शित करती है।

⁵ के.व्ही.ए. एक रेट है जिसे 1000 गोल्ट एम्पीयर की मात्रा में व्यक्त किया जाता है तथा जिस पर ऊर्जा को स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रतिशत से 253.40 प्रतिशत के मध्य का अन्तर पाया गया। अतः वृहत्त परियोजना में दर्शाई गई कार्यों की मात्रा यथार्थ नहीं थी।

- वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार कार्य की लागत ₹ 1407.43 करोड़ थी जबकि सर्वेक्षण के उपरान्त निर्धारित मात्राओं के अनुसार कार्य की लागत ₹ 1120.40 करोड़ थी। अतः वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार निर्धारित कार्य की लागत सर्वेक्षण उपरान्त निर्धारित कार्य की मात्राओं के अनुसार कार्य की लागत से 20.40 प्रतिशत अधिक थी।
- कम्पनी द्वारा तैयार की गई वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार, कम्पनी ने प्रथम चरण के कार्यों हेतु आर.इ.सी. से ₹ 708.24 करोड़ ऋण की स्वीकृति प्राप्त की। बाद में मात्राओं में परिवर्तन के कारण प्रथम चरण के कार्यों हेतु धनराशि की आवश्यकता घटकर ₹ 469.44 करोड़ हो गई। जिसके परिणामस्वरूप आर.इ.सी. से ₹ 238.80 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। आर.इ.सी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कम्पनी सम्पूर्ण स्वीकृति ऋण धनराशि के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन की गारण्टी प्रदान करेगी। चूंकि कम्पनी ने अपनी आवश्यकता से अधिक ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी इसलिये इसे स्वीकृति अतिरिक्त ऋण पर गारण्टी प्रदान करने के कारण से मध्य प्रदेश शासन को ₹ 9.55 करोड़⁶ (जून 2016 तक) गारण्टी फीस के भुगतान के रूप में अपरिहार्य खर्च करना पड़ा।
- ए.डी.बी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध (द्वितीय चरण की लागत की 80 प्रतिशत धनराशि के लिये) के अंतर्गत कम्पनी को ऋण अनुबन्ध की प्रभावशीलता की तिथी से 60 दिनों के बाद ऋण की असंवितरित राशि पर 0.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करना था। वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार द्वितीय चरण के कार्यों की लागत ₹ 699.19 करोड़ थी जो सर्वेक्षण के बाद परिवर्तित होकर ₹ 650.56 करोड़ हो गई। इस प्रकार ए.डी.बी. से ₹ 38.90 करोड़ (वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित अतिरिक्त लागत ₹ 48.63 करोड़ का 80 प्रतिशत) का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करा लिया गया जिस पर कम्पनी को ₹ 23.34 लाख⁷ के अतिरिक्त प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करना पड़ा।
- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करते समय कम्पनी ने विभिन्न वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को आठ प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कम करने के लिये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रतिबद्ध किया। यद्यपि पारेषण एवं वितरण हानियों के इन मानदण्डों (आधार वर्ष 2008–09) को निर्धारित करते समय कम्पनी ने सम्पूर्ण वृत्त की पारेषण एवं वितरण हानियों को मानदण्ड बनाया। चूंकि यह कार्यक्रम मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ही बनाया गया था इसलिये कम्पनी को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों की रिंग फॉन्सिंग⁸ कराकर उनकी पारेषण एवं वितरण हानियों के स्तर का पता करके मापदण्ड का निर्धारण करना था। यह इसलिये भी आवश्यक था क्योंकि वृत्तों के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने हेतु अन्य योजनाओं जैसे आर.ए.पी.डी.आर.पी. क्रियान्वित की जा रही थी। पारेषण एवं वितरण हानियों को इस प्रकार विभाजित न किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण हानियों में होने वाली वास्तविक कमी को यथार्थ रूप में नहीं मापा जा सकता था।

⁶ ₹ 238.80 * 1 % * 4 वर्ष (जुलाई 2012 से जून 2016) = ₹ 9.55 करोड़

⁷ ₹ 38.90 करोड़ पर मई 2012 (ऋण प्राप्त करने की तारीख 27 फरवरी 2012 से 60 दिन बाद) से 0.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चार वर्ष के लिये लगाया प्रतिबद्धता प्रभार।

⁸ रिंग फॉन्सिंग से तात्पर्य गांवों में बिजली की वास्तविक खपत तथा पारेषण एवं वितरण हानि को मापने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के सीमा बिन्दु जहाँ से गांव में विद्युत प्रवेश करती है तथा जहाँ से विद्युत बाहर निकलती है पर विद्युत मीटरों को लगाना है।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि (i) समय का अभाव होने के कारण से वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को बनाने से पहले क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया गया (ii) धनराशि को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई गारण्टी को ₹ 849.88 करोड़ से घटाकर ₹ 678.66 करोड़ कर दिया गया (iii) ए.डी.बी. से ऋण आहरित करने की अवधि को फरवरी 2018 तक बढ़ाये जाने से कम्पनी प्रतिबद्धता प्रभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) क्षेत्र सर्वेक्षण करने में कम्पनी की असफलता के कारण अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करा लिया गया (ii) कम्पनी ने गारण्टी की राशि को कम नहीं किया बल्कि ऋण की सम्पूर्ण स्वीकृत राशि ₹ 708.24 करोड़ के 120 प्रतिशत (₹ 849.88 करोड़) के बराबर गारण्टी उपलब्ध कराई तथा (iii) ऋण अनुबन्ध के अनुच्छेद 2.03 के अनुसार कम्पनी ऋण अनुबन्ध की तिथि से 60 दिनों के बाद सम्पूर्ण असंवितरित ऋण राशि पर प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थी।

ठेके में त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद का समादेश करने से परिहार्य भार

2.1.10. अट्ठारह माह की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ अगस्त 2011 में ₹ 68.84 करोड़ ठेका मूल्य के दो ठेके लॉट 24⁹ तथा 26¹⁰ के लिये पारित किये गये। निविदा प्रपत्र में समाहित ठेके की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 42.2.6 के अनुसार, यदि ठेकेदार की गलतियों के कारण ठेका समाप्त किया जाता है और ठेके के शेष बचे कार्यों को अतिरिक्त खर्च करके किसी नये ठेकेदार के द्वारा पूर्ण कराया जाता है तो इस प्रकार किये गये अतिरिक्त खर्चों के भुगतान के लिये हटाया गया ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

कम्पनी ने निविदा प्रपत्र में ठेके की विशेष शर्तों के माध्यम से ठेके की सामान्य शर्तों के परिच्छेद 42.2.26 में परिवर्तन कर दिया तथा समाप्त किये गये ठेके के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में हुये अतिरिक्त खर्चों के प्रति हटाये गये ठेकेदार की जवाबदारी को मूल ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा कम्पनी तथा ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रपत्रों की लेखापरीक्षा के दौरान निविदा प्रपत्र में बाद में किये गये इस प्रकार के परिवर्तन हेतु काई उचित आधार नहीं पाया गया। इस प्रकार किये गये परिवर्तन के द्वारा कम्पनी ने ठेके के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिये मूल ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त आने वाली लागत के लिये अपने आप को उत्तरदायी बना लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार की असफलता के कारण लॉट 26 तथा 24 के अंतर्गत प्रदाय किये गये कार्यों को क्रमशः 25 जुलाई 2014 तथा 18 अप्रैल 2015 को समाप्त कर दिया गया। ₹ 21.63 करोड़ की कीमत के शेष बचे कार्यों को एक नये लॉट (क्रमांक 29) के अंतर्गत ₹ 40.45 करोड़ में पुनः पारित (नवम्बर 2015) कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनी को कार्य पूरा करने में ₹ 18.82 करोड़ (₹ 40.45 करोड़—₹ 21.63 करोड़) का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। परन्तु निविदा प्रपत्र की शर्तों में किये गये परिवर्तन के कारण कम्पनी हटाये गये ठेकेदार से सिर्फ ₹ 6.88 करोड़ (₹ 68.84 करोड़ का 10 प्रतिशत) की ही वसूली कर सकेगी तथा ₹ 11.94 करोड़ (₹ 18.82 करोड़—₹ 6.88 करोड़) का अतिरिक्त भार कम्पनी को स्वयं को वहन करना होगा।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि लॉट क्रमांक 29 के अंतर्गत नये ठेकेदार (मेसर्स ऑफशोर) को प्रदत्त समस्त कार्यों को कुल ₹ 28.28 करोड़ की लागत (₹ 22.15 करोड़ के कार्यों को मेसर्स ऑफशोर द्वारा एवं ₹ 6.13 करोड़ के कार्यों को विभाग द्वारा) से पूरा कर लिया गया था तथा लॉट 29 के अंतर्गत किये गये कार्यों के अनुसार

⁹ इन्दौर, धार, झाबूआ, तथा खरगौन जिलों में 33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों के सुदृढ़ करने हेतु।

¹⁰ देवास, शाजापुर, रतलाम, मन्दसौर तथा नीमच जिलों में 33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों के सुदृढ़ करने हेतु।

समाप्त किये गये लॉटो 24 तथा 26 के विरुद्ध ठेकेदार केवल ₹ 5.08 करोड़ की जोखिम लागत के लिये जबाबदार था। आगे कम्पनी ने पिछले ठेकेदार को आंशिक रूप से पूर्ण किये गये कार्यों से सम्बंधित ₹ 6.10 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं किया था। अतः कम्पनी द्वारा कोई भी वित्तीय भार का वहन नहीं किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने यह तथ्य कि लॉट 29 के अंतर्गत पारित किये गये ₹ 40.45 करोड़ के समस्त अपूर्ण कार्यों को सिर्फ ₹ 28.28 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया गया है इसका कोई प्रमाणित प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया।

मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के संबंध में संचालक मंडल के निर्णय से विचलन

2.1.11 कम्पनी के संचालक मंडल ने अपनी 39 वीं बैठक (13 जुलाई 2011) में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लगाने तथा एक निर्धारित समयावधि में मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली से सम्बंधित नीति का निर्धारण किया। इस नीति के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली की समय सारणी ठेके के प्रपत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिये थी। आगे, ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान की तिथि से लेकर इसकी अंतिम वसूली होने तक इस पर आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जायेगा तथा मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में प्राप्त बैंक गारंटी ठेकेदार को दिये गये मोबिलाइजेशन अग्रिम के 110 प्रतिशत के बराबर होगी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त नीति के निर्धारण (जुलाई 2011) के पश्चात कम्पनी ने दो निविदायें (फरवरी 2012 तथा जुलाई 2015 में) आमंत्रित की तथा लॉट 27 के अंतर्गत पंधाना डिवीजन के कार्य हेतु ठेका पारित (अप्रैल 2012) किया तथा लॉट 24 तथा 26 के शेष बचे कार्यों हेतु लॉट 29 के अंतर्गत ठेका पुनः पारित (नवम्बर 2015) किया। यद्यपि कम्पनी ने इस नये अनुच्छेद को निविदा प्रपत्रों में शामिल नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप कम्पनी लॉट 27 के अंतर्गत ₹ 21.49 लाख के ब्याज की वसूली नहीं कर सकी तथा लॉट 29 के अंतर्गत ₹ 44.77 लाख के ब्याज की वसूली नहीं कर सकेगी। साथ ही कम्पनी लॉट 27 के अंतर्गत ठेके की निर्धारित समाप्ति अवधि (अक्टूबर 2014) के अंदर ₹ 80 लाख मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं कर सकी तथा लॉट 27 व 29 के अंतर्गत ₹ 57.98 लाख की प्रतिभूति कम प्राप्त की।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी के संचालक मण्डल के निर्णय के पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यक्रम के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के निविदा प्रपत्रों को अनुमोदित कर दिया गया था तथा लॉट 27 की निविदा को पूर्व अनुमोदित नियमों एवं शर्तों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। लॉट 29 के संबंध मे सरकार ने कहा कि समाप्त किये गये ठेके के अंतर्गत शेष बचे कार्यों को पुनः पारित करने के मामले में पूर्व ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु मूल ठेके की शर्तों को पूर्वतः ही रखा गया था। अतः मोबिलाइजेशन अग्रिम को विनियमित करने वाले संचालक मण्डल के इस निर्णय को लॉट 27 व 29 हेतु पारित निविदा मे शामिल नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मई 2010 में दी गई कार्यक्रम की मूल स्वीकृति के अंतर्गत लॉट 27 को शामिल नहीं किया गया था। आगे, यह कि लॉट 27 तथा 29 हेतु क्रमशः फरवरी 2012 तथा जुलाई 2015 में निविदायें आमंत्रित की गयी थीं जो कि जुलाई 2011 में संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के बाद की अवधि की थीं। आगे, यह कि मण्डल ने अपने प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है


कि यह निर्णय प्रस्ताव पास होने को तिथि यथा जुलाई 2011 के बाद आमंत्रित किये जाने वाले सभी निविदाओं पर लागू होगा। इसके अलावा, कम्पनी ने संचालक मण्डल के निर्णय में इस प्रकार होने वाले विचलन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु इस मामले को संचालक मण्डल के समक्ष भी नहीं रखा।

निधि प्रबन्धन


2.1.12 कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत 11 लॉटों को समाहित करते हुये ₹ 708.24 करोड़ के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 लॉटों को समाहित करते हुये ₹ 699.19 करोड़ के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को स्वीकृत किया गया। कम्पनी ने आर.ई.सी. से ₹ 708.24 करोड़ का सब्याज ऋण प्राप्त किया जो कि तीन वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित कुल 13 वर्षों में प्रतिदेय था। कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ₹ 554.72 करोड़ का सब्याज ऋण ए.डी.बी. से प्राप्त किया गया जो कि पाँच वर्षों की अधिस्थगन अवधि के साथ कुल 25 वर्षों में प्रतिदेय था। आगे, यह कि समता अंश पूँजी के रूप में ₹ 239.47 करोड़ (द्वितीय चरण के समक्ष वित्त पोषण के रूप में ₹ 139.30 करोड़ तथा अतिरिक्त सहायता के रूप में ₹ 100.17 करोड़) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया। आगे, यह कि लॉट 27 के सम्बन्ध में जिसकी स्वीकृति जनवरी 2012 में प्रदान की गई हेतु निधियों की व्यवस्था अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 22.68 करोड़ के द्वारा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत जून 2016 तक प्राप्त की गई वित्तीय प्रगति को रेखाचित्र 2.1.3 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र क्रमांक. 2.1.3 कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई वित्तीय प्रगति


स्वीकृत वृहत्त परियोजना प्रतिवेदन की लागत




पारित लागत



प्रगति की प्रतिशतता



मार्च 2016 तक उपयोग की गई कुल निधि



कार्यक्रम के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की वित्तीय प्रगति धीमी थी क्योंकि कम्पनी प्रथम चरण के अंतर्गत पारित ठेकों की लागत ₹ 528.30 करोड़ के विरुद्ध ₹ 326.10 करोड़ (61.73 प्रतिशत) ही खर्च कर सकी तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत पारित ठेकों की लागत ₹ 643.80 करोड़ के विरुद्ध ₹ 452.50 करोड़ (70.28 प्रतिशत) ही खर्च कर सकी। कार्यक्रम की धीमी वित्तीय प्रगति की मुख्य वजह कार्यक्रम के कार्यों की धीमी गति थी जिसके कारणों पर विस्तृत चर्चा कंडिका 2.1.19 के अंतर्गत की गई है।

कार्यों के क्रियान्वयन में देरी होने के कारण प्रतिबद्धता प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान

2.1.13 ए.डी.बी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्त 2.03 के अनुसार ऋण अनुबन्ध की तिथि से 60 दिनों के पश्चात असंवितरित ऋण की राशि पर ऋणी को 0.15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना था। परियोजना प्रशासनिक मैनुअल (पी.ए.एम.) जो कि ए.डी.बी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध का एक भाग था के अनुसार कार्यक्रम के समस्त कार्यों को दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत पाया गया कि कार्यक्रम के कार्यों के क्रियान्वयन में देरी होने के कारण कम्पनी 31 दिसम्बर 2014 तक ₹ 251.98 करोड़ के ऋण को प्राप्त नहीं कर सकी। जिसके कारण से ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कम्पनी को जनवरी 2015 से जून 2016 के दौरान ₹ 92.27 लाख (कंडिका 2.1.9 के अंतर्गत चर्चित आवश्यकता से अधिक स्वीकृत ऋण पर जनवरी 2015 से जून 2016 की अवधि में देय ₹ 8.75 लाख के प्रतिबद्धता प्रभारों को छोड़कर) के प्रतिबद्धता प्रभारों को वहन करना पड़ा।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध कम आहरित की गई ऋण राशि पर ही प्रतिबद्धता प्रभार देय होते हैं। कम्पनी ने वर्ष 2011 से 2016 तक वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था। अतः कम्पनी द्वारा प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान देय नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण अनुबन्ध के अनुच्छेद 2.03 के अनुसार कम्पनी ऋण अनुबन्ध की तिथि से 60 दिनों के पश्चात ऋण की स्वीकृत धनराशि में से असंवितरित रह गई सम्पूर्ण धनराशि पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य थी। आगे कम्पनी ने अपने वार्षिक लेखों में अनुच्छेद 2.03 के अंतर्गत भुगतान किये जाने वाले प्रतिबद्धता प्रभारों हेतु प्रावधान भी किया था।

कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली और ठकेदारों को अनुचित लाभ देना

2.1.14 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत कुल निर्माण लागत पर न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से श्रमिक कल्याण उपकर अधिरोपित करने तथा एकत्र करने का प्रावधान है। इन उद्देश्यों हेतु निर्माण की लागत में, भूमि का मूल्य तथा कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दी गई क्षतिपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी मदों की लागत को सम्मिलित किया जाता है। आगे माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, द्वारा मई 2012 में यह निर्णय दिया गया कि निर्माण लागत के अंतर्गत आपूर्ति मूल्य तथा परिनिर्माण लागत दोनों सम्मिलित होंगे।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाये गये भुगतान पत्रकों के अवलोकन में लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रमिक कल्याण उपकर केवल परिनिर्माण लागत पर ही अधिरोपित किया जा रहा था जबकि आपूर्ति की लागत पर श्रमिक कल्याण उपकर अधिरोपित नहीं किया गया था जबकि अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित था। परिणामस्वरूप श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में ₹ 6.41 करोड़ (प्रथम चरण में ₹ 2.81 करोड़ तथा द्वितीय चरण में ₹ 3.60 करोड़) की कम वसूली की गई जिसका विस्तृत विवरण

कम्पनी ने ठेके के आपूर्ति के भाग पर कर्मकार कल्याण उपकर नहीं लगाया और ठकेदारों का ₹ 6.41 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया

परिशिष्ट 2.1.3 में दिया गया है। इस प्रकार ठेकेदारों को कम वसूली की गई उपकर राशि की सीमा तक अनुचित लाभ दिया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा (नवम्बर 2016) कि श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में कम वसूल की गई राशि ₹ 6.41 करोड़ में से ₹ 4.07 करोड़ की वसूली कम्पनी ने कर ली है तथा शेष ₹ 2.34 करोड़ की वसूली करके लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

असमायोजित मोबिलाइजेशन और सामग्री अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली

2.1.15 निविदा प्रपत्र के अनुभाग 9 के अंतर्गत वर्णित भुगतान की कार्यविधि एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार से मोबिलाइजेशन अग्रिम का बीजक प्राप्त होने की तिथि से 28 दिनों के अंदर ठेकेदार को ठेका एक्स-वर्कर्स¹¹ मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जाना था। आगे ठेकेदार के भंडारगृह स्थल में सामग्री प्राप्त होने के 28 दिनों के अंदर ठेकेदार को वितरण ट्रान्सफार्मर, ए.ए.ए. कन्डक्टर ए.बी. केवल तथा एल.टी. इनर्जी मीटर की की 75 प्रतिशत लागत (कर सहित) के बराबर सामग्री अग्रिम प्रदान किया जाना था।

निविदा प्रपत्र के अनुभाग-9 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के अनुच्छेद 6.5 में उल्लेखित किया गया है कि निर्धारित पूर्णता अवधि के पश्चात ठेके के अंतर्गत दी गयी कोई अग्रिम की राशि असमायोजित रह जाती है तो इस प्रकार असमायोजित रह गयी अग्रिम राशि पर कम्पनी में समय समय पर लागू कैश क्रेडिट की दर से ब्याज लगाया जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने 15 ठेकेदारों को (प्रथम चरण के लिये 8 ठेकेदार तथा द्वितीय चरण में 7 ठेकेदार) मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 112.35 करोड़ और सामग्री अग्रिम के रूप में ₹ 258.16 करोड़ का भुगतान किया। कम्पनी ठेकेदारों के चालू बिलों से 10 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का मूलधन तथा एक प्रतिशत से 75 प्रतिशत की दर से सामग्री अग्रिम की वसूली की जा रही थी। आगे ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति के पश्चात कम्पनी मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिम की सम्पूर्ण असमायोजित राशि पर ब्याज लगाने के बजाय ठेकेदारों के चालू बिलों से वसूल की जा रही मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिम की राशि पर 16.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगा रही थी।

कम्पनी के द्वारा मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिम ब्याज लगाने की गलत कार्य प्रणाली अपनाये जाने के कारण से मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिम पर क्रमशः ₹ 11.06 करोड़ तथा ₹ 13.92 करोड़ कम ब्याज की वसूली की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.4** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कम्पनी ने भुगतान हेतु पास किये गये ठेकेदारों के देयकों के आधार पर ऋण प्रदाता एजेंसियों से ऋण के संवितरणों की मांग करने के लिए पुनर्भुगतान पद्धति को अपनाया। यदि कम्पनी ब्याज लगाने की सही विधि अपनाकर मोबिलाइजेशन व सामग्री अग्रिम पर ब्याज की वसूली करती तो यह ऋणदाता ऐजेन्सियों से लिये गये ऋणों को ₹ 24.98 करोड़¹² तक कम कर सकती थी।

सरकार ने मोबिलाइजेशन अग्रिम पर कम ब्याज कि वसूली को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और कहा कि ₹ 5.38 करोड़ की ब्याज की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि ₹ 5.68 करोड़ की समयोचित वसूली ठेकेदारों से कर ली जायेगी। सामग्री अग्रिम पर कम ब्याज लगाये जाने के संबंध में उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों को सामग्री

¹¹ ठेके के एक्स-वर्कर्स मूल्य से तात्पर्य एक्स-फैक्ट्री लागत से है जिसमें कर और सभी शुल्क शामिल नहीं होते हैं।

¹² ₹ 11.06 करोड़ तथा ₹ 13.92 करोड़

अग्रिम उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के बदले में दिया गया था अतः इसे अग्रिम नहीं माना जा सकता तथा इस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेके के अनुच्छेद 15(ए), 15.5.2 तथा 22.1.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सामग्री खरीदने हेतु ठेकेदारों को किये गये भुगतानों को अग्रिम भुगतान माना जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी ठेकेदारों के चालू बिलों से सामग्री अग्रिम पर ब्याज की कटौती भी कर रही थी।

अधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान को समायोजित न करने के कारण ब्याज की हानि

2.1.16 ठेके की शर्तों के अनुसार कम्पनी को ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत राशि के बराबर मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान करना था। ठेके के अनुच्छेद 3.3 तथा 3.4 में वर्णित था कि ठेकेदार किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र सर्वेक्षण करायेगा तथा ठेके की प्रभावी तिथि से नौ माह के भीतर सर्वेक्षण पूर्ण करने के पश्चात अंतिम मात्राओं का निर्धारण किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के पश्चात छः लॉटों की मूल ठेका लागत घट गई। परन्तु कम्पनी ने सर्वेक्षण उपरान्त संशोधित ठेका लागतों के अनुसार पहले भुगतान किये जा चुके मोबिलाइजेशन अग्रिम को न तो समायोजित किया और न ही ठेकेदार के पास बचे हुये असमायोजित अधिक मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लगाया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 64.99 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि ठेके की संशोधित मात्राओं के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किये गये मोबिलाइजेशन अग्रिम को कम करने के लिये ठेके में कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि निविदा प्रपत्र के अनुभाग-6 के अनुच्छेद 2.4.8. के साथ पठित अनुच्छेद 23.1.2 में वर्णित था कि सर्वेक्षण उपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत तथा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सेवाओं के निर्माण हेतु किये जाने वाले कार्य की मात्राओं तक अग्रिम भुगतान को सीमित किया जा सकता है। अतः कम्पनी द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि को ठेकेदार द्वारा किये गये सर्वेक्षण उपरान्त निर्धारित कार्य की वास्तविक मात्राओं के अनुसार समायोजित करना चाहिए था।

कार्यक्रम की निधियों का अनभिप्रत उददेश्यों के लिए पथांतरण

2.1.17 मध्य प्रदेश शासन ने समता अंश पूँजी के रूप में कम्पनी को ₹ 239.47 करोड़ (समकक्ष वित्त पोषण के रूप में द्वितीय चरण की लागत का 20 प्रतिशत ₹ 139.30 करोड़ तथा अतिरिक्त सहायता के रूप में ₹ 100.17 करोड़) स्वीकृत किये। कार्यक्रम के दूसरे चरण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनाधिकृत पथांतरण को पाया।

- मध्य प्रदेश शासन ने कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण के दौरान ब्याज की पूर्ति हेतु ₹ 54.67 करोड़ तथा ₹ 66.23 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की कम्पनी की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया तथा निर्देशित किया (दिसम्बर 2010) कि कम्पनी निर्माण के दौरान ब्याज के खर्चों को स्वंयं वहन करेगी। तथापि कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में से ₹ 81.25 करोड़ (मार्च 2016 के अंत तक) के निमार्ण के दौरान ब्याज के खर्चों का आर.ई.सी. को भुगतान किया।

- कम्पनी ने फरवरी से जुलाई 2014 के दौरान प्रथम चरण के पाँच लॉटो (लॉट 3, 4, 9, 10 और 11) का काम पूर्ण किया। कम्पनी ने इन लॉटो के लिये आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान के रूप में ₹ 34.04 करोड़ का भुगतान आर.ई.सी. को किया। यह भुगतान किया गया ब्याज इन लॉटो की पूर्णता तिथि के पश्चात तथा मार्च 2016 तक की अवधि से सम्बन्धित था। क्योंकि कार्य पूर्णता अवधि के पश्चात लगने वाला ब्याज एक राजस्व स्वभाव का खर्चा था तथा मध्य प्रदेश शासन ने इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से यहां तक कि निर्माण के दौरान ब्याज का भुगतान के लिये भी मना कर दिया था अतः कार्यक्रम के द्वितीय चरण के पूँजीगत लागत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना चाहिये था।

कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत ₹ 173.63 करोड़ के कोषों को अनाभिप्रत उद्देश्यों के लिए परिवर्तन किया

- कम्पनी ने कार्यक्रम के प्रथम चरण हेतु लिए गए ऋण के मूलधन के पुर्णभुगतान हेतु आर.ई.सी. को ₹ 58.34 करोड़ (जनवरी 2015 तथा जनवरी 2016) का भुगतान किया। कम्पनी द्वारा मूलधन की राशि का पुर्णभुगतान कम्पनी को अपने द्वारा कमाये गये अधिशेष से करना चाहिये था न कि कार्यक्रम के द्वितीय चरण हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से।

अतः मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त वित्तीय सहायता में से इन मदों का भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा ₹ 173.63 करोड़ की निधियों को अनाधिकृत पथांतरण किया गया।


लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश का अनुसरण किया जाएगा।

कार्यक्रम के कार्यों का कार्यान्वयन तथा निष्पादन


2.1.18 प्रथम चरण के अंतर्गत 843 फीडरों को समाहित करते हुए 12 लॉटों के ठेके नवम्बर 2010 से अप्रैल 2012 के दौरान तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 704 फीडरों को समाहित करते हुए 15 लॉटो (तीन लॉटो 24, 25 तथा 26 जो कि 33/11 के छोटी सबस्टेशन के सृदृढीकरण हेतु थे को समिलित करते हुये) के ठेके जुलाई 2011 से अगस्त 2011 के दौरान प्रदान किये गये। ठेका अनुबन्धों के अनुसार प्रथम चरण हेतु निर्धारित पूर्णता अवधि जुलाई से अगस्त 2012¹³ थी तथा द्वितीय चरण हेतु मार्च से मई 2013 थी। कम्पनी ने जून 2016 की समाप्ति तक कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त 1547 फीडरों का निर्माण कर दिया था। परन्तु फीडर कार्यों की पूर्णता से सम्बन्धित अन्य तत्वों जो फीडर कार्यों के हिस्से थे को जून 2016 तक 16 लॉटो में पूर्ण किया गया तथा शेष आठ लॉटों में यह कार्य जून 2016 तक अपूर्ण थे। यद्यपि कम्पनी ने 11 लॉटो के सम्बंध में ही पूर्णता प्रतिवेदन संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये थे। कार्यक्रम के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष-वार पूर्ण किये गये फीडरों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता को रेखाचित्र 2.1.4 में दर्शाया गया है।

¹³ पंधाना संभाग (लाट 27) के संबंध में जो कि बाद में प्रथम चरण के अंतर्गत समिलित किये गये थे कार्यों को दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था।

रेखाचित्र क्रमांक 2.1.4 प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्ण किए गए फीडरों की संख्या



द्वितीय चरण के अंतर्गत पूर्ण किये गए फीडरों की संख्या



कार्यों की पूर्णता में देरी के कारण परिकल्पित लाभों से वंचित रहना

2.1.19 कम्पनी ने कार्यक्रम के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यक्रम के प्रथम चरण व द्वितीय चरण के अंतर्गत कुल 27 टर्नकी ठेके पारित किये। ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके की प्रभावी तिथि से 18 माह के अंदर कार्यों को पूर्ण किया जाना था। इसी अनुसार प्रथम चरण के कार्यों को जुलाई 2012 से अगस्त 2012 (लॉट 27 के कार्यों की निर्धारित पूर्णता अवधि दिसम्बर 2013 थी) के दौरान तथा दूसरे चरण के कार्यों को मार्च से मई 2013 के दौरान पूर्ण किया जाना था। ठेकेदारों को परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सुविधाओं का क्रियात्मक गारंटी परीक्षण किया जाना था तथा उन्हें कम्पनी को सौंपा जाना था। कार्यक्रम के अंतर्गत पारित किये गये टर्नकी ठेकों की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.1.5** में दी गई है।

निष्पादित किये गये कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाईं।

**कार्यक्रम के कार्यों को निर्धारित पूर्णता अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया गया।
अतः वर्ष 2013 से ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे लगातार विद्युत प्रदाय करने के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका**

- कुल 27 लॉटों (प्रथम चरण के अंतर्गत 12 लॉट, द्वितीय चरण के अंतर्गत 15 लॉट) में से किसी भी लॉट में कार्यों को 18 माह की निर्धारित पूर्णता अवधि में पूर्ण नहीं किया गया। 16 लॉटों में कार्यक्रम के कार्यों को दस माह से लेकर 48 माह की देरी के साथ जून 2016 तक पूर्ण किया गया। शेष 11 लॉटों में कार्य अपूर्ण थे तथा उनमें कार्यों की निर्धारित पूर्णता अवधि से 31 माह से 48 माह का विलम्ब था।
- कम्पनी ने 20 लॉट में (प्रथम चरण के अंतर्गत नौ लॉट तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 11 लॉट) 213 दिनों से 371 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जिससे कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित पारेषण एवं वितरण हानियों की कमी के रूप में कम्पनी को प्राप्त होने वाले परिकल्पित लाभों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

कार्यक्रम के कार्यों को पूर्ण करने में हुई देरी मुख्यतः कम्पनी द्वारा विक्रेताओं का अनुमोदन देने तथा राइट ऑफ वे की समस्या का समाधान करने में हुई देरी तथा अपेक्षित शटडाउन प्रदान करने में कम्पनी की विफलता के कारण हुई थी। ठेकेदारों की तरफ से कार्यपूर्णता में हुई देरी मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा सर्वेक्षण कार्य में हुई देरी, सामग्रियों को क्रय करने में हुई देरी, कार्यस्थल से सामग्रियों की चोरी, जनशक्ति की अपर्याप्त तैनाती तथा ठेकेदारों को हुई वित्तीय समस्याओं आदि कारणों से थी। अतः कम्पनी तथा ठेकेदारों द्वारा बनाई गई कार्य की अनुचित योजना तथा कम्पनी द्वारा कार्यों की खराब निगरानी के कारण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये जा सके तथा ठेकेदारों को समय का विस्तार देने के लिये कम्पनी को बाध्य होना पड़ा। जिसके कारण कम्पनी वर्ष 2013 से ग्रामीण परिवारों को लगातार 24 घंटे बिजली प्रदाय करने और कृषि पम्पों को आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने से वंचित हो गई।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कार्य पूर्णता में हुई देरी मुख्यतः कार्य के जटिल स्वभाव, राइट ऑफ वे की समस्या, सामग्री की लगातार चोरी, सामग्रियों का अपर्याप्त क्रय तथा ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति की तैनाती आदि कारणों से थी। आगे कहा गया कि अत्यधिक लोड वाले फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य मार्च 2013 के पूर्व कर लिया गया था तथा वर्ष 2013–14 से परिवारों को लगातार 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को लगातार 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जा रही थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कार्यपूर्णता की निर्धारित अवधि (मई 2013) तक कुल 1547 फीडरों में से 403 फीडर जो कि कुल फीडरों के 26.05 प्रतिशत थे का कार्य ही पूर्ण किया था। आगे कम्पनी संकल्प 2013, के अंतर्गत परिकल्पित ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को वर्ष 2013 से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

ठेकेदारों द्वारा सूचीबद्ध आँकड़ों को सॉफ्ट कॉपी प्रारूप में प्रस्तुत न किया जाना

2.1.20 कार्यक्रम के अंतर्गत पारित किये गये ठेकेदारों (अनुच्छेद 3.3.1(i), 3.3.2, 3.3.12 और 3.4.11) के अनुसार ठेकेदारों को पारिसम्पत्तियों का मानचित्रण तथा उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य करना था तथा कार्यक्रम के कार्यों के पूर्ण होने पर इसे सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी के प्रारूप में कम्पनी को सौपना था। इस प्रकार सुपुर्द किये गये आँकड़ों की सॉफ्ट कॉपी प्रतिरूप फाइल में सीवाईएमडीआईएसटी के सुसंगत प्रारूप में होनी चाहिये थी। ठेकेदारों में इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य कम्पनी को वितरण ट्रांसफार्मरों पर लोड को 80 प्रतिशत सीमित रखनें के लिये वितरण तंत्र पर सिमुलेशन करने तथा लोड का 'व्हाट इफ' विश्लेषण करने हेतु सहाय बनाना था।

कम्पनी अनियमित भार से वितरण नेटवर्क की रक्षा करने में असमर्थ थी क्योंकि इसने ठेकेदारों से सीवाईएमडीआईएसटी संगत प्रारूप में संपत्ति मानचित्रण और अनुक्रमित डेटा प्राप्त नहीं किया

कार्यक्रम के अंतर्गत ठेकेदारों को जारी किये गये 10 लॉटो (प्रथम चरण के अंतर्गत पाँच तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत पाँच) के समाप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदारों ने उपभोक्ताओं के सूचीकरण व परिसम्पत्तियों के मानचित्रण से संबंधित ऑकड़े ठेके के अंतर्गत आवश्यक प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी में जमा नहीं किये। इस संबंध में ठेकेदारों की विफलता के बावजूद कम्पनी के परियोजना विंग, जिसके प्रमुख कार्यकारी निदेशक (परियोजना) थे, ने ठेके की शर्तों का उल्लंघन करते हुये ठेकेदारों को समाप्त प्रमाण पत्र जारी कर दिये। आवश्यक प्रारूप में ऑकड़े प्राप्त न होने के कारण से कम्पनी (i) उचित लोड प्रबन्धन सुनिश्चित करने तथा स्थापित तंत्रों को अनियमित भार जिसके कारण वितरण तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, से बचाने हेतु विवरण तंत्र पर लोड विश्लेषण का सिमुलेशन करने में अक्षम हो गई तथा (ii) डीटीआर स्तर पर ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट वितरण ट्रान्सफार्मर से जुड़े हुये विद्युत उपभोक्ताओं को पहचानने से अक्षम हो गई जिसके कारण पारेषण एवं वितरण हानियाँ अत्याधिक हो रही थी। यद्यपि कम्पनी ने पाँच लॉटो (लॉट 3, 4, 9, 10 तथा 11) में ठेकेदारों से ₹ 38.35 लाख (₹ 7.67 लाख प्रति लॉट) की कटौती की तथा शेष पाँच लॉटो (लॉट 13, 15, 21, 22 तथा 23) में कोई कटौती नहीं की जानी थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि प्रथम चरण के अंतर्गत ठेकेदार ठेके की इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहे और कम्पनी ने उनके देयकों से (पाँच लॉटो में) आवश्यक राशि की कटौती कर ली थी। द्वितीय चरण के अन्य पाँच लॉटों के संबंध में यह कहा गया कि ठेकेदारों ने यह कार्य पूर्ण कर लिया था, अतः उनसे कोई भी राशि वसूल नहीं की जानी थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा निष्पादित नहीं किये गये इस महत्वपूर्ण कार्य की अनुपस्थिति में वितरण तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति केवल अर्थदण्ड लगाकर नहीं की जा सकती तथा कार्य को करवाने के लिये कम्पनी ठेकेदारों पर दबाव बनाने में असफल रही। आगे आवश्यक प्रारूप में ऑकड़े प्राप्त किये बिना ठेकेदारों को समाप्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना ठेके की शर्तों का उल्लंघन था। साथ ही यह तर्क भी सही नहीं था कि द्वितीय चरण के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा यह कार्य पूर्ण कर लिया गया था क्योंकि कम्पनी ने द्वितीय चरण के अंतर्गत पूर्ण किये गये फीडरों से संबंधित सूचीबद्ध ऑकड़ों को सॉफ्ट कॉपी में लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सर्विस लाइन की लागत को कार्यों की लागत के विरुद्ध समायोजित न किया जाना

2.1.21 कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को नये सर्विस कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था थी। इसी अनुसार, कम्पनी ने ठेकों में ठेकेदारों को उनके द्वारा उद्धरत दरों पर 25 मीटर प्रति नये सर्विस कनेक्शन की औसत लंबाई से नई सर्विस लाइन की लागत का भुगतान करने की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार नये सर्विस कनेक्शन के तहत प्रदान की गई सर्विस लाइन की लागत को सम्बंधित उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना था। कम्पनी ने सभी क्षेत्र कार्यालयों को प्रत्येक नये सर्विस कनेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई नई सर्विस लाइन की लागत को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार वसूल करने के निर्देश (मई 2012) दिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत कम्पनी ने जून 2016 के अन्त तक 2,18,667 नये सर्विस कनेक्शन प्रदान किये तथा इन नये सर्विस कनेक्शनों के तहत प्रदान किये गये सर्विस लाइनों के लागत के रूप में ₹ 11.46 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों को किया। सर्विस लाइनों की लागत को उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना चाहिये था तथा कार्यक्रम लागत को उसी सीमा तक कम किया जाना चाहिए था।

तथापि कम्पनी ने दिये गये नये सर्विस कनेक्शनों के तहत सर्विस लाइन की लागत को न तो उपभोक्ताओं से वसूल किया और न ही लागत को कार्यक्रम लागत से समायोजित किया।

प्रदान किये गये नये सर्विस कनेक्शनों के तहत सर्विस लाइन की लागत को समायोजित न किये जाने से कार्यक्रम की लागत बढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप आर.ई.सी. से ₹ 3.21 करोड़ तथा ए.डी.बी. से ₹ 8.25 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप जून 2016 तक ₹ 45.03 लाख (आर.ई.सी. को ₹ 33.62 लाख तथा ए.डी.बी. को ₹ 11.41 लाख) के अपरिहार्य ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि सर्विस लाइनों की लागत को अभी तक उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया गया था तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सर्विस लाइनों की लागत को उपभोक्ताओं से वसूल किया जायेगा।

समय पर भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करने से सबस्टेशनों की पूर्णता में देरी

2.1.22 निविदा दस्तावेज में दी गई ठेके की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 10.2 तथा ए.डी.बी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की अनुसूची 5 के अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट किया गया था कि नियोक्ता कार्यक्रम के कार्यों की समयानुसार पूर्णता हेतु विशुद्ध स्वरूप वाली भूमि को अधिग्रहित करने तथा इन भूमियों के भौतिक आधिपत्य को ठेकेदारों को सौंपने हेतु जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने लॉट 24, 25 तथा 26 के अंतर्गत 28 नये 33/11 के.व्ही. सबस्टेशनों के निर्माण को प्रस्तावित किया तथा इसके लिये ठेके पारित (अगस्त 2011) किये। तथापि कम्पनी ने 17 सबस्टेशनों के मामलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ठेके पारित होने के पश्चात शुरू की तथा ठेके पारित होने की तिथि से एक माह से 24 माह की देरी से भूमि को ठेकेदारों को सौंपा। भूमि को अधिग्रहित करने तथा इन्हें ठेकेदारों को सौंपने में हुई देरी के कारण से इन 17 सबस्टेशनों में से केवल पाँच सबस्टेशनों का कार्य ही निर्धारित पूर्णता अवधि (मई 2013) में पूर्ण किया जा सका। आगे नौ सबस्टेशनों के कार्य तीन माह से 34 माह की देरी के साथ जून 2016 तक पूर्ण किये जा सके तथा शेष तीन सबस्टेशनों के कार्य जून 2016 तक अपूर्ण थे। अतः ठेके की शर्तों के अनुसार समय पर भूमि उपलब्ध कराने में हुई कम्पनी की विफलता के कारण सबस्टेशनों कार्यों के निर्माण को पूरा करने में देरी हुई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा धार तथा देवास वृत्तों में पाई गई सबस्टेशनों के कार्य निष्पादन की धीमी प्रगति को निम्न चित्रों में दर्शाया गया है।

सबस्टेशनों के कार्यों की धीमी गति दर्शाते हुये चित्र



धार स्थित सबस्टेशन



देवास स्थित सबस्टेशन

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु उचित कदम उठाये थे परन्तु प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण इसमें देरी हो गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदा शर्तों तथा ए.डी.बी. के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्तों में निर्दिष्ट था कि कर्जधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के कार्यों को कराने हेतु भूमि तथा सभी राइट आफ वे ठेकेदारों को उपलब्ध कराये गये थे। तथापि कम्पनी इन शर्तों के अनुपालन में असफल रही।

पारेषण तथा वितरण हानियों को प्रदर्शित कराये बिना ही परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

2.1.23 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित की गई सुविधाओं की क्रियाशीलता गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये ठेके की शर्तों (निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 8 के साथ पठित अनुच्छेद 25.2 तथा 25.3) में पूर्ण सुविधाओं का तीन माह तक क्रियाशीलता गारण्टी परीक्षण करने का प्रावधान था ताकि कम्पनी द्वारा परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियों को समग्र रूप से 12 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। साथ ही ठेकेदारों द्वारा हानियों को इस स्तर तक कम न किये जाने की स्थिति में ठेकेदारों पर परिसमापन हर्जाना अधिरोपित की जानी थी।

पूर्ण किये गये फीडरों की स्थिति उनकी क्रियाशीलता गारण्टी का प्रदर्शन तथा कम्पनी द्वारा उनके विरुद्ध जारी किये गये परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कम्पनी ने जून 2016 तक सभी 1547 फीडरों का निर्माण कार्य पूरा किया तथा 1184 फीडरों के लिये परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये। परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये गये कुल 1184 फीडरों में से 632 फीडरों पर जो कि परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये गये कुल फीडरों के 53.38 प्रतिशत थे ठेकेदारों द्वारा हानियों का प्रदर्शन नहीं किया गया।
- 632 फीडरों में से 351 फीडरों की दशा में समापन प्रमाणपत्र पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रदर्शन कराये बिना ही ठेकेदारों को जारी कर दिये गये। अतः इतने फीडर हानियों को घटाने के रूप में उनके कार्य निष्पादन का परीक्षण किये बगैर ही रह गये।
- शेष 552 फीडरों जिन पर हानियों का प्रदर्शन किया गया था में से केवल 76 फीडरों के परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र उन पर हानियों के प्रदर्शन के बाद जारी किये गये तथा शेष 476 फीडरों के परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र उन पर हानियों का प्रदर्शन किये जाने के पहले ही जारी कर दिये गये।

अतः कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित पारेषण एवं वितरण हानियों के घटाने के लक्ष्य की अवहेलना करते हुये कम्पनी ने पूर्ण की गई सुविधाओं पर पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रदर्शन कराये बिना ही परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करते हुये केवल परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने पर तथा कार्यों को बंद करने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि हानियों के प्रदर्शन करने से असफल होने पर अधिरोपित किये जाने वाले 2.5 प्रतिशत के अर्थदण्ड से बचने हेतु ठेकेदार सुविधाओं की 100 प्रतिशत पूर्णता के पश्चात प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर हानियों के प्रदर्शन हेतु जिम्मेदार थे। आगे यह कहा गया कि ठेके की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 25.3 के अनुसार, यदि ठेकेदारों की गलती के कारण से ठेकेदारों के द्वारा क्रियाशीलता गारण्टी को पूरा नहीं किया जाता है तो क्रियाशीलता गारण्टी को पूरा करने के लिये ठेकेदार या तो निर्मित सुविधाओं में परिवर्तन करेगा या परिसमापन हर्जाने का भुगतान करेगा। अतः

ठेकेदारों द्वारा हानियों का प्रदर्शन किये बगैर भी पूर्ण की गई सुविधाओं के लिये परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये गये।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदा प्रपत्र के अंतर्गत दी गई ठेके की सामान्य शर्तों के अनुभाग 7 के अनुच्छेद 25.3.1(अ) तथा अनुच्छेद 28.3 के अनुसार पूर्ण की गई सुविधाओं के विरुद्ध परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ठेकेदारों द्वारा क्रियाशीलता गारण्टी परीक्षण किया जाना अनिवार्य था। तथापि ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त अनुच्छेदों के अनुसार क्रियात्मक गारण्टी परीक्षण नहीं किया गया। अतः पूर्ण किये गये फीडरों में पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबद्ध लक्ष्यों तक नहीं घटाया जा सका।

ठेकेदारों को अनुचित आधार पर समय विस्तार दिया जाना

2.1.24 निविदा प्रपत्र के अंतर्गत दी गई ठेके की सामान्य शर्तों (अनुभाग 7) के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ठेकेदारों को देरी के उन कारणों के आधार पर जिनके लिये ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे समय विस्तार दिये जाने की व्यवस्था थी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कम्पनी के संचालक मण्डल ने परियोजना विंग तथा परियोजना निगरानी सलाहकारों (पी.एम.सी.) की अनुशंसा के आधार पर ठेकेदारों को समय विस्तार प्रदान किया। ठेकेदारों द्वारा उल्लेखित कार्यक्रम के कार्यों के निष्पादन मे हुई देरी के कारणों के आधार पर ठेकेदारों को समय विस्तार दिये जाने की अनुशंसा की गई थी। कम्पनी द्वारा प्रदान किये गये समय विस्तार की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.1.6** मे दी गई है। दिये गये समय विस्तार के सभी मामलों में ठेकेदारों को (i) देरी के लिये अर्थदण्ड के भुगतान (ii) मोबिलाइजेशन व सामग्री अग्रिम की असमायोजित राशि पर ब्याज के भुगतान तथा (iii) विस्तारित समयावधि के दौरान पी.एम.सी. को पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान के प्रावधान से मुक्त कर दिया गया। तथापि विस्तारित समयावधि के दौरान ठेकेदारों को मूल्य विचलन का दावा करने की अनुमति भी प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने 30 दिनों से लेकर 121 दिनों के लिये समय विस्तार उन कारणों के आधार पर प्रदान किया जिनके लिये ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार थे जैसे सामग्री की सुरक्षा (अनुच्छेद 32), सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करना (अनुच्छेद 4)। कम्पनी द्वारा ठेके की शर्तों के विरुद्ध 17 लॉटों में प्रदान किये गये समय विस्तार की समय सीमा (i) ठेकेदारों के कार्य स्थल से हुई सामग्रियों की चोरी के कारण से 17 दिनों से 91 दिनों के बीच थी तथा (ii) क्षेत्र सर्वेक्षण मे हुई देरी के कारण से 30 दिनों से 60 दिनों के बीच थी। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर समय विस्तार प्रदान किये जाने के कारण से ठेकों की विस्तारित समयावधि के दौरान कम्पनी को मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिम की असमायोजित राशि पर ब्याज न लगाने के कारण ₹ 5.44 करोड़ तथा पी.एम.सी. प्रभारों के भुगतान के रूप में ₹ 1.39 करोड़ के अपरिहार्य खर्चों को आत्मसात करना पड़ा।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि 11 के.व्ही लाइनों की चोरी लाइनों के निर्माण कार्य की पूर्णता तथा लाइनों के चार्ज किये जाने के पश्चात हुई। आगे यह कहा गया कि सीवाईएमडीआईएसटी सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदारों को सर्वेक्षण के कार्य हेतु केवल 30 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार निर्मित सुविधाओं को अंतिम रूप में कम्पनी को सौंपें जाने के पूर्व सामग्रियों की सुरक्षा के लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जबाबदेह थे। आगे ठेकों के अंतर्गत किये जाने वाले जी.पी.एस. सर्वेक्षण के बारे मे ठेकेदारों को पूर्ण जानकारी थी। अतः इन आधारों पर समय विस्तार प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं था।

वृत्त-वार पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम के प्रस्तावित स्तर तक कम नहीं किया जाना

2.1.25 निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट-8 के अनुच्छेद 14.1 (ए) के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा स्थापित किये गये 11 के.व्ही. फीडर का लगातार तीन माह की अवधि तक क्रियात्मक गारण्टी परीक्षण किया जाना था तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को फीडर स्तर पर समग्र रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत तक कम किया जाना था। आगे अनुच्छेद 14.3 के अनुसार वितरण ट्रान्सफार्मर पर वितरण हानियाँ 12 प्रतिशत से अधिक होने पर ठेकेदारों पर पूर्ण की गई सुविधाओं की लागत का अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक परिसमाप्त हर्जाना अधिरोपित किया जाना था।

पूर्ण किये गये फीडरों पर पारेषण एवं वितरण हानियों की स्थिति की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जून 2016 तक ठेकेदारों ने 1547 फीडरों का निर्माण किये जिनमें से 1184 फीडरों के परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये गये। कम्पनी ने जून 2016 तक शेष 363 फीडरों के परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये थे तथा इनको जारी करने में कार्यपूर्णता की तिथि से जून 2016 तक एक माह से 47 माह की देरी थी।
- कम्पनी ने नवम्बर 2015 से फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियों के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया। हांलाकि, वितरण ट्रान्सफार्मर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियों का मूल्यांकन करने में कम्पनी आज तक (जून 2016) असफल रही। फीडर स्तर पर (नवम्बर 2015) तक तथा वितरण ट्रान्सफार्मर स्तर पर (आज तक) पारेषण एवं वितरण हानियों के सही मूल्यांकन करने में हुई कम्पनी की विफलता के कारण पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- लेखापरीक्षा ने प्रबन्धन के साथ मिलकर 10 लॉटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। इन 10 लॉटों में से सात लॉटो¹⁴ में पूर्ण किये गये फीडरों पर जून 2016 तक पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रदर्शन नहीं किया गया तथा तीन लॉटो¹⁵ में पूर्ण किये गये फीडरों पर पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रदर्शन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सात लॉटों के कुल 108 फीडरों में से 100 फीडरों (92.59 प्रतिशत) पर नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान पारेषण तथा वितरण हानियाँ 12 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक थीं जबकि आठ फीडरों (सात प्रतिशत) पर पारेषण तथा वितरण हानियाँ निर्धारित सीमा के अंदर थीं।
- कम्पनी वृत्त-वार पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम लागत को अनुमोदित कराते समय मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रतिबद्धित स्तर तक कम नहीं कर सकी। पारेषण तथा वितरण हानियों को आठ प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धित सीमा के विरुद्ध कम्पनी चार वृत्तों¹⁶ में इन हानियों को प्रतिबद्धित लक्ष्यों तक कम नहीं कर सकी जबकि नौ वृत्तों¹⁷ में इन हानियों को प्रतिबद्धित लक्ष्यों तक कम कर लिया गया। हांलाकि इन वृत्तों की हानियों में हुई कमी का श्रेय अकेले इस कार्यक्रम को नहीं दिया जा सकता क्योंकि अन्य योजनाओं (आर.ए.पी.डी.आर.पी, आर.जी.जी.वी.वॉय, एफ.एस.पी.) को भी साथ साथ क्रियान्वित किया गया था तथा कम्पनी ने पारेषण एवं वितरण हानियों में हुई कमियों को योजनावार/कार्यक्रम वार रूप से परिमापित नहीं किया।

¹⁴ लॉट क्रमांक 8, 9, 12, 14, 15, 18 तथा 19

¹⁵ लॉट क्रमांक 3, 5 तथा 6

¹⁶ शाजापुर, खण्डवा, बुरहानपुर तथा झावुआ

¹⁷ उज्जैन, देवास, मन्दसौर, नीमच, इन्दौर, खरगोन, बड़वानी, रतलाम तथा धार

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियों को समग्र रूप से 12 प्रतिशत तक लाने के परिकलित लक्ष्य के विरुद्ध कुल 247 फीडरों जिनके लिये पारेषण एवं वितरण हानियों के आँकडे उपलब्ध कराये गये थे, में से चार फीडरों पर पारेषण एवं वितरण हानियाँ 60 प्रतिशत से अधिक थी, 62 फीडरों पर 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य थी, 117 फीडरों पर 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य थी तथा शेष फीडरों पर 20 प्रतिशत से कम थी।

- कम्पनी के परियोजना विंग जिसका प्रमुख कार्यकारी निदेशक (परियोजना) होता है के द्वारा 305 पूर्ण फीडरों, जिनका क्रियात्मक गारण्टी परीक्षण किया जा चुका था तथा परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका था, से संबंधित पारेषण तथा वितरण हानियों के आँकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह मुख्यतः कम्पनी द्वारा फीडरों को कृषि तथा घरेलू श्रेणियों के मध्य अनुचित तरीके से विभाजित किये जाने तथा उपभोक्ताओं का अपूर्ण सूचीकरण किये जाने के कारण था।

अतः कुल फीडरों को पूर्ण करने से हुई देरी, पूर्ण हुई सुविधाओं पर ठेके की शर्तों के अनुसार क्रियात्मक गारण्टी परीक्षण कराये बिना ही इन्हे स्वीकार किया जाना, पूर्ण की गई सुविधाओं के खराब निष्पादन के विरुद्ध केवल 2.5 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना, कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले मापदण्डों का निर्धारण करने के लिये शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों को पृथक करने में कम्पनी की असफलता, उपभोक्ताओं को अनुचित सूचीकरण तथा पूर्ण की गई सुविधाओं का अपर्याप्त मानचित्रण विफलताओं के कारण से कम्पनी कार्यक्रम के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के परिकलित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। चार वृत्तों में पारेषण तथा वितरण हानियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सम्मुख प्रतिबद्धित पारेषण तथा वितरण हानियों के लक्ष्य से 6.23 प्रतिशत तथा 16.04 प्रतिशत के अनुक्रम में अधिक थी। जिनके कारण से कम्पनी को 2015–16 के दौरान ₹ 9.38 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभिन्न वृत्तों में कम्पनी द्वारा प्रत्याशित लक्ष्यों के विरुद्ध विभिन्न वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को 6.12 प्रतिशत तथा 27.21 प्रतिशत के मध्य कम किया गया था परन्तु कम्पनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सम्मुख कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की थी। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा ने पारेषण तथा वितरण हानियों के जिन आँकड़ों को लिया है वे घरेलू फीडरों के नहीं थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं जनवरी 2011 में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सम्मुख वृत्त वार पारेषण एवं वितरण हानियों के घटे हुये लक्ष्यों को प्रतिबद्धित किया था। आगे लेखापरीक्षा ने घटी हुई पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में इनके निष्पादन की जाँच करने के लिये जिन 247 फीडरों को लिया था वह सभी कम्पनी की वाणिज्यिक विंग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार घरेलू फीडरों के ही थे।

ठेकेदार की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित किये बिना ही ठेके की समाप्ति को रद्द करना

2.1.26 लॉट 20 के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को अगस्त 2011 में मैसर्स्स स्कालटेक आटोमेशन प्रा.लि.को. प्रदान किया गया जिसमें कार्यों की शुरूआत की प्रभावी तिथि अक्टूबर 2011 तथा निर्धारित कार्यपूर्णता तिथि अप्रैल 2013 थी। प्रदान किये गये कार्यों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुल 97 फीडरों को निर्मित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि निर्धारित पूर्णता अवधि (अप्रैल 2013) तक पूर्ण किये गये कार्य के विभिन्न तत्वों

(11 के.व्ही. लाइन, ए.बी. केबल, वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा मीटरीकरण) की पूर्णता का प्रतिशत 11.84 प्रतिशत तथा 27.52 प्रतिशत के मध्य था तथा इस तिथि तक केवल 16 फीडरों का कार्य पूर्ण किया गया था। यह मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा सामग्री की अपर्याप्त खरीदी, कार्य के लिये आवश्यक जन शक्ति को तैनात न करने तथा ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण था। आगे कम्पनी द्वारा बार-बार अनुस्मारक जारी किये जाने के बाद भी ठेकेदार ने कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं किया।

कम्पनी ने नवम्बर 2013 में ठेके को समाप्त कर दिया तथा ₹ 7.42 करोड़ की बैंक गारण्टी को भुना लिया। यद्यपि ठेकेदार ने यह आश्वासन देते हुये कि भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद उसे ₹ 10 करोड़ की अनाहरित साख उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गई है तथा वह अप्रैल 2014 तक कार्यों को पूर्ण कर देगा, कम्पनी से ठेके समाप्ति पर पुनर्विचार करने हेतु प्रार्थना की। परन्तु कम्पनी ने ठेकेदार की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में बैंक से आश्वासन प्राप्त किये बिना ही जनवरी 2014 में ठेके की समाप्ति को रद्द कर दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ठेका समाप्ति को रद्द करने के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य का सम्पादन सन्तोषजनक नहीं था। कम्पनी द्वारा ठेका समाप्ति को रद्द करने तथा ठेके को अंतिम समाप्ति के मध्य कार्य की प्रगति 6.15 प्रतिशत तथा 9.22 प्रतिशत के मध्य थी। आगे वित्तीय समस्या के कारण सामग्रियों को खरीदने तथा आवश्यक जनशक्ति को कार्य पर लगाने में ठेकेदार लगातार असफल रहा। ठेके समाप्ति को रद्द करने से 19 माह की अवधि बीत जाने के बाद कम्पनी ने अगस्त 2015 में ठेके को अंतिम रूप से रद्द कर दिया तथा शेष बचे हुये कार्यों को विभागीय रूप से पूर्ण कराने का निर्णय लिया। हांलाकि जून 2016 तक केबलिंग (160 कि.मी.) तथा मीटरीकरण (8730 मीटर) का कार्य अपूर्ण था।

अतः ठेकेदार की वित्तीय व्यवहार्यता को बैंक से सुनिश्चित किये बिना ही ठेके की समाप्ति को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप कार्यों को पूर्ण करने में देरी हुई तथा कम्पनी दिसम्बर 2013 से मार्च 2016 के दौरान घटी हुई पारेषण वितरण एवं हनियों के रूप में ₹ 12.41 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि समाप्त किये गये ठेके के शेष बचे कार्यों को विभागीय स्तर पर किया जा रहा था तथा जल्द ही इन्हें पूरा कर लिया जायेगा।

ठेकेदार के लगातार खराब कार्य निष्पादन के बावजूद ठेके की समाप्ति में देरी

2.1.27 लॉट 24 तथा 26 के अंतर्गत 33/11 के. व्ही. सबस्टेशनों के सुदूरीकरण के कार्यों को अगस्त 2011 में एक ठेकेदार को प्रदान किया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार कार्यों को ठेके की प्रभावी तिथि (5 नवम्बर 2011) से 18 महीनों में (मई 2013) पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा आवश्यक सामग्रियों की खरीदी न किये जाने एवं पर्याप्त जनशक्ति को कार्य पर न लगाये जाने के कारण से ठेके के शुरूआत से ही कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी। कार्य की धीमी प्रगति को ध्यान में रखकर कम्पनी ने दोनों ही लॉटों की समाप्ति के लिये नोटिस (जून 2013) जारी किये। यद्यपि कम्पनी ने तुरन्त ही इन ठेकों को समाप्त नहीं किया तथा कार्यों को दिसम्बर 2013 तक समाप्त करने के ठेकेदार के आश्वासन पर विचार करते हुये उसे एक अवसर प्रदान किया। ठेकेदार ने सूचित (मई 2014) किया कि अत्यधिक वित्तीय बाधाओं के कारण वह कार्यों को पूर्ण नहीं कर पायेगा तथा कम्पनी ने लॉट 26 तथा 24 के अंतर्गत प्रदान किये गये ठेकों को क्रमशः जुलाई 2014 तथा अप्रैल 2015 में समाप्त कर दिया। उस समय तक ठेके के कार्य केवल 23.72 प्रतिशत (लॉट 24) तथा 25.04 प्रतिशत

(लॉट 26) तक ही पूर्ण किये गये थे। कम्पनी ने इन दो लॉटों के शेष बचे कार्यों को लॉट 29 के अंतर्गत एक नये ठेकेदार को पुनः पारित (नवम्बर 2015) कर दिया किया।

चूंकि ठेकेदार ने निर्धारित पूर्णता अवधि (मई 2013) के पश्चात से ही कार्य करना बन्द कर दिया था तथा कार्य निष्पादन में कोई प्रगति नहीं थी, कम्पनी को दिसम्बर 2013 जो कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की प्रतिबद्ध समय सीमा थी में ही दोनों ठेकों को समाप्त कर देना चाहिये था।

कम्पनी की ओर से ठेकों को समाप्त करने में हुई देरी के परिणामस्वरूप लॉट 24 तथा 26 के कार्य जून 2016 तक अपूर्ण रह गये तथा जनवरी 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान घटी हुई पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 29.65 करोड़ जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.7** में दिया गया है के परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने से कम्पनी वंचित रही।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि समय पर कार्य पूर्ण करवाने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गये थे तथा कार्य पूर्ण करने के लिये ठेकेदार द्वारा बार-बार दिये गये आश्वासनों पर विचार करते हुये ठेकों को समाप्त करने में देरी की गई। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई हानि की राशि वास्तविक नहीं थी क्योंकि 33/11 के व्ही लाइनों तथा नये 3.15 मेगा वोल्ट एम्पीयर के पावर ट्रांसफार्मरों को स्थापित करने से संबंधित प्रमुख कार्यों को ठेकों को समाप्त करने के पहले ही इन ठेकों के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। आगे यह भी कहा गया कि अस्थाई सबस्टेशनों को स्थाई सबस्टेशनों में परिवर्तित करने में हुई देरी से कम्पनी को कोई हानि नहीं होगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शुरुआत से ही ठेकेदार का प्रदर्शन बहुत खराब था तथा समय समय पर उसके द्वारा दिये गये आश्वासनों को वह पूरा करने में वह असफल रहा। आगे लॉट 29 के अंतर्गत पुनः पारित किये गये ठेके में दर्शाई गई कार्य की मात्राओं में वह कार्य भी शामिल थे जो कम्पनी द्वारा समाप्त किये गये ठेकों के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई हानि की राशि भी कम्पनी द्वारा इन लॉटों के लिये बनाई गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दर्शाये गये आँकड़ों पर आधारित थी।

जब्त की गई सामग्रियों का कम्पनी की गोदामों में न पाया जाना

2.1.28 ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न कर पाने के कारण से कार्यक्रम के अंतर्गत लॉट 24 तथा 26 के लिये प्रदान किये गये ठेकों को अप्रैल 2015 (लॉट 24) तथा जुलाई 2014 (लॉट 26) को समाप्त कर दिया गया। इन ठेकों को समाप्त करते ही कम्पनी ने ठेकेदार के धार, खरगौन, देवास तथा मन्दसौर स्थित गोदामों से ₹ 5.47 करोड़ की सामग्रियों को जब्त (मई 2015 तथा सितम्बर 2014) कर लिया। इस प्रकार जब्त की गई सामग्रियों को कम्पनी के क्षेत्रीय भण्डार गृहों में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन लॉटों के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिये लॉट 29 के अंतर्गत ₹ 40.45 करोड़ का ठेका प्रदान (नवम्बर 2015) किया। ठेके के अनुच्छेद 3.4.1 के अनुसार पिछले ठेकों में जब्त की गई ₹ 5.47 करोड़ की सामग्रियों को बचे हुये कार्यों को करने हेतु ठेकेदार को उपलब्ध कराना था। उसी अनुसार कम्पनी ने लॉट 29 के अंतर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदार को सामग्री उपलब्ध कराने के लिये धार, खरगौन, देवास तथा मन्दसौर वृत्तों के अधीक्षण यंत्रियों को निर्देश जारी (जनवरी 2016) किये।

तथापि, ठेकेदार ने कम्पनी को सूचित (फरवरी 2016) किया कि जब्त हो गई सामग्रियां धार, खरगौन, देवास तथा मन्दसौर के भण्डार गृहों में उपलब्ध नहीं थी। परन्तु कम्पनी

ने जून 2016 तक इस संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की तथा इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय भण्डारगृहों के प्रभारियों पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि ₹ 2.36 करोड़ के मूल्य की सामग्रियाँ ठेकेदारों को सौंपी जा चुकी थीं तथा शेष बची हुई जब्त सामग्रियों को लेखापरीक्षा की सूचना के अंतर्गत, नये ठेकेदार को सुपुर्द कर दिया जायेगा। यद्यपि इस तथ्य के लिये कि नये ठेकेदार को ₹ 2.36 करोड़ की सामग्रियाँ सुपुर्द कर दी गई थी का कोई प्रमाणित प्रपत्र लेखापरीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया।

गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी

2.1.29 निगरानी तथा पर्यवेक्षण, किसी गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के मुख्य घटक होते हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यों का निष्पादन कुशल, कारगर तथा मितव्ययी तरीके से किया गया कम्पनी ने परियोजना प्रबन्धन सलाहकार (पी.एम.सी.) की नियुक्ति की। लेखापरीक्षा ने गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र में निम्नलिखित कमियों को पाया।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वतंत्र तृतीय पक्षकार मूल्यांकन एजेन्सी (आई.टी.ई.ए.) की नियुक्ति न किया जाना

2.1.30 लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में कार्यक्रम की संकल्पना करते समय एक स्वतंत्र तृतीय पक्षकार मूल्यांकन एजेन्सी के द्वारा उन्नत विद्युत आपूर्ति के रूप में कार्यक्रम के प्रभाव का विशुद्ध मूल्यांकन करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस रीति का केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना जोकि 2009–2010 से 2014–15 के दौरान राज्य में क्रियान्वित की गई, में अनुसरण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने इस तथ्य के बावजूद कि जून 2016 तक अपूर्ण लॉटों में कार्य के मुख्य घटक 10.99 प्रतिशत तथा 15.5 प्रतिशत के मध्य अपूर्ण थे, मध्य प्रदेश शासन के समक्ष समस्त कार्यों को पूर्ण दिखा रही थी।

अतः कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र को न अपनाये जाने के कारण से यह कम्पनी द्वारा कार्यक्रम कार्यों को पूरा करने से संबंधित दी गई सूचना पर पूर्णतः निर्भर थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी ने 11 के. व्ही. लाइनों के पृथक्करण से संबंधित कार्य को मार्च 2016 तक पूर्ण दिखाया था। तथापि केबिलिंग तथा मीटरिंग फाईडर विभक्तिकरण से संबंधित कार्यों को अपूर्ण दिखाया गया था। यह भी कहा गया कि सरकार ने परियोजना की निगरानी हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्षकार के रूप में पी.एम.सी. को नियुक्त किया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों में कार्यक्रम के कार्यों के घटकों की पूर्णता की स्थिति को न दर्शाते हुये केवल 11 के.व्ही. लाइनों के पृथक्करण में प्राप्त पूर्णता को दर्शाया गया था। आगे पी.एम.सी. की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं की गई बल्कि कम्पनी द्वारा कार्यक्रम के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये जनशक्ति की कमी के कारणों से पी.एम.सी. की नियुक्ति की गई थी।

परियोजना प्रबन्धन सलाहकार (पी.एम.सी.) के साथ किये गये अनुबन्धों का अनुचित समाप्त

2.1.31 जनशक्ति की कमी को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी को ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण करने हेतु पी.एम.सी. की नियुक्ति की अनुमति (मई 2010) प्रदान की। उसी अनुरूप कम्पनी ने प्रथम चरण के अंतर्गत एक पी.एम.सी. की नियुक्ति नवम्बर 2010 में तथा द्वितीय चरण हेतु एक पी.एम.सी. की नियुक्ति जुलाई 2011 में की। पी.एम.सी. के कार्यों के अंतर्गत निम्न कार्य—(i) क्षेत्र सर्वेक्षण की समाप्ति पर ठेकेदार द्वारा तैयार किये गये अंतिम मात्राओं की समीक्षा कराना (ii) निष्पादित किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण करना (iii) ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत देयकों/दावों का सत्यापन करना (iv) हटाई गई सामग्रियों की क्षेत्रीय भण्डारों में 100 प्रतिशत वापसी को सुनिश्चित करना तथा (v) परीक्षण के लिये भेजी गई सामग्रियों की नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं कैलिब्रेशन लेबोरेटोरी (एन.ए.बी.एल) रिपोर्ट की प्राप्ति को सुनिश्चित करना आदि शामिल की। कार्यक्रम के अंतर्गत पारित किये गये टर्नकी ठेकों की शर्तों के अनुसार यदि ठेकेदार की विफलता के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी होती हैं तथा कम्पनी पी.एम.सी के साथ किये गये ठेकों की समयावधि बढ़ाती है तो ऐसी बढ़ी गई अवधि के लिये भुगतान किय जाने वाले पी.एम.सी. प्रभारों को ठेकेदार वहन करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने मार्च 2016 में पी.एम.सी. ठेकों को समाप्त कर दिया जबकि आठ लॉटो के कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं थे। कार्यक्रम के कार्यों की पूर्णता के पूर्व ही पी.एम.सी. के ठेकों को समाप्त करना कम्पनी के हित में नहीं था क्योंकि ठेकों की अवधि में हुई देरी के दौरान पी.एम.सी. प्रभारों के भुगतान हेतु ठेकेदार जिम्मेदार थे। अतः कार्यक्रम के कार्यों की समाप्ति के पहले ही पी.एम.सी. ठेकों को समाप्त करके, कम्पनी ने ठेकेदारों को पी.एम.सी. प्रभारों के भुगतान से मुक्त कर दिया तथा इस प्रकार अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान ठेकेदारों को ₹ 69.53 लाख का अनुचित फायदा पहुंचाया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि आठ अपूर्ण लॉटो में से तीन लॉटों के ठेकों को समाप्त कर दिया गया था तथा कार्यों को विभागीय स्तर पर किया जा रहा था अतः पी.एम.सी. की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्च 2016 में पी.एम.सी. के ठेकों को बन्द करते समय आठ लॉटो में कार्यक्रम के कार्य अपूर्ण थे। आगे दो लॉटो (लॉट 18 तथा 19) के ठेकों को पी.एम.सी. ठेकों को बन्द किये जाने के बाद समाप्त (अप्रैल 2016) किया गया। अतः पी.एम.सी. ठेकों की अनुपस्थिति में इन आठ लॉटो के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु कोई निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था। जबकि मार्च 2016 के बाद पी.एम.सी. प्रभारों के भुगतान हेतु ठेकेदार जिम्मेदार थे। आगे पी.एम.सी. ठेकों को बन्द किये जाने के समय तक 530 एन.ए.बी.एल परीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त थे तथा हटाये गये सम्पूर्ण सामग्रियों को कम्पनी के क्षेत्रीय भण्डारगृहों में नहीं लौटाया गया था। अतः कम्पनी को पी.एम.सी. ठेकों को समाप्त नहीं करना चाहिये था।

ठेकों की शर्तों के अनुसार हटाई गई सामग्रियों को क्षेत्रीय भण्डारगृहों में वापस न किया जाना

2.1.32 कार्यक्रम के अंतर्गत पारित किये गये निर्माण अनुबन्धों के अनुच्छेद 3.4.7 के अनुसार पुराने तंत्र से निकाले गये सभी मीटरों व अन्य सामग्रियों की परियोजना प्रबन्धको, पी.एम.सी. के प्रतिनिधियों तथा ठेकेदारों द्वारा संयुक्त रूप से गणना की जायेगी। निकाली गई सामग्रियों को ठेकेदारों द्वारा कम्पनी के नामित भण्डारगृहों में लौटाया जायेगा। परियोजना प्रबन्धको को देयकों को पास करने के पहले इस प्रकार निकाली गई सामग्रियों की क्षेत्रीय भण्डारगृहों में वापसी को सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया कि भौतिक सत्यापन किये गये दस लॉटों में से आठ¹⁸ लॉटों में निकाली गई सामग्रियों को ठेकेदारों द्वारा कम्पनी के भण्डार गृहों में जमा नहीं किया गया। निकाली गई 2,85,025 किलोग्राम सामग्रियों में से 1,03,254 किलोग्राम सामग्री कम्पनी के भण्डारगृहों में नहीं लौटाई गई थी। उपरोक्त आठ लॉटों में न लौटाई गई सामग्रियाँ इन लॉटों में निकाली गई कुल सामग्रियों के 4.13 प्रतिशत से 49.87 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि हटाई/निकाली गई सामग्रियों को भण्डारगृहों में लौटाये बिना ही वृत्त के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के देयकों का पास कर दिया गया था। अतः ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये कम्पनी ने ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाया।


लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि ठेकों के समापन के पूर्व निकाली गई सभी सामग्रियों की क्षेत्रीय भण्डारगृहों में वापसी को सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

स्थापित सामग्रियों की एनएबीएल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त करने में असफलता

2.1.33 कार्यक्रम के अंतर्गत पारित किये गये ठेके के अनुसार कम्पनी को ठेकेदार द्वारा खरीदी गई सामग्रियों में से रैण्डम आधार पर सामग्रियों को चुनना था तथा एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं से उनकी जाँच करवाना था। यद्यपि ठेकेदारों को ठेके के अंतर्गत यह सुविधा प्रदान की गई थी कि वह एन.ए.बी.एल. जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त किये बिना ही सामग्री को ठेकों के क्रियान्वयन में प्रयोग कर सके। यदि जाँच के दौरान सामग्रियाँ दोषपूर्ण पाई जाती हैं तो उस प्रेषण अनुदेश के अंतर्गत प्राप्त समस्त सामग्रियों जिसमें से जाँच हेतु नमूनों को चुना गया था, ठेकेदार को अपनी लागत पर बदलना था। नमूना जाँच के लिये चयनित लॉटों में प्राप्त एन.ए.बी.एल. जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति को रेखाचित्र 2.1.5 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र क्रमांक 2.1.5

भौतिक रूप से सत्यापित लॉटों में एन.ए.बी.एल जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र



¹⁸ लॉट क्रमांक 5,7,8,12,16,17,18 तथा 27

कम्पनी ने 340 नमूनों के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त नहीं किया इसलिए कार्यक्रम के कार्यों के अंतर्गत स्थापित ₹ 90.08 करोड़ मूल्य के सामग्रियों की गुणवत्ता अपरीक्षित रही

लेखापरीक्षा ने पाया कि दस लॉटो जिनका संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था में से आठ लॉटो में कुल 701 जाँच नमूने एन.ए.बी.एल परीक्षण हेतु भेजे गये थे जिनमें से 340 जाँच नमूनों जो कुल भेजे गये नमूनों के 49.07 प्रतिशत थे के जाँच प्रतिवेदन जून 2016 तक अप्राप्त थे। उन प्रेषण अनुदेशों के अंतर्गत प्राप्त सामग्रियों जिनमें से इन नमूनों को लिया गया था का मूल्य ₹ 90.08 करोड़ था। कुल अप्राप्त 340 जाँच प्रतिवेदनों में से 89 प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से, 135 प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 से, 102 प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 से, सात प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 से तथा सात प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 से संबंधित थे। कम्पनी के परियोजना विंग ने इन जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त करने हेतु एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं के साथ कोई पत्राचार नहीं किया। अतः कार्यक्रम कार्यों के अंतर्गत स्थापित सामग्रियों की गुणवत्ता को ठेके की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया।

आगे कम्पनी ने संचालक मण्डल की 35 वीं बैठक (जनवरी 2013) में परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु दिशा निर्देशों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार परियोजना के नोडल अधिकारी तथा पी.एम.सी. को यह सुनिश्चित करना था कि परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सभी एन.ए.बी.एल जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा ने लॉट 27¹⁹ के भौतिक सत्यापन (मई 2016) के अंतर्गत पाया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान लिये गये कुल 123 रैण्डम जाँच नमूनों में से सिर्फ 50 रैण्डम नमूने ही जाँच हेतु भेजे गये थे। उनमें से सिर्फ 35 नमूनों के जाँच प्रतिवेदन जून 2016 तक प्राप्त हुए थे। हांलांकि कम्पनी ने इस तथ्य के बाद भी कि 15 नमूनों के एन.ए.बी.एल. जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे तथा 73 चयनित रैण्डम नमूनों को एन.ए.बी.एल. जाँच हेतु नहीं भेजा गया था, लॉट 27 के अंतर्गत कुल 31 फीडरों में से 28 फीडरों के परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जून 2016 तक जारी कर दिये थे।

अतः कार्यकारी निदेशक (परियोजना) के प्रतिनिधित्व वाले कम्पनी के परियोजना विंग ने एन.ए.बी.एल. जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त किये बिना ही परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करके ठेकेदारों को दोषपूर्ण सामग्रियों को बदलने की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुये अनुचित फायदा पहुँचाया।

सरकार ने अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं में भेजे गये नमूनों के जाँच प्रतिवेदनों को न प्राप्त करने से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों को (नवम्बर 2016) स्वीकार किया और कहा कि संबंधित ठेकेदारों को जल्द से जल्द एन.ए.बी.एल. जाँच प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के निर्देश दे दिये गये थे। हांलांकि सरकार ने अपने उत्तर में ठेके की शर्तों के अंतर्गत चयनित किये गये नमूनों को एन.ए.बी.एल. जाँच हेतु न भेजे जाने के मामले में कुछ भी नहीं कहा।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:

- कम्पनी, कार्य के प्रमुख घटकों को ठेके की निर्धारित पूर्णता अवधि में पूरा नहीं कर पाई। मई 2013 तक 56.90 प्रतिशत और 74.83 प्रतिशत के मध्य कार्य क्रियान्वित किए जाने थे तथा जून 2016 तक 10.99 प्रतिशत तथा 15.15 प्रतिशत के मध्य कार्य क्रियान्वित किये जाने थे। परिणामरूपरूप, पारेषण तथा वितरण हानियों को कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित स्तर तक नहीं घटाया जा सका। कुल 13 वृत्तों में से चार वृत्तों में अधिक पारेषण तथा वितरण हानियाँ 6.23 प्रतिशत तथा 16.04 प्रतिशत के मध्य थी।

¹⁹ पन्थाना

- कम्पनी ने वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान कार्य के प्रमुख घटकों के मात्राओं में अत्यधिक विचलन पाया गया। इस कारण कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक ऋण स्वीकृत करा लिया तथा जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश शासन को अधिक गारण्टी फीस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक को अधिक प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।
- कार्यक्रम के अंतर्गत ठेकों का प्रबन्धन कमजोर था क्योंकि इसके अंतर्गत कार्यों की समयबद्ध पूर्णता, दोशी ठेकेदारों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही आदि को सुनिश्चित नहीं किया गया जिससे कम्पनी को परिणामी हाँनियों को वहन करना पड़ा।
- कम्पनी ने कार्यक्रम की निधियों के उपयोग में वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया जिससे कार्यक्रम की निधियों का अनभिप्रेत उद्देश्य हेतु पथान्तरण, मोबिलाइजेशन अग्रिम का अधिक भुगतान, मोबिलाइजेशन तथा सामग्री अग्रिमों पर ब्याज का कम अधिरोपण आदि के दृष्टान्त सामने आये।
- कम्पनी ने ठेके की शर्तों के अनुसार पूर्ण की गई सुविधाओं का आधिपत्य लेते समय इन सुविधाओं का क्रियात्मक गारण्टी परीक्षण नहीं कराया। जिससे कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित घटी हुई पारेषण एवं वितरण हानियों की प्राप्त नहीं किया जा सका।
- मध्य प्रदेश शासन ने उन्नत विद्युत आपूर्ति तथा घटी हुई पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में कार्यक्रम के विशुद्ध प्रभावों को मापने के लिये एक तृतीय पक्षकार स्वतंत्र मूल्यांकन एजेन्सी (टीपीआईईए) की नियुक्ति नहीं की।
- कम्पनी ने रैण्डम आधार पर परीक्षण हेतु भेजे गए नमूनों के सम्पूर्ण एन.ए. बी.एल परीक्षण प्रतिवेदनों को प्राप्त नहीं किया। तथापि इसने ठेके की शर्तों का उल्लंघन करते हुये परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिये तथा पूर्ण सुविधाओं को स्वीकार कर लिया।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

- कम्पनी को कार्यक्रम के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के परिकल्पित स्तर को प्राप्त करने के लिए शेष कार्यों के मुख्य घटकों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिये।
- कम्पनी को भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किसी योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को कराने से पहले वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानों को तैयार करना चाहिये।
- कम्पनी को समयानुसार कार्य की पूर्णता को आश्वस्त करने तथा अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिये ठेका प्रबन्धन को मजबूत करना चाहिये।
- कम्पनी को योजना कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध करायी गई निधियों के प्रयोग में निधि स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए एवं ठेके के अंतर्गत होने वाले भुगतानों को करने में वित्तीय बुद्धिमत्ता को सुनिश्चित करना चाहिए।

- कम्पनी को पूर्ण की गई सुविधाओं को ठेके की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन जाँच कर के ही अपने सुपुर्द में लेना चाहिए।
- मध्य प्रदेश सरकार को, जैसा की भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय अपने अन्य केन्द्रीयकृत योजनाओं (आरएपीडीआरपी) के लिये करती हैं, राज्य में कार्यक्रम के वास्तविक प्रभावों के आंकलन के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्षकार मूल्यांकन एजेन्सी को नियुक्त करना चाहिये।
- कम्पनी को ठेकेदारों को समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व बिना किसी विफलता के एन.ए.बी.एल जाँच प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना चाहिये।

2.2 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1983 में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में की गयी थी। कम्पनी का उद्देश्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी), आई.टी संवर्धित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का प्रोत्साहन एवं विकास करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–12 से 2015–16 हेतु कम्पनी के विविध पहलुओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन, आई.टी. नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन तथा प्रोत्साहनों का नियमन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न आई.टी. योजनाओं के क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिये की गयी थी। साथ ही वित्तीय प्रबंधन, संविदा प्रबंधन तथा निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की भी समीक्षा की गयी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे:

- कम्पनी भोपाल इंदौर तथा जबलपुर के आई.टी. पार्क हेतु चिन्हित की गयी 250.25 एकड़ भूमि में से मार्च 2016 तक 92.32 एकड़ भूमि ही आवंटित कर पायी। कम आवंटन का मुख्य कारण विकास कार्यों की धीमी गति था। अतः कम्पनी आई.टी. नीति में निहित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

(कंडिका 2.2.16)

- कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत स्टेट वार्ड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना का कार्यान्वयन लिया गया था। योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 5,159 जगहों पर होरिजोन्टल कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गयी जबकि योजनानुसार 33,000 जगहों पर उपलब्ध कराना था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.20 से 2.2.22)

- कम्पनी द्वारा कामन सर्विस सेंटर स्कीम के अंतर्गत 9,232 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी थी। किन्तु ग्राम पंचायत कर्यालयों में कोई भी सीएससी स्थापित नहीं किया गया जैसा कि योजना में परिकल्पित था। जबकि 31 मार्च 2016 तक मात्र 3,499 सीएससी ही चलन में थे। न्यून निष्पादन के मुख्य कारण आई.टी. आधारभूत ढांचे के उपलब्धता की कमी तथा इन्टरनेट सुविधा की कमी होना था।

(कंडिका 2.2.24)

- कम्पनी द्वारा एक आई.टी. इकाई को 10.13 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी। भूमि का आवंटन कलेक्टर के विद्यमान दिशानिर्देशों के 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 3.34 करोड़ में आवंटन किया जाना था। जबकि आई.टी. इकाई को भूमि का आवंटन अतिरिक्त छूट देते हुए ₹ 2.23 करोड़ में किया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश शासन को ₹ 1.11 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 2.2.15)

- 36 सीएससी के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि मात्र 15 सीएससी ही चलन में थे। 11 सीएससी अस्तिव में नहीं पाये गये, 4 सीएससी स्वामियों द्वारा गतिविधियों बंद कर दी गयी, तथा 6 सीएससी शहरी क्षेत्र में चलते हुए पाये गये। आगे 10 सीएससी जगहों पर 24 लाभान्वित हितग्राहियों के सर्वे में पाया गया कि इनमें सरकारी सेवाएँ नहीं मिल पा रही थीं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. के माध्यम से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवाने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.26)

- कम्पनी द्वारा ₹ 4.83 करोड़ (योजना लागत का 2.77 प्रतिशत) स्वान परियोजना में तथा ₹ 4.34 करोड़ (राजस्व सहायता का 35 प्रतिशत) सीएससी योजना में वर्ष 2014–15 तक प्रशासनिक व्यय के रूप में भारित किये गये। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय ₹ 1.74 करोड़ तथा ₹ 49 लाख ही मान्य था। इसके परिणामस्वरूप स्वान परियोजना में ₹ 3.09 करोड़ तथा सीएससी योजना में ₹ 3.85 प्रशासनिक व्यय के रूप में अधिक भारित किये गये।

(कंडिका 2.2.39)

- कम्पनी द्वारा सर्विस सेन्टर एजेन्सी को राजस्व सहायता के रूप में ₹ 8.08 करोड़ स्व प्रमाणन के आधार पर जारी किये गये। तथापि राजस्व सहायता जारी करने के पूर्व भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप ऑनलाईन निगरानी यंत्र की स्थापना सुनिश्चित नहीं की गयी।

(कंडिका 2.2.25)

- मध्य प्रदेश शासन ने लाभान्वित उपयोगकर्ता विभागों से स्टेट डाटा सेन्टर के अंतर्गत उपयोग शुल्क वसूल करने हेतु कम्पनी को निर्देशित (जून 2011) किया। तथापि कम्पनी स्टेट डाटा सेन्टर की सुविधाओं का उपयोग करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं मण्डलों पर ₹ 1.23 करोड़ (नवम्बर 2013 से मार्च 2016) उपयोग शुल्क के रूप में आरोपित तथा वसूली नहीं कर सकी।

(कंडिका 2.2.28)

- कम्पनी द्वारा ग्वालियर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया। किन्तु कम्पनी 90,000 वर्गफीट निर्माण क्षेत्रफल के विरुद्ध मात्र 10,200 वर्गफीट ही किराये पर दे सकी। यह परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व ग्वालियर में आई.टी. उद्योग हेतु व्यावसायिक क्षमता का निर्धारण करने में कम्पनी की विफलता के कारण था।

(कंडिका 2.2.32)

- कम्पनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये कोई लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना नहीं बनाई। लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना प्रक्रिया के अभाव में कम्पनी के व्यवसाय तथा विकासात्मक उद्देश्यों के संचालन के लिये दिशानिर्देशों की कमी थी।

(कंडिका 2.2.8)

- आंतरिक निरीक्षण तंत्र कमजोर था क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया कार्यक्षेत्र व्यापक नहीं था साथ ही कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। आगे यह कि आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में कम्पनी की मुख्य चालन गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया तथा इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाए सामान्य प्रकृति की थी।

(कंडिका 2.2.47)

परिचय

2.2.1 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1983 में मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी थी। कम्पनी की नियुक्ति नोडल एजेन्सी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 (संशोधित 2006, 2012 तथा 2014) के कार्यान्वयन हेतु प्रदेश में आई.टी. तथा आई.टी. संवर्धित सेवाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिये कम्पनी द्वारा ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को प्रदान करने में सम्पूर्ण सुधार लाने हेतु एक मिशन बनाया गया। कम्पनी का उद्देश्य प्रदेश में आई.टी. तथा आई.टी. संवर्धित

सेवाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का प्रोत्साहन एवं विकास करना है। कम्पनी का मुख्यालय भोपाल में है तथा कैलीब्रेशन इकाईयाँ इंदौर तथा भोपाल में हैं।


वर्तमान में कम्पनी को विभिन्न आई.टी. योजनाओं/परियोजनाओं जैसे स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी), स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी), तथा स्टेट रेसीडेन्ट डाटा हब, (एस.आर.डी.एच), आई.टी. पार्कों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर (ईएमसी) आदि के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। कम्पनी अन्य परिचालन क्रियाकलापों जैसे आई.टी. संबंधी उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति, कैलीब्रेशन कार्य, आई.टी. इकाईयों को जगह किराये पर देने आदि में भी संलग्न हैं। कम्पनी का विक्रय तथा कर पूर्व लाभ वर्ष 2011–12 में ₹ 10.60 करोड़ तथा ₹ 1.43 करोड़ था जो कि वर्ष 2015–16¹ में बढ़कर क्रमशः ₹ 41.45 करोड़ तथा ₹ 9.91 करोड़ हो गया।

संगठनात्मक संरचना

2.2.2 राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री करते हैं। राज्य के लिये आई.टी. संबंधी नीतियाँ बनाने तथा उनकी निगरानी हेतु सचिव आई.टी. उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार कम्पनी का प्रबंधन संचालक मंडल में निहित होता है जिसमें प्रबंध संचालक सहित सात संचालक होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कम्पनी नोडल एजेन्सी के रूप में समय समय पर घोषित आई.टी. नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रबंध संचालक, कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी सहायता हेतु एक परियोजना संचालक, एक मुख्य महाप्रबन्धक, तीन उप मुख्य महाप्रबन्धक, एक वरिष्ठ प्रबन्धक, चार सामान्य प्रबन्धक, छः वरिष्ठ प्रबन्धक तथा 19 प्रबन्धक पदस्थ हैं। उप मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) कम्पनी के वित्तीय मुद्दों पर सहायता प्रदान करते हैं। कम्पनी की संगठनात्मक संरचना रेखाचित्र 2.2.1 में दी गयी है।

रेखाचित्र 2.2.1 कम्पनी की संगठनात्मक संरचना दिखाने वाला रेखाचित्र



लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह जानने के लिये संपन्न की गयी थी कि:

¹ वर्ष 2015–16 के ऑकड़े प्रावधिक हैं।

- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के प्रोत्साहन एवं विकास के लिये योजनाए बनायी गयी;
- कम्पनी की योजनाएँ/परियोजनाएँ तथा परिचालन क्रियाकलापों का क्रियान्वयन बनायी गयी योजनाओं के अनुसार किया गया तथा उनका संचालन कुशलपतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन कुशलतापूर्वक था; तथा
- कम्पनी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त एवं प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा निगरानी व आंतरिक नियंत्रण हेतु तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु मापदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किये गए:

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट भाषणों में की गयी घोषणाएँ, मध्य प्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति जो कि वर्ष 1999, 2006, 2012, तथा 2014 घोषित हुई तथा स्वान, सीएससी तथा राज्य डाटा सेन्टर आदि के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना का विजन;
- राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस नीति, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 तथा भारत सरकार व मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश;
- कम्पनी का विजन तथा लक्ष्य, कम्पनी के पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर्नियम, बोर्ड एजेन्डा नोट्स तथा उनके कार्यवृत्त, मध्य प्रदेश सरकार से किये गये समझौता ज्ञापन, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; तथा
- विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के वृहत्त परियोजना प्रतिवेदन, आवधिक निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन, वार्षिक बजट तथा कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2.2.5 2011–12 से 2015–16 के पाँच वर्ष की अवधि हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 के दौरान की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, आई.टी. नीतियों का पालन, विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा कम्पनी द्वारा की गयी अन्य गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा इस अवधि में की गयी। कम्पनी का मुख्यालय तथा इंदौर व भोपाल के कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया था।

कम्पनी ने राज्य में स्वान परियोजना के अंतर्गत 360 पाईण्ट ऑफ प्रजेन्स (पीओपी) तथा कामन सर्विस सेन्टर योजना के अंतर्गत 9,232 सीएससी स्थापित किये। इसके विरुद्ध, लेखापरीक्षा द्वारा 180 पीओपी (50 प्रतिशत पीओपी) तथा 462 सीएससी (5 प्रतिशत सीएससी) प्रश्नावली के माध्यम से हितग्राहियों के सर्वे हेतु चयनित किये गये। पीओपी के प्रकरण में प्रश्नावली उपयोगकर्ता विभागों तथा सीएससी के प्रकरण में प्रश्नावली सीएससी संचालनकर्ताओं को भेजी गयी। तथापि सीएससी को भेजी गयी प्रश्नावली की प्रतिक्रिया बहुत कम रही तथा मात्र 27 प्रतिक्रिया ही प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा द्वारा 10 सीएससी में 24 हितग्राहियों का हितग्राही सर्वे भी करवाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 18 पीओपी, तीन आई.टी. पार्क (60 प्रतिशत पार्क), एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर (50 प्रतिशत) तथा 36 सीएससी का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.1** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों पर सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं कम्पनी के प्रबंध संचालक से दिनांक 27 अप्रैल 2016 को हुए प्रवेश सम्मेलन में चर्चा

की गयी। निकास सम्मेलन दिनांक 6 अक्टूबर 2016 को हुआ। सरकार तथा कम्पनी द्वारा व्यक्त विचारों को निर्धारित स्थान पर प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गए

2.2.6 कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय ई—गर्वनेंस योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न आई.टी. योजनाएँ/परियोजनाएँ संपन्न की जाती हैं। इन नीतियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं में स्वान, सीएससी, स्टेट डाटा सेन्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर तथा स्टेट रेसीडेन्ट डाटा हब थी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित आई.टी. नीतियाँ वर्ष 1999, 2006, 2012 तथा 2014 के भाग के रूप में कम्पनी द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई.टी. पार्क का निर्माण भी किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- स्वान परियोजना के अंतर्गत राज्य में विभागों की सभी चिह्नित जगहों पर होरिजोन्टल कनेक्टीविटी प्रदान नहीं की जा सकी। कम्पनी द्वारा 5,159 जगहों पर कनेक्टीविटी प्रदान की गयी जबकि 33,000 जगह प्रस्तावित थी। इसका मुख्य कारण होरिजेन्टल कनेक्टीविटी हेतु एक निश्चित समयबद्ध व्यूहरचना का अभाव था।
- सीएससी योजना के अंतर्गत स्थापित किये गये 9,232 सीएससी में से 3,499 ही 31 मार्च 2016 की स्थिति में चलन में थे। सीएससी कम चलन में रहने के मुख्य कारण आई.टी. ढाँचे की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या तथा वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिये पर्याप्त व्यवसाय उपलब्ध न होना था। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. के द्वारा सीएससी के माध्यम से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
- स्टेट डाटा सेन्टर परियोजना के अंतर्गत राज्य शासन के सभी विभागों का डाटा एक जगह उपलब्ध कराने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। मार्च 2016 की स्थिति में कुल 58 विभागों में से मात्र 24 विभाग ही स्टेट डाटा सेन्टर में विद्यमान थे। इसका कारण मुख्यतया परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा सभी विभागों को स्थापित करने के लिये निश्चित समयबद्ध योजना का कम्पनी के पास अभाव था।
- कम्पनी मार्च 2016 की स्थिति में भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में उपलब्ध 250.25 एकड़ भूमि में मात्र 92.32 एकड़ ही आवंटित कर सकी। इसका कारण परियोजना संपादन की गति का धीमा होना था।
- कम्पनी ग्वालियर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) में निर्मित 90,000 वर्गफीट स्थान में से मात्र 10,200 वर्गफीट ही किराये पर दे सकी। इसका कारण ग्वालियर में आई.टी. व्यवसाय की संभावना को ध्यान में रखे बगैर ग्वालियर एसटीपी का विकास करना था।

योजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति

2.2.7 उपयुक्त योजना तंत्र वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की जाने वाली गतिविधियों के चयन में सहायता करता है। यह कुशलता बढ़ाता है तथा योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में आने वाले जोखिमों को कम करता है। योजना से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्न पाया गया:

दीर्घकालीन तथा रणनीति संबंधी योजना न बनाना

2.2.8 कम्पनी भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित आई.टी. संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यरत है। साथ ही कम्पनी आई.टी. संबंधी उत्पादों के विक्रय/आपूर्ति, आई.टी. पार्कों में जगह किराये पर देने तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। वर्तमान के बदलते व्यवसायिक परिवेश में अपनी गतिविधियों को तथा आई.टी. संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन एवं रणनीति संबंधी योजना आवश्यक है।

कम्पनी ने राज्य में आई.टी. सेक्टर के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक और रणनीति सम्बन्धी योजना नहीं बनाई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में आई.टी. क्षेत्र के विकास के लिये लागू आई.टी. नीति को ध्यान में रखते हुए कोई दीर्घकालीन एवं रणनीति संबंधी योजना नहीं बनाई। लम्बी अवधि की तथा रणनीति संबंधी योजना प्रक्रिया के अभाव में कम्पनी के व्यवसाय तथा विकासात्मक उद्देश्यों के संचालन हेतु दिशानिर्देशों का अभाव था। साथ ही, लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना के अभाव में कम्पनी द्वारा राज्य शासन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वास्तविकता से भिन्न थे जैसा कि कंडिका 2.2.11 में चर्चा की गयी है।

सरकार ने लेखापरीक्षा कंडिका को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि दीर्घकालीन एवं रणनीति संबंधी योजना बनायी जायेगी।

मध्य प्रदेश शासन के साथ समझौता ज्ञापनों का संपादन

2.2.9 कम्पनी मध्य प्रदेश शासन के साथ प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करती है। समझौता ज्ञापनों में वित्तीय तथा व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों का समावेश होता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर घोषित आई.टी. नीतियों को ध्यान में रखते हुए इन समझौता ज्ञापनों का अंतिमीकरण किया जाता है। इसी आधार पर समझौता ज्ञापनों के उद्देश्य प्रत्येक वर्ष निश्चित किये जाते हैं। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, विभिन्न परियोजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य जैसे भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का विकास, कैलिब्रैशन गतिविधियों में बढ़ोत्तरी, स्वान डाटा सेन्टर तथा सीएसी परियोजनाओं का राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन आदि तय किये जाते हैं।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न पाया गया:

समझौता ज्ञापनों के संपादन में विलम्ब

2.2.10 मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार, समझौता ज्ञापन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 15 अप्रैल तक मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किये जाने चाहिये तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून तक हस्ताक्षरित हो जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने यह पाया की कम्पनी ने वर्ष 2011–12, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 के समझौता ज्ञापनों को एक माह से चार माह के विलंब से मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया तथा राज्य शासन के साथ हस्ताक्षर होने में एक माह से पाँच माह का विलंब हुआ। यद्यपि, वर्ष 2012–13 तथा 2014–15 के समझौता ज्ञापन समय पर हस्ताक्षरित हुए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामांकित टास्क फोर्स समिति समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करती है तथा उनकी सहमति के पश्चात ही समझौता ज्ञापन का मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन किया जाता है। समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने तथा अंतिम रूप देने में विलंब का कारण, कम्पनी तथा टास्क फोर्स समिति के मध्य निर्धारित प्रक्रिया थी। अतः कम्पनी की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु मध्य प्रदेश शासन के साथ समझौता ज्ञापन संपादित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।


सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी द्वारा समय पर समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने तथा मध्य प्रदेश शासन से समय पर अनुमोदन लेने हेतु बेहतर तंत्र विकसित किया जायेगा।

अवास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण तथा समझौता ज्ञापनों में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहना

2.2.11 समझौता ज्ञापनों में कम्पनी के समस्त व्यवसाय के वित्तीय लक्ष्य तथा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उनकी वास्तविक उपलब्धियाँ का विवरण रेखाचित्र 2.2.2 में दिया गया है।

रेखाचित्र क्रमांक 2.2.2

समझौता ज्ञापनों के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ दिखाता रेखाचित्र



समझौता ज्ञापन में लक्ष्यों का निर्धारण राज्य में आईटी. उद्योग के विकास की क्षमता का विचार किये बिना ही किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धियाँ 70.05 प्रतिशत तथा 247.74 प्रतिशत के मध्य रही। तथापि, उक्त अवधि के दौरान कम्पनी ने अगले वर्षों के लक्ष्यों का निर्धारण करते समय पूर्व वर्षों की उपलब्धियों को ध्यान में नहीं रखा। हालांकि पूर्व वर्षों की उपलब्धियाँ बहुत अधिक थी, आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्य, पूर्व वर्षों पर आधारित नहीं थे तथा कम करते हुए निर्धारित किये गये थे। साथ ही, लक्ष्यों का निर्धारण, राज्य में आईटी. क्षेत्र के विकास की संभावनाओं तथा राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को ध्यान में न रखते हुए किया गया था। अतः समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य, पारंपरिक आधार पर निर्धारित होने के कारण कम्पनी की गतिविधियों को केन्द्रित आधार पर निर्देशित करने में असफल रहे तथा वर्ष के अंत में उपलब्धियों की पूर्ण समीक्षा करने में सहायक नहीं रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे यह पाया गया कि (i) समझौता ज्ञापनों (2012–13 से 2015–16) में 1,00,000 वर्गफीट पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, परदेसीपूरा इंदौर, के निर्माण की योजना थी जिसको निर्माण कार्य में विलंब के कारण स्थापित नहीं किया जा सका, जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.2.33 में चर्चा की गयी है तथा (ii) कम्पनी आईटी. पार्क, ग्वालियर में निर्मित 90,000 वर्गफीट जगह हेतु रुचि रखनेवाली इकाईयों को चयनित करने में असमर्थ रही जैसा कि समझौता ज्ञापनों (2011–12 से 2015–16) में लक्ष्य रखा गया था जो कि कमजोर प्रतिक्रिया के कारण किराये पर नहीं दिया जा सका, इसकी चर्चा कंडिका 2.2.32 में की गयी है।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि लक्ष्यों का निर्धारण कम्पनी के पास उपलब्ध गतिविधियों के आधार पर तथा भविष्य में प्रस्तावित वृद्धि के आधार पर किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि आई.टी. पार्क, ग्वालियर को किराये पर देने हेतु इच्छुक इकाईयों के चयन के लिये अभिरुचि प्रकरण बुलवाये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, समझौता ज्ञापनों में आगामी वर्षों के लक्ष्यों का निर्धारण करते समय पूर्व वर्षों की उपलब्धियों को ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही, निर्माण कार्य पूर्ण होने के चार वर्ष पश्चात भी आई.टी.पार्क में जगह खाली पड़ी रही अतः आई.टी. पार्क में जगह किराये पर देने के कम्पनी द्वारा किये गये प्रयास पर्याप्त नहीं थे।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.12 संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये एक उचित मानव संसाधन नीति होनी चाहिये। तथापि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने कम्पनी के लिये कोई मानव संसाधन नीति नहीं बनाई तथा कम्पनी में मानव संसाधन का नियोजन 1991, में बनाये गये कार्मिक नियमावली के आधार पर किया जा रहा था। कम्पनी में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत तथा उनके विरुद्ध वास्तविक मानव संसाधनों का विवरण तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.2.1

कम्पनी में स्वीकृत तथा वास्तविक मानव संसाधन दर्शाने वाली तालिका

कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या		
		नियमित	संविदा	योग
तकनीकी कर्मचारी	57	27	30	57
तकनीकी के अलावा	42	32	10	42
योग	99	59	40	99

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

मानव संसाधन नीति तथा नियोजन सम्बन्धी मुद्दे, कम्पनी के संचालक मंडल के समक्ष नहीं रखे गये तथा कम्पनी के प्रशासनिक विभाग के संज्ञान में नहीं आए

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि आई.टी. उद्योगों के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा राज्य की नाड़ल एजेन्सी के रूप में आई.टी./आई.टी. संवर्धित सेवाओं के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु अपनी स्थापना के बाद से अपनी कार्मिक नियमावली को पुनरीक्षित नहीं किया गया। आगे यह कि, मानव संसाधन नीति तथा नियोजन सम्बन्धी मुद्दे, कम्पनी के संचालक मंडल के समक्ष नहीं रखे गये तथा अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान ये मुद्दे कभी भी कम्पनी के प्रशासनिक विभाग के संज्ञान में नहीं आए।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी पुनरीक्षित मानव संसाधन नीति तथा नियोजन रूप-रेखा अपनी आवश्यकता के आधार पर बनायेगी जो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करने में कम्पनी के मौजूदा अधिदेश/भूमिका का प्रतिबिंबित कर सके।

आई.टी. नीतियों के अंतर्गत भूमि आंवटन के विनियमन तथा प्रोत्साहन

2.2.13 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आई.टी. उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने तथा रोजगार अवसर उत्पन्न करने हेतु आई.टी. नीति 1999 घोषित की गयी तथा यह वर्ष 2006, 2012 तथा 2014 में पुनरीक्षित की गयी। नोडल एजेन्सी के रूप में कम्पनी भावी आई.टी. इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करती है तथा आई.टी. नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाईयों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करती है। आगे मध्य प्रदेश शासन विभिन्न प्रस्तावना जैसे भूमि की लागत में छूट, भूमि उपयोग छूट, स्किल गैप प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति तथा विपणन सहायता आदि का अनुमोदन प्रदान

करती है। उसके पश्चात कम्पनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि लाभ प्राप्तकर्ता इकाई कम से कम पाँच वर्षों तक निरंतर अपना संचालन करती रहे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न देखा गया:

आई.टी. कम्पनियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहना

2.2.14 मध्य प्रदेश शासन की आई.टी. नीति 2012 के अंतर्गत अवधि मार्च 2012 से अक्टूबर 2012 के दौरान तीन इकाईयों मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, मेसर्स इनफोसिस लि. तथा मेसर्स इम्प्यूट्स को आई.टी. इकाईयों के आवंटन हेतु चयनित भूमि में से बड़ा भाग आवंटित किया गया था। पट्टा अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, आवंटियों को उनके द्वारा की गयी प्रतिबद्धता को दो चरणों में 54 से 180 माह में पूर्ण करना था जिसमें रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना तथा आई.टी. क्षेत्र में निवेश करना था जैसा की तालिका 2.2.2 में विस्तृत किया गया है।

तालिका 2.2.2 परियोजना की वर्तमान स्थिति बताती तालिका

क्रमांक	इकाई का नाम	वाणिज्यिक चालन की तय तिथि	प्रथम चरण लक्ष्य		परियोजना की वर्तमान स्थिति
			निवेश (₹ करोड़ में)	रोजगार संख्या	
1	मेसर्स टीसीएस (100.00 एकड़)	अप्रैल 2016	—	10,000	परियोजना प्रगति पर
2	मेसर्स इनफोसिस (130.08 एकड़)	अक्टूबर 2017	150 करोड़	3000	परियोजना प्रगति पर
3	मेसर्स इम्प्यूट्स (25.837 एकड़)	मई 2016	70 करोड़	1275	परियोजना प्रगति पर

(टीप: कोष्टक के आंकड़े आवंटित क्षेत्र दर्शाते हैं स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी तीन प्रकरणों में, आवंटन शर्तों के अंतर्गत प्रतिबद्ध किये गए आई.टी. ढाँचे सम्बंधी कार्य पूर्ण नहीं किये गये थे। साथ ही, इन आई.टी. इकाईयों द्वारा अक्टूबर 2016 तक राज्य में कोई भी रोजगार उत्पन्न नहीं किये गये थे। इसका मुख्य कारण, कम्पनी का आवंटियों को मध्य प्रदेश शासन से संबंधित प्राधिकारी एजेन्सियों से अपेक्षित अनुमोदन उपलब्ध करवाने में असफल रहना था। कम्पनी ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु इन इकाईयों के साथ नियमित बैठके भी नहीं की। साथ ही इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति से संचालन मंडल को समीक्षा हेतु तथा उसके निराकरण हेतु लिये जाने वालों कदमों से अवगत नहीं कराया गया। आगे यह भी कि कम्पनी द्वारा इन आई.टी. इकाईयों के वाणिज्यिक संचालन हेतु पुनरीक्षित तिथियों का कार्यक्रम भी तय नहीं किया गया।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया की भूमि आवंटन शर्तों के अंतर्गत इन आई.टी. कम्पनियों द्वारा इकाईयों को स्थापित करने के कार्य में गति लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आई.टी. पार्क भोपाल में कम दरों पर भूमि का आवंटन

2.2.15 आई.टी. इकाई की स्थापना हेतु कम्पनी ने अक्टूबर 2011 में अंडरहिल टेक्नोलाजिस लिमिटेड को पट्टे पर 10.13 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का आशय पत्र जारी किया। आई.टी. नीति की कंडिका 8 (ब) के अनुसार आई.टी. उद्योगों को क्लेक्टर द्वारा निर्धारित दरों के 25 प्रतिशत की दर से भूमि का आवंटन किया जाना था। कम्पनी ने आई.टी. इकाई की स्थापना हेतु पार्टी से समझौता ज्ञापन अक्टूबर 2012 में हस्ताक्षरित किया तथा 23 फरवरी 2015 का भूमि का अग्रिम अधिपत्य दिया। तथापि इकाई के साथ लीज डीड का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया (अक्टूबर 2016) तथा इस संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये।

कम्पनी ने आईटी इकाई को कम दरों पर भूमि आवंटन किया जिसके परिणामस्वरूप 1.11 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित कलेक्टर दरों के अनुसार आवंटित भूमि का मूल्य ₹ 13.37 करोड़ था। इस प्रकार विद्यमान कलेक्टर दरों के अनुसार भूमि मूल्य के 25 प्रतिशत के हिसाब से वसूल की जाने वाली राशि ₹ 3.34 करोड़ होनी थी। तथापि आईटी इकाई को भूमि ₹ 2.23 करोड़ मे आवंटित की गयी, जिसके कारण मध्य प्रदेश शासन का ₹ 1.11 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में कम्पनी के प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि भूमि का आवंटन राज्य सरकार की आईटी। नीति 2006 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर किया गया था।


उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आईटी। नीति 2006 तथा 2012 के प्रावधानों के अनुसार भूमि का आवंटन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों के 25 प्रतिशत पर ही किया जाना था। आगे, शासकीय अभिलेखों की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि भूमि के आवंटन पर अधिक रियायत देने के संबंध में कोई आधार नहीं था।

भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर आईटी। पार्कों में भूमि आवंटन की धीमी गति

2.2.16 कम्पनी द्वारा आईटी। इकाईयों को तीन आईटी। पार्कों मे आवंटन हेतु 250.25 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित (मार्च 2013) आवंटन प्रक्रिया के अनुसार इकाई को भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना था। आवेदन की समीक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाई गयी समिति द्वारा की जानी थी। समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी द्वारा इकाईयों को आशय पत्र जारी किया जाना था। इकाई द्वारा भूमि पर प्रब्याजी के भुगतान को आशयपत्र जारी करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना था। विकास शुल्क का भुगतान भी भूमि के अग्रिम अधिपत्य देने के एक वर्ष के अंदर देय था तथा वार्षिक पट्टा किराये का भुगतान लीज डीड के अन्तिमीकरण होने के पश्चात देय था। मार्च 2016 तक का भूमि की उपलब्धता तथा वास्तविक आवंटन, आवंटियों की संख्या तथा भूमि उपयोग का विवरण रेखाचित्र 2.2.3 में विस्तृत किया गया है।

रेखाचित्र 2.2.3

भूमि की उपलब्धता भूमि हेतु प्राप्त आवेदन तथा आवंटित भूमि दर्शाने वाला रेखाचित्र



लेखापरीक्षा द्वारा तीनो आईटी। पार्क में भूमि आवंटन की समीक्षा के पश्चात निम्न पाया:

- पार्कों मे भूमि आवंटन की स्थिति न्यून थी तथा यह 20 से 50 प्रतिशत के मध्य था। न्यून आवंटन का मुख्य कारण इन पार्कों में विकास कार्यों का धीमी गति से होना था।

तथापि कम्पनी ने अधिक संख्या में आई.टी. इकाईयों को भूमि आवंटन न कर पाने हेतु जिम्मेदार कारणों का आई.टी. पार्क अनुसार मुल्यांकन नहीं किया तथा आवंटन में सुधार हेतु कदम भी नहीं उठाये गये।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि विकास कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण पार्कों में आवंटन की गति धीमी थी तथा इस संबंध में कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। आगे यह भी बताया गया कि विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात लंबित 26 भूमि आवंटन प्रकरणों में आवंटन किया जायेगा।

आधारभूत सुविधाएं देने कि कम्पनी की विफलता के कारण आवंटी अपनी इकाई की स्थापना नहीं कर पाए

- कम्पनी ने जनवरी 2014 से मार्च 2016 के दौरान (52 आवंटन में से) 46 आवंटियों को भूमि का अग्रिम अधिपत्य प्रदान किया। तथापि मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, नालियां तथा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आदि की कमी के कारण आवंटी अपनी आई.टी. इकाईयां स्थापित करने में असफल रहे। आगे यह भी देखा गया कि जून 2015 तक मात्र एक इकाई से लीज डीड का निष्पादन किया जा सका तथा शेष 45 आवंटियों द्वारा बिना लीज डीड निष्पादन किये भूमि का अधिपत्य मार्च 2016 तक जारी रखा गया।

- मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी (सितम्बर 2013) आदेश के अनुसार, आवंटियों द्वारा अग्रिम अधिपत्य लेने के एक वर्ष के अंदर विकास शुल्क जमा करना था। तथापि कम्पनी तीनों आई.टी. पार्क के विकास की धीमी गति के कारण 27 आवंटी इकाईयों से ₹ 18.44 करोड़ विकास शुल्क के रूप में वसूल नहीं कर सकी तथा इन इकाईयों ने 12 माह से अधिक समय तक अग्रिम अधिपत्य अपने पास रखा।

- कम्पनी ने 27 प्रकरणों में 57 एकड़ भूमि के आवंटन हेतु जुलाई 2013 से दिसम्बर 2015 के मध्य आशयपत्र जारी किये किन्तु आवंटन प्रकरणों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसका कारण भूमि पर अतिक्रमण, उपलब्ध कराये गये प्लाटों पर गहरे गड्ढे होना आदि था। इसलिये इकाईयों द्वारा ₹ 8.01 करोड़ भूमि प्रब्याज राशि का जुलाई 2016 तक भुगतान नहीं किया।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) कि विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण आवंटियों की इच्छा पर विकास शुल्क जमा करने की अवधि दिसम्बर 2016 तक बढ़ायी गयी थी।

उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि कम्पनी समय पर विकास कार्य पूर्ण नहीं कर सकी जिसके कारण विकास शुल्क की बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकी।

आई.टी. नीति के अंतर्गत स्किल गैप प्रशिक्षण लागत का अनियमित प्रतिपूर्ति

2.2.17 आई.टी. नीति 2012 के अनुसार आई.टी. इकाईयां जो इंजीनियर/आई.टी. व आई.टी. सेवाओं संबंधी पेशेवर व्यक्तियों के स्किल गैप प्रशिक्षण पर व्यय करती है उन्हें एक बार प्रशिक्षण लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निदिष्ट शर्तों के अनुसार, प्रशिक्षु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिये तथा यह प्रोत्साहन इकाई द्वारा परिचालन आरंभ करने के प्रथम दो वर्षों के दौरान अधिकतम ₹ 10,000 प्रति कर्मचारी के आधार पर आई.टी. इकाईयों को दिया जायेगा। प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिये, आई.टी. इकाई द्वारा स्किल गैप प्रशिक्षण पर प्रस्तावित व्यय की जानकारी आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। योजना के अंतर्गत, कम्पनी ने छ: आवेदन प्राप्त किये तथा चार प्रकरणों में ₹ 44.60 लाख का अनुमोदन किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) कम्पनी ने प्रशिक्षुओं से मूलनिवासी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थी

कम्पनी ने स्किल गैप प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति करने में अनियमितता बरती

मध्य प्रदेश के ही निवासी थे (ii) एक आई.टी. इकाई² द्वारा दो बार दावा प्रस्तुत किया गया (13 मार्च 2015 तथा 17 मार्च 2015 को) जिसका कम्पनी ने नीति के प्रावधानों के विरुद्ध अनुमोदन किया तथा ₹ 28.63 लाख (जून 2015) व ₹ तीन लाख (सितम्बर 2015) की प्रतिपूर्ति भी की (iii) एक आई.टी. इकाई³ द्वारा स्किल गैप प्रशिक्षण पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु दावा प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति मांगी गयी तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपूर्ति भी की गयी।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) कि प्रतिपूर्ति एक कम्पनी की दो विभिन्न इकाईयों को की गयी थी अतः कौशल विकास प्रोत्साहन देने में नीति के दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, योजना के दिशानिर्देश यह व्यक्त करते हैं कि आई.टी. नीति के अंतर्गत एक आई.टी. कम्पनी को एक ही बार स्किल गैप प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है चाहे उसकी कितनी भी इकाईयाँ कार्यरत हों। साथ ही, उत्तर मूलनिवासी प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति तथा प्रस्तावित व्यय के विवरण के संबंध में मौन था।

योजनाओं एवं परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.18 कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन की नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य में सूचना प्रौद्यागिकी, व इससे संबंधित सेवाओं के प्रोत्साहन व विकास हेतु भारत सरकार व मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित विभिन्न आई.टी. परियोजनाओं के कार्य किए। विभिन्न परियोजनाओं के मद में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान प्राप्त निधि, अर्जित ब्याज, वहन किए गए खर्च व अंतिम शेष का ब्यौरा तालिका 2.2.3 में वर्णित है।

तालिका 2.2.3 अवधि 2011–12 से 2015–16 तक निधियों की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		कुल प्राप्त निधि	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध निधि	वर्ष के दौरान खर्च	उपयोगिता प्रतिशत	अंतिम शेष	(₹ करोड़ में)
		मध्य प्रदेश शासन	भारत सरकार							
2011–12	120.39	27.08	1.00	28.08	9.81	158.2	42.15	26.63	116.13	
2012–13	116.13	50.35	0.00	50.35	7.47	173.95	62.15	35.72	111.80	
2013–14	111.80	74.71	5.00	79.71	12.94	204.45	74.36	36.37	130.09	
2014–15	130.09	143.50	19.30	162.80	13.83	306.72	83.62	27.26	223.10	
2015–16*	223.10	108.41	25.30	133.71	14.88	371.69	119.41	32.13	252.28	
योग		404.05	50.60	454.65	58.93		381.69			

(स्रोतः—कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

* प्रारंभिक आकड़े

2011–12 से 2015–16 के दौरान निधि की उपयोगिता 26.63 प्रतिशत से 36.37 प्रतिशत के मध्य रही। निधि की अल्प उपयोगिता की वजह स्वान व एस.डी.सी. परियोजनाओं में सेवा प्रदाता/सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा धीमी प्रगति से कार्य निष्पादन, कम्पनी द्वारा अनुपयोगित निधि का संचय तथा भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त अनुपयोगित निधियों पर अर्जित ब्याज का संचय थी।

² मेसर्स रुरल शोर्स बिजनेस सर्विस प्रा.लि. चांद और सौसर इकाई छिन्दवाडा (म.प्र.)

³ मेसर्स रुरल शोर्स बिजनेस सर्विस प्रा.लि.

भारत सरकार प्रायोजित परियोजनाएँ एवं योजनाएँ

2.2.19 आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को उन्हीं के क्षेत्र में आम सेवा प्रदायकर्ता केन्द्रों के माध्यम से दक्षता, पारदर्शिता व विश्वसनीयता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार के केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने ई-गवर्नर्स कार्यक्रम को मंजूरी दी (मई 2006)। इसके अलावा, कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी) व स्टेट रेसिडेन्ट डेटा हब (एस.आर.डी.एच.) परियोजनाएँ भी आरम्भ कीं।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (स्वान)

2.2.20 भारत शासन ने स्वान परियोजना मार्च 2005 में स्वीकृत की तथा राज्य में यह परियोजना लागू करने हेतु कम्पनी को निष्पादन एजेन्सी नियुक्त किया गया। परियोजना का उद्देश्य राज्य में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कनेक्टिविटी प्रदाय करना था। परियोजना के अंतर्गत, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय व ब्लॉक स्तर पर वर्टीकल कनेक्टिविटी के मध्य न्यूनतम 2 एमबीपीएस की बैंडविथ का डेटा, वॉइस, वीडियो संप्रेषण सहित नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा प्रत्येक राज्य, संभाग, जिला व ब्लॉक मुख्यालय पर एक पॉइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी)⁴ के निर्माण की योजना थी।

कम्पनी ने ₹ 99.88 करोड़ में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स ट्यूलिप टेलीकॉम लिमिटेड (टी.टी.एल.) को सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) नियुक्त किया (अगस्त 2008)। इसके अलावा, मार्च 2016 तक, कम्पनी ने परियोजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 214.37⁵ करोड़ में से ₹ 153.04 करोड़ खर्च किया।

स्वान परियोजना की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया:

स्वान परियोजना के निष्पादन में देरी

2.2.21 परियोजना के अंतर्गत कुल 360 पीओपी का निर्माण किया जाना था एवं परियोजना पाँच वर्ष की अवधि में मार्च 2010 तक पूर्ण होनी थी। यद्यपि, निम्नांकित कारणों से 360 पी.ओ.पी. 6 वर्षों की देरी के पश्चात फरवरी 2016 में चालू हो सके।

- भारत सरकार ने, सूचना एवं तकनीकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रस्ताव के आधार पर पहले ₹ 58.50 करोड़ स्वीकृत किए (मार्च 2005)। यह प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें परिचालन व्यय, हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी एवं पीओपी के स्थल निर्माण आदि का प्रावधान सम्मिलित नहीं था। अतः कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ₹ 271 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया (जुलाई 2006)। इस पर विचार करते हुए भारत सरकार ने ₹ 174.21 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2006)। अतः भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात परियोजना के दायरे में बदलाव के कारण परियोजना शुरू करने में देरी हुई।

- निविदा दस्तावेज में यह निर्दिष्ट किया गया था कि ठेका दिए जाने के समय (अगस्त 2008) तक 90 प्रतिशत पीओपी साइट तैयार करवाकर एस.आई. को सौप दी जाएगी। यद्यपि, कम्पनी, वर्ष 2008, 2009 व 2010 में मात्र 153, 168 व 19 साइट क्रमशः उपलब्ध करवा सकी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। साइट सौपने में देरी, कुछ स्थानों पर पीओपी कक्ष का निर्माण पूर्ण करने में

⁴ एक इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रजेंस, इंटरनेट तक पहुँचने का माध्यम होता है। यह एक भौतिक स्थान होता है जहाँ सर्वर, राउटर, ए.टी.एम स्विच व डिजिटल/एनालॉग कॉल एंगिगेटर लगे होते हैं।

⁵ इसमें 2005-06 से 2015-16 तक भारत सरकार से प्राप्त निधि ₹ 165.70 करोड़ एवं मार्च 2016 तक इस निधि पर अर्जित ब्याज ₹ 48.67 करोड़ सम्मिलित है।

विफलता व अन्य स्थानों पर पीओपी हेतु पृथक जगह उपलब्ध कराने में कम्पनी की विफलता के कारण हुई ।

- एस.आई को 340 पीओपी वर्ष 2010 में ही हस्तांतरित किए जाने के उपरान्त भी वह हार्डवेयर स्थापना में समस्या के कारण मई 2013 तक परियोजना पूर्ण नहीं कर पाया । आगे, निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि (मई 2009) से चार वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी एक पीओपी तक स्थापित नहीं किया जा सका । ठेका प्रबंधन से संबंधित विषयों जैसे, अग्रिम की वसूली न होना, जोखिम एवं लागत अनुच्छेद शामिल कर पाने में विफलता पर इस प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.44 में चर्चा की गई है ।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि, देरी मुख्यतः एस.आई. के खराब प्रदर्शन, पीओपी पर वांछित बुनियादी ढाँचा स्थापित करने में विफलता के कारण हुई । तथ्य यह है कि कम्पनी, परियोजना की सामयिक पूर्णता हेतु वांछित सुविधाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने में विफल रही ।

स्वान परियोजना के तहत होरिजोंटल कनैकिटिविटी के बारे में योजना की कमी

2.2.22 स्वान परियोजना में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय व ब्लाक स्तर पर स्थित सभी शासकीय विभागों को निकटतम पीओपी से निःशुल्क होरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी । इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं तकनीकि विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी को, राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों को होरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया (अप्रैल 2014) ।

लेखापरीक्षा में यह पाया की मार्च 2016 की स्थिति में स्वान परियोजना के अंतर्गत, 58 विभागों के कुल 33,000 स्थानों के विरुद्ध कम्पनी मात्र 27 विभागों के 5,159 स्थानों पर ही हॉरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान कर पाई (परिशिष्ट 2.2.2 में वर्णित) । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने शेष विभागों को समयबद्ध व चरणबद्ध रूप से होरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान करने हेतु कोई भी नियत रणनीति तैयार नहीं की थी । अतः स्वान परियोजना स्वीकृत होनें के 10 वर्ष उपरान्त भी सभी विभागों को कनैकिटिविटी प्रदान करने का परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

आगे, होरिजोंटल कनैकिटिविटी हेतु मध्य प्रदेश एक्साइज विभाग द्वारा चयनित 31 स्थानों में से 11 स्थान निजी डिस्ट्रिलरीज में स्थित थे जिन पर कम्पनी ने कम्प्यूटराइजेशन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु ₹ 1.62 करोड़ खर्च किए (मार्च 2012) । यद्यपि, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिलरी नियम, 1995 के नियम 4 (42) के अनुसार लाइसेंस धारक द्वारा एक्साइज विभाग कार्यालयों में लीजड लाइन अथवा वायरलेस कनैकिटिविटी के माध्यम से कम्प्यूटराइजेशन सुविधा मुहैया कराई जानी थी । लेकिन कम्पनी ने जून 2016 तक भी यह राशि निजी डिस्ट्रिलरीयों से वसूल नहीं की ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) की राज्य के 45 जिलों (5,159 स्थान) में अधिकांश विभाग पीओपी परिसर के माध्यम से होरिजोंटल कनैकिटिविटी से जुड़े हैं । आगे बताया की कुछ विभागों ने कम्प्यूटर सुविधाओं के अभाव के चलते उक्त सेवा का लाभ नहीं लिया । यह भी बताया गया कि, कम्पनी एक्साइज विभाग के साथ बकाया राशि की वसूली हेतु प्रयासरत है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी राज्य में चिन्हित 33,000 स्थानों को होरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान करने में असफल रही जैसा कि पहले योजना में चाहा गया था । आगे, तथ्य रह जाता है कि निजी डिस्ट्रिलरीयों से बकाया राशि की वसूली अभी तक (नवम्बर 2016) नहीं हो सकी है ।

कंपनी स्वान परियोजना की स्वीकृति के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य में सभी विभागों को होरिजोंटल कनैकिटिविटी प्रदान करने में विफल रही

पीओपी पर खराब बुनियादी ढाँचा व अकार्यशील उपकरण

2.2.23 स्वान परियोजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा राज्य/जिला/ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित पीओपी में राउटर, स्विच, मॉडेम, यू.पी.एस., डी.जी.सेट, ए.सी. आदि प्रदान किए जाने थे। समीक्षा लेखापरीक्षा के तहत 180 पीओपी (उपयोगकर्ता विभाग) पर प्रश्नावली जारी कर वास्तविक क्रियाशीलता की जानकारी मंगवाई गई।

प्राप्त उत्तरों से लेखापरीक्षा ने पाया कि 153 स्थानों पर ₹ 4.20 करोड़ मूल्य के डी.जी. सेट क्रियाशील नहीं थे जिसके परिणाम स्वरूप विगत दो-तीन वर्षों से विद्युत बैंकअप उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा 80 पीओपी ने बताया कि निम्न बैंडविथ के चलते विडिओ कॉन्फ़ैसिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने 18 पीओपी के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि सभी 18 पीओपी में ₹ 49.32 लाख मूल्य के डी.जी. सेट अकार्यशील थे, जैसा की **परिशिष्ट 2.2.1** में वर्णित है। दो स्थानों⁶ पर पीओपी कक्ष अत्यंत खराब स्थिति में पाये गए जहाँ दीवारों/छत से सीलन के चलते विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा था। आगे, सात स्थानों⁷ पर ₹ 15.57 लाख मूल्य के यू.पी.एस. अकार्यशील थे। निम्न दो छायाचित्रों में दो भौतिक सत्यापित पीओपी में खराब डी.जी. सेट व पीओपी कक्ष की खराब स्थिति दिखाई दे रही है।

खराब डी.जी. सेट व पीओपी रूप की दुर्दशा दर्शाते छायाचित्र



पीओपी सांचे में
अकार्यशील डी.जी. सेट

उदयपुरा
जिला रायसेन में पीओपी कक्ष

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि सुधारात्मक उपाय, जैसे डी.जी. सेट की मरम्मत, नई बैटरी क्रय करना व पीओपी रूप का संधारण किया जाएगा।

कामॅन सर्विस सेन्टर योजना (सीएससी) का कार्यान्वयन

2.2.24 कामॅन सर्विस सेन्टर (सीएससी) योजना की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एन.ई.जी.पी.) के तहत दी थी। सीएससी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान का नागरिक सम्मुख छोर है जो नागरिकों को शासकीय सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्राथमिक मार्ग के रूप में विकसित किए गए थे (जी2सी)⁸। उनके द्वारा नागरिकों को आम सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले वितरण केन्द्र के अतिरिक्त, शासन ने

⁶ जिला रायसेन ब्लॉक मुख्यालय, बाड़ी व बरेली स्थित पीओपी

⁷ ब्लॉक मुख्यालय, बाड़ी, सोहागपुर, गौहरगंज, आष्टा व महू तथा जिला मुख्यालय होशगाबाद व सीहोर स्थित पीओपी


⁸ आशय, सरकार द्वारा सीधे नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएँ जैसे, मूल निवासी/जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

सीएससी को समग्र सामाजिक/सामुदायिक विकास हेतु बुनियादी ढाँचे के रूप में परिकल्पित किया था।

वर्ष 2003–04 के बजट भाषण में मध्य प्रदेश शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जी2सी सेवाएँ नागरिकों को प्रभावी, कुशल व सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु ई—गवर्नेस योजना लागू करने की घोषणा की। वृहद पैमाने पर स्व—रोजगार अवसर पैदा करने की भी परिकल्पना थी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकारी सेवाएँ प्रदान करने हेतु, सीएससी एक महत्वपूर्ण ई—गवर्नेस योजना बन गई थी। इस योजना के निष्पादन हेतु भारत सरकार ने नवम्बर 2006 में ₹ 18.30 करोड़ जारी किए।

मार्च 2016 की स्थिति में प्रत्येक जिले में नियोजित व कार्यशील सीएससीकी संख्या निम्नांकित मध्य प्रदेश के मानचित्र में दी गई है।

जिले—वार नियोजित एवं कार्यरत सीएससी को दर्शाता मध्य प्रदेश का मानचित्र



तालिका क्र. 2.2.4

नियोजित, स्थापित सीएससी एवं कनैक्टिविटी स्तर का दर्शाती तालिका

एससीए का नाम ⁹	मास्टर सेवा अनुबंध के अनुसार लक्ष्य	इंटरनेट कनैक्टिविटी की स्थिति					कनैक्टिविटी रहित सीएससी
		बी.एस.एन.एल. द्वारा कनैक्टिविटी	डेटा कार्ड	अन्य कनैक्टिविटी से	कुल कनैक्टेड		
ए.आई.एस.ई.सी.टी	3,173	436	388	2,349	3,173	—	
सी.एम.एस.	2,136	332	606	921	1,859	277	
रिलायंस	1,765	416	348	937	1,701	64	
एम.आई.सी.टी	2,158	245	216	557	1,018	1,140	
कुल	9,232	1,429	1,558	4,764	7,751	1,481	

सीएससी योजना से संबंधित दस्तावेजों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया:

- मध्य प्रदेश शासन को योजना चार वर्ष की अवधि (नवम्बर 2010) में पूर्ण करनी थी यद्यपि, यह 16 माह की देरी के साथ अप्रैल 2012 में पूर्ण हो सकी क्योंकि एस.सी.ए. इंटरनेट कनैक्टिविटी व वी.एल.ई. के व्यय में परेशानी के चलते समय पर सीएससी का निर्माण पूर्ण नहीं कर सका।
- सीएससी का साख एवं स्थिरता बनाए रखने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने सीएससी को पंचायत कार्यालय परिसर में खोले जाने के निर्देश दिए (जनवरी 2008)। भारत सरकार ने जुलाई व अगस्त 2009 में पुनः दोहराया कि ग्राम पंचायत में सीएससी स्थापित करने से उसकी विभिन्न योजनाओं¹⁰ के तहत दी जाने वाली सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलेगी एवं वह वी.एल.ई को आय के अवसर सुनिश्चित कर, सीएससी का स्थायित्व सुनिश्चित करेगी। यद्यपि, अक्टूबर 2016 तक कम्पनी ने ग्राम पंचायत कार्यालय में एक भी सीएससी स्थापित नहीं किया था। अतः सीएससी के माध्यम से भारत सरकार की स्थापित योजनाओं की सेवा प्रदान करने का परिकल्पित ढाँचा कम्पनी द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका।
- 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल 9,232 स्थापित सीएससी में से मात्र 3,499 सीएससी कार्यरत थे। इसका मुख्य कारण भारत सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रविष्ट करने में वी.एल.ई. की वचनबद्धता का अभाव था।
- ज्यादातर सीएससी के अक्रियाशील रहने के तथ्य की पुष्टि थर्ड पार्टी ऑडिटर (टी.पी.ए.) द्वारा भी की गई। टी.पी.ए. को प्रतिवेदन के अनुसार (दिसम्बर 2012 से अप्रैल 2015) 33 जिलों में (जहाँ 5,331 सीएससी थे) 3,571 सीएससी (67 प्रतिशत) अक्रियाशील थे। इसका मुख्य कारण, जी2सी सेवाओं, बी2सी सेवाओं, बी2बी सेवाओं व निर्बल सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा व इंटरनेट कनैक्टिविटी की अनुपलब्धता था। अतः योजनातंगत स्थापित अधिकतम सीएससी के अक्रियाशील रहने से यह प्रमाणित होता है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में जी2सी सेवाएँ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका जैसा कि 2003–04 के बजट भाषण में परिकल्पित किया गया था।

31 मार्च 2016 की स्थिति में, कुल 9,232 स्थापित सीएससी में से मात्र 3,499 सीएससी कार्यरत थे

⁹ एक एस.सी.ए. थर्ड–आई का अनुबंध निरस्त कर (नवम्बर 2010) कार्य ए.आई.एस.ई.सी.टी. को आवंटित किया गया।

¹⁰ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समग्र बाल कल्याण योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना

बी.एस.एन.एल. ने
कुल नियोजित
9,232
सी.एस.सी. में से
मात्र 1,429
सी.एस.सी. को
कनैकिटविटी
प्रदान की

- भारत सरकार ने बी.एस.एन.एल. के द्वारा 9,232 सीएससी में कनैकिटविटी प्रदान करने हेतु ₹ 12.20 करोड़ जारी किए (मार्च 2009)। यह राशि कम्पनी के प्रबंध संचालक ने बी.एस.एन.एल. को किसी औपचारिक अनुबंध व निदेशक मंडल की अनुमति के बिना ही दे दी (फरवरी 2010)। मार्च 2016 तक बी.एस.एन.एल. ने मात्र 1,429 सीएससी को कनैकिटविटी प्रदान की, 6,322 सीएससी को अन्य ऑपरेटरों के माध्यम से कनैकिटविटी प्रदान की व शेष 1,481 सीएससी को कनैकिटविटी प्रदान ही नहीं की जा सकी। चूंकि बी.एस.एन.एल. ने मात्र 1,429 सीएससी को ही कनैकिटविटी प्रदान की थी, शेष राशि ₹ 10.30 करोड़¹¹ की वसूली कम्पनी को करनी चाहिए थी। लेकिन अक्टूबर 2016 तक यह राशि वसूल नहीं की जा सकी।

- कम्पनी ने योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि ₹ 29.27 करोड़ (मार्च 2016) में से मात्र ₹ 15.11 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹ 8.78 करोड़ भारत सरकार को लौटा दिए व ₹ 5.38 करोड़ अभी भी कम्पनी के पास अनुपयोगित थे (मार्च 2016)। निधि के कम उपयोग का मुख्य कारण कम संख्या में सीएससी का कार्यरत होना था क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व समर्थन उन्हीं सीएससी को दिया जाना था, जो कार्यरत थे। अनुपयोगित निधि कम्पनी द्वारा भविष्य में एस.सी.ए. को भुगतान करने व प्रशासनिक व्यय में उपयोग करने हेतु रखी गई थी। यद्यपि, तथ्य यह है कि, एस.सी.ए. अनुबंध की अवधि पूर्ण होने पर भी कम्पनी ने अनुपयोगित निधि वापिस नहीं की।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा जारी पुनरीक्षित सीएससी 2.0 राज्य में लागू की जानी है। यद्यपि, उत्तर सीएससी योजना के असफल निष्पादन के तथ्य पर मौन था क्योंकि मात्र 38 प्रतिशत सीएससी ही क्रियाशील थे।

सीएससी योजनान्तर्गत सर्विस सेन्टर एजेन्सियों को अनियमित राजस्व समर्थन

2.2.25 कम्पनी ने तीन सम्भागों¹² में 2,916 सीएससी स्थापित करने हेतु मेसर्स ए.आई.एस.ई.सी.टी. को एस.सी.ए. नियुक्त किया एवं ₹ 12.34 करोड़ के राजस्व समर्थन के प्रावधान के साथ मास्टर सेवा अनुबंध (एम.एस.ए.) फरवरी 2008 में हुआ।

मास्टर सेवा अनुबंध के अनुच्छेद 3.1(एफ) के अनुसार एस.सी.ए. को राजस्व समर्थन की पात्रता तब तक नहीं होगी, जब तक निर्धारित समयावधि में सभी सीएससी माइलस्टोन के अनुसार स्थापित किए जाकर कम्पनी द्वारा क्रियाशील सत्यापित न कर दिए जाएँ। माइलस्टोन के अनुसार, एस.सी.ए. 50 प्रतिशत सीएससी स्थापित करने पर 50 प्रतिशत राजस्व समर्थन के लिए पात्र होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीएससी स्थापित करने पर 100 प्रतिशत राजस्व समर्थन का पात्र होगा।

तत्पश्चात, भारत सरकार ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2009) कि एस.सी.ए. को राजस्व समर्थन एस.सी.ए. द्वारा सीएससी की स्वप्रमाणित जानकारी, कनैकिटविटी स्थिति व मूलभूत ढाँचे की उपलब्धता तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल की नियुक्ति के आधार पर कर दी जाये। आगे जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, स्वप्रमाण प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर एस.डी.ए. द्वारा सीएससी के भौतिक सत्यापन का प्रावधान था जिसे भारत सरकार द्वारा अगस्त 2012 में दोहराया गया।

लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी ने अक्टूबर 2008 से जुलाई 2012 की अवधि में ₹ 8.08 करोड़ के राजस्व समर्थन जारी किया। इसमें से अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2010 की अवधि से संबंधित ₹ 2.82 करोड़ की राशि का भुगतान एस.सी.ए. के स्वप्रमाण

¹¹ ₹ 12.20 करोड़ X {9,232-1,439/9,232} = ₹ 10.30 करोड़

¹² चंबल, रीवा व सागर संभाग

के आधार पर प्रावधिक रूप से किया गया था। इसके बाद कम्पनी ने टीपीए नियुक्त कर दिया एवं स्वप्रमाण व सीएससी के नमूना सत्यापन के आधार पर ₹ 5.26 करोड़ राजस्व समर्थन और जारी किया (अक्टूबर 2010 से जुलाई 2012)। यद्यपि कम्पनी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या सीएससी की क्रियाशीलता जानने के लिए एस.सी.ए. ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल स्थापित किए जैसा कि सितम्बर 2009 में भारत सरकार ने निर्देश दिए थे।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि, टी.पी.ए. के प्रतिवेदन के अनुसार चंबल संभाग में 74 प्रतिशत (जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 के मध्य लेखापरीक्षित) तथा रीवा व सागर संभागों में 58 प्रतिशत (दिसम्बर 2012 व अगस्त 2014 के मध्य लेखापरीक्षित) सीएससी क्रियाशील नहीं थे। यद्यपि ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल की स्थापना सुनिश्चित किए बिना, एस.सी.ए. के स्वप्रमाण के आधार पर सभी सीएससी को कार्यरत मानकर राजस्व समर्थन जारी कर दिया गया।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि टी.पी.ए. अगस्त 2011 में नियुक्त किया गया था तथा कम्पनी ने स्वयं के कर्मचारियों से ही सीएससी का नमूना सत्यापन करवाया था। आगे, दिशानिर्देश बदलने के बाद से राजस्व समर्थन जारी नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी द्वारा राजस्व समर्थन भुगतान हेतु अपनाई गई प्रणाली, सितम्बर 2009 व अगस्त 2012 में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नहीं थी। आगे, कम्पनी ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल की स्थापना सुनिश्चित न करते हुए पूर्ण रूप से एस.सी.ए. द्वारा दिए स्वप्रमाण पर विश्वास करते हुए उसे राजस्व समर्थन का भुगतान किया।

सीएससी का संयुक्त भौतिक सत्यापन व हितग्राही सर्वेक्षण

2.2.26 लेखापरीक्षा ने 36 सीएससी का कम्पनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जिसका वर्णन **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है और पाया की (i) 11 स्थानों पर सीएससी अस्तित्व में ही नहीं थे (ii) चार सीएससी संचालकों ने पर्याप्त व्यवसाय न होने के कारण सीएससी बंद कर दूसरे व्यवसाय शुरू कर दिए (iii) छ: स्थानों पर सीएससी ग्रामीण क्षेत्र के स्थान शहरी क्षेत्र में कार्यरत पाए गए तथा (iv) 15 स्थानों पर सीएससी एम.पी. ऑनलाइन, पैन कार्ड, बिजली बिल भुगतान, आधार कार्ड व भारतीय स्टेट बैंक¹³ से संबंधित सेवा आदि सेवाएँ प्रदान कर रही थी; इससे यह सिद्ध होता है कि, कम्पनी ने आरम्भ से ही उचित प्रकार से योजना की निगरानी नहीं की जिसके कारण योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने 10 सीएससी पर 24 हितग्राहियों का सर्वेक्षण भी किया। यह पाया कि 24 हितग्राहियों ने बताया कि उन्हे सीएससी पर सरकारी सेवाएँ जैसे जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रही थी। आगे, 24 में से 14 हितग्राहियों ने बताया की सीएससी में इंटरनेट कनैक्टिविटी की समस्या है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में 27 सीएससी संचालकों को प्रश्नावली जारी कर उनकी प्रतिक्रिया मंगवाई। यह पाया गया कि (i) 23 सीएससी संचालक बी.एस.एन.एल. से न जुड़कर, निजी लागत से अन्य नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की सेवा ले रहे थे तथा (ii) 27 सीएससी संचालकों ने बताया की सरकारी सेवाओं के भुगतान के लिए पोर्टल लिंक तक उनकी पहुँच नहीं थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि सरकार से नागरिक जी2सी सेवाएँ एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। तथ्य यह है कि, सीएससी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जी2सी सेवाएँ को प्रदान करने का

¹³ भारतीय स्टेट बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएँ

परिकलिपत उद्देश्य, कम्पनी सीएससी के सतत संचालन मे असफल रहने के कारण प्राप्त नही हो सका।

भोपाल मे स्टेट डेटा सेन्टर का निर्माण

2.2.27 सरकारी विभागों की राज्य स्तरीय डेटा / एप्लिकेशंस को संचालित करने लिए, भारत सरकार ने मार्च 2008 मे स्टेट डेटा सेन्टर (एस.डी.सी.) परियोजना स्वीकृत की। कम्पनी को इस परियोजना हेतु निष्पादन एजेन्सी नामित किया गया। परियोजना की लागत ₹ 55.75 करोड़ थी व इसे पाँच वर्ष के भीतर चालू किया जाना था। कम्पनी को परियोजनांतर्गत ₹ 56.20 करोड़ प्राप्त हुए व मार्च 2016 तक ₹ 45.48 करोड़ खर्च किए गए।

भवन का निर्माण व एस.डी.सी. की स्थापना यह परियोजनाओं के दो घटक थे। बतौर, निष्पादन एजेन्सी, कम्पनी ने भवन निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.आर.डी.सी.) को सौंपा। ₹ 16.80 करोड़ की लागत के साथ भवन निर्माण का कार्य दिसम्बर 2012 मे पूर्ण हुआ। ₹ 17.71 करोड़ की लागत से मेसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड को डेटा सेन्टर ऑपरेटर (डी.सी.ओ) नियुक्त किया गया (नवम्बर 2011)। यद्यपि, कम्पनी भवन निर्माण और एस.डी.सी. की स्थापना के चरणों मे सामंजस्य नहीं बिठा सकी।

लेखापरीक्षा ने इस परियोजना की समीक्षा उपरान्त निम्न बातें पाईः—

- कम्पनी ने निविदा प्रस्ताव अनुरोध बनाने मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत छ: सप्ताह के समय के विरुद्ध दो वर्ष का समय लिया। भारत सरकार द्वारा टेन्डर प्रक्रिया व डी.सी.ओ के साथ अनुबंध निष्पादन हेतु स्पष्ट समयावधि निर्धारित किये जाने के उपरान्त भी टेन्डर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों मे देरी के कारण डी.सी.ओ की नियुक्ति छ: माह की देरी के साथ नवम्बर 2011 मे की जा सकी। इसके कारण एस.डी.सी. की स्थापना व कार्य प्रारम्भ करने मे देरी हुई।
- डी.सी.ओ. के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित होने के 24 सप्ताह के भीतर (मई 2012) एस.डी.सी. को सभी उपयोगकर्ता विभागों के साथ डेटा होस्ट करने हेतु एकीकृत किया जाना था। अतः एस.डी.सी. का फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट (एफ.ए.टी) मई 2012 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, एस.ए.टी., प्रमाण पत्र नौ माह की देरी से मार्च 2013 मे जारी हुआ। एस.ए.टी. पूर्ण हाने मे देरी का मुख्य कारण एस.डी.सी. भवन के निर्माण मे देरी था।
- राज्य की ई-गवर्नेंस इंफास्ट्रक्चर प्रबंध कमेटी (कमेटी) ने मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों के एप्लीकेशन व डेटा को एस.डी.सी. के अंतर्गत लाने हेतु कम्पनी को निर्देशित किया, (जून 2011) जिससे हर विभाग को पृथक डेटा सेन्टर स्थापित न करना पड़े। यद्यपि, कम्पनी ने अधिकाधिक विभागों को होस्ट करने, एस.डी.सी. के अंतर्गत करने हेतु रचनात्मक कदम नही उठाए। परिणामस्वरूप, मार्च 2016 की स्थिति मे, कुल 58 विभागों मे से मात्र 24 विभाग ही एस.डी.सी. की सेवाओं का लाभ ले रहे थे, जैसा परिशिष्ट 2.2.2 मे वर्णित है इससे परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नही हो सके।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि, कम्पनी ने आर.एफ.पी. मे जानबूझ कर देरी की क्योंकि एस.डी.सी. भवन का निर्माण पूर्ण नही हुआ था एवं एस.डी.सी. के अंतर्गत आधिकारिक विभागों को होस्ट करने के प्रयास किए जा रहे थे।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि निष्पादन एजेन्सी के नाते, कम्पनी को परियोजना के कार्यों मे सामंजस्य बैठाते हुए व निगरानी करते हुए समय पर कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित

कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों को होस्ट करने हेतु ठोस कदम नही उठाए, जैसा कि सरकार ने निर्देशित किया था

करना था। यद्यपि, कम्पनी एस.डी.सी. की स्थापना व भवन निर्माण में सामंजस्य बैठाने में असफल रही जिससे, परिकालिप्त उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके।

- एस.डी.सी. में कुल निर्मित 5,213.4 वर्ग.मी. जगह में से 1,412.65 वर्ग.मी. (27 प्रतिशत) का उपयोग स्वान व एस.डी.सी. परियोजना हेतु, 2,622.95 वर्ग.मी. (50 प्रतिशत) का उपयोग कम्पनी मुख्यालय व मैप-आई.टी.¹⁴ हेतु तथा शेष 1,177.8 वर्ग.मी. (22.60 प्रतिशत) दिसम्बर 2012 से रिक्त पड़ा था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) की, भूतल पर स्थित रिक्त स्थान का उपयोग एस.डी.सी. के विस्तार हेतु किया जायेगा। यद्यपि, उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता की सरकार ने भारत सरकार द्वारा डेटा सेन्टर हेतु प्रथम तल की उपयुक्तता के निर्देशों से विपरीत जाने का निर्णय क्यों लिया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि विस्तार कब किया जायेगा।

एस.डी.सी. में डेटा होस्ट करने पर देय सेवा शुल्क की वसूली न करना

2.2.28 एस.डी.सी. के संचालन व संधारण व्यय की पूर्ति हेतु उपक्रमों, मंडलों, समितियों व स्वशासी संस्थाओं (ए.बी.) से सेवा शुल्क वसूला जाना था। मध्य प्रदेश शासन की इनफास्ट्रक्चर प्रबन्ध कमेटी ने एस.डी.सी. के उपयोगकर्ताओं से सेवा प्रदान करने के एवज में शुल्क वसूलने हेतु निर्देशित किया था (जून 2011)। तदनुसार, कम्पनी ने एस.डी.सी. चालू होने की तिथि मार्च 2013 से आठ माह विलम्ब के पश्चात नवम्बर 2013 से सेवा प्रदान करने के एवज में देय शुल्क निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, सात उपक्रम व चार मंडल एस.डी.सी. की सेवाओं का लाभ ले रहे थे व उनसे अप्राप्त सेवा शुल्क ₹ 1.23 करोड़ हो गया था (नवम्बर 2013 से मार्च 2016)। यद्यपि, सेवा शुल्क निर्धारित करने के उपरान्त भी कम्पनी उपरोक्त संस्थाओं से यह शुल्क आज तक (नवम्बर 2016) वसूल नहीं सकी।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में प्रबंध निदेशक ने कहा कि सरकार के अनुमोदनोपरांत शुल्क वसूला जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, सरकार ने पहले ही सरकारी विभागों को अतिरिक्त संस्थाओं से सेवा शुल्क लेने के निर्देश दिये थे (जून 2011) तथा कम्पनी द्वारा नवम्बर 2013 में ही सेवा शुल्क निर्धारित भी कर दिए गए थे।

इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.)

2.2.29 भारत सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2012 के तहत भोपाल व जबलपुर में एक एक इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) खोलने हेतु ई.एम.सी. योजना स्वीकृत की (अगस्त 2014)। कम्पनी को इसके लिए निष्पादन एजेन्सी नियुक्त किया गया एवं कार्य पूर्णता दिनांक दिसम्बर 2016 थी। योजना की परिकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग उद्योग को मूलभूत विकास, टेस्टिंग व कैलिब्रेशन सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा व सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को विकासात्मक सुविधाएं प्रदान करना था। योजना के वित्तीय पोषण की व्यवस्था तालिका 2.2.5 में दिए वर्णन के अनुसार थी।

¹⁴ मध्य प्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमाशन ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत संस्था है।

तालिका क्रमांक 2.2.5 योजना का वित्तपोषण दर्शाता पत्रक

(₹ करोड़ में)

स्रोत	केन्द्रीय सहायता	मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	समूह इकाईयों का सहयोग ¹⁵	एमपीएसईडीसी का सहयोग	योग
ई. एम. सी.					
ई. एम. सी. जबलपुर	17.76	6.45	10.08	3.72	38.01
ई. एम. सी. भोपाल	20.86	8.11	12.10	5.09	46.16

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

ईएमसी भोपाल (₹ 30.92 करोड़) व जबलपुर (₹ 28.51 करोड़) मे आधारित संरचना के विकास हेतु प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2014 मे दिया गया था। कम्पनी ने 2014–15 व 2015–16 मे ₹ 30.50 करोड़ प्राप्त किए एवं मार्च 2016 की स्थिति मे ₹ 12.36 करोड़ (भोपाल) व ₹ 9.18 करोड़ (जबलपुर) का खर्च किया। लेखापरीक्षा ने दस्तावेजों की समीक्षा मे पाया :

ईएमसी की स्थापना हेतु एस.पी.वी. का गठन 11 माह की देरी से हुआ

- योजना अनुमोदन के अनुसार, विशेष उद्देश्य वाहन (एस.पी.वी.) का गठन योजना स्वीकृति के छः माह के भीतर फरवरी 2015 मे किया जाना था। हालाकि एस.पी.वी. का गठन 11 माह के विलंब से जनवरी 2016 मे हुआ। परिणामस्वरूप अनुदान की द्वितीय किश्त ₹ 6.26 करोड़ (भोपाल) व ₹ 5.33 करोड़ (जबलपुर) (अगस्त 2015) को भारत सरकार द्वारा अनादरित कर दिया गया (नवम्बर 2015)।

- एस.पी.वी. दिशानिर्देशों के तहत न्यूनतम सात इकाईयों के प्रतिनिधि एस.पी.वी. के निदेशक मण्डल का हिस्सा होगे एवं अंश पूँजी मे प्रस्तावित ई.एम.सी. इकाईयों की हिस्सेदारी न्यूनतम 51 प्रतिशत होगी। यद्यपि, राज्य के एस.पी.वी. मे इन नियमों का पालन नहीं किया गया। एस.पी.वी. के गठन मे सभी सदस्य कम्पनी के ही अधिकारी थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (अगस्त 2016) कि एस.पी.वी. के गठन मे जानबूझकर देरी की गई क्योंकि कोई भी निजी सहभागी (ई.एम.सी. इकाई) उपलब्ध नहीं था एवं कम्पनी ई.एम.सी. को निजी तौर पर ही इस प्रत्याशा से विकसित कर रहा थी, कि ई.एम.सी. इकाईयाँ स्थापित होगी और उनके प्रतिनिधियों को बाद मे एस.पी.वी. के निदेशक मण्डल मे सम्मिलित कर लिया जाएगा। तथ्य शेष रह जाता है कि एस.पी.वी. के गठन मे योजना निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

- योजना को दो चरणों मे निष्पादित किया जाना था, प्रथम चरण मे न्यूनतम आधारभूत ढांचे जैसे विकासात्मक कार्य पूर्ण किए जाने थे तथा उत्पादन समर्थन सुविधाएँ 15 माह की अवधि मे नवम्बर 2015 तक पूर्ण की जानी थी। यद्यपि, इन कार्यों के लिए कार्यादेश दिसम्बर 2014 मे जारी किए गए तथा मार्च 2016 तक भी यह कार्य अपूर्ण थे।

- भोपाल मे 41 इकाईयों तथा जबलपुर मे 31 इकाईयों की योजना के विरुद्ध भोपाल मे तीन व जबलपुर मे आठ इकाईयों को ई.एम.सी. मे भूमि आंवटित की गई (जून 2016)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि, इसके विरुद्ध अप्रैल 2016 तक मात्र एक इकाई ने भोपाल मे उत्पादन प्रारम्भ किया था। अतः इन स्थानों पर आधारभूत संरचना के विकास की धीमी गति के कारण राज्य मे तीव्र औद्योगिकीकरण के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

सरकार ने निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) मे लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा कि ई.एम.सी. जबलपुर मे भूमि आवंटन अच्छा था एवं ई.एम.सी. भोपाल मे निर्माण

¹⁵ वह इकाईयों जिन्हे निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु ई.एम.सी. मे भूमि आंवटित की गई थी।

कार्य तेज करने हेतु प्रयास जारी हैं। तथ्य शेष रह जाता है कि इन ई.एम.सी. में विकासात्मक कार्य पूर्ण नहीं हो सके थे (नवम्बर 2016)।

लागत आकलन में शामिल कार्यों की पुनरावृत्ति

2.2.30 भोपाल में ई.एम.सी. को स्थापित करने हेतु आई.टी. पार्क भोपाल में 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी। आई.टी. पार्क भोपाल में विकास कार्यों हेतु मध्य प्रदेश हाउसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट बोर्ड (एम.पी.एच.आई.डी.बी.) के साथ अनुबंध किया गया (अक्टूबर 2012), जिसने मई 2013 में ₹ 80 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया। इस प्राक्कलन में ई.एम.सी. भोपाल हेतु चिन्हित 50 एकड़ भूमि सहित आई.टी. पार्क भोपाल की कुल 212.63 एकड़ भूमि में किये जाने वाले विकासात्मक कार्य¹⁶ भी शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, एम.पी.एच.आई.डी.बी. ने ई.एम.सी. भोपाल हेतु चिन्हित भूमि के विकास कार्यों में ₹ 5.49 करोड़ मूल्य के कार्यों को पुनः प्राक्कलन में जोड़ दिया। चूंकि यह कार्य आई.टी. पार्क भोपाल के समग्र प्राक्कलन में जोड़ा जा चुका था, अतः इन कार्यों को पुनः ई.एम.सी. भोपाल के प्राक्कलन में जोड़ने के कारण, ₹ 5.49 करोड़ के कार्यों की दोबारा गणना हो गई। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि, एम.पी.एच.आई.डी.बी. ने ई.एम.सी. जबलपुर विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार करते समय में इन घटकों को काट दिया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि विकास लागत में शामिल कुछ कार्यों की पुनरावृत्ति हुई थी। यह भी कहा गया कि ऐसे किसी भी कार्य हेतु एम.पी.एच.आई.डी.बी. को दुगना भुगतान नहीं किया जाएगा।

राज्य निवासी डेटा हब (एसआरडीएच) के विकास में कमियाँ

2.2.31 राज्य के नागरिकों का गोपनीय डेटा रखने के परिकल्पित उद्देश्य से भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने राज्य निवासी डेटा हब (एसआरडीएच) परियोजना को राज्य में स्वीकृति दी थी ताकि अन्य विभागों द्वारा अपनी कुशल सेवा प्रदाय में इनका उपयोग हो सके। यूआईडीएआई ने इस परियोजना के लिए ₹ 10 करोड़ स्वीकृत किये थे (अक्टूबर 2012), इस राशि में से ₹ चार करोड़ दो किस्तों में जारी किये गये (दिसम्बर 2012 तथा दिसम्बर 2015)। परियोजना को नवम्बर 2015 में प्रारंभ (गो लाईव)¹⁷ किया जाना था, किन्तु यह अभी तक पूर्ण नहीं हुई (अक्टूबर 2016)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्न प्रकार है:

- कम्पनी ने परियोजना के लिए ₹ 1.63 करोड़ में एक वर्ष के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया (दिसम्बर 2013) तथा आगे सलाहकार की सेवाओं को जुलाई-2016 तक बढ़ाया गया तथा मई 2016 तक सलाहकार को दिये गये भुगतान में ₹ एक करोड़ और खर्च हुए। अतः परियोजना की पूर्णता में देरी के कारण ₹ एक करोड़ अतिरिक्त खर्च हुए (मई 2016 तक भुगतान ₹ 2.63 करोड़-₹ 1.63 करोड़ एक वर्ष की फीस)
- कम्पनी ने अतिरिक्त खर्च की मदों से संबंधित ₹ 26.18 करोड़ की पुनरीक्षित डी.पी.आर., यूआईडी.ए.आई. को प्रस्तुत की (अक्टूबर 2014)। तथापि, यूआईडी.ए.आई. का अनुमोदन अक्टूबर 2016 तक प्राप्त होना शेष था।

¹⁶ नालियाँ व पुलिया, फुटपाथ व रास्तों, जल आपूर्ति एवं सीवेज नेटवर्क, उद्यानिकी व उद्यान विकास।

¹⁷ परियोजना का प्रारंभ।

कम्पनी ने ₹ 3.58 करोड़ का ओरेकल सॉफ्टवेयर यूआईडीएआई की सहमति के बिना खरीदा

- इस परियोजना के अंतर्गत यूआईडीएआई, ने माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर का उपयोग अन्य राज्यों को अनुमत्य किया था। तथापि कम्पनी ने यूआईडीएआई की सहमति के बिना ओरेकल सॉफ्टवेयर खरीद लिया। कम्पनी ने ओरेकल सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्च हुए ₹ 3.58 करोड़ का अनुमोदन यूआईडीएआई से मांगा (जनवरी 2015)। तथापि, अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2016)।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में सरकार ने ओरेकल सॉफ्टवेयर की खरीद को यूआईडीएआई द्वारा मना किये जाने को स्वीकार करते हुए कहा कि कम्पनी परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियों की स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव करेगी। आगे एसआरडीएच परियोजना के कार्यान्वयन में पाई गई अन्य कमियों के बारे में उत्तर मौन था।

राज्य सरकार की परियोजनाएँ एवं योजनाएँ

ग्वालियर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) का निर्माण

2.2.32 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्वालियर में ₹ 25 करोड़ की लागत के सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) के निर्माण हेतु स्वीकृति दी थी (फरवरी 2006)। कम्पनी ने एसटीपी के निर्माण हेतु एम.पी.एच.आई.डी.बी. से अनुबंध किया था (जुलाई 2009)। एसटीपी का निर्माण नवम्बर 2012 में ₹ 21.97 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ।

परियोजना दस्तावेजों की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:—

- स्वीकृति आदेशानुसार (फरवरी 2006) एस.टी.पी. की कुल लागत में ₹ 10 करोड़ भारत सरकार द्वारा अशंदान था, ₹ 10 करोड़ मध्य प्रदेश शासन द्वारा तथा ₹ पाँच करोड़ भारत सरकार की एक संस्था सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) द्वारा दिये जाने थे। कम्पनी ने भारत सरकार से ₹ 10 करोड़ प्राप्त कर लिये थे (अक्टूबर 2006), किन्तु मध्य प्रदेश शासन तथा एस.टी.पी.आई. का अंश मई 2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था। आगे, कम्पनी ने इस निधि से ₹ 2.65 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। परियोजना ₹ 21.97 करोड़ की कुल लागत से पूर्ण हुई, इसमें ₹ 9.32 करोड़ कम्पनी की स्वयं की निधियों से व्यय हुए। तथापि, दस्तावेजों में यह पाया गया कि अक्टूबर 2016 तक कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन तथा एस.टी.पी.आई. से उनके अंश प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये।
- कम्पनी ने ग्वालियर में एसटीपी के भवन निर्माण के लिए प्रस्तावों को आमंत्रित नहीं किया, किन्तु यह कार्य एम.पी.एच.आई.डी.बी. को सौंप दिया गया। एम.पी.एच.आई.डी.बी.ने इस एस.टी.पी. के पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रभारित किया जबकि इसके द्वारा वर्ष 2012 में निष्पादित अन्य परियोजना में एम.पी.एच.आई.डी.बी. द्वारा 6 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क प्रभारित किया गया था। पूर्व में अन्य निर्माण संस्थाओं (जैसे एमपीआरडीसी) द्वारा अपेक्षाकृत कम पर्यवेक्षण शुल्क वसूलने पर विचार करते हुए कम्पनी ने 30वीं संचालक मंडल की सभा (अक्टूबर 2007) में एम.पी.एच.आई.डी.बी. द्वारा प्रभारित पर्यवेक्षण शुल्क को कम करके 6 प्रतिशत तक करने का निश्चय किया जिस पर वे सहमत नहीं हुए। चूंकि कम्पनी ने निर्माण कार्य एम.पी.एच.आई.डी.बी. को देने के पूर्व किसी भी प्रकार के प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किये थे, अतः इसने पर्यवेक्षण शुल्क की प्रतिस्पर्धात्मक दरों को पाने के अवसर खो दिये। अतः कम्पनी को इस कारण से ₹ 53.34 लाख का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा।

- कम्पनी ने कुल निर्मित 90,000 वर्गफुट क्षेत्र में से मात्र 10,200 वर्गफुट स्थान दो पार्टियों को पट्टे पर दिया। अतः आईटी. क्षेत्र के विकास के लिए एसटीपी ग्वालियर की स्थापना का परिकल्पित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस एसटीपी की डीपीआर को आईटी. पार्क इन्डौर से तुलना करते हुए तैयार किया गया था। चूंकि इन्डौर लम्बे समय से एक सुस्थापित आईटी. तथा औद्योगिक हब रहा है। अतः एसटीपी ग्वालियर की आईटी. पार्क इन्डौर से तुलना करना उचित नहीं था। परियोजना, योजना स्तर से ही सम्भाव्य प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि संबंधित डीपीआर में ही परियोजना की कुछ कमजोरियां निहित थी, जैसे कम स्थानीय मांग, स्थान में अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के अभाव का होना आदि।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि एसटीपी ग्वालियर में रिक्त स्थान पट्टे पर देने के प्रयास किये गये थे, तथा भविष्य में फलदायी परिणामों की प्राप्ति की आशा थी। तथ्य शेष रहा कि कम्पनी के कमजोर नियोजन के कारण एसटीपी ग्वालियर में रिक्त स्थान का अधिकांश भाग विगत चार वर्षों से व्यर्थ पड़ा रहा।

- एसटीपी ग्वालियर में खाली स्थान को पट्टे पर लेने हेतु रुचि दिखाने के एक प्रकरण में (दिसम्बर 2010), मेसर्स ई मैट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा इस एसटीपी में ₹ 15.00 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर से पूरे 90,000 वर्गफीट स्थान का आधिपत्य लेने में रुचि दिखाई गई थी (जनवरी 2011)। तथापि, पार्टी ने इस एसटीपी में सुविधाओं के पूर्ण होने में देरी के कारण अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया (जून 2012)। इस कारण से ₹ 4.79¹⁸ करोड़ की राजस्व हानि हुई (दिसम्बर 2012 से मार्च 2016)।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) की पार्टी धोखेबाज निकली, अतः अनुबंध को अंतिम रूप देने नहीं आई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पार्टी ने अपना प्रस्ताव 18 माह की अवधि के लिए जून 2012 तक अस्तित्व में रखा और पार्क में व्यवसाय चलाने हेतु आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण इसको वापिस लिया। इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि कम्पनी एसटीपी ग्वालियर में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रही।

इन्डौर, भोपाल व जबलपुर के आईटी. पार्कों का धीमा विकास

2.2.33 कम्पनी ₹ 74.15 करोड़ की लागत के भोपाल, इन्डौर व जबलपुर में आईटी. पार्कों का विकास कर रही है, इसमें से ₹ 27.07 करोड़ एक बार सहायता के रूप में भारत सरकार देने को प्रतिबद्ध थी और शेष ₹ 47.08 करोड़ मध्य प्रदेश शासन देने को प्रतिबद्ध था। कम्पनी द्वारा तैयार की गई डी.पी.आर. के अनुसार (फरवरी 2013, अगस्त 2012 तथा जनवरी 2013), इन पार्कों को विभिन्न चरणों में स्थापित होना था। प्रथम चरण में, मात्र भवन तथा अगले चरण में मांग के अनुरूप अतिरिक्त फर्श स्थान का निर्माण होना था। इसके आगे, स्वतंत्र भूखण्डों में रुचि रखने वाली आईटी. इकाईयों के लिए भी औद्योगिक भूमि विकसित की जानी थी। आईटी. पार्कों के विकास का कार्य भोपाल का फरवरी 2013 में, इन्डौर व जबलपुर का मार्च 2013 में एम.पी.एच.आई.डी.बी. को दिया गया था तथा मार्च 2016 तक ₹ 83.37 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका था। इन आईटी. पार्कों के दस्तावेजों की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- कम्पनी द्वारा अभिकल्पित विभिन्न चरणों के विकास के स्थान पर एमपीएचआईडीबी ने भवन व भूखण्डों के एक साथ विकास हेतु ₹ 296.75 करोड़ का

¹⁸ 79,800 वर्गफीट X ₹ 15 प्रति वर्गफीट X 40 माह = ₹ 4.79 करोड़

वृहत् प्राक्कलन प्रस्तुत किया। आवश्यक अतिरिक्त निधियों की व्यवस्थाओं के नियोजन के बिना ही कार्य निष्पादन एजेन्सी को ₹ 259.25 करोड़ की पुनरीक्षित लागत का प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिया गया (मई 2013 से जनवरी 2016 के मध्य)।

कम्पनी ने
एम.पी.एच.आई.डी.बी.
के साथ इन्दौर व
जबलपुर के आई.टी.
पार्कों की पूर्णता की
समय सीमा का
निर्धारण नहीं किया।

- प्रारंभिक डीपीआर के अनुसार भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर के आई.टी. पार्क क्रमशः मार्च 2014, अगस्त 2014 तथा सितम्बर 2014 में चालू हो जाने चाहिए थे। तथापि, एम.पी.एच.आई.डी.बी. के साथ किये गये अनुबंध में आई.टी. पार्कों की पूर्णता की समय सीमा निहित नहीं थी तथा यह कहा गया कि पारस्परिक समझौते के आधार पर परियोजना की पूर्णता की समय सीमा निर्धारित होगी। यह पाया गया कि कम्पनी तथा एम.पी.एच.आई.डी.बी. के मध्य आज तक पारस्परिक समझौता आधारित पूर्णता दिनांक का निर्धारण नहीं हुआ है (नवम्बर 2016)। अतः समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु एम.पी.एच.आई.डी.बी. पर कोई वचनबद्धता नहीं थी। इसके आगे, एम.पी.एच.आई.डी.बी. ने निजी ठेकेदारों को उप ठेके देते समय (मार्च 2014) भोपाल व इन्दौर के आई.टी. पार्कों की पूर्णता की समय सीमा मार्च 2016 रखी थी। तथापि, इस अवधि में कार्य के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों की पूर्णता की स्थिति भोपाल में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच तथा इन्दौर में 20 प्रतिशत थी।

नीचे दिये गये छायाचित्र भोपाल व इन्दौर के आई.टी. पार्कों की निर्माण कार्य पूर्णता की स्थिति को दर्शाते हैं:

धीमी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को दर्शाते हुए छायाचित्र



आई.टी. पार्क भोपाल

आई.टी. पार्क इन्दौर

- तीन आई.टी. पार्कों की उपलब्ध भूमि 384 एकड़ थी। तथापि, स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण के कारण कम्पनी 64.79 एकड़ भूमि का उपयोग नहीं कर सकी। इन पार्कों में कार्य की धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों में से एक यह भी था।
- इसी प्रकार कम्पनी ने ₹ 15 करोड़ की लागत से वर्तमान सॉफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क का विस्तार परदेशीपुरा इन्दौर में करने का निश्चय किया (जुलाई 2012)। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत पुनरीक्षित करके ₹ 46.48 करोड़ की गई (सितम्बर 2013 तथा अक्टूबर 2014) तथा सितम्बर 2015 तक कार्य पूर्ण करना था। कम्पनी ने जुलाई 2013 से मार्च 2015 के मध्य ₹ 37.27 करोड़ के निधियों जारी की तथा नवम्बर 2016 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कार्य पूर्णता में देरी के फलस्वरूप किराये की हानि हुई, जो कि आई.टी. कंपनियों को खाली स्थान किराये पर देने से प्राप्त होना थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने परियोजना की प्रगति पर निगरानी के लिए मानीटरिंग तंत्र स्थापित नहीं किया है। अतः कम्पनी की तरफ से आई.टी. पार्कों की पूर्णता की समयसीमा को निर्धारित न करना तथा कार्य की प्रगति पर मानीटरिंग की कमी जैसी असफलता ने आई.टी. पार्कों की पूर्णता में विलम्ब किया। इसके आगे यह कि कम्पनी ने राज्य में आई.टी. उद्योग के लिए संभावित मांग को ध्यान में न रखते हुए परियोजना की व्यवहार्यता पर बिना विचार किये ही डी.पी.आर. तैयार की थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) की प्रारंभिक तौर पर योजनाओं में परिवर्तन तथा आई.टी. पार्कों में प्रमुख कार्यों की विकास गतिविधियों तथा भवनों के क्षेत्र में वृद्धि के कारण कार्य में देरी हुई, जो कि दिसम्बर 2016 तक पूर्ण होना थे। यह भी कहा गया कि कम्पनी ने निर्मित रिक्त स्थान को आवंटित करने के लिए सात आई.टी. कंपनियों की रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) को अंतिम रूप दिया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी द्वारा कार्य समाप्ति की समय सीमा निर्धारित न करना तथा निगरानी की कमी जैसी असफलता ने परियोजना में देरी की।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का अनुचित उपयोग

2.2.34 तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, भारत सरकार ने देश भर में लोक निजी सहभागिता विधि (पीपीपी मोड) के माध्यम से 20 नये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की घोषणा की (दिसम्बर 2010)। इसी के भाग के रूप में, एक ऐसा संस्थान ₹ 128 करोड़ की लागत से भोपाल में स्थापित करना प्रस्तावित था।

डीओएसएण्डटी, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को एक औद्योगिक साझेदार के रूप में चयनित किया (जून 2013)। तथापि, हितधारको द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण, एमओए पर शासी परिषद् के सदस्यों द्वारा नवम्बर 2016 तक हस्ताक्षर नहीं हो सकें।

कम्पनी को एक बार के अनुदान के रूप में वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक ₹ 5.26 करोड़ मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुए। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2012 के नियम 212 के अनुसार जिस पार्टी ने एक बार का अनुदान प्राप्त किया था, उसे फार्म जीएफआर 19–ए के प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के अंतर्गत उपरोक्त प्राप्त निधियों के विरुद्ध कम्पनी ने मार्च 2016 तक ₹ 48.03 लाख व्यय किये। तथापि, कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन को ₹ 5.16 करोड़ के छ: उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किये।

परिणामतः जीएफआर 212 का उल्लंघन हुआ, क्योंकि उपयोग किया बताई गई निधियाँ और उस बारे में प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र, वास्तव में कम्पनी ने उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किये थे जिस हेतु वे स्वीकृत किये गये थे।


सरकार का उत्तर इस पर मौन था (नवम्बर 2016)।

अन्य परिचालन गतिविधियाँ

2.2.35 कम्पनी परिचालन संबंधी गतिविधियों जैसे आई.टी. उत्पादों के विक्रय, कैलीब्रेशन लैब के प्रचालन (इन्डौर तथा भोपाल), विभिन्न सरकारी विभागों को आई.टी. /आईटीइएस सेवाएँ देने तथा एसटीपी/आई.टी. पार्कों में आई.टी. इकाईयों को रिक्त स्थान किराये पर देने में लगी हुई थी। अवधि 2011–12 से 2015–16 तक की परिचालन गतिविधियों का वित्तीय निष्पादन रेखांचित्र संख्या 2.2.4 में दिया गया है:

रेखाचित्र संख्या 2.2.4

परिचालन गतिविधियों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाता हुआ रेखाचित्र



कम्पनी की परिचालन गतिविधियों की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

इन्दौर व भोपाल की कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं का कमजोर निष्पादन

2.2.36 बड़ी संख्या में लाक/निजी क्षेत्र की कंपनियों को विभिन्न जाँच व मापांकन सुविधाएँ देने हेतु कम्पनी के पास दो कैलीब्रेशन प्रयोगशालाएँ (इन्दौर तथा भोपाल) हैं। इन प्रयोगशालाओं का वित्तीय निष्पादन **परिशिष्ट 2.2.3** में दिखाया गया है।

प्रयोगशालाएँ पिछले कुछ वर्षों से भारी हानि उठा रही थी और यह हानि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भोपाल में उनके राजस्व का 63.46 प्रतिशत से 223.74 प्रतिशत के बीच थी तथा इन्दौर में 91.07 प्रतिशत से 312.16 प्रतिशत के बीच थी। भोपाल तथा इन्दौर की प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक क्रमशः ₹ 0.86 करोड़ तथा ₹ 1.24 करोड़ की हानि उठाई गई। यह मुख्यतः भारी स्थापना खर्चों, अप्रभावी विपणन, निजी प्रयोगशालाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय में गिरावट, दोनों प्रयोगशालाओं के उपकरणों में वृद्धि न किया जाना, जबकि इनके स्थापित उपकरण बहुत पुराने हो चुके थे, के कारण थी। कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा इन प्रयोगशालाओं के व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाने का निश्चय किया गया (मार्च 2011)। तथापि, कम्पनी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा कि इन प्रयोगशालाओं के निष्पादन को बेहतर करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

महू में आई.टी. प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का व्यर्थ पड़ा होना

2.2.37 आई.टी. उद्योगों को कुशल मानवशक्ति देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी को महू में एक आई.टी. प्रशिक्षण केन्द्र भवन स्वीकृत किया था (मार्च 2010)। कम्पनी ने ₹ 1.20 करोड़ की लागत से पीथमपुर ऑटो कलस्टर लिमिटेड इन्दौर (मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम) द्वारा, इस भवन का निर्माण दिसम्बर 2011 में करवाया। महू में प्रशिक्षण केन्द्र को धारणात्मक रूप से इन्दौर शहर के पास आई.टी. उद्योग का विकास माना गया। कम्पनी ने इस केन्द्र को निजी पार्टी द्वारा चलाने का निश्चय किया (अगस्त-2012) तथा भवन को मेसर्स आई प्राईम बंगलौर को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जनवरी 2013 में ₹ 40000 प्रतिमाह किराये पर पाँच वर्षों के लिए दे दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी पार्टी ने परिचालन जून 2014 में बंद कर दिया तथा कम्पनी से यह कहते हुए केन्द्र वापस हस्तांतरित कर दिया कि इस केन्द्र की स्थिति, अनुकूल स्थिति में नहीं है। तब से, यह केन्द्र खाली पड़ा हुआ है तथा कम्पनी को किसी भी प्रकार की आय नहीं दे रहा है (नवम्बर 2016)। इसने यह दर्शाया कि, इस केन्द्र पर व्यावसायिक स्थिरता की संभावना पर विचार किये बिना ही किसी दूरस्थ स्थान में एक स्थान के विकास के लिए नियोजन की कमी थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि भवन के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वित्तीय प्रबंधन

2.2.38 कम्पनी की आय के मुख्य स्रोत हैः— आई.टी. उत्पादों का विक्रय, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ देना (आई.टी.ई.एस.), एसटीपी/आई.टी. पार्कों के खाली स्थान को किराये पर देने से प्राप्त किराया तथा बैंक जमाओं से प्राप्त ब्याज। कम्पनी वर्ष 2014–15 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दे चुकी थी तथा वर्ष 2015–16 के लेखों अनंतिम हैं। अवधि 2011–12 से 2015–16 तक की कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा परिचालन परिणामों को नीचे तालिका 2.2.6 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.2.6 कम्पनी के कार्यचालन के परिणामों को दर्शाता पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 ¹⁹
1	परिचालन से राजस्व (आरओपी)	7.67	32.88	37.51	54.31	28.26
2	ब्याज की आय	2.67	7.07	5.65	7.59	3.06
3	विविध आय ²⁰	0.26	0.44	1.40	3.81	10.13
4	कुल राजस्व (1+2+3)	10.60	40.39	44.56	65.71	41.45
5	कुल व्यय	8.23	32.18	37.39	55.91	31.64
6	अपवादात्मक, असाधारण तथा पूर्व प्रदत्त मद	(0.94)	(5.14)	(1.26)	3.06	0.10
7	कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी) (4–5)	1.43	3.07	5.91	12.86	9.91
8	ब्याज तथा अन्य आय बाहर करने के बाद परिचालन से लाभ/हानि	(0.56)	0.71	0.12	(1.60)	(3.38)
9.	पी.बी.टी. की कुल राजस्व से प्रतिशतता	13.49	7.60	13.26	19.57	23.91


स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी।

¹⁹ प्रावधिक आंकड़े।

²⁰ विविध आय में प्राप्त लाभांश, टेंडर फीस, प्रक्रिया फीस तथा अन्य विविध आय शामिल हैं।

रेखाचित्र 2.2.5

कम्पनी के राजस्व, व्यय तथा कर पूर्व लाभ को दर्शाता हुआ रेखाचित्र



वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

- अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी की आय ₹ 10.60 करोड़ से बढ़कर ₹ 41.45 करोड़ हो गई तथा कर पूर्व लाभ ₹ 1.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.91 करोड़ हो गये। अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान कर पूर्व लाभ की कुल राजस्व से प्रतिशतता 7.60 प्रतिशत से 23.91 प्रतिशत के बीच रही। स्थापना, प्रचालन तथा संधारण व्ययों में वृद्धि, आई.टी. पार्क ग्वालियर के रिक्त स्थान का कम उपयोग, महू के प्रशिक्षण केन्द्र का निष्क्रिय रहना तथा समय पर परियोजना के पूर्ण होने में असफलता जैसे कारणों से निम्न प्रतिशतता थी।
- अन्य आय (ब्याज तथा विविध आय) कम्पनी की आय का बड़ा भाग निर्मित करती है, जो कि ₹ 2.93 करोड़ से ₹ 13.19 करोड़ के बीच है। अतः, कम्पनी को सतत आधार पर अपनी परिचालन आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

इन मामलों पर सरकार का उत्तर मौन है (नवम्बर 2016)।

परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त स्थापना शुल्क चार्ज करना

2.2.39 स्वान परियोजना तथा सीएससी योजना के अंतर्गत कम्पनी को प्रशासकीय खर्च को प्रभारित करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार (नवम्बर 2006 तथा अप्रैल 2009) प्रभारित प्रशासकीय खर्च की अनुमत्य सीमा स्वान के अंतर्गत पूरी परियोजना परिव्यय का एक प्रतिशत तथा सीएससी के अंतर्गत राजस्व समर्थन का चार प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने प्रशासकीय खर्च के रूप में 2014–15 तक स्वान परियोजना के अंतर्गत ₹ 4.83 करोड़ (परियोजना परिव्यय का 2.77 प्रतिशत) तथा सीएससी के अंतर्गत ₹ 4.34 करोड़ (राजस्व समर्थन का 35 प्रतिशत) प्रभारित किया है। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रभार योग्य प्रशासकीय खर्च क्रमशः ₹ 1.74 करोड़ तथा ₹ 49 लाख था। इसका परिणाम हुआ कि प्रशासकीय खर्च स्वान के अंतर्गत ₹ 3.09 करोड़ तथा सीएससी के अंतर्गत ₹ 3.85 करोड़ अधिक प्रभारित किये गये।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि (i) भारत सरकार ने प्रारंभिक तौर पर स्वान परियोजना के लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत प्रशासकीय खर्चों के रूप में अनुमति दी थी, जो कि अक्टूबर 2006 में बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दी गई।


(ii) सीएससी के संबंध में प्रशासकीय खर्च, परियोजना की स्वीकृत लागत ($\text{₹} 146.41$ करोड़) के चार प्रतिशत तक प्रभारित किये जा सकते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) भारत सरकार ने प्रशासकीय खर्च को स्वान परियोजना लागत का एक प्रतिशत तक सीमित करते हुए आदेश जारी किये थे (नवम्बर 2006) (ii) सीएससी योजना के संबंध में कुल प्रशासकीय खर्च को योजना की पूरी लागत ($\text{₹} 146.41$ करोड़) के स्थान पर राजस्व समर्थन के वास्तविक दावे ($\text{₹} 12.34$ करोड़) के चार प्रतिशत तक सीमित रखना था।

व्यापार प्राप्तों का अप्रभावी प्रबंधन

2.2.40 कम्पनी मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों को आई.टी. हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की आपूर्ति उधार पर करती है। कम्पनी के खातों में विभागों से आई.टी. आपूर्ति की बकाया राशि व्यापार प्राप्तों के रूप में दिखाई गई थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की व्यापार प्राप्तों की बकाया राशि की स्थिति की समीक्षा की और स्थिति का विवरण नीचे रेखाचित्र 2.2.6 में दिखाया गया है:

रेखाचित्र संख्या 2.2.6 व्यापार प्राप्तों के वर्षवार विश्लेषण को दर्शाता रेखाचित्र



व्यापार प्राप्त
2011–12 में
 $\text{₹} 1.19$ करोड़ से
136 प्रतिशत बढ़कर
2014–15 में
 $\text{₹} 2.81$ करोड़ हो गए

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापार प्राप्त वर्ष 2011–12 में $\text{₹} 1.19$ करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में $\text{₹} 2.81$ करोड़ हो गये यह वृद्धि 136 प्रतिशत थी। तीन वर्ष से अधिक अवधि के बकाया व्यापार प्राप्त बढ़ती प्रवृत्ति में थे क्योंकि वे 2011–12 में $\text{₹} 16.65$ लाख से बढ़कर 2014–15 में $\text{₹} 74.62$ लाख हो गये।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार टिप्पणी किये जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा को दस्तावेजों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह संकेत मिलता हो कि कम्पनी व्यापार देनदारों से वसूली हेतु लगातार प्रयास कर रही है। अतः, प्राप्तों की कमजोर वसूली ने कम्पनी के नकद–प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था।

सरकार ने निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए (अक्टूबर 2016) कहा कि व्यापार प्राप्तों की वसूली की स्थिति को सुधारने के प्रयास प्रक्रियाधीन है।

जिला ई-गवर्नेंस समितियों द्वारा रखरखाव निधि का उपयोग न किया जाना

2.2.41 स्वान परियोजना के अंतर्गत स्थापित किये गये पीओपी के संचालन के लिये, ई-गवर्नेंस समितियों²¹ के अंतर्गत कार्यरत पीओपी को परियोजना ने संचालन एवं संधारण व्यय में सहयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही, लोक सेवा केन्द्रों को स्वान परियोजना से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कम्पनी को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किया (मई 2012) कि प्रत्येक खण्ड को ₹ 10,000 दिये जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 314 खण्डों में लोक सेवा केन्द्रों को जोड़ने के लिए कम्पनी ने ₹ 31.40 लाख का भुगतान किया था (जून 2012)। तथापि, मात्र चार खण्डों ने ₹ 2.10 लाख के उपयोग का विवरण दिया तथा अक्टूबर 2016 तक चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी शेष राशि ₹ 29.30 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) की कम्पनी सभी लोक सेवा केन्द्रों से उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के मामले में लगातार अमल करती रही है।

संविदा प्रबंधन

2.2.42 राज्य में आई.टी./आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार व मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत कम्पनी ने ठेके प्रदान किये थे। लेखापरीक्षा ने कम्पनी में संविदा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की तथा निम्नलिखित पाया :

ई-निविदा पोर्टल की बिड दस्तावेज की शर्तों के साथ असंगति के कारण निविदा को अंतिम रूप देने में देरी

2.2.43 कम्पनी ने पी.डब्ल्यू.डी. से ₹ 4.89 करोड़ अग्रिम के रूप में कम्प्यूटर हार्डवेयर देने के लिए प्राप्त किये (मार्च 2014)। कम्पनी ने ई-निविदा आमंत्रित की (अप्रैल 2014) तथा मेसर्स प्लेक्सस कन्सलटेन्सी सर्विसेज को ₹ 3.84 करोड़ के आपूर्ति आदेश दे दिये (सितम्बर 2014)। कम्पनी में मौजूद ठेका प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

- निविदा की निर्दिष्ट शर्तों में बोलीकर्ता को अग्रिम धन जमा (ईएमडी) केवल आनलाईन जमा करनी थी लेकिन ई-निविदा पोर्टल में विकल्प था कि ईएमडी बैंक गारंटी (बीजी) द्वारा भी स्वीकार की जा सकती है। तदनुसार एक बोलीकर्ता ने निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए ईएमडी को बीजी के माध्यम से प्रस्तुत किया। अतः निविदा शर्तों तथा ई-पोर्टल विकल्पों के बीच असंगति के कारण निविदा को निरस्त कर दिया गया (जुलाई 2014), और इसका परिणाम हुआ कि हार्डवेयर की खरीदी में तीन माह की अनपेक्षित देरी हुई।
- कार्य आदेश के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को 40 महीने के लिए कार्यादेश मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना थी। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने ₹ 38.40 लाख की पीबीजी मार्च 2016 तक जमा नहीं की थी।
- निविदा दस्तावेज तथा आपूर्ति आदेश की नियम एवं शर्तों के अनुसार, हार्डवेयर की विवरण अवधि, आदेश की तिथि से 60 दिवस थी तथा विलम्बित वितरण के लिए अवितरित सामग्री के मूल्य पर 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड लगाना था।

²¹ ई-गवर्नेंस समितियों की खापना प्रत्येक जिले व खण्ड मुख्यालय पर की गई थी और ये मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रही है।

किन्तु यह अर्थदण्ड कार्यादेश मूल्य का अधिकतम 5 प्रतिशत था। तथापि, आपूर्तिकर्ता ने 64 सप्ताह की देरी से मार्च 2016 तक 516 डेस्कटाप वितरित किये किन्तु कम्पनी ने ₹ 19.20²² लाख का अर्थदण्ड वसूल नहीं किया था।

सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि बुलाई गई निविदा की नियम एवं शर्तों की ई-निविदा पोर्टल विकल्पों के साथ असंगति थी। यह भी उत्तर दिया गया कि पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के 20 प्रतिशत के बराबर राशि पीबीजी तथा अर्थदण्ड के रूप में रोक ली गई है। साथ ही, अर्थदण्ड के परिमाण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, तथ्य शेष रहा कि वसूली योग्य अर्थदण्ड की मात्रा तथा पीबीजी की वसूली की विधि की तरफ से कम्पनी ने निविदा शर्तों का पालन नहीं किया।

स्वान परियोजना के अंतर्गत सिस्टम इन्टीग्रेटर के लिए दिये गये ठेके का अनुचित प्रबंधन

2.2.44 कम्पनी ने बिल्ड, ओन, आपरेट तथा ट्रान्सफर (बी.ओ.ओ.टी.) के आधार पर स्वॉन परियोजना की आपूर्ति, स्थापन, चालू करना, संचालन तथा संधारण के लिए मेसर्स ट्यूलिप टेलीकॉम लिमिटेड (टीटीएल) को सिस्टम इन्टीग्रेटर (एसआई) के रूप में पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया था (अगस्त 2008)। परियोजना को नौ माह की अवधि अर्थात् मई 2009 तक पूरा होना था। एसआई को 360 पाईंट ऑफ प्रजेन्स (पीओपी) स्थापित करने थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ठेके की शर्तों के अनुसार, परियोजना के पूर्णतः चालू हो जाने के बाद केवल त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाना था और अन्य किसी भुगतान की अनुमति नहीं थी। तथापि, एसआई की प्रार्थना पर एसआई द्वारा अनुभव की जा रही वित्तीय कमी पर विचार करते हुए, कम्पनी ने 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की शर्त पर ₹ 10 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया (मार्च 2012)। किन्तु कम्पनी एसआई से अक्टूबर 2016 तक ₹ सात करोड़ की नकद बैंक गारंटी के समायोजन के बाद, अग्रिम तथा उस पर ब्याज की कुल राशि ₹ 7.80 करोड़²³ वसूलने में असफल रही।
- एसआई के साथ किये गए अनुबन्ध में कम्पनी के हितों की सुरक्षा के लिए रिस्क एण्ड कास्ट अनुच्छेद नहीं रखा गया था। अनुबन्ध में स्वॉन परियोजना के अंतर्गत एसआई द्वारा सभी 360 पीओपी के संचालन व संधारण (ओ एण्ड एम) का काम पाँच वर्ष के लिए ₹ 11.01 करोड़ में 115 व्यक्ति लगाकर करना था। आगे चलकर एसआई से अनुबन्ध समाप्त होने पर, कम्पनी ने पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹ 49.72 करोड़ में 400 कर्मचारी लगाकर वैकल्पिक ओ एण्ड एम अनुबन्ध (सितम्बर 2014 से फरवरी 2016) प्रदान किये। तथापि, अनुबन्ध में रिस्क एण्ड कास्ट अनुच्छेद की अनुपस्थिति में पार्टी से ₹ 11.42 करोड़²⁴ का भारित अतिरिक्त खर्च वसूल नहीं हो सका। अतः, अनुबन्ध इस सीमा तक दोषपूर्ण था। .
- एसआई अनुबन्ध को वास्तविक मूल्य ₹ 94.85 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 99.88 करोड़ करके संशोधित किया गया (नवम्बर 2010)। एसआई अनुबन्ध के अनुच्छेद 7.2 में दिया हुआ था कि संशोधित अनुबन्ध मूल्य के अनुसार पीबीजी में वृद्धि होगी। तथापि, कम्पनी ने अनुबन्ध के बढ़े हुए मूल्य के लिए पीबीजी प्राप्त नहीं की थी। कम्पनी ने अगर

²² ₹ 3.84 करोड़ X 5 प्रतिशत = ₹ 19.20 लाख।

²³ (₹ 10 करोड़)+₹ 10 करोड़ 12 प्रतिशत 4 वर्ष = ₹ 4.80 करोड़) (-) ₹ 7.00 करोड़ समायोजित बीजी।

²⁴ ₹ 49.72 करोड़-₹ 38.30 करोड़ (₹ 11.01 करोड़ X 400 / 115)=₹ 11.42 करोड़।

पुनरीक्षित अनुबन्ध मूल्य के अनुसार पीबीजी प्राप्त की होती तो अनुबन्ध समाप्ति के समय ठेकेदार से ₹ 34 लाख की अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकती थी।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी ने अनुबन्ध समाप्ति के समय एसआई से स्वॉन नेटवर्क की ₹ 54.20 करोड़ की सम्पत्तियाँ कब्जे में ले ली थीं, जिनको ठेकेदार के बकाया भुगतानों से समायोजित किया जाएगा। साथ ही, रिस्क एण्ड कास्ट अनुच्छेद के संबंध में उत्तर था कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए भविष्य की निविदाओं में इसको शामिल किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने वास्तविक वसूली योग्य मूल्य निश्चय करने के लिए सम्पत्तियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं किया था।

निगरानी, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.45 आंतरिक नियंत्रण व निगरानी प्रबंधकीय गतिविधि के महत्वपूर्ण भाग है। एक प्रभावी व दक्ष प्रणाली, प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा वित्तीय अनुशासन में सहायता करती है। कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

निदेशक मंडल (बीओडी) ने परियोजनाओं की समीक्षा नियमित आधार पर नहीं की

2.2.46 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अप्रैल 2014 से लागू) की धारा 173(1) के अनुसार प्रत्येक वर्ष बीओडी की कम से कम चार बैठके आयोजित होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान आवश्यक 20 बैठकों के स्थान पर मात्र 15 बैठकें आयोजित हुई, जिससे अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड आकृष्ट होता है। अतः सर्वोच्च स्तर पर आवश्यक बैठकें आयोजित करने में असफलता ने कम्पनी की परियोजनाओं (स्वान, एसडीसी, सीएससी, आईटी, पार्को आदि) के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डाला क्योंकि कम्पनी के बीओडी द्वारा इनकी सामयिक समीक्षा नहीं की गई थी।

इसके आगे, यह भी पाया गया कि महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि (i) बड़ी कंपनियों जैसे मेसर्स टीसीएस, मेसर्स इन्फोसिस और मेसर्स इम्प्यूटस द्वारा इकाईयों की स्थापना न करना (ii) सीएससी योजना का कमजोर कार्यान्वयन (iii) भोपाल, इन्दौर व जबलपुर के आईटी, पार्को की कार्य की धीमी प्रगति तथा आईटी, इकाईयों की स्थापना में आवंटियों को हो रही समस्याएँ (iv) आईआईआईटी भोपाल की स्थापना में तथा राज्य निवासी डेटा हब के कार्यान्वयन में देरी और (v) विभिन्न परियोजनाओं (सीएससी, स्वान, एसडीसी) के तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बीओडी को समीक्षा हेतु नियमित आधार पर प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि बीओडी बैठकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये गये थे। तथ्य शेष रहा कि परियोजनाओं में देरी निगरानी की कमी के कारण हुई थी। बीओडी को प्रस्तुत न किये गये महत्वपूर्ण मामलों के मुद्दें पर उत्तर मौन था।

कम्पनी में प्रचलित लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियाँ

2.2.47 कम्पनी के पास एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है और लेखापरीक्षा गतिविधि कार्य वाह्य स्रोत से पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट करते हैं। परियोजनाएँ, जैसे एसडीसी, स्वान परियोजना, सीएससी योजना की लेखापरीक्षा, तृतीय पक्ष लेखापरीक्षकों (टीपीए) को सौंपी गयी थी। तथापि, कम्पनी ने अपनी मुख्य गतिविधियों जैसे आईटी,

2011–12 से
2015–16 के दौरान
निदेशक मंडल की
आवश्यक 20 बैठकों
के स्थान पर केवल
15 बैठकें आयोजित
हुई

आंतरिक लेखापरीक्षा
के लिए वाह्य चार्टर्ड
एकाउंटेंट को सौंपा
गया कार्यक्षेत्र व्यापक
नहीं था

पार्कों, राज्य निवासी डेटा हब, भोपाल व इन्दौर की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों तथा मापांकन प्रयोगशालाओं की लेखापरीक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वाह्य स्रोत के चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया कार्यक्षेत्र व्यापक नहीं था तथा कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं का सूक्ष्म विश्लेषण इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया था। इसके आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कम्पनी की मुख्य परिचालन गतिविधियाँ को सम्मिलित नहीं किया गया था और वे सामान्य प्रकृति की टिप्पणियों से युक्त थीं।

निकास सम्मेलन में सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए (अक्टूबर 2016) कहा कि भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को भी लिया जाएगा।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:

- परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कम्पनी ने रणनीतिक व दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की थी। वर्ष 2011–12, 2013–15 तथा 2015–16 के समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) को देरी से अंतिम रूप दिया गया।
- स्वान परियोजना के अन्तर्गत राज्य में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य को प्राप्त न करते हुए सभी विभागों को हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी नहीं दी गई।
- सीएससी योजना के अंतर्गत नियोजित कुल 9,232 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) में से 31 मार्च 2016 को कुल 3,499 सीएससी परिचालन में थे (38 प्रतिशत)। वहाँ कनेक्टिविटी की समस्याएँ तथा व्यवसाय की अव्यवहार्यता थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन में 36 सीएससी में से 21 सीएससी परिचालन में नहीं पाये गये। अतः, आई.टी. के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी सेवाएँ देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।
- त्रुटिपूर्ण योजना के कारण कम्पनी, एसटीपी ग्वालियर में कुल उपलब्ध 90,000 वर्गफीट क्षेत्र में से एक बड़े क्षेत्र को खाली छोड़ते हुए, मात्र 10,200 वर्गफीट स्थान किराये पर दे सकी।
- कम्पनी में उपलब्ध आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि यह मुख्य गतिविधियों तथा क्रियान्वित हो रही अन्य बड़ी परियोजनाओं को शामिल नहीं कर रही थी।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

- कम्पनी को दीर्घकालीन तथा रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए तथा एमओयू को समय पर अंतिम रूप देना चाहिए, ताकि इसकी गतिविधियों को चलाया जा सके।
- कम्पनी को उपयुक्त योजनाएँ तैयार करनी चाहिए, ताकि स्वान परियोजना के अन्तर्गत सरकारी विभागों के सभी चिन्हित स्थानों को समयबद्ध तरीके से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी दी जा सके।
- कम्पनी को सीएससी की स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा नेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना में

परिकल्पित व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जिसके अंतर्गत इस योजना की अवधारणा की गई थी।

- कम्पनी को भविष्य की मांग तथा आई.टी. उद्योग की संभावना पर विचार करते हुए राज्य में आई.टी. परियोजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए ताकि उनकी स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके तथा वर्तमान आई.टी. पार्कों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए।
- कम्पनी को अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी सभी मुख्य गतिविधियों और सभी योजनाओं / परियोजनाओं को आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्रान्तर्गत समिलित करना चाहिए।

2.3 मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अप्रैल, 1974 में अनाजों के उपार्जन एवं वितरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख अभिकरण के रूप में निर्गमित हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनाजों का उपार्जन, संग्रहण, परिवहन, वितरण एवं आवागमन की गतिविधियों को संचालन करना था। हालांकि कम्पनी केवल उपार्जन एवं वितरण का कार्य करती है और अनाजों के भण्डारण की सुविधा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा मुहैया करायी जाती है, जो कि भण्डारण के लिए राज्य का प्रमुख अभिकरण है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत अनाजों का वितरण किया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भोपाल में है साथ ही आठ क्षेत्रीय कार्यालय एवं 48 जिला कार्यालय हैं। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने 343.55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ एवं 63.09 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान कम्पनी की बिक्री ₹ 8,438.71 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,439.75 करोड़ हो गई। जबकि कम्पनी की लाभप्रदता जो वर्ष 2011–12 में ₹ 5.25 करोड़ थी वह वर्ष 2014–15 में ₹ 69.12 करोड़ की हानि में बदल गई।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से बकाया जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 1,977.10 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,848.28 करोड़ के मध्य थी, न वसूल हो पाने के कारण खराब हुयी। परिणामस्वरूप कम्पनी ने हानि को पूरा करने के लिये बैंक से उधारी का सहारा लिया जिससे उसकी वित्तीय लागत, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 701.60 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,722.18 करोड़ हो गई थी।

(कंडिका 2.3.29)

- कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये मध्य प्रदेश शासन चरणबद्ध तरीके से कम्पनी को अतिरिक्त पूंजी प्रदाय कर सकती है या ब्याज मुक्त ऋण या सहायता अनुदान उपलब्ध या उपार्जन लागत का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान कर सकती है जिससे ऋण कम हो सके तथा कम्पनी अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सके।

(कंडिका 2.3.28)

- गेहूँ एवं धान के उपार्जन के लिए तय लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने फसल उपज के अनुमान के सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुये उपार्जन लक्ष्य को संशोधित नहीं किया था। जिसके बजह से लक्ष्य से ज्यादा उपार्जित धानों की मिलिंग नहीं हो सकी क्योंकि वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान राज्य में मिलिंग क्षमता पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप धान स्टॉक के संचय एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 114.40 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.10, 2.3.11 एवं 2.3.14)

- कम्पनी वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए उपार्जित मक्का जो कि क्षतिग्रस्त हो गयी थी, के एवज में भारतीय खाद्य निगम से भण्डारण शुल्क एवं ब्याज

के ₹ ४७ करोड़ का दावा करने में असफल रही। इसके अलावा क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में देरी होने से ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य भण्डारण शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिकाएँ 2.3.15 एवं 2.3.26)

- कम्पनी ने बारदानों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अवास्तविक धान उपार्जन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये अधिक बारदानों का उपार्जन किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उधार ली गई राशि के अवरुद्ध होने के साथ साथ ₹ 176.01 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.18)

- कम्पनी ने भोपाल एवं उज्जैन क्षेत्र के लीड दरों में असामान्य अन्तर होने के बावजूद परिवहन हेतु ठेके देते समय मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा। परिणामस्वरूप परिवहन व्यय के लिए उच्चतर दर से भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 2.3.21)

- कम्पनी, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के साथ स्वीकार्य भण्डारण हानियों के लिए मानक तय करने में असफल रही। परिणामस्वरूप भण्डारण कमी के दावों ₹ 103 करोड़ की वसूली मार्च 2016 तक नहीं हो पायी थी जो कि वर्ष 2013 से 2016 तक से सम्बन्धित है।

(कंडिका 2.3.25)

- कम्पनी में प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी पायी गयी। इसके अलावा कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपर्जित अनाजों के मात्रानुसार उपार्जन के दौरान गुणवत्ता जाँच के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की।

(कंडिकाएँ 2.3.36 एवं 2.3.37)

प्रस्तावना

2.3.1 मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अप्रैल 1974 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय पूल से सम्बन्धित अनाजों का उपर्जन एवं वितरण की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार के प्रमुख अभिकरण के रूप में की गई थी। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न के उपार्जन, भण्डारण, परिवहन व वितरण की गतिविधियों को संचालित करना था। हालांकि भण्डारण का कार्य कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जो कि राज्य शासन के भण्डारण कार्य के सम्बन्ध में प्रमुख अभिकरण है, के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत खाद्यान्नों का भण्डारण केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के माध्यम से भी किया जाता है।

कम्पनी व मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ¹ (मध्य प्रदेश मार्कफेड) द्वारा गेहूँ व धान के उपार्जन का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवंटित जिलों में सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। उपार्जन केन्द्रों की संख्या और उनके स्थान का निर्धारण

¹ मध्य प्रदेश मार्कफेड राज्य में सरकार द्वारा खाद्यान्नों के उपार्जन हेतु पंजीकृत अभिकरण है एवं कम्पनी उपार्जन एवं वितरण हेतु प्रमुख अभिकरण है। इसलिये राज्य के खाद्यान्नों के उपार्जन का कार्य प्रतिवर्ष कम्पनी एवं मार्कफेड के बीच आवंटित किया जाता है।


जिला कलेक्टर द्वारा उपार्जन केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति, कम्पनी तथा मार्कफेड में कार्मिकों की उपलब्धता आदि कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ष 2015–16 में कम्पनी को गेहूँ उपार्जन हेतु 25 जिलें तथा धान उपार्जन हेतु 19 जिलें आवंटित किये गये थे जबकि मध्य प्रदेश मार्कफेड को गेहूँ उपार्जन हेतु 26 जिलें तथा धान उपार्जन हेतु 32 जिले आवंटित किए गए थे।

अधिकतम कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता² के अनुसार खरीद केन्द्रों पर लाए गए खाद्यान्न समय समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने के पश्चात् खरीदे जाते हैं। उन परिस्थितियों में जहाँ कृषकों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, वहाँ वे खुले बाजार में अपने उत्पाद बेचने हेतु स्वतंत्र हैं।

मध्य प्रदेश मार्कफेड उपार्जित किये गए गेहूँ को तत्काल कम्पनी को सौंप देती है जबकि उपार्जित धान को पारम्परिक मिलिंग के पश्चात प्राप्त चावल को कम्पनी को सौंपती है। इसी प्रकार कम्पनी उपार्जित गेहूँ को गोदामों में संग्रहण एवं धान का पारम्परिक मिलिंग कराकर प्राप्त चावल का संग्रहण गोदामों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के अनुसार विविध कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वितरण हेतु करती है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन पद्धति जो कि राज्य में प्रचलित है के तहत गेहूँ एवं चावल की अधिक मात्रा जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा से अधिक है को परिदान केन्द्रीय पूल संचालन के लिए भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है। वह खाद्यान्न जो राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया जाता है, के विरुद्ध दावे भारत सरकार से किए जाते हैं जबकि केन्द्रीय पूल में सौंपे गए खाद्यान्नों के विरुद्ध दावे भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाते हैं। यदि कोई दावे भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाते हैं, तो उसका दावा राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाता है। खाद्यान्नों के उपार्जन एवं वितरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधियों को दर्शाने वाला फ्लोचार्ट रेखाचित्र 2.3.1 में दिया गया है।

निम्न रेखाचित्र खाद्यान्नों के उपार्जन व वितरण की गतिविधियों के प्रवाह को दर्शाता है—

रेखाचित्र 2.3.1



² यह विनिर्देश उपार्जन/स्वीकृति के लिये विभिन्न गुणवत्ता मापदण्डों के उपरी स्तर (प्रतिशत में) को प्रदान करता है, जिसके नीचे उपार्जन में अभिकरण/कम्पनी द्वारा धान/चावल/गेहूँ के उपार्जन/स्वीकृति नहीं की जा सकती है।

संगठनात्मक संरचना

2.3.2 कम्पनी मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसका प्रमुख होता है जिसकी सहायता प्रमुख सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण) द्वारा राज्य में खाद्यान्नों के उपार्जन एवं वितरण से सम्बन्धित विभिन्न नितियों को बनाने एवं दिशानिर्देश जारी करने में करते हैं।

कम्पनी का प्रबंधन संचालक मण्डल में निहित है, जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध संचालक व कार्यपालक निदेशक सहित आठ निदेशक होते हैं। प्रबंध संचालक कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है जिसकी सहायता कार्यपालक निदेशक (वित्त), चार महाप्रबंधकों (उपार्जन, वितरण, परिवहन और प्रशासन) और मुख्यालय में पदस्थ उप-महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है। अधीनस्थ स्तर पर गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धकों के अधीन आठ क्षेत्रीय कार्यालय व जिला प्रबन्धकों के अधीन 48 जिला कार्यालय स्थापित हैं।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिये की गई थी कि क्या:

- खाद्यान्नों व बारदाने का उपार्जन भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था एवं वो मितव्ययी, प्रभावी तथा उचित गुणवत्ता का था।
- खाद्यान्नों का परिवहन, भण्डारण तथा प्रबन्धन कुशल, प्रभावी तथा पारदर्शी था।
- कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा एवं गतिविधियों के प्रबन्धन हेतु प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन अस्तित्व में था।
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड लेखापरीक्षा के मानक है एवं इसे निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया है:

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006;
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद्य सब्सिडी योजनाओं के क्रियान्वयन/लक्षित उपार्जन एवं वितरण के लिए निर्देश व दिशानिर्देश सहित मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी वार्षिक उपार्जन आदेश व समझौता ज्ञापन इत्यादि;
- संचालक मंडल की सभाओं की कार्यसूची व कार्यवृत्, आंतरिक आदेश/परिपत्र एवं प्रधान/क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक कार्यालयों में संधारित अभिलेख;
- सब्सिडी से संबंधित वित्तीय दावे, आर्थिक लागत एवं अन्य लागत एवं हानि जो कि मध्य प्रदेश शासन/भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम व अन्य अभिकरणों से सम्बन्धित हो;
- चावल मिलर्स व परिवहन ठेकेदारों के साथ हुए ठेके व अनुबंध।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र व कार्यविधि

2.3.5 अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के लिए कम्पनी के कार्यों के निष्पादन के आकलन हेतु वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च से जुलाई 2016 के मध्य की गई

जिसमें मुख्यालय, आठ में से दो³ क्षेत्रीय कार्यालय तथा 48 जिला कार्यालयों में से 13⁴ जिला कार्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया था। चयनित इकाईयों में आठ⁵ भण्डारण गृहों में संग्रहित खाद्यान्न का सत्यापन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान किया गया।

24 फरवरी 2016 को सरकार/कम्पनी के साथ आयोजित प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रतिवेदन कम्पनी व शासन को अगस्त 2016 में दिया गया और शासन व कम्पनी से जवाब नवम्बर 2016 में प्राप्त हुए थे। निर्गम सम्मेलन 8 नवम्बर 2016 को आयोजित किया गया तथा कम्पनी व शासन के विचारों व उत्तरों को प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार समाहित कर लिया गया है।

पिछली लेखापरीक्षा का कवरेज

2.3.6 कम्पनी की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा की गई थी जिसे 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समिलित किया गया था तथा जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा सितम्बर 2012 में चर्चा की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की अनुशंसाएं प्रतीक्षित थी (अक्टूबर, 2016)।

कम्पनी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी एक निष्पादान लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी और इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा, मध्य प्रदेश सरकार, वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3 में समिलित किया गया था जिस पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा किया जाना था (अक्टूबर, 2016)।

भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

2.3.7 विकेन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 343.55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ तथा लाख 63.09 मीट्रिक टन धान का उर्पाजन किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन व केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के माध्यम से क्रमशः 36.53 लाख मीट्रिक टन और 73.22 लाख मीट्रिक टन भण्डारण स्थान की व्यवस्था की। वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान कम्पनी की बिक्री ₹ 8,438.71 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,439.75 करोड़ हो गई। जबकि कम्पनी की लाभप्रदता वर्ष 2011–12 में ₹ 5.25 करोड़ थी, जो वर्ष 2014–15 में ₹ 69.12 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गई।

लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन में विलम्ब

2.3.8 लोक उपक्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक लोक उपक्रम को प्रत्येक सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व आगामी वर्ष में प्रस्तावित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण देते हुये राज्य शासन के साथ समझौता ज्ञापन करना होता है। समझौता ज्ञापन में मुख्यतः भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा पिछले वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों का मूल्यांकन शामिल होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने समझौता ज्ञापन को प्रस्तुत करने में चार से आठ महीनों की देरी की। यह मुख्यतः आवश्यक

³ सतना एवं उज्जैन।

⁴ भोपाल, देवास, धार, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, कटनी, मण्डला, सागर, सतना, सिवनी, श्योपुर तथा उज्जैन।

⁵ देवास, भोपाल, कटनी, सतना, सागर, ग्वालियर, श्योपुर एवं उज्जैन।

भौतिक एवं वित्तीय आंकड़ों के संकलन में देरी के कारण हुआ। कम्पनी ने वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2015–16 के समझौता ज्ञापन देरी से प्रस्तुत किये तथा समझौता ज्ञापन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का मुख्य भाग समाप्त होने के बाद क्रमशः नवम्बर 2011, फरवरी 2013, नवम्बर 2013, व नवम्बर 2015 में हस्ताक्षरित हुए। यद्यपि वर्ष 2014–15 का समझौता ज्ञापन कम्पनी द्वारा अप्रैल 2014 में प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु मध्य प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 2016 तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार कम्पनी की गतिविधियों का संचालन सर्वोत्तम तरीके से करने के लिये मध्य प्रदेश शासन के साथ समझौता ज्ञापन करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर, 2016) में सरकार ने आश्वस्त किया कि वह भविष्य में समझौता ज्ञापन के जल्दी प्रस्तुत करने तथा अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

खाद्यान्नों का उपार्जन

2.3.9 मध्य प्रदेश शासन ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ धान व मोटे अनाज के उपार्जन व वितरण करने के लिए कम्पनी को प्रमुख अभिकरण के रूप में नियुक्त किया (फरवरी, 2009)। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कमजोर वर्ग के लोगों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना है। राज्य में प्रचलित विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना प्रणाली के अन्तर्गत कम्पनी राज्य शासन के प्रतिनिधि के तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार के लिए गेहूँ व धान का उपार्जन, भंडारण एवं वितरण करती है। भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा उपार्जन गतिविधियों पर किये गये समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर करती है।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना प्रणाली के अन्तर्गत उपार्जित किये जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा राज्य में उत्पादित खाद्यान्नों के आधार पर उपार्जित होने वाले खाद्यान्नों की अनुमानित मात्रा निर्धारित की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न बेचने हेतु बाध्य नहीं किया जाए। खाद्यान्नों का उपार्जन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रबन्धित उपार्जन केन्द्रों पर किया जाता है।

उपार्जन की कीमत सहकारी समितियों को ऑनलाईन अन्तरित की जाती है जो इसका भुगतान आगे किसानों को करते हैं। उपार्जन अवधि⁶ के अन्त में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अंतिम भुगतान किया जाता है। कम्पनी प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्यान्नों की औसत गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी। नीचे दिए गए छविचित्र उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन गतिविधियों को दर्शाते हैं।

⁶ उपार्जन अवधि में एक वर्ष में दो उपार्जन मौसम सम्मिलित हैं यथा रवी विपणन मौसम जो मार्च से जून तक (गेहूँ के लिये) और खरीफ विपणन मौसम जो अक्टूबर से फरवरी तक (धान एवं मोटे अनाज के लिये)।



ग्वालियर जिले के उपार्जन केन्द्र

मण्डला जिले के उपार्जन केन्द्र


गेहूँ व धान के संदर्भ में उपार्जन लक्ष्यों का अनुचित निर्धारण

2.3.10 मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद्यान्नों (गेहूँ धान व मोटा अनाज) के उपार्जन हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा रबी विपणन वर्ष 2011–12 से खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 तक उपार्जित किए गए खाद्यान्नों के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कमी/आधिक्य को परिशिष्ट 2.3.1 में दर्शाया गया है।

लक्ष्यों की तुलना में गेहूँ व धान का वास्तविक उपार्जन रेखाचित्र 2.3.2 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 2.3.2

गेहूँ एवं धान के उपार्जन लक्ष्य एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाला रेखाचित्र



उपरोक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि निर्धारित लक्ष्य वास्तविक नहीं थे क्योंकि वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों व वास्तविक उपार्जन में काफी अन्तर था। गेहूँ के सन्दर्भ में लक्ष्य वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में कमतर थे जबकि वर्ष 2013–14 से 2015–16 में असमान्य रूप से उच्च थे। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में गेहूँ का उपार्जन लक्ष्य से क्रमशः 41.86 प्रतिशत व 30.87 प्रतिशत अधिक हुआ जबकि वर्ष 2013–14 व 2014–15 में उपार्जन लक्ष्यों में 10.15 प्रतिशत से 44.77 प्रतिशत की कमी हुई। इसी तरह धान का उपार्जन वर्ष 2011–12 में लक्ष्य से 70.91 प्रतिशत अधिक था

जबकि वर्ष 2012–13 से 2015–16 में धान का उपार्जन 2.56 प्रतिशत से 29.17 प्रतिशत तक कम था।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि राज्य के कृषि विभाग द्वारा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाली जलवायु दशाओं को ध्यान में रखते हुये, वर्ष में रबी विपणन वर्ष एवं खरीफ विपणन वर्ष के दौरान समय—समय पर फसल उत्पादन के आंकड़ों को पुनरीक्षित किया गया था। यद्यपि, कम्पनी ने कृषि विभाग के द्वारा फसल उत्पादन के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार उपार्जन लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं किया और प्रारम्भिक फसल उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार ही उपार्जन जारी रखा। इस प्रकार राज्य में हुए जलवायु परिवर्तनों, जिसका प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है को ध्यान में रखते हुये कम्पनी लक्ष्यों को वास्तविक आधार पर पुनरीक्षित करने में असफल रही।

अतः कम्पनी व सरकार द्वारा सूक्ष्म नियोजन अनिवार्य था, क्योंकि इससे भण्डार के लिए स्थान, परिवहन सुविधा तथा बारदाना उपार्जन की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना था जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.3.14, 2.3.18 और 2.3.11 में चर्चा की गई है।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उपार्जन के अनुमान पिछले वर्ष के उपार्जन के ऑकड़े व बुवाई क्षेत्र के आधार पर तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त फसल का उत्पादन जलवायु परिस्थितिओं पर निर्भर करता है एवं उपार्जन प्रचलित बाजार दर के अनुसार कम ज्यादा होता है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्भावित फसल के आकलन की समीक्षा बुवाई व कटाई की अवधि के बीच की जानी चाहिए थी जिससे गेहूँ व धान के उपार्जन के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सके।

उपार्जित धान एवं मिलिंग क्षमता के बीच मिलान न होना

2.3.11 राज्य सरकार तथा भारत सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कम्पनी धान उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है। उपार्जित धान मिलिंग द्वारा मिलिंग की जाती है तथा प्राप्त चावल को कम्पनी के निर्धारित गोदामों पर भेजा जाता है। कम्पनी स्टॉक का भण्डारण उचित वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था के अनुसार करती है तथा उन्हें भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वितरित करती है। पारम्परिक मिलिंग पद्धति के माध्यम से धान को चावल में परिवर्तित करने की लागत को भारत सरकार द्वारा ₹ 15 प्रति किवंटल की दर से भुगतान किया जाता है। आवंटन से अधिक उपलब्ध चावल भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल के लिए सौंप दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पास 2011–12 व 2012–13 के दौरान काफी सीमित मिलिंग क्षमता एवं भण्डारण क्षमता मौजूद थी। राज्य की वर्ष 2011–12 में मिलिंग क्षमता 1.24 लाख मीट्रिक टन (262 मिलर्स) प्रतिमाह थी जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 6.33 लाख मीट्रिक टन (441 मिलर्स) प्रतिमाह हो गई। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13, व 2013–14 के दौरान क्रमशः ₹ 50, ₹ 100, ₹ 150, प्रति किवंटल की दर से बोनस घोषित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा धान का उपार्जन (मध्य प्रदेश मार्कफेड के द्वारा उपार्जन को छोड़कर) वर्ष 2011–12 के 5.08 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 9.19 लाख मीट्रिक टन हो गया। पिछले पाँच वर्षों में उपार्जित धान व पारम्परिक मिलिंग का विवरण तालिका 2.3.1 में दिया गया है:

तालिका 2.3.1

धान का उपार्जन तथा मिलिंग का विवरण दर्शाती तालिका

(मात्रा लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	उपार्जन	योग	मिलर्स को जारी मात्रा	कमी / विक्य	मिलिंग के लिए शेष	बिना मिल किए गए धान का प्रतिशत
2011-12	1.91	5.08	6.99	2.78	0.07	4.14	59.23
2012-13	4.14	6.79	10.94	3.93	0.12	6.89	63.01
2013-14	6.89	9.19	16.09	4.28	0.24	11.57	71.91
2014-15	11.50	6.58	18.15	9.52	1.69	6.93	38.21
2015-16	6.93	6.18	13.18	8.87	0.43	3.82	29.12
कुल		33.82		29.38			

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आंकड़े

धान के उपार्जन के अनुसार पर्याप्त मिलिंग क्षमता को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान मिलिंग में देरी हुई।

तालिका से यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 33.82 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया लेकिन केवल 29.38 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग की गई। यह मुख्यतः राज्य में कम मिलिंग क्षमता के कारण हुआ। कुल उपार्जित धान की तुलना में बिना मिलिंग की गई धान का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 59.23 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 29.12 प्रतिशत के बीच रहा। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य मिलिंग क्षमता बढ़ने के कारण बिना मिलिंग की गई धान का प्रतिशत घटा तथापि इनमें से किसी भी वर्ष में कम्पनी कुल उपार्जित धान की मिलिंग कराने में असफल रही। परिणामस्वरूप बिना मिलिंग की हुई धान का स्टॉक बढ़ा जिसके कारण अनुपयुक्त भण्डारण होने के कारण धान की क्षति हुई और कम्पनी को हानि हुई जैसा कि कंडिका 2.3.14 में चर्चा की गई है।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि राज्य में सीमित मिलिंग क्षमता होने के कारण कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा भुगतान किये जाने वाले ₹ 15 प्रति किवंटल मिलिंग लागत के अलावा ₹ 25 प्रति किवंटल मिलिंग प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की एवं बताया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के बीच 100 प्रतिशत मिलिंग हुई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच 11.57 लाख मीट्रिक टन से 3.82 लाख मीट्रिक बिना मिल की हुई धान पड़ी हुई थी। जिससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अतिरिक्त मिलिंग हेतु प्रोत्साहन राशि देने के बावजूद 100 प्रतिशत मिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

मिलर्स को अनुचित लाभ में विस्तार

2.3.12 खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 के लिए मिलर्स के साथ किये गए मिलिंग अनुबन्ध के अनुच्छेद-3 के अनुसार मिलर्स को 50 प्रतिशत पारम्परिक मिल चावल भारतीय खाद्य निगम को तथा 50 प्रतिशत कम्पनी को भेजना चाहिए था। यदि मिलर्स ऐसा करने में असफल रहता है तो ₹ 18,100 प्रति ढेर⁷ की दर से मिलर्स से शास्ति की वसूली की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा 11 जिलों⁸ में 147 मिलर्स के द्वारा केन्द्रीय पूल प्रचालन के अन्तर्गत भेजे गए पारम्परिक मिल चावल को उचित औसत गुणवत्ता से कम होने के कारण पारम्परिक मिल चावल सुपुर्दगी को अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मिलर्स केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को पारम्परिक मिल चावल भेजने के लिये अनिच्छुक हो गए। बढ़ते हुए स्टॉक संचय को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी को मिलर्स के द्वारा केन्द्रीय पूल हेतु भेजे गये स्टॉक को

⁷ एक ढेर=27 मीट्रिक टन।

⁸ कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, मण्डला, सतना, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया।

स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया। तदनुसार कम्पनी ने मिलर्स द्वारा प्रदाय स्टॉक को स्वीकार कर लिया। परन्तु कम्पनी ने स्टॉक स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई गुणवत्ता जाँच नहीं की, कि पारम्परिक मिल चावल उचित औसत गुणवत्ता मानकों की पुष्टि करता है। अतः न्यून गुणवत्ता के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकार किया गया पारम्परिक मिल चावल कम्पनी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, मिलिंग अनुबंध की शर्त (अनुच्छेद-3) का अनुपालन न होने के कारण कम्पनी ने 102 मिलर्स के उपलब्ध जमाओं में से ₹ 5.82 करोड़ रोक लिए लेकिन पाँच जिलों⁹ में 45 मिलर्स जिनसे पारम्परिक मिल चावल के लिये किये गये मिलिंग अनुबंध के अनुसार कम्पनी द्वारा सुरक्षा निधि जमा नहीं कराई गई थी, से ₹ 1.16 करोड़ राशि वसूल नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि मिलर्स भारतीय खाद्य निगम को पारम्परिक मिल चावल देने के लिये अनिच्छुक थे इसीलिए कम्पनी ने उन मिलर्स से जिनकी सुरक्षा निधि जमा थी में से ₹ 5.82 करोड़ रुपये रोक लिए गए तथा जिन मिलर्स ने कम्पनी के पास सुरक्षा निधि नहीं जमा की थी उनके परिवहन के देयक रोक लिए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकृत निम्न गुणवत्ता के चावल को बिना किसी आवश्यक जाँच के स्वीकार कर मिलर्स को अनुचित लाभ दिया। 45 मिलर्स जिनसे कम्पनी द्वारा मिलिंग अनुबंध अन्तर्गत सुरक्षा निधि प्राप्त नहीं की थी उनसे दण्ड राशि भी वसूल नहीं जा सकी।

मिलर्स द्वारा अनुबन्धित मात्रा के अनुसार धान न उठाना

2.3.13 मिलिंग अनुबंध के अनुच्छेद-6 के अनुसार यदि मिलर अनुबंध अधिक में धान की अनुबन्धित मात्रा मिल करने में असफल रहता हैं तो उसे एक रुपये प्रति विवंटल प्रतिदिन के अनुसार दण्ड राशि का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच के लिए चयनित जिलों में से एक जिले (मण्डला) में पाया गया कि मिलर्स द्वारा अनुबंधित मात्रा से कम मात्रा में धान मिल की गई। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के बीच कम मिलिंग की गई धान की मात्रा 1,77,960 मीट्रिक टन थी (अनुबंधित मात्रा के 1.33 प्रतिशत से 25.34 प्रतिशत के बीच)। लेकिन जिला कार्यालय अनुबंध की शर्त अनुसार मिलर्स पर ₹ 1.14 करोड़ की दण्ड राशि लगाने में असफल रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि मिलिंग देरी से पूर्ण हुई। इसके अतिरिक्त बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पारम्परिक मिल चावल अस्वीकार करने के कारण धान मिलिंग में देरी हुई। मिलर्स की कम संख्या भी इसका एक प्रमुख कारण बताया गया और यदि मिलर्स पर दण्ड राशि लगाई जाती तो वे मिलिंग कार्य करने के प्रति और अधिक अनिच्छुक हो जाते।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने अनुबंध की शर्त का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त मिलिंग सहायता से पिछले पाँच वर्षों में नियमित मिलिंग भुगतान के अलावा ₹ 25 प्रति विवंटल की दर से मिलिंग प्रोत्साहन राशि की घोषणा के कारण मिलिंग क्षमता में वर्ष 2011–12 में 1.24 लाख मीट्रिक टन (262 मिलर्स) से 2015–16 में 6.33 लाख मीट्रिक टन (441 मिलर्स) तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुयी। अतः दोषी मिलर्स के विरुद्ध दण्ड राशि आरोपित करने से मिलिंग कार्य बाधित नहीं होता।

⁹ डिण्डौरी, मण्डला, सतना, सीधी एवं सिंगरौली।

क्षतिग्रस्त धान के विक्रय से हानि

2.3.14 मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2012–13 के खरीफ विपणन वर्ष के दौरान धान पर ₹ 1,250 प्रति किवंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा ₹ 100 प्रति किवंटल की दर से बोनस घोषित किया। बोनस की घोषणा तथा बाजार में धान की कम कीमत होने के कारण किसानों ने सम्पूर्ण धान कम्पनी को उपार्जन हेतु प्रदाय किया। इसलिये कम्पनी द्वारा धान का उपार्जन पिछले वर्ष की तुलना में 42.55 प्रतिशत तक बढ़ गया। कम्पनी जानती थी कि बोनस की घोषणा के कारण धान के उपार्जन में वृद्धि होगी किन्तु राज्य में कम्पनी ने इसके लिए पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। वर्ष 2012–13 के दौरान कम्पनी की भण्डारण क्षमता 54.74 लाख मीट्रिक टन की थी जबकि वर्ष के दौरान गेहूँ व धान का उपार्जन 98.47 लाख मीट्रिक टन हुआ। इसलिए पर्याप्त भण्डारण स्थान न होने के कारण उपार्जित किए गए धान को खुले कैंप¹⁰ में भण्डारित किया गया।

उचित भण्डारण
सुनिश्चित न करने
के फलस्वरूप धान
की क्षति व
₹ 114.40 करोड
की हानि हुई

लेखापरीक्षा ने पाया कि खुले कैंप में भण्डारित 2.25 लाख मीट्रिक टन धान क्षतिग्रस्त हो गई। चूंकि क्षतिग्रस्त धान की मिलिंग नहीं हो पायी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित नहीं की जा सकती थी अतः भारत सरकार ने (सितम्बर 2013) कम्पनी को क्षतिग्रस्त धान को खुले बाजार में बेचने हेतु निर्देश दिए। तदनुसार कम्पनी ने निविदाएं आमंत्रित की (जनवरी/अप्रैल 2014) और 1.66 लाख (2014–15 में 1.60 लाख मीट्रिक टन और 2015–16 में 0.06 लाख मीट्रिक टन) मीट्रिक टन धान खुले बाजार में विक्रय किया जो कि उपार्जन लागत (₹ 1,783.48 व ₹ 1,802.20 प्रति विवंटल) से कम था। अतः धान के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 114.40 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने हानि हुई राशि ₹ 107.05 करोड़ का मध्य प्रदेश शासन को दावा प्रस्तुत किया (जून 2014) जिसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई (मार्च/अक्टूबर 2015) जबकि शेष राशि ₹ 7.35 करोड़ का दावा अभी भी किया जाना शेष था। अतः उचित भण्डारण की व्यवस्था हेतु नियोजन व तैयारी के अभाव के फलस्वरूप कम्पनी राज्य सरकार को ₹ 107.05 करोड़ के राजस्व की हानि का कारण बनी।

सरकार व कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि भण्डारण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की थी। कम्पनी के द्वारा यह भी कहा गया कि क्षतिग्रस्त स्टॉक विक्रय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी उपार्जन के समय मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से विमर्श कर पर्याप्त भण्डारण क्षमता सुनिश्चित करने में असफल रहीं जिससे धान क्षतिग्रस्त हुई। जहाँ तक क्षतिग्रस्त स्टॉक पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा शेष राशि ₹ 7.35 करोड़ का दावा मध्य प्रदेश शासन से किया जाना था (नवम्बर, 2016)।

मक्का के विक्रय से कम्पनी को हुई हानि

2.3.15 कम्पनी ने छिंदवाड़ा जिले में केन्द्रीय पूल के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अन्तर्गत नवम्बर/दिसम्बर 2011 में ₹ 13.91 करोड़ की कीमत का 14,241.50 मीट्रिक टन मक्का का उपार्जन किया। भारतीय खाद्य निगम ने गुजरात राज्य सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को कम्पनी से मक्का उठाने के निर्देश दिए लेकिन गुजरात राज्य सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन मार्च, 2014 तक 11,274.8 मीट्रिक टन मक्का उठाने में असफल रहा और इस मक्का का स्टॉक कम्पनी के पास पड़ा रहा। मक्का की जीवन

¹⁰ कैंप एक खुला चबूतरा होता है जो बालू, सीमेन्ट एवं इंट से बना होता है। इसका उपयोग खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु किया जाता है।

अवधि केवल छः माह की होती है इसलिए वह खराब/क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अतिरिक्त 827.3 मीट्रिक टन मक्का की भण्डारण में हानि हुई और उसकी लागत हेतु मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक कार्पोरेशन लिमिटेड पर दावा किया गया था।

तत्पश्चात भारत सरकार ने क्षतिग्रस्त मक्का को खुले बाजार में बिक्री करने हेतु कम्पनी को निर्देशित किया (मार्च 2014)। तदनुसार कम्पनी ने निविदाएं आमंत्रित की (अगस्त 2014) और 10,447.5 मीट्रिक टन मक्का का विक्रय उसकी आर्थिक लागत ₹ 11,930 प्रति मीट्रिक टन के विरुद्ध ₹ 9.54 करोड़ (₹ 9,130 प्रति मीट्रिक टन की औसत प्राप्ति से) में किया गया। परिणामस्वरूप मक्का की कुल मात्रा के निस्तारण से ₹ 2,800 प्रति मीट्रिक टन की हानि कुल ₹ 2.93 करोड़ हुई। कम्पनी ने देरी से (नवम्बर 2015) भारतीय खाद्य निगम से ₹ 2.93 करोड़ की हानि का दावा किया।

केन्द्रीय पूल के लिए उपार्जित किए गए मक्का जो कि बाद में क्षतिग्रस्त हो गया था हेतु ₹ ४ छः करोड़ के ब्याज हानि व भण्डारण व्यय के भुगतान का दावा भारतीय खाद्य निगम से नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने केन्द्रीय पूल के लिए मक्का के स्टॉक का उपार्जन बैंक से ब्याज पर प्राप्त नकद साख से किया था और यह राशि दिसम्बर 2011 से अगस्त 2014 के मध्य तक अवरुद्ध रही (मक्का के विक्रय तक) और इस राशि पर ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा क्षतिग्रस्त मक्का पर, जब तक इसका निराकरण नहीं किया गया भण्डारण प्रभार भी व्यय किये गये। किन्तु कम्पनी द्वारा भण्डारण व्यय (₹ 2.15 करोड़) व ब्याज हानि¹¹ (₹ 3.85 करोड़) सहित कुल राशि ₹ ४ छः करोड़ (जून 2016) को छोड़कर केवल अन्तर लागत का ही दावा किया।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि भारतीय खाद्य निगम के साथ मक्का को उठाने हेतु निरन्तर पत्राचार किया गया था किन्तु भारतीय खाद्य निगम ने स्टॉक को नहीं उठाया जो कि अन्त में क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त मक्का के विक्रय से कम्पनी को हुई हानि ₹ 2.93 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ₹ 2.93 करोड़ के दावे को भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ₹ 2.15 करोड़ के भण्डारण व्यय प्रभारों तथा उधार राशि पर ब्याज हानि के ₹ 3.85 करोड़ का दावा प्रस्तुत करने में असफल रही।

ई—उपार्जन प्रणाली के क्रियान्वयन में खामियाँ

2.3.16 राज्य सरकार ने राज्य में उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष व रबी विपणन वर्ष 2012–13 से ई—उपार्जन व्यवस्था प्रारम्भ की। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य में कृषकों के एकीकृत डाटा बेस विकसित करना था जिससे राज्य में कृषकों को अपने उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री में सुविधा हो तथा वास्तविक किसानों की पहचान हो सके।

इस संदर्भ में कम्पनी के नमूना जॉच किये गये जिलों में लेखापरीक्षा ने ई—उपार्जन व्यवस्था में निम्नलिखित कमियों पाई:

- देवास में एक ही किसान का नाम आठ बार पंजीकृत पाया गया और एक किसान के मोबाइल नम्बर का उपयोग सत्तर अन्य किसानों को पंजीकरण करने के लिए किया गया था। अतः ई—उपार्जन व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा संधारित ऑकड़ों में विशिष्टता नहीं पायी गयी जिससे उपार्जन गतिविधियों में अनियमिताए हुई।

¹¹ 2010–11 में नकद साख पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत

- सतना में अमरपाटन व सतना उपार्जन केन्द्र पर किसानों द्वारा विक्रय किए खाद्यान्नों की भुगतान राशि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई। प्रशासन द्वारा जॉच के दौरान पाया गया कि उपार्जन समितियों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान किए बिना ई-उपार्जन पोर्टल में भुगतान की गलत प्रविष्टियाँ की गयी थी। अतः उपार्जन में समिलित एजेन्सियों द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने हेतु ई-उपार्जन पोर्टल का उन्नयन किया जाना चाहिए।
- उज्जैन में सॉफ्टवेयर एक बार के गेहूँ के परिवहन के विरुद्ध दो बार ऑनलाइन परिवहन चालान जारी हो जाने को पकड़ने में असफल रहा। अतः ई-उपार्जन व्यवस्था सॉफ्टवेयर में दो बार भुगतान की सम्भावनाओं को भी नहीं नकारा जा सका था।

इस प्रकार ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं को सही करने हेतु ई-उपार्जन प्रणाली को और परिष्कृत करने की आवश्यकता है और आंकड़ों की विशिष्टता तथा आंकड़ों के दोहरीकरण को रोकना सुनिश्चित करने हेतु सॉफ्टवेयर में पर्याप्त तथा मजबूत आन्तरिक जॉच व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

सरकार ने आश्वस्त किया (नवम्बर 2016) कि सॉफ्टवेयर में पायी गयी कमियों में सुधार किया जाएगा।

बारदाने का उपार्जन

2.3.17 कम्पनी प्रत्येक उपार्जन वर्ष (रबी विपणन वर्ष एंव खरीफ विपणन वर्ष) के प्रारम्भ में अनाजों की पैकिंग एंव उसकी सुरक्षा के लिए बारदानों (जूट एंव पोलिप्रोलाइन) की आवश्यकता निर्धारित करती है। इसके अनुरूप कम्पनी द्वारा बारदानों का क्रय महानिदेशक आपूर्ति एंव निपटान (डीजीएसएण्डडी) कोलकाता से उपार्जन अवधि प्रारम्भ होने से पहले मांग पत्र प्रस्तुत करने के समय पूर्णतया अग्रिम राशि का भुगतान करके किया जाता है। निर्धारित प्राक्रिया के अनुसार वास्तविक आपूर्ति समय के 30 दिन पूर्व कम्पनी के डीजीएसएण्डडी को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। जबकि लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा अग्रिम का भुगतान प्रस्तावित आपूर्ति समय से चार से पाँच माह पूर्व किया गया था।

बारदानों का अत्यधिक उपार्जन एंव ऋण निधियों का अवरुद्ध होना

2.3.18 प्रत्येक रबी एंव खरीफ विपणन वर्ष के लिए तय उपार्जन लक्ष्य के आधार पर कम्पनी आवश्यक बारदानों (50 किग्रा. गेहूँ के लिए एक बारदाना एंव 40 किग्रा धान के लिए एक बारदाना) के उपार्जन की योजना बनाती है। कम्पनी आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुये 20 प्रतिशत अधिक बारदानों का उपार्जन करती है। लेखापरीक्षा ने खाद्यान्नों के वास्तविक उपार्जन के आधार पर बारदानों की वास्तविक उपयोगिता एंव वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की उपार्जन अनुमान के आधार पर बारदानों की आवश्यकता निकाली। बारदानों की अनुमानित आवश्यकता, उनका वास्तविक उपार्जन एंव वास्तविक उपयोग का विस्तृत वितरण तालिका 2.3.2 में दिया गया है।

तालिका-2.3.2

बारदाने के उपार्जन एवं उपयोग को दर्शाती तालिका

वर्ष	अनुमानित उपार्जन के आधार पर बारदाने की आवश्यकता गठानों में ¹²	वास्तविक उपार्जित बारदानों की गठानों की संख्या ¹³	अधिक उपार्जन	बारदानों की गठानों का वास्तविक उपयोग ¹⁴	बारदानों के गठानों का अन्तिम स्टॉक (संचरी)	अन्तिम स्टॉक का मूल्य (₹ करोड़ में)	ब्याज की हानि @10% (₹ करोड़ में)
2011-12	194000	228173	34173	245560	6586	13.17	1.32
2012-13	385728	484143	98415	407280	83449	166.90	16.69
2013-14	628800	629000	200	331990	380459	760.92	76.09
2014-15	465600	160170	0	347720	192909	385.81	38.53
2015-16	552000	379462	0	355700	216671	433.34	43.33
कुल	2226128	1880948	132788	1688250			176.01

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऑँकड़े

तालिका 2.3.2 से स्पष्ट है कि कम्पनी ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 1,32,788 गठानों का आवश्यकता से अधिक उपार्जन किया जबकि उनका उपयोग अत्यधिक कम होने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान 3,80,459 गठानों इकट्ठी हो गई, जिससे कम्पनी की ₹ 760.92 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। यद्यपि कम्पनी ने वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान शेष रही स्टॉक की मात्रा को ध्यान में रखते हुये कम मात्रा में बारदानों का उपार्जन किया फिर भी बारदानों का अन्तिम स्टॉक अधिक ही रहा। यह मुख्यतः खराब नियोजन, स्टॉक प्रबन्धन में कमी एवं वास्तविकता के आधार पर उपार्जन लक्ष्यों को संशोधित करने में असफल होने (जैसा कंडिका 2.3.10 में चर्चा की गई है) और उसी अनुसार वर्ष के दौरान समय-समय पर कृषि विभाग द्वारा किये गये उपज की पुनरीक्षित मात्रा के आधार पर बारदानों के उपार्जन का नियोजन नहीं किया गया। इसके कारण वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ब्याज के ₹ 176.01 करोड़ की राशि सहित मूल राशि भी अवरुद्ध रही।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कम्पनी द्वारा बारदानों का मिलान नहीं किया गया, जिससे कम्पनी के पास उपलब्ध अथवा उपार्जन संस्थाओं एवं मध्य प्रदेश विपणन संघ को प्रदाय ₹ 17.55 करोड़ मूल्य के 42.80 लाख बारदाने खराब एवं अनुपयोगी हो गये (जुलाई, 2016)। यदि कम्पनी ने बारदाने क्रय करते समय बारदानों के उपलब्ध स्टॉक का ध्यान रखा होता तथा कम्पनी ने बारदानों का उपयोग प्रथम आगम प्रथम निर्गम पद्धति से किया होता तो बारदानों को खराब होने से बचाया जा सकता था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) कि बारदानों के उपार्जन के लिए अनुमान अनाजों के अनुमानित उपार्जन, जो कि खुले बाजार में अनाजों के मूल्य तथा जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है, के आधार पर किया गया था। यह भी बताया गया कि बारदाने उपार्जन समिति के पास अपर्याप्त भण्डारण सुविधाओं तथा बारदाने में नमी के कारण खराब हुए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गेहूँ एवं चावल के लिए उपार्जन का लक्ष्य सम्बन्धित वर्षों के अक्टूबर एवं जून में बुवाई के समय तय किये जाते हैं। इसलिए बारदानों की वास्तविक आवश्यकता ज्ञात करने के लिए लक्ष्यों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए जिससे उधार ली गई धनराशि को अवरुद्ध होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त कम्पनी

¹² एक गठान=500 बारदान।

¹³ 31.3.2011 को स्कन्ध की 23,973 गठानें थीं।

¹⁴ 50 किलो गेहूँ एक बोरे तथा 40 किलो धान एक बोरे में को ध्यान में रखकर।

नये बारदानों के क्रय के लिए आदेश देते समय उपलब्ध बारदानों की मात्रा का ध्यान रखने में असफल रही जिससे बारदानों का अत्यधिक स्टॉक जमा हो गया।

डीजीएसएण्डडी से अप्रयुक्त निधि के वापसी के लिए दावे करने में विलम्ब

2.3.19 कम्पनी ने जनवरी 2011 से नवम्बर 2013 के दौरान डीजीएसएण्डडी को 8.21 लाख बारदाना गठानों के उपार्जन के लिए ₹ 1,498.53 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया। इसमें से कम्पनी ₹ 40.14 करोड़ का उपयोग नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी सम्बन्धित उपार्जन वर्ष के अन्त में अनुपयोगी अग्रिम की वापसी के लिए दावे करने में असफल रही और ₹ 40.14 करोड़ के लिए दावे देरी से किये गये (अगस्त 2015)। डीजीएसएण्डडी ने सुरक्षा राशि के 5 प्रतिशत रोक कर ₹ 38.68 करोड़ वापिस कर दिए (अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया गया कि दिसम्बर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए कम्पनी ने डीजीएसएण्डडी से अप्रयुक्त अग्रिम की वापिसी के दावे का मिलान नहीं किया था, अतः लेखापरीक्षा दावे को निर्धारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार अप्रयुक्त निधि की वापसी के लिए डीजीएसएण्डडी के साथ मिलान एवं अनुसरण में देरी के कारण कम्पनी को ₹ 16.10 करोड़ का ब्याज¹⁵ वहन करना पड़ा जो कि बचाया जा सकता था।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2016) कि डीजीएसएण्डडी कम्पनी को जरूरतों के अनुरूप बारदानों की आपूर्ति 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही करता है। उपार्जन अवधि समाप्त होने के उपरान्त डीजीएसएण्डडी देयक की प्रति उपलब्ध कराता है तथा तदनुसार ही कम्पनी अप्रयुक्त निधि की वापसी के लिए दावा कर पाती है। यह बताया गया कि डीजीएसएण्डडी द्वारा अन्तिम देयक प्रस्तुत करने में देरी की परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध हुई।

उत्तर मान्य नहीं है चूंकि कम्पनी ब्याज वाली ऋण निधि का उपयोग कर रही थी। इसलिए उसे अप्रयुक्त निधि का हिसाब रखना चाहिए तथा अगले आदेश देते समय वापसी/समायोजन के लिये दावे करना चाहिए।

खाद्यान्नों का परिवहन

2.3.20 कम्पनी खाद्यान्नों का उपार्जन पूरे प्रदेश में फैले हुये 1,708 उपार्जन केंद्रों के द्वारा करती है वहाँ से भण्डारण के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन एवं केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के विभिन्न गोदामों के लिये परिवहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिलर्स से प्राप्त अतिरिक्त पारम्परिक मिल चावल को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में केन्द्रीय पूल के संचालन के लिए ले जाया जाता है। कम्पनी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु पूरे प्रदेश में 22,000 उचित मूल्य की दुकानों पर भी खाद्यान्नों का परिवहन करती है।

खाद्यान्नों के परिवहन के लिए कम्पनी ने निजी परिवहनकर्ताओं जो कि आनंदाइन निविदा प्रक्रिया द्वारा चयन किये जाते हैं को नियुक्त किया था। कम्पनी ने इस उद्देश्य के लिए निविदा समिति का गठन किया जिसमें कार्यपालन निदेशक (वित्त), महाप्रबन्धक (परिवहन) एवं महाप्रबन्धक (उपार्जन एवं वितरण) को शामिल किया गया था। इस उद्देश्य हेतु राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित तथा छोटे खण्डों में उप-विभाजित जिसे सेक्टर कहा जाता है, किया गया था। सेक्टरवार परिवहन निविदा लम्बी दूरी परिवहन (एल.आर.टी.) अर्थात् एल.आर.टी. (उपार्जन), एल.आर.टी. (सामान्य) तथा एल.आर.टी. (वितरण) के लिये मंगाये थे। परिवहन की विभिन्न श्रेणियों को

¹⁵ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के वर्ष 2011–12 के नगद साख का ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष

परिशिष्ट 2.3.2 में दर्शाया गया है। कम्पनी के मुख्य कार्यालय एवं चयनित जिला कार्यालयों में परिवहन अनुबन्धों की नमूना जॉच उपरान्त लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियों पायी गयी।

तय की गई लीड दरों में असामान्य अन्तर

2.3.21 कम्पनी द्वारा दिये गये परिवहन अनुबन्धों में अनुबन्ध अन्तर्गत जिसमें तय की जाने वाली विभिन्न दूरी (लीडस) के लिये विभिन्न दरों होती हैं एवं यह अनुबन्ध उन्हें प्रदाय किया जाता है जो न्यूनतम दरों को प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा दो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल एवं उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जॉच की गई और पाया कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ष 2010–12 से 2014–15 के दौरान किए गये परिवहन के विभिन्न अनुबन्धों में लीड दरों में असामान्य विभिन्नताएँ पायी गयी जो कि क्रमशः भोपाल क्षेत्र¹⁶ में ₹ 89 व 333 के बीच एवं उज्जैन क्षेत्र¹⁷ में ₹ 35 व 155 के बीच रही जिसे **परिशिष्ट 2.3.3** में दर्शाया गया है। भोपाल क्षेत्र के पाँच सेक्टर में से चार सेक्टरों में एक से 25 किलोमीटर (एल.आर.टी. उपार्जन) के लिए लीड दरों में वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान 16 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी जबकि भोपाल क्षेत्र में दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी कम्पनी ने मितव्ययी दरें लाने के लिए भोपाल क्षेत्र में दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

इसके अलावा एल.आर.टी.(सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं रखरखाव और एल.आर.टी. (एच.एल.आर.टी. खाद्य) के लिए लोकल लीड के लिए दरों की तुलना में यह पाया गया कि यद्यपि इनकी गतिविधियों में अन्तर था परन्तु सड़कों की स्थिति तथा आठ किमी तक के लिये सामग्रियों के परिवहन के लिए प्रयास एक समान थे फिर भी देवास, नीमच एवं उज्जैन सेक्टरों में दरें क्रमशः 48 से 84 प्रतिशत, 38 से 54 प्रतिशत तथा 14 से 34 प्रतिशत तक असाधारण रूप से अन्तर था। उक्त दरों के इतने अधिक विचलन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था तथा दरों कां मितव्ययी स्तर पर लाने का प्रयास नहीं किया गया।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2016) कि भौगोलिक स्थिति, खाद्यान्नों की उपार्जित मात्रा, श्रमिकों की उपलब्धता, क्षेत्रों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति एवं विभिन्न सेक्टरों में ट्रकों की उपलब्धता में विभिन्नता होती है। इसलिए विभिन्न सेक्टरों में खाद्यान्नों के परिवहन के लिए प्राप्त दरों की तुलना नहीं की जा सकती थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, क्षेत्र तथा भौगोलिक स्थिति सभी सेक्टरों के लिए एक समान थी यद्यपि उनकी श्रेणियों में अन्तर है और लेखापरीक्षा द्वारा जारी प्रश्नावली के जवाब में महाप्रबन्धक (परिवहन) द्वारा बताया गया कि जब किसी विशेष सेक्टर की दरों को अन्तिम रूप दिया जाता है तो आसपास के सेक्टरों के दरों से तुलना की जाती है।

परिवहन अनुबन्ध को अधिक दरों पर दिया जाना

2.3.22 परिवहन निविदा दस्तावेज (एल.आर.टी. सामान्य) के अनुच्छेद क्रमांक 7.9 के अनुसार अनुबन्ध अवधि को अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए उसी दर एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता था और अनुबन्धकर्ता उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा ग्वालियर जिले की नमूना जांच दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2013–14 के लिये एल.आर.टी (सामान्य) के लिए अनुबन्ध निजी फर्म¹⁸ को लोकल लीड

¹⁶ भोपाल, व्याबरा, रायसेन, विदिशा, सिहोर एवं राजगढ़।

¹⁷ देवास, मन्दसौर, रत्नाम, शाजापुर, नीमच एवं उज्जैन।

¹⁸ मैसर्स रघुवीर सिंह।

के लिये ₹ 185.50 प्रति मीट्रिक टन पर को दिया गया। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर, कम्पनी ने वर्ष 2014–15 के लिए एल.आर.टी. अनुबन्ध के लिए नयी निविदा आमंत्रित की। नई निविदा आमंत्रित पर केवल कार्यरत अनुबन्धकर्ताओं ने आवेदन किया और लोकल लीड के लिये 222 प्रति मीट्रिक टन की दर प्रस्तुत की। चूँकि केवल एक ही निविदा प्राप्त हुयी थी तथा वो भी कार्यरत अनुबन्धकर्ता की थी, कम्पनी को धारा 7.9 का सहारा लेना चाहिए था। जबकि कम्पनी ने वर्ष 2014–15 के लिए उच्च दर पर कार्यरत परिवहन अनुबन्धकर्ता को ही अनुबन्ध दे दिया। उच्च दर से अनुबन्ध देने के कारण पड़े प्रभाव को लेखापरीक्षा द्वारा अभिनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने उस निविदा अवधि में इस ठेकेदार द्वारा परिवहन किये गये खाद्यान्नों की मात्रा से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

सरकार द्वारा अपने उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2016) कि कम्पनी ने वर्ष 2014–15 के लिए 9वीं बार निविदा आमंत्रित करने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी। अन्त में निविदा 10वीं बार आमंत्रित करने पर केवल कार्यरत परिवहन अनुबन्धकर्ता से बोली प्राप्त हुई, इसीलिए इसे स्वीकार कर लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी पिछले अनुबन्ध की धारा 7.9 के अन्तर्गत परिवहन संचालन को पुराने दरों पर अधिकतम दो वर्ष के लिए अक्टूबर 2015 तक लागू करने में असफल रही और इसलिए परिहार्य व्यय हुआ।

खाद्यान्नों का अनियमित एवं अनाधिकृत परिवहन

2.3.23 कम्पनी खाद्यान्नों के भण्डारण के प्रबंध एवं खाद्यान्नों की कमी वाले जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिवहन अनुबन्धकर्ता (एल.आर.टी. सामान्य) को खाद्यान्नों के लिये परिवहन के लिए संचालन आदेश देती हैं। इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा निम्न कमियां पायी गयी:

- नमूना जांच किये गये एक जिले (सिवनी) में आठ प्रकरणों में आवागमन आदेश में उल्लिखित आदेशित मात्रा (12,000 मीट्रिक टन) के विपरीत अधिक मात्रा (13,509.47 मीट्रिक टन) का परिवहन किया गया।
- एक प्रकरण में एक परिवहनकर्ता ने सिवनी जिले से गेहूँ उठाया और बिना आवागमन आदेश जारी हुये जबलपुर जिले तक परिवहन किया। यद्यपि जबलपुर जिले के पास पर्याप्त स्टॉक था और वह सिवनी जिले को गेहूँ न भेजने के लिए सूचित कर चुके थे। फिर भी जबलपुर जिला कार्यालय ने गेहूँ प्राप्त होने पर उसे स्वीकार किया और परिवहनकर्ता को परिवहन व्यय का भुगतान कर दिया, जो कि परिहार्य था।
- इसी प्रकार से श्योपुर जिले में भी कम्पनी ने परिवहनकर्ता को 2,458.05 मीट्रिक टन गेहूँ भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहुँचाने के लिये निर्देशित किया था, परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा केन्द्रीय भण्डार गृह के गोदामों तक माल पहुँचाया था। तथापि कम्पनी ने अनुबन्धकर्ता के खिलाफ कोई दायित्व कदम नहीं उठाया और ठेकेदार को परिवहन व्यय का भुगतान किया।
- इसके अलावा सिवनी, नीमच तथा उज्जैन जिलों में एक ही दिन में दो जगहों के मध्य गेहूँ एवं चावल का क्रास आवागमन हुआ। जिससे परिवहन पर अतिरिक्त व्यय हुआ जो परिहार्य था।

उपर्युक्त प्रकरणों से यह प्रदर्शित हुआ कि कम्पनी के पास परिवहनकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों के संचालन के सम्बन्ध में कोई उचित निगरानी एवं नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा कम्पनी के जिला कार्यालयों ने दोषी परिवहन अनुबन्धकर्ता के खिलाफ उन्हें दिये गये निर्देशों की अवहेलना के लिये कोई दायित्व कदम नहीं उठाये, और खाद्यान्नों

के लाने ले जाने के संबंध में उनके द्वारा अनियमितता करने के बावजूद भुगतान कर दिया गया।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया गया (नवम्बर 2016) कि इस संदर्भ में कम्पनी से सम्बन्धित जिला प्रबन्धकों से स्पष्टीकरण मांगे गये थे। इसके अलावा खाद्यान्नों के क्रास परिवहन के सम्बन्ध में कम्पनी ने बताया कि इससे किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुयी थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, कम्पनी खाद्यान्नों के आवागमन के सम्बन्ध में निगरानी रखने में असफल रही एवं निजी परिवहन ठेकेदारों जिन्होंने कम्पनी द्वारा खाद्यान्नों के आवागमन से संबंधित जारी निर्देशों की अवहेलना की थी, उनके खिलाफ कोई उचित कदम उठाने में असफल रही।

खाद्यान्नों का भण्डारण

2.3.24 विकेन्द्रीकृत उपार्जन के तहत उपार्जित खाद्यान्नों को या तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन या केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों में भण्डारित किया गया था और इन निगमों को भण्डारण व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों पर किया गया था। भण्डारण गोदामों में ढके हुए गोदाम, कैप¹⁹ तथा साइलों²⁰ को शामिल किया जाता है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने राज्य में 73.22 लाख मीट्रिक टन भण्डारण स्थानों जो कि 2,586 गोदामों को तथा 50,000 मीट्रिक टन स्थान के लिये साइलों को किराये पर लिया।

वर्ष 2011–12 से 2015–2016 के दौरान खाद्यान्नों के भण्डारण में निम्न कमियां पायी गयी।

गोदामों में खाद्यान्नों कमी के लिए मानकों को अन्तिम रूप न देना

2.3.25 चालीस वर्षों से व्यवसाय में होने के उपरान्त भी राज्य सरकार एवं कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के गोदामों में भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की अधिकतम स्वीकार्य कमी के लिए मानक तय नहीं किये गये थे।

खाद्यान्नों के लिए बकाया कमी के लिए दावों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा खाद्यान्नों में दावा की गई राशि ₹103.22 करोड़ की भण्डारण हानियों जो कि चीनी, नमक, मक्का एवं बारदाने इत्यादि से सम्बन्धित थे को मार्च 2016 तक मध्य प्रदेश वेयर हाससिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। कम्पनी और मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने अप्रैल 2004 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए कमी से सम्बन्धित दावों के निराकारण के लिए दिसम्बर 2013 में परस्पर, मानक तय कर निर्देश जारी किये, जबकि वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिए कोई मानक तय नहीं किये गये थे।

सरकार द्वारा अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में बताया गया कि पूर्व में अधिकतम स्वीकृत भण्डारण हानि के लिए कोई मानक नहीं थे। अतः कम्पनी द्वारा भण्डारण हानि के लिए दावे किये गये परन्तु मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि मई 2015 के दौरान दोनों कम्पनियों द्वारा मानक तय किये गये और इसी के अनुसार हानियों से सम्बन्धित दावों का निराकरण किया

¹⁹ एक कंक्रीट या बालू से निर्मित चबूतरा जिसका उपयोग खाद्यान्नों के बोरों के संग्रहण के लिये किया जाता है। संग्रहित खाद्यान्नों को सुरक्षा हेतु उच्च धनत्व पॉलीथीन से ढका जाता है जिससे यह खराब न हो।

²⁰ खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु एक बड़ा स्टील कटोरे जैसी संरचना।

जायेगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार को भी इस बारे में आवश्यक निर्देश देन हेतु अवगत कराया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी कमी के लिए मानक समय से तय करने में असफल रहीं। जिसके परिणामस्वरूप अत्याधिक बकाया का संचय हुआ। इसके अलावा कम्पनी ने वर्ष 2013 की अवधि से बकाया की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाये जबकि मई 2015 में मानक तय हो गये थे।

क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में विलम्ब

2.3.26 खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण की प्रक्रिया अनुसार कम्पनी, भारत सरकार द्वारा बनायी गयी निराकरण समिति को सूचित करेगी जिसमें भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार एवं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि समिलित होते हैं। निराकरण समिति क्षति की मात्रा की जांच करेगी और निराकरण के लिए न्यूतनम मूल्य सुनिश्चित करेगी। अतः क्षतिग्रस्त स्टॉक और किसी भी क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही करना ताकि भण्डारण व्यय को बचाया जा सके और उस जगह रखे हुए अच्छे स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके के बारे में निराकरण समिति को सूचित करना कम्पनी का कर्तव्य था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 21 जिला कार्यालयों²¹ में उपार्जन वर्ष 2010–11 से 2015–16 का गेहूँ चावल एवं मक्का के 5,060.53 मीट्रिक टन ₹ 6.69 करोड़ मूल्य का स्टॉक गोदामों में रखा हुआ था जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिए अनुपयुक्त था और जिसका निराकरण होना बाकी है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का वर्षवार विश्लेषण तालिका 2.3.3 में दिया गया है।

तालिका-2.3.3

क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के वर्षवार विवरण को दर्शाती तालिका

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
गेहूँ	134.88	1497.39	522.05	581.12	1822.01	4557.45
चावल	365.25	45.37	0.00	0.00	0.00	410.62
मक्का	0.00	81.36	0.00	11.10	0.00	92.46
कुल	500.13	1624.12	522.05	592.22	1822.01	5060.53

चेतावनी: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निराकरण पिछले पांच वर्षों से नहीं हुआ है और यह भी दिखाता है कि कम्पनी उनके निराकरण के लिए समिति को गम्भीरतापूर्वक सूचित नहीं कर रही थी। निराकरण में हुई देरी से न केवल राशि अवरुद्ध हुयी बल्कि मार्च 2016 तक ₹ 1.25 करोड़ मूल्य के भण्डारण प्रभारों का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (नवम्बर 2016) कि खाद्यान्नों को वैज्ञानिक भण्डारण के अन्तर्गत न रखने के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन उत्तरदायी था। उपर्युक्त अवधि के दौरान उपलब्ध भण्डारण क्षमता खाद्यान्नों के वास्तविक उपार्जित के अनुरूप नहीं थी। इसलिए मौसम के बाद की वर्षा के दौरान खुले कैप में भण्डारित खाद्यान्न के निचली सतह के खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गये। अतः सभी प्रकार के खाद्यान्नों का निराकरण किया जा रहा था और केवल 1,506 मीट्रिक टन क्षतिग्रस्त गेहूँ एवं मक्का निराकरण के लिए शेष था।

²¹ छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोर, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, टीकमगढ़, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, हरदा, देवास, खरगोन, झावुआ, बालाघाट एवं अशोकनगर जिला कार्यालय

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में सुस्त थी और भण्डारण प्रभारों पर अत्यधिक व्यय किया और फिर भी स्टॉक निराकरण के लिए शेष था। क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में देरी से उसके मूल्य में कमी आयेगी और उस जगह रखे अच्छे स्टॉक भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा शेष बचे 1,506 मीट्रिक टन मात्रा के समर्थन में कोई भी दस्तावेज उत्तर के साथ नहीं दिया गया।

वित्तीय प्रबन्धन

2.3.27 उपार्जन गतिविधियों के संचालन के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक से (भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से) मुख्य ऋणी के रूप में कैश क्रेडिट की सुविधा ली एवं कैश क्रेडिट संचालन के लिए कम्पनी के पक्ष में पॉवर ऑफ अर्टॉनी जारी की। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में वितरित किए गए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत एवं केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अन्तर की राशि भारत सरकार द्वारा कम्पनी को सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की थी। कम्पनी द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय जो भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुमोदित लागत पत्रक में शामिल नहीं होते, उसकी प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश शासन से सब्सिडी के रूप में की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.3.28 कम्पनी द्वारा वर्ष 2014–15 तक के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था (जनवरी, 2016) एवं वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना था (नवम्बर, 2016)। कम्पनी की वर्ष 2011–12 से 2014–15 अवधि के लिये वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 2.3.4** में दर्शाए गए हैं। जैसा कि वित्तीय स्थिति से देखा जा सकता है कि कम्पनी की अंश पूँजी ₹ 8.47 करोड़ थी तथा अंश पूँजी का संचित कोष कम्पनी के कुल ऋण का मात्र 0.66 प्रतिशत थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कम्पनी उपार्जन गतिविधियों के संचालन हेतु पूरी तरह से ऋण निधियों पर निर्भर थी। कम्पनी की ऋण की राशि वर्ष 2011–12 में ₹ 4,563.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 11,403.15 करोड़ हो गई। इसका मुख्य कारण कम्पनी की उपार्जन में बढ़ोतरी होने, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 9,764.81 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 15,329.76 करोड़ हो गई थी, जैसा कि तालिका 2.3.3 में दर्शाया गया है तथा भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय खाद्य निगम से कम्पनी को दावों का कम प्राप्त होना था। कम्पनी द्वारा दायर किए गए दावों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति राशि वर्ष 2012–13 में 77.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 64.86 प्रतिशत हो गई।

यह भी पाया गया कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान दावा प्रस्तुत करने में तीन से 74 दिवस का विलम्ब किया गया। जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार से सब्सिडी एवं मध्य प्रदेश शासन तथा भारतीय खाद्य निगम से अन्य दावा राशि प्राप्ति में भी बिलम्ब हुआ। फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा दावों के निपटान में 15 से 20 दिवस का विलम्ब हुआ जबकि भारत सरकार ने दावों के निपटान 20 से 115 दिवस के विलम्ब से किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दावों के निपटान में 56 से 168 दिवस का विलम्ब हुआ जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.3.30 से 2.3.32 में चर्चा की गई है।

पाँच राज्यों²² के स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के तुलनात्मक विश्लेषण से यह प्रदर्शित हुआ कि केरल राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त अंश पूँजी प्रदाय (वर्ष

²² गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ एवं बिहार


2013–14 में) की गई जिससे कम्पनी की अंश पूँजी ₹ 8.56 करोड़ (वर्ष 2010–11 में) से बढ़कर ₹ 142.02 करोड़ (वर्ष 2013–14 में) हो गई।

इसी तरह से मध्य प्रदेश शासन, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकती है।

- चरणबद्ध तरीके से कम्पनी को अतिरिक्त पूँजी प्रदान करना,
- ब्याजमुक्त ऋण या सहायता अनुदान उपलब्ध कराकर उच्च लागत ऋण से मुक्त करना
- उपार्जन लागत के 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत को पूरा करने के लिए कम्पनी द्वारा अनुरोध की गई अग्रिम राशि का भुगतान करना जिससे ऋण को कम किया जा सके तथा कम्पनी अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सके।

2.3.29 कम्पनी के कार्यकारी परिणामों से प्रदर्शित हुआ कि समीक्षा अवधि में कम्पनी की क्रय एवं विक्रय अत्यधिक बढ़ा है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के बीच खाद्यान्नों के खरीद एवं विक्रय के आंकड़े रेखाचित्र 2.3.3 में दर्शाए गए हैं।

खाद्यान्नों के क्रय एवं विक्रय दर्शाने वाला रेखाचित्र




उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की खरीदी में 57.09 प्रतिशत की वृद्धि ₹ 9,764.81 करोड़ (वर्ष 2011–12) से ₹ 15,339.75 करोड़ (वर्ष 2014–15) हो गई एवं खाद्यान्नों की बिक्री में 82.96 प्रतिशत की वृद्धि ₹ 8,438.71 करोड़ (2011–12) से ₹ 15,439.75 करोड़ (2014–15) हो गई। खाद्यान्न विक्रय में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद भी कम्पनी का वार्षिक लाभ ₹ 5.25 करोड़ (2011–12) से घटकर ₹ 69.12 करोड़ (2014–15) की हानि में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014–15 में कम्पनी के असमान्य रूप से घाटे में जाने का मुख्य कारण ₹ 69.79 करोड़ के पूर्व के वर्षों के व्ययों का समायोजन किया जाना था जो कि मुख्यतः 2005–06 से 2013–14 के दौरान डीजीएसएण्डडी से उपार्जित बारदाने की अन्तर राशि, चीनी के सब्सिडी की अन्तर राशि तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरी ओवर व्यय का समायोजन से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा उपरोक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति दावा मध्य प्रदेश शासन से भी करने में असफल रही। घाटे में बढ़ोतारी के परिणामस्वरूप कम्पनी के संचित कोष वर्ष 2012–13 में ₹ 145.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2014–15 में ₹ 67.52 करोड़ रह गए।

कम्पनी द्वारा दावा प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब करने का प्रभाव एवं उसके परिणामस्वरूप भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय खाद्य निगम से दावा राशि प्राप्ति में विलम्ब के कारण कम्पनी को और ऋण लेना पड़ा जिससे वर्ष 2011–12 से 2014–15 में कम्पनी की वित्तीय लागत बढ़ी जिसे रेखाचित्र 2.3.4 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र-2.3.4

कम्पनी के वित्तीय लागत को दर्शाता रेखाचित्र

वित्तीय लागत



उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि कम्पनी की वित्तीय लागत ₹ 701.60 करोड़ (2011–12) से बढ़कर ₹ 1,722.18 करोड़ (2014–15) हो गई थी। हालांकि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्वस्त किया गया है एवं कम्पनी ने ब्याज लागत को मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त योग्य लेखांकित किया था जो कि प्रतिपूर्ति के लिये लम्बित थे (नवम्बर, 2016)।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये कम्पनी ने बैंकों से ऋण लिया जिससे इसकी वित्तीय लागत में वृद्धि हुयी। यह भी बताया गया कि कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन को अंश पूँजी ₹ 30 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा (नवम्बर, 2015) एवं मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग से भी निवेदन किया (जून 2016) कि कम्पनी को ₹ 10,000 करोड़ की कॉरपस निधि उपलब्ध करायें। हालांकि, मध्य प्रदेश शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई भी प्रगति नहीं हुई (नवम्बर, 2016)।

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन को दावा प्रेषित करने एवं दावों के निराकरण में देरी से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनके परिणामस्वरूप प्राप्ति में देरी हुई, को आगे की कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

भारत सरकार से अग्रिम सब्सिडी एवं प्रावधानिक सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब

2.3.30 भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के बीच हुए समझौता ज्ञापन अनुसार प्रथमतः गेहूँ एवं चावल की आर्थिक लागत भारत सरकार द्वारा प्रावधानिक रूप से तय की जाती है एवं कम्पनी द्वारा भारत सरकार को अंकेक्षित लेखे प्रदाय करने उपरान्त भारत सरकार द्वारा अन्तिम समायोजन किया जाता है।

कम्पनी द्वारा स्वीकार्य दावा राशि के 90 प्रतिशत राशि प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह में अग्रिम तिमाही सब्सिडी के रूप में दावा हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस अग्रिम की राशि का दावा सम्बन्धित तिमाही में खाद्यान्न के प्रत्याशित वितरण के आधार पर किया जाता है। साथ ही कम्पनी द्वारा पूर्व तिमाही में जारी अग्रिम के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अग्रिम राशि जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रावधानिक सब्सिडी में स्थाई लागत²³ का 100 प्रतिशत एवं परिवर्तनशील लागत²⁴ का 95 प्रतिशत जारी किया जाता है। परिवर्तनशील लागत के शेष पाँच प्रतिशत का

²³ न्यूनतम समर्थन मूल्य, बोनस, कर वैट सहित।

²⁴ भण्डारण एवं ब्याज प्रभार।

भुगतान कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के आधार पर आर्थिक लागत के अंतिमीकरण के उपरान्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी द्वारा अग्रिम एवं प्रावधानिक सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया। इसका मुख्य कारण राज्य भर में फैले जिला कार्यालयों से खाद्यान्न वितरण के आंकड़ों की प्राप्ति एवं संकलन में विलम्ब होना था। कम्पनी द्वारा दावा प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को तालिका 2.3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका -2.3.4

अग्रिम एवं प्रावधानिक सब्सिडी दावों के प्रस्तुत करने में किये गए विलम्ब को दर्शाने वाली तालिका

खाद्यान्न	वर्ष	अग्रिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब (दिवस में)	प्रावधानिक सब्सिडी दावा दायर करने में विलम्ब (दिवस में)
गेहूँ	2011-12 से 2015-16	1 से 16	3 से 31
चावल	2011-12 से 2015-16	2 से 19	3 से 32

स्रोतः कम्पनी के दावा पंजियों से निकाली गई विलम्ब अवधि

कम्पनी द्वारा दावा प्रस्तुत करने में हुई देरी के परिणामस्वरूप मार्च, 2016 की स्थिति में ₹ 2,023.37 करोड़ की प्राप्तियाँ लम्बित थीं

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित होता है कि कम्पनी के द्वारा दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया जिसके कारण भारत सरकार ने मांगी गई सब्सिडी पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की। फलस्वरूप मार्च 2016 की स्थिति में कम्पनी को भारत सरकार से सब्सिडी के ₹ 2,023.37 करोड़ (₹ 1,648.54 करोड़ गेहूँ से सम्बन्धित एवं ₹ 374.83 करोड़ चावल से सम्बन्धित) प्राप्त होना शेष थे। इसके अतिरिक्त उपार्जन गतिविधियों से सम्बन्धित कम्पनी के अंकेक्षित लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने के कारण कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 से सम्बन्धित अवधि की शेष पाँच प्रतिशत सब्सिडी के लिए भारत सरकार को दावा प्रस्तुत नहीं किया था (अक्टूबर, 2016)। चूंकि कम्पनी अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऋण पर निर्भर थी अतः सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण आर्थिक संस्थानों से ऋण लिया गया और ₹ 157.12 करोड़ का परिहार्य ब्याज व्यय किया।

सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर, 2016) कि भारत सरकार द्वारा पूर्व तिमाही के प्रावधानिक सब्सिडी के दावे के साथ पूर्व तिमाही के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाव किए गये खाद्यान्नों के सम्बन्ध में जारी किए गए प्रमाणपत्र को भी प्रस्तुत करने का आग्रह अग्रिम सब्सिडी प्रस्तुत करने में विलम्ब का मुख्य कारण था। इसके अतिरिक्त भविष्य में अग्रिम सब्सिडी एवं प्रावधानिक सब्सिडी के दावे पृथक रूप से किए जायेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापनों में अग्रिम सब्सिडी एवं प्रावधानिक सब्सिडी के दावे साथ-साथ प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में बाध्यकारी अनुच्छेद नहीं था। अतः कम्पनी को अग्रिम सब्सिडी का दावा प्रत्यक्षे वर्ष बिना विलम्ब करना चाहिए था क्योंकि कम्पनी ने ब्याज आधारित स्रोत से ही ज्यादातर राशि जुटाई थी।

भारत सरकार द्वारा आर्थिक लागत को अन्तिम रूप दिये जाने बावजूद अंतिम सब्सिडी देयक प्रस्तुत करने में विलम्ब

2.3.31 कम्पनी को निर्धारित अन्तिम आर्थिक लागत के आधार पर, सम्बन्धित विपणन वर्ष के लेखें चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण होने के चार माह के अन्दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम आर्थिक लागत के आधार पर कम्पनी द्वारा भारत सरकार को अन्तिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत किया जायेगा। भारत सरकार ने कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में उचित औसत गुणवत्ता एवं शिथिलीकृत विनिदेश के तहत (यू.आर.एस.) उपार्जित गेहूँ के लिए अन्तिम आर्थिक लागत वर्ष 2014–15 में निर्धारित

की जबकि 2010–11 में उपार्जित गेहूँ के लिए यह वर्ष 2015–16 में की गई, साथ ही कम्पनी को निर्देश दिए गए कि अन्तिम आर्थिक लागत निर्धारण के 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित वर्ष के लिए अन्तिम सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करें। हालांकि कम्पनी द्वारा अन्तिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया। वर्षवार विलम्ब की स्थिति तालिका 2.3.5 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.3.5

अन्तिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब को दर्शाती तालिका

वर्ष जिससे अन्तिम सब्सिडी का दावा सम्बन्धित था	अंकेक्षित विक्रेन्दित उपार्जन योजना के लेखों को मेजने की दिनांक	विक्रेन्दित उपार्जन योजना के लेखों के अतिमीकरण में विलम्ब की अवधि (माह में)	भारत सरकार द्वारा अन्तिम आर्थिक लागत को निर्धारित करने की दिनांक	अन्तिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक	दावा राशि (₹ करोड़ में)	दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब (भाह में)
1	2	3	4	5	6	7 (5-4)
2008-09	15.7.2011	17	22.4.2014	31.3.2015	10.15 ²⁵	10
2009-10	3.9.2012	19	22.8.2014	14.11.2014	247.93	1.5
2010-11	17.2.2014	23	4.3.2016	7.6.2016	97.88	02

अतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

- उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के लेखों के अन्तिम रूप देने में प्रत्येक वर्ष विलम्ब किया गया। भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विपणन वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत करने की चार माह की स्वीकार्य अवधि को छोड़कर भी कम्पनी द्वारा लेखों के अन्तिम रूप देने में 17 से 23 महीनों का विलम्ब हुआ।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अन्तिम आर्थित लागत निर्धारण करने के बाद भी कम्पनी द्वारा अन्तिम सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया। विलम्ब की अवधि डेढ़ माह से 10 माह की थी। इस प्रकार अन्तिम सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण वर्ष 2008–09 से 2015–16 के दौरान ₹ 355.96 करोड़ अवरुद्ध रहे।

सरकार ने बताया (नवम्बर, 2016) कि सम्बन्धित उपार्जन वर्ष के खाद्यान्नों का निराकरण जिस वर्ष में हुआ था उस वर्ष के सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण होने के चार माह के अन्दर भारत सरकार को सम्बन्धित वर्ष की अन्तिम सब्सिडी का दावा किया जाना था। अतः कम्पनी की तरफ से भारत सरकार को अग्रिम सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए समझौते ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख था कि सम्बन्धित उपार्जन विपणन वर्ष के लेखे के अंकेक्षण पूर्ण होने के चार माह के अन्दर सब्सिडी का अन्तिम दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि खाद्यान्न स्टॉक के पूर्ण निराकरण होने पर।

प्रयासों में कमी के कारण भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त योग्य राशि का संचयन

2.3.32 भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के बीच हुए समझौता ज्ञापनों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त आवंटन मात्रा से ज्यादा उपार्जित खाद्यान्नों को केन्द्रीय पूल

²⁵ वास्तविक दावा राशि ₹ 184.37 करोड़ का था परन्तु ₹ 174.22 करोड़ का दावा पहले ही जनवरी, 2014 में कर लिया गया था और ₹ 10.15 करोड़ के अतिरिक्त राशि का पुनरीक्षित दावा मार्च, 2015 में किया गया।

प्रचालनों हेतु भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जाना था। खाद्यान्न सर्वपण के उपरान्त कम्पनी चार भागों में देयक भारतीय खाद्य निगम को जारी करती है (i) लागत देयक (ii) आकस्मिक व्यय देयक (iii) क्रय कर देयक एवं अन्त में (iv) कैरी ओवर प्रभार देयक

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से केन्द्रीय पूल में समर्पित गेहूँ के विरुद्ध ₹ 33,765.51 करोड़ प्राप्त किए जाने थे। इसके विरुद्ध कम्पनी ने मात्र ₹ 33,366.70 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान समर्पित गेहूँ एवं भारतीय खाद्य निगम से किए गए दावों की राशि, कैरी ओवर प्रभार एवं क्रय कर सहित का ब्यौरा **परिशिष्ट 2.3.5** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुल दावा की गई राशि में से भारतीय खाद्य निगम ने भण्डारण व्यय, ब्याज, निर्धारित नमी लाभ ना प्राप्त होने के कारण हानि खराब सिलाई एवं खराब छपाई इत्यादि के आधार पर ₹ 359.93 करोड़ का कटौती की। बकाया राशि रहने का एक कारण यह भी कि विभिन्न जिलों में ली गई गेहूँ की मात्रा भेजने और समाशोधन में समय लगना, दोहरीकरण था जिससे देयकों के समय से भुगतान होने में विलम्ब हुआ।

इसी तरह मार्च, 2016 की स्थिति में ₹ 632.97 करोड़ के कैरी ओवर प्रभार एवं क्रय कर राशि बकाया थी। इसमें से ₹ 37.11 करोड़ की राशि जो कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 से सम्बन्धित थी जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अक्टूबर, 2016 तक भी भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार पाँच वर्ष से अधिक अवधि होने पर राशि ₹ 901.64 करोड़ अप्राप्त थी।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला कार्यालयों²⁶ की नमूना जाँच में पाया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान समर्पित खाद्यान्नों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया। विलम्ब की अवधि, जो कि तीन से 74 दिन की थी, के कारण ₹ 68.37 लाख की ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (नवम्बर, 2016) कि भारतीय खाद्य निगम से लम्बित दावों की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर सत्र प्रयास किए गए थे। यह भी बताया गया कि देयक प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण स्टाफ की कमी एवं उपलब्ध स्टाफ का उपार्जन सम्बन्धी गतिविधियों में व्यस्त होना रहा, साथ ही यह भी बताया गया कि अक्टूबर, 2016 की स्थिति में ₹ 511.42 करोड़ भारतीय खाद्य निगम से प्राप्ति हेतु लम्बित थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण भारतीय खाद्य निगम से वर्षों से बकाया देयकों में निरन्तर वृद्धि हुई तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब सिलाई एवं छपाई तथा निर्धारित नमी लाभ की अप्राप्ति इत्यादि के आधार पर कुछ दावों को नामंजूर करना कम्पनी की असफलता दर्शाता है कि कम्पनी द्वारा ये गतिविधियाँ भारतीय खाद्य निगम के सन्तोषजनक स्तर पर नहीं की गई जिसके कारण यह राशि वर्षों से भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ना हो सकी।

मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त योग्य दावा राशि

2.3.33 भारत सरकार द्वारा दावा राशि को रद्द करने या नामंजूर करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा इन नामंजूर व्ययों का दावा मध्य प्रदेश सरकार से किया जाता है। मार्च, 2016 के अन्त में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को किए गए दावे एवं उनके विरुद्ध प्राप्त राशि एवं प्राप्त योग्य शेष राशि का विवरण तालिका 2.3.6 में दर्शाया गया है।

²⁶ मण्डला, श्योपुर, ग्वालियर, सिवनी तथा सतना।

तालिका-2.3.6

मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध लम्बित दावों का विवरण दर्शाने वाली तालिका
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान बकाया दावा राशि (संचयी)	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा राशि	वर्ष के अन्त में शेष प्राप्त योग्य राशि
2011-12	1,044.08	1,044.08	0
2012-13	1,820.78	1,327.18	493.6
2013-14	1,722.35	1,686.44	35.91
2014-15	2,290.76	2,213.77	76.99
2015-16	1,510.06	926.47	583.59
कुल	8,388.03	7,197.94	1,190.09

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

उपरोक्त तालिका से दर्शित होता है कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 8,388.03 करोड़ की राशि दावा मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किए गए जिसमें से ₹ 7,197.94 करोड़ की प्राप्ति हुई एवं मार्च 2016 की स्थिति में ₹ 1,190.09 करोड़ की राशि प्राप्ति हेतु लम्बित थी। मध्य प्रदेश शासन से लम्बित दावों की राशि प्राप्त न होने के स्थिति में कम्पनी को अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों से ऋण लेने हेतु बाध्य होना पड़ा। यदि कम्पनी ने दावों के निपटान के इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष दृढ़ता से उठाया होता तो कम्पनी की राशि ₹ 1190.09 करोड़ अवरुद्ध होने से बच सकती थी।

सरकार ने बताया (नवम्बर, 2016) कि वार्षिक बजट में दावा राशि के विरुद्ध कम राशि का प्रावधान किया जाने के कारण कम्पनी की राशि अवरुद्ध हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को लम्बित दावों की प्राप्ति का मुद्दा उठाना चाहिए था ताकि जितनी राशि राज्य सरकार पर लम्बित थी कम्पनी को उतनी कम राशि का ऋण लेना पड़ता।

द्वार प्रदाय योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना में लम्बित रसूली

2.3.34 मध्य प्रदेश शासन ने लीड समितियों एवं लिंक समितियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु भण्डारण केन्द्र से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान हो रहे खाद्यान्न नुकसान को रोकने के लिए द्वार प्रदाय योजना लागू की (अक्टूबर, 2014)। द्वार प्रदाय योजना में कम्पनी खाद्यान्नों को सीधे उचित मूल्य की दुकान तक आपूर्ति करती है। कम्पनी द्वारा द्वार प्रदाय योजना के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश (दिसम्बर, 2014 एवं अगस्त, 2015) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों को एक माह की उधारी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के जिला कार्यालय इन उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न एक माह से ज्यादा अवधि की उधारी पर दे रहे थे एवं कुछ प्रकरणों में उधारी अवधि, पूर्व महीनों की लम्बित राशि प्राप्त किए बिना 16 माह तक की थी।

इसी प्रकार मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में कम्पनी ने अपने जिला कार्यालयों को निर्देश (दिसम्बर, 2014) जारी किए कि सम्बन्धित विभाग (राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन योजना) के जिला कार्यालयों से परिवहन मार्जिन एवं सेवा हेतु कमीशन के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के उपरान्त ही योजना अन्तर्गत खाद्यान्न जारी किया जावे। लेकिन कम्पनी के जिला कार्यालय इन निर्देशों के पालन करने में असफल रहे और एवं इन मदों में अग्रिम प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना ही खाद्यान्न जारी कर रहे थे।

इस प्रकार सितम्बर 2016 की स्थिति में ₹ 72.39 करोड़ (₹ 59.30 करोड़ द्वारा प्रदाय योजना से सम्बन्धित एवं ₹ 13.09 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित) प्राप्ति हेतु लम्बित थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर, 2016) कि लम्बित राशि की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना में लम्बित राशि के सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन योजना ने यह कहते हुए अग्रिम भुगतान करने से मना कर दिया कि मध्यान्ह भोजन योजना के दिशानिर्देशों में अग्रिम भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

अंत्योदय अन्न योजना में जारी किए गए खाद्यान्नों की लागत के सम्बन्ध में दावों को प्रस्तुत करने में असफल होना

2.3.35 कम्पनी ने जनवरी 2013 से जनवरी 2014 की अवधि में अंत्योदय अन्न योजना में खाद्यान्नों का वितरण किया। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी को इस योजना में वितरित किये गये खाद्यान्नों के लिये सब्सिडी का दावा मध्य प्रदेश शासन से करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी इस योजना अन्तर्गत जनवरी, 2013 से मई 2013 के दौरान वितरित किए गए खाद्यान्नों के सम्बन्ध में ₹ 1.25 करोड़²⁷ के दावा करने में असफल रही जबकि आगामी अवधि जून, 2013 से जनवरी, 2014 में वितरित किए गए खाद्यान्नों के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत कर दिये थे।

सरकार/कम्पनी ने बताया (नवम्बर, 2016) कि प्रारम्भ में जनवरी, 2013 से मई 2013 के दौरान योजना में वितरित खाद्यान्नों के सम्बन्ध में लागत पत्रक निर्धारित नहीं हुआ था तथा इस लागत पत्रक को सितम्बर, 2016 में अन्तिम रूप दे दिया गया था। अतः जिला कार्यालयों से वितरण आंकड़े प्राप्त होने पर दावा शीघ्र ही प्रस्तुत किया जावेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी प्रावधानिक लागत आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकती थी तथा दिए गए उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि कम्पनी द्वारा दावा करने हेतु जिला कार्यालयों से योजना में वितरण के ऑकड़े आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं किए गए। अतः ₹ 1.25 करोड़ की राशि मई 2013 से तीन वर्षों के लिए अवरुद्ध रही।

मानव संसाधन का प्रबंधन

2.3.36 किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित मानव संसाधन नीति होनी चाहिए। समय-समय पर मानव संसाधन सम्बन्धी बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए कम्पनी में कोई भी नियमावली नहीं है। तथापि कम्पनी में स्टाफिंग पैटर्न दिसम्बर, 2013 में पुनरीक्षित किया गया। जुलाई, 2016 की स्थिति में कम्पनी में स्वीकृत मानव शक्ति एवं वास्तविक उपलब्ध मानव शक्ति को तालिका 2.3.7 में दर्शाया गया है।

²⁷ जून, 2013 के लिए अनुमोदित दर पर की गई गणना।

तालिका—2.3.7

कम्पनी में अनुमोदित मानव शक्ति एवं वास्तविक उपलब्ध मानवशक्ति को दर्शाने वाली तालिका

श्रेणी	अनुमोदित मानवशक्ति	वास्तविक मानवशक्ति	आधिक्य / कमी
प्रबंधकीय स्टाफ	275	201	-74
सहायक / लेखापाल	639	605	-34
निम्न श्रेणी स्टाफ	319	309	-10
योग	1233	1115	-118

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित होता है कि जुलाई, 2016 की स्थिति में कुल 1,233 स्वीकृत मानवशक्ति के विरुद्ध सिर्फ 1,115 कर्मचारी/अधिकारी ही पदस्थापित थे। यद्यपि कुल 118 कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी थी, परन्तु इस कमी में से 74 कर्मचारी केवल प्रबंधकीय श्रेणी में कम थे जो मुख्यतः उपार्जन एवं वितरण गतिविधियों की निगरानी एवं निर्णय करने के लिये जिम्मेदार थे। जिला प्रबंधकों की कमी के कारण एक से ज्यादा जिला कार्यालयों का पर्यवेक्षण एक जिला प्रबंधक द्वारा किया जा रहा था। साथ ही सहायक एवं लेखापाल श्रेणी के कर्मचारी जो कि जिला कार्यालयों पर बैलेंस शीट एवं उपार्जन लेखा तैयार करने हेतु जिम्मेदार होते हैं, में 34 कर्मचारियों की कमी थी।

स्टाफ की विस्तृत विश्लेषण करने पर पता चला कि जिला कार्यालयों में प्रबन्धक (वित्त) के स्वीकृत 53 पदों के विरुद्ध 39 पदस्थ थे। साथ ही जिला बैतूल में एक स्वीकृत पद के विरुद्ध दो प्रबन्धक (वित्त) पदस्थ थे। कम स्टाफ होने के कारण उपार्जन लेखों को कम्पनी द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

भारत सरकार कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत तक की अनुमति प्रदान करती है। पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी द्वारा स्वीकृत कर्मचारी लागत के विरुद्ध कर्मचारी लागत का 25.12 प्रतिशत से 36.30 प्रतिशत तक का ही उपयोग कर सकते। अतः कम्पनी बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी मानव शक्ति को जरूरत अनुसार बढ़ा सकती थी क्योंकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति की जा सकती थी।

सरकार ने बताया (नवम्बर, 2016) कि मुख्यालय पर अत्याधिक कार्य बोझ के कारण ज्यादातर वरिष्ठ सहायकों की पदस्थापना मुख्यालय पर ही की गई थी। इसके अतिरिक्त बैतूल जिला कार्यालय में पदस्थ प्रबंधक (वित्त) जल्द ही सेवानिवृत्त हाने वाले थे, इस कारण से एक और प्रबंधक (वित्त) को उस कार्यालय में पदस्थ किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बढ़े हुये कार्य बोझ के अनुरूप कम्पनी पर्याप्त स्टाफ नियुक्ति करने हेतु यथासमय कदम उठाने में असफल रही जबकि कम्पनी के पास कर्मचारी लागत के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत का वित्तीय सहारा उपलब्ध था। कम्पनी की इस असफलता के कारण उपार्जन के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता के पहलू से समझौता हुआ एवं उपार्जन लेखे तैयार करने में विलम्ब के कारण लम्बित दावे भी बढ़े।

खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी स्टाफ की पदस्थापना नहीं किया जाना

2.3.37 कम्पनी द्वारा खाद्यान्नों के उपार्जन एवं भण्डारण में गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम्पनी के प्रत्येक जिला कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा जारी उचित औसत गुणवत्ता मानक के अनुसार उपार्जित खाद्यान्न एवं भण्डारण

अत्यधिक उपार्जन के बावजूद कम्पनी आवश्यक संख्या में गुणवत्ता नियंत्रक स्टाफ की नियुक्ति करने में असफल रही

अवधि के समय वैज्ञानिक रूप से संधारित होना सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ को पदस्थापित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी में गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ के लिए कोई भी पद स्वीकृत नहीं था। तथापि कम्पनी ने वित्त, प्रशासन इत्यादि श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान कर उपार्जन केन्द्रों पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पदस्थापित किया। कम्पनी ने मध्य प्रदेश सरकार को गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ के 24 पद स्वीकृत करने हेतु एक प्रस्ताव (जुलाई, 2012) भेजा। मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए कम्पनी को गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रबन्ध करने हेतु निर्देशित किया। लेकिन मार्च 2015 तक कम्पनी आउटसोर्सिंग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ नियुक्त करने में असफल रही एवं उसके बाद भारतीय खाद्य निगम से सेवानिवृत्त तीन कर्मचारियों को कम्पनी ने मुख्यालय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु नियुक्त किया।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्रों की संख्या 1,101 से बढ़कर 1,708 की अत्यधिक वृद्धि हो गई। हांलाकि इस अवधि में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लगाए गए प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या 180 से 905 के बीच रही।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी के उज्जैन, भोपाल, हरदा एवं होशंगाबाद जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपार्जित खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा घोषित उचित औसत गुणवत्ता के अनुरूप है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम्पनी ने कोई भी गुणवत्ता आश्वासन जाँच नहीं की। आगे, सम्बन्धित जिला प्रबन्धकों एवं क्षेत्रीय प्रबन्धकों, इन कार्यालयों के प्रभारी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित अभिलेख संधारित नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (नवम्बर, 2016) कि उपार्जन गतिविधियों के समय गुणवत्ता जाँच करने हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी थी हालांकि तकनीकी स्टाफ को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था। यह तथ्य फिर भी रहा कि कम्पनी द्वारा सिर्फ तीन कर्मचारियों को ही नियुक्त किया गया जो कि कम्पनी द्वारा बड़ी मात्रा में उपार्जित किए जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अनुपात में गुणवत्ता जाँच गतिविधियों को करने के लिये पर्याप्त नहीं थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

2.3.38 आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी, प्रबन्धकीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण अंग है। एक सक्षम एवं प्रभावी प्रणाली प्रबन्धन को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रक्रियाओं के अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन में सहायक होता है।

कम्पनी के कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पर्यवेक्षण में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग है जो आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखते हैं जिसमें सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) उनकी सहायता करते हैं। कम्पनी के मुख्यालय, जिला कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा आउटसोर्स कर चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि यह कम्पनी के निदेशक मण्डल को रिपोर्ट ना कर कम्पनी की वित्त शाखा को रिपोर्ट करती थी। साथ ही, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मण्डल को समीक्षा एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर, 2016) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध स्टाफ पर्याप्त न होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आउटसोर्स किया गया था। सरकार ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि

भविष्य में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत करने तथा लेखाषाखा से स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग बनाये जाने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण

2.3.39 जिला कार्यालयों/गोदामों के आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी के लिए कम्पनी ने क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं मुख्यालय स्टाफ द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा जाँच नियोजित की। वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में नियोजित निरीक्षण क्रमशः 142, 143 एवं 107 के विरुद्ध केवल क्रमशः 81, 72 एवं 32 ही निरीक्षण किए गए। जो यह दर्शाता है कि सम्बन्धित तीन वर्षों में नियोजित निरीक्षणों एवं वास्तविक निरीक्षणों की संख्या घटी हैं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कोई भी निरीक्षण नियोजित नहीं किया गया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर, 2016) कि स्टाफ की कमी के कारण एवं मुख्यालय स्टाफ की लगातार व्यस्तता के कारण रोस्टर अनुसार नियोजित निरीक्षणों को नहीं किया जा सका।

लेखांकन एवं दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने में विलम्ब

2.3.40 कम्पनी ने मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के आधारभूत लेखांकन अभिलेखों के मिलान तथा समेकन को सुगम बनाने एवं भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले दावों को वास्तविक समय आधारित बनाने के लिए कम्पनी ने एक वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर बनाना प्रस्तावित किया (अगस्त, 2014)। कम्पनी ने इस हेतु नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेस इन्कॉर्पोरेशन को डेवलेपर्स के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त (25 नवम्बर, 2014) किया एवं ₹18.44 लाख का अग्रिम भुगतान भी किया (नवम्बर, 2014), लेकिन किए गए अनुबन्ध में सॉफ्टवेयर विकसित करने की अन्तिम दिनांक निर्धारित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जून, 2016 तक सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया था एवं मुख्यालय तथा कम्पनी की क्षेत्रीय इकाईयों के लेखांकन के अभिलेखों का एकीकरण नहीं किया जा सका। अतः मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों की वास्तविक समय पर वित्तीय स्थिति को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका एवं लेखों को अंतिम रूप देने तथा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन को दावा प्रस्तुत करने में बहुत विलम्ब होने के कारण अत्यधिक निधियाँ अवरुद्ध हुई जैसा कि कंडिका 2.3.30 एवं 2.3.33 में चर्चा की गई है।

सरकार/कम्पनी ने बताया (नवम्बर, 2016) कि लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित करने की अन्तिम दिनांक निर्धारित नहीं थी अतः आज दिनांक तक यह पूर्ण नहीं हो सका था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:

- उपार्जन अवधि के दौरान आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन लक्ष्यों को पुनरीक्षित नहीं किया गया। इसके कारण खाद्यान्न भण्डार का संचय हुआ एवं बारदानों का भी अत्याधिक उपार्जन किया गया। कुछ ऐसे दृष्टांत भी सामने आए जहाँ भण्डारण में खाद्यान्न खराब होने के कारण कम्पनी को नुकसान हुआ।
- कम्पनी द्वारा डीजीएसएण्डडी एवं प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को दिए गए अग्रिम का समायोजन करने में विलम्ब किया गया। परिणामस्वरूप कम्पनी की निधि अवरुद्ध रही एवं ब्याज का नुकसान हुआ।

- कम्पनी की अंश पूँजी कुल ऋण का एक प्रतिशत से भी कम थी। कम्पनी की गतिविधियों को सुगम बनाने हेतु कोई भी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया। अतः कम्पनी वाणिज्यिक दरों पर प्राप्त ऋण राशि पर निर्भर थी जिससे वित्तीय लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई।
- कम्पनी ने भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय खाद्य निगम को दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब किया। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय खाद्य निगम ने दावों के निपटान में विलम्ब किया परिणामस्वरूप निधियाँ अवरुद्ध हुई।
- कम्पनी की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं असरकारक नहीं थी। फलस्वरूप कम्पनी खाद्यान्न उपार्जन के दौरान उचित औसत गुणवत्ता मापदण्ड सुनिश्चित करने में असफल रही।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

- उपार्जन अवधि के दौरान जलवायु एवं अन्य बदलावों के आधार पर खाद्यान्नों के उपार्जन लक्ष्य को यथासमय पुनरीक्षित करना चाहिए ताकि खाद्यान्नों के खराब होने एवं बारदाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके।
- डीजीएसएण्डडी एवं प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों का यथासमय समायोजन किया जाए जिससे निधियों को अवरुद्ध होने से बचाया एवं ब्याज प्रभार को कम किया जा सके।
- मध्य प्रदेश शासन कम्पनी की वित्तीय कठिनाईयों को कम करने के लिये अन्य विकल्पों पर विचार करें।
- भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं भारतीय खाद्य निगम के दावे समय पर तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं एवं
- खाद्यान्नों का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार होना सुगम बनाने के लिए कम्पनी के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग को सुदृढ़ किया जाये।

अध्याय—३

अध्याय–3

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गए लेनदेन की नमूना जाँच के आधार पर 15 कपिडकाएँ शामिल की गई हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास नियम लिमिटेड

3.1 राजस्व की हानि

कम्पनी द्वारा नियम और शर्तों में परिवर्तन के कारण पूर्ण हुए पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्रों के पट्टा अनुबंध का निष्पादन न होने से ₹ 1.33 करोड़ की राजस्व हानि

मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कम्पनी राज्य में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग (डीओटी) की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने सहित, बजट होटल/आवास के निर्माण, पर्यटक मार्ग सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएसए)¹ आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है।

डब्ल्यूएसए को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी द्वारा स्वयं ही डब्ल्यूएसए के विकास और उसके बाद संचालित करने के लिए निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने का मॉडल अपनाया जाता है। डब्ल्यूएसए के दस वर्ष की अवधि के क्रियान्वयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए पक्षों के चयन को कम्पनी द्वारा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था। सफल बोलीकर्ता द्वारा प्रबंधन अनुबंध हस्ताक्षर करने के बाद कम्पनी को लाइसेंस की अवधि के अंत तक प्रत्येक वर्ष एक किस्त में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि कम्पनी ने 70 डब्ल्यूएसए विकसित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध अगस्त 2013 से मई 2015 के दौरान ₹ 7.12 करोड़ के व्यय के बाद 13 डब्ल्यूएसए को विकसित किया जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है। डब्ल्यूएसए को संचालित करने के लिए पक्षों के चयन हेतु प्रस्ताव (आरएफपी) जनवरी 2015 (7 डब्ल्यूएसए के लिए) और मार्च 2015 (6 डब्ल्यूएसए के लिए) में जारी किये गए थे। इन 7 और 6 डब्ल्यूएसए के लिए वित्तीय बोली क्रमशः मार्च 2015 और मई 2015 में खोली गई थी। तथापि इन 13 डब्ल्यूएसए के लिए सफल बोलीदाताओं के साथ जून 2016 के अंत तक प्रबंधन अनुबंध निष्पादित नहीं किये गए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रबंधन अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने का मुख्य कारण, कम्पनी द्वारा चयन करने के बाद नियम और शर्तों में परिवर्तन किया जाना था। यह निर्णय लिया गया था (सितम्बर 2015) कि सफल बोलीदाता को डब्ल्यूएसए की भूमि का कुल सकल क्षेत्र सौंपने के बजाय इसका एक हिस्सा वापस लिया जाएगा और जिला कलेक्टर को लौटा दिया जायेगा। हालांकि नवंबर 2015 में पूर्ण हुए डब्ल्यूएसए का अपसेट मूल्य तय करने के लिए गठित समिति ने निर्णय लिया कि भूमि का कोई हिस्सा सफल बोलीदाताओं से वापस न लिया जाए।

¹ सुविधाएं जैसे कि वाहन पार्किंग, रेस्टोरेंट, शौचालय, चैंजिंग रूम, रेस्ट रूम, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्धता आदि।

क्योंकि यह कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। डब्ल्यूएसए के पूर्ण होने से लेकर जुलाई 2016 के बीच की इस अवधि के दौरान कोई भी पट्टा अनुबंध कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था जबकि इन डब्ल्यूएसए का निर्माण जनवरी 2013 और मई 2015 के दौरान पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार ₹ 7.12 करोड़ निवेश कर पूर्ण हुए 13 डब्ल्यूएसए, उनके पूर्ण होने के बाद से 10 माह से 38 माह तक निष्क्रिय पड़े रहे। साथ ही कम्पनी ने 13 डब्ल्यूएसए से प्राप्त होने वाले ₹ 1.33 करोड़² लीज रेंट अर्जित करने का अवसर खो दिया। इसके अलावा कम्पनी ने शेष 57 डब्ल्यूएसए में ₹ 16.99 करोड़ का निवेश किया जो कि जून 2016 की स्थिति में पूर्ण हो चुके थे अथवा निर्माण के विभिन्न चरणों में थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से धन नहीं प्राप्त होने से डब्ल्यूएसए अपूर्ण रहे इसलिए इनको संचालित करने वाले पक्षों के चयन के लिए बुलाई गई बोलियों को रद्द कर दिया गया। इसके आगे यह भी बताया गया कि डब्ल्यूएसए को संचालित करने के लिए पक्षों के चयन हेतु ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया जुलाई 2016 में प्रारंभ की गई थी और चयन प्रक्रिया के पूरा होने पर पट्टा अनुबंधों को निष्पादित किये जायेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी ने अपने पत्राचार में ही दर्ज किया है कि 13 डब्ल्यूएसए को जनवरी 2013 और मई 2015 के बीच पूर्ण कर लिया गया था और इनको संचालित करने हेतु पक्षों के चयन के लिए बोलियों को आमंत्रित किया गया था (जनवरी 2015)। तथापि भूमि की मात्रा को सौंपने से संबंधित शर्तों में परिवर्तन के कारण पट्टा अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए कम्पनी द्वारा समय पर उचित निर्णय लेने की असफलता, पूर्ण हुए डब्ल्यूएसए से राजस्व हानि का कारण बनी।

प्रकरण सरकार को मई 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.2 विद्युत शुल्क की अनुचित छूट

कम्पनी ने मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड, बुधनी को लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत शुल्क में ₹ 3.12 करोड़ की अनुचित छूट दी

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड, बुधनी, जो की कपड़ा और कताई उद्योग की गतिविधियों में लगे हुए है, के साथ हाई टेंशन बिजली की आपूर्ति हेतु समझौता (दिसंबर 2008) किया जिसकी अनुबंध मांग 5000 केवीए थी। उपभोक्ता ने चरणबद्ध तरीके से अनुबंध मांग (लोड) को 5000 केवीए से 39000 केवीए (दिसंबर 2015) और 41000 केवीए तक (मार्च 2016) बढ़ाया।

कम्पनी मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (विधेयक) के तहत टैरिफ के नौ प्रतिशत प्रति माह प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क (ईडी) वसूलती है। इस विधेयक का अनुच्छेद 5 राज्य सरकार को औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क से छूट प्रदान कर सकने का अधिकार देता है। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन, ने नए उच्च दाब उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कपनी के ग्रिड से जुड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत शुल्क से छूट प्रदान करने सम्बन्धी राजपत्र अधिसूचना, (04 मार्च 2014) जारी की। यह छूट नये उच्च दाब उपभोक्ताओं को जो इस अधिसूचना के जारी होने

² लीज रेंट के लिए संभावित बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरों के अनुसार (परिशिष्ट संलग्न)।

की तारीख से पांच साल के भीतर राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नए कनेक्शन लेने वाले थे के लिए उपलब्ध थी। यह छूट पहले से ही राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों के साथ जुड़े उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2016) कि उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना के प्रावधान के विपरीत, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी कर (04 अक्टूबर, 2014) मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई। छूट इस आधार पर दी गई थी कि एचटी उपभोक्ता एक समग्र वस्त्र संयंत्र में लगभग ₹ 1400 करोड़ का निवेश करेगी जिससे कि बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों और महिलाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे और कपास किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाएगा। हालांकि, मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड इस अधिसूचना (4 अक्टूबर 2014) के पहले से ही 26000 केवीए (सितम्बर 2014 से) बिजली आपूर्ति अनुबंध मांग का उपयोग कर रही थी जिसे बाद में 41000 केवीए लोड (मार्च 2016) तक बढ़ाया गया था। ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने एक विशिष्ट आदेश जारी कर (21 अक्टूबर 2014) कम्पनी को मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को विद्युत शुल्क से छूट देने के लिए निर्देशित किया गया किया। तदनुसार, कम्पनी ने उपभोक्ता को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की (11 अगस्त 2015 से) जो की फरवरी 2016 तक कुल ₹ 3.12 करोड़ हो गई थी।

इस प्रकार, एक मौजूदा उच्च दाब उपभोक्ता के लोड वृद्धि को नए कनेक्शन के रूप में लिया जाना, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (मार्च 2014) के अनुपालन में नहीं था। इसके अलावा, विधेयक के अनुच्छेद 5 (iii) के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा छूट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए और इस तरह के उद्देश्यों के लिए एक अधिसूचना जारी करके दी जा सकती है। हालांकि, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को छूट देने हेतु ऐसी कोई अधिसूचना, जारी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते हुए सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर देखते हुए, विशाल निवेश, स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित कपास के लिए मिलने वाले उचित मूल्य और राज्य में कपड़ा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कनेक्शन में लोड बढ़ाने को एक नये कनेक्शन, के रूप में लिया गया था ताकि विद्युत शुल्क से छूट दी जा सके। यह भी कहा गया की मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को छूट देने के लिए आवश्यक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए विभाग ने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया से हटते हुए एक एकल पक्ष को अनुचित लाभ प्रदान किया।

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.3 कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली

कम्पनी ने ₹ 5.93 करोड़ कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली की जिससे इस सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदाय हुआ

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) संस्था द्वारा किये गए निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण और वसूली के लिए निर्देशित करता है। अधिनियम के अनुच्छेद 3(1) के अनुसार नियोक्ता द्वारा की गई कुल निर्माण लागत पर कम से कम एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाना चाहिए।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण नियम 1998 (नियम) के नियम 3 के अनुसार, निर्माण की लागत में, भूमि की लागत और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मुआवजे को छोड़कर नियोक्ता द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण के संबंध में किये गए सभी व्यय शामिल होंगे।

इसके अलावा नियम 8 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल (बोर्ड) को उपकर के किसी भी राशि का भुगतान करने की विफलता के फलस्वरूप प्रत्येक माह या उसके किसी भाग की देरी के लिए दो प्रतिशत की दर से बकाया राशि पर ब्याज देय होगा। नियम 9 के अनुसार, अगर उपकर की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के दौरान जिसमें की निर्माण कार्य चल रहा था, के अंत से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो बकाया उपकर की राशि के बराबर तक दंड लगाने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने विभिन्न पारेषण लाइनों और सबस्टेशन के निर्माण (आपूर्ति और निर्माण सहित) के लिए टर्नकी आधार पर 42 कार्य प्रदाय किये (सितम्बर 2012 से फरवरी 2016 तक)। उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार, कम्पनी को ठेकेदार के देयकों से ₹ 8.16 करोड़ के कर्मकार कल्याण उपकार की वसूली करनी थी (एक प्रतिशत की दर से आपूर्ति के भाग पर ₹ 536 करोड़ और निर्माण भाग पर ₹ 279.88 करोड़)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि कम्पनी ने अकेले निर्माण भाग पर ₹ 2.23 करोड़ का कर्मकार कल्याण उपकर वसूल किया और आपूर्ति भाग के लिए उपकर की कोई वसूली नहीं की। इससे आपूर्ति भाग पर ₹ 5.36 करोड़ के कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली हुई और निर्माण भाग पर ठेकेदारों के देयकों से ₹ 0.57 करोड़ उपकर के रूप में लेना शेष रहा।

अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार, वसूली न करने से ₹ 5.93 करोड़ कर्मकार कल्याण उपकर कम वसूला गया एवं ठेकेदारों को ₹ 5.93 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदाय हुआ। इसके अतिरिक्त, कर्मकार उपकर की कम वसूली से कम्पनी (सेस नियम 1998 के नियम 8) कम वसूले गए उपकर पर दो प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बन जाएगी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि पारेषण गतिविधियाँ फैकट्री अधिनियम के अंतर्गत आने के कारण उन पर कर्मकार उपकर लागू नहीं होता है। यह भी बताया गया कि नवम्बर 2015 में मध्य प्रदेश शासन ने कर्मकार उपकर लगाने के सम्बन्ध में कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 में संशोधन करते हुए प्लांट और मशीन की लागत को निर्माण लागत से छूट प्रदान की थी। इसलिए आपूर्ति वाले भाग के लिए सम्बंधित ठेकेदारों के देयकों से उपकर नहीं वसूला गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, (1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अनुसार पारेषण गतिविधियों पर कर्मकार उपकर लगाया जाना है और कम्पनी कोई उत्पादन गतिविधियाँ नहीं करती अपितु उर्जा का व्यापार करती है (2) कम्पनी के पास फैकट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है। हांलाकि कम्पनी द्वारा निर्माण भाग पर कर्मकार उपकर दिया जा रहा था। साथ ही, कर्मकार उपकर नियम 1998 में भी निर्दिष्ट किया गया है कि निर्माण की लागत में भूमि की लागत और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त समस्त व्यय शामिल होंगे। कर्मकार चूँकि संविधान की समर्ती सूची में सूचीबद्ध है, इसलिए संघ के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अगर एक संशोधन राज्य सरकार द्वारा लाया जाता है, तो संघ अधिनियम ही मान्य है। इसलिए कर्मकार उपकर को कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 और नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार लगाना चाहिए।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

मध्य प्रदेश सङ्करित विकास निगम लिमिटेड

3.4 अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण राजस्व हानि

रियायत अनुबंध और एस्क्रो खाते के अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप रियायतग्राही से ₹ 4.56 करोड़ की वसूली न होना

मध्य प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (एम.पी.आर.एस.एन.) और मेसर्स तापी प्रेसटर्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया रोड के विकास, निर्माण, मजबूत बनाने और चौड़ा करने के लिए एक रियायत अनुबंध (सी.ए.) (मार्च 2003) में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर हुआ। इस उद्देश्य के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल अर्थात जे.एन.पी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई थी। तत्पश्चात, मध्य प्रदेश सङ्करित विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को एम.पी.आर.एस.एन. के उत्तराधिकारी/समनुदेशिती के रूप में नामित किया गया था (जुलाई 2004)।

रियायतग्राही को सी.ए के अनुछेद 18.11 के अनुसार परियोजना राजमार्ग का संचालन करना था और ऐसा न करने पर अनुछेद 18.12 के अनुसार ₹ 5000 प्रति दिन के रूप में वह क्षति के लिए उत्तरदायी था। सी.ए. की अनुछेद 25 के अनुसार जे.एन.पी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कम्पनी के बीच एक एस्क्रो खाता अनुबंध (ई.ए.ए.) क्रियान्वित हुआ था (अक्टूबर 2003)।

ई.ए.ए. के अनुछेद 4.1 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा परियोजना के संबंध में प्राप्त समस्त राशि को टोल एस्क्रो खाते में जमा किया जाना आवश्यक था। सी.ए. के अनुछेद 19.4 के अनुसार टोल की अवधि के दौरान रियायतग्राही को प्रत्येक कैलेंडर माह के पूरा होने के सात दिनों के भीतर मासिक शुल्क की जानकारी का पत्रक प्रस्तुत करना आवश्यक था। ई.ए.ए के अनुछेद 4.2.1 मद 2 (ई) के अनुसार रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाना भी एस्क्रो खाते से निकाला जा सकता था। साथ ही, अनुच्छेद 4.2.2 मद 2 (स) के अनुसार, (i) समाप्ति नोटिस जारी होने की वजह से (ii) सी.ए. की समाप्ति या (iii) रियायत अवधि की समाप्ति की स्थिति में, सी.ए. के अनुच्छेद 25.5 में निर्दिष्ट प्रक्रिया से एस्क्रो खाते से रियायतग्राही द्वारा देय भुगतान और हर्जाना राशि को निकला जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि एमपीआरडीसी द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिसों के बावजूद अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2016 के दौरान रियायतग्राही ने सङ्करित का रखरखाव परियोजना के सी.ए. की शर्तों के अनुसार नहीं किया था। चूंकि, रियायतग्राही अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, कम्पनी ने रियायत अनुबंध को निरस्त कर दिया था (अप्रैल 2016)।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि, नुकसान की वसूली के लिए समय-समय पर लगाए जाने वाले प्रावधान के बावजूद, कम्पनी ने टोल एस्क्रो खाता के अनुछेद 4.2.1 मद 2 (ई) के तहत रियायतग्राही से देय हर्जाना राशि वसूली का आवान नहीं किया, इसके परिणाम के रूप में रियायतग्राही द्वारा देय राशि/हर्जाना वसूली राशि ₹ 5.38 करोड़ हो गई थी (20.04.2016)। कम्पनी ने रियायतग्राही की बैंक गारंटी (₹ 0.75 करोड़) और रखरखाव कोष की एफडीआर (₹ 0.62 करोड़) को जब्त कर ₹ 1.37 करोड़ की वसूली की (26 मई 2015) जिससे की रियायतग्राही से हर्जाने के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 4.01 करोड़ बकाया रही। सी.ए. की समाप्ति (30 अप्रैल 2016)

तक रियायतग्राही को नई ओ एंड एम सुरक्षा निधि राशि जमा किये बिना ही 11 माह तक इस परियोजना को संचालित करने दिया गया। साथ ही रियायतग्राही ने सी.ए. की शर्तों के अनुसार अप्रैल 2016 तक एक प्रतिशत टोल और परियोजना की निगरानी शुल्क राशि ₹ 0.55 करोड़ भी जमा नहीं की थी और कम्पनी ने भी ई.ए.ए. के अनुच्छेद 4.2.1 मद 2 (i) का आव्वान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप जून 2016 तक रियायतग्राही से ₹ 4.56 करोड़ की वसूली लंबित रही।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के दौरान रियायतग्राही द्वारा एस्क्रो खाते में ₹ 2.92 करोड़ की टोल राशि कम जमा की गई थी। खाते के विवरण (01 जुलाई 2015 से 11 मई 2016) में यह पाया गया कि, एस्क्रो खाते में दिनांक 04 अगस्त 2015 को शेष राशि ₹ 51,510 थी और दिनांक 11 मई 2016 को ₹ 0.16 करोड़ का नकारात्मक शेष था। जबकि सड़कों के रख रखाव बनाए रखने की विफलता के लिए और कम्पनी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के लिए कम्पनी, रियायतग्राही को नोटिस जारी करती रही, रियायतग्राही सड़कों के रख रखाव के लिए एस्क्रो खाते से धन निकासी करता रहा। कम्पनी एस्क्रो खाते पर नजर रखने में नाकाम रही कि एस्क्रो खाते में रियायतग्राही द्वारा उचित संग्रह किया जा रहा था या नहीं। प्रबंधन भी समय–समय पर एस्क्रो एजेंट के साथ समन्वय करके एस्क्रो खाते से रियायतग्राही द्वारा अतिरेक धन निकासी की निगरानी और नियंत्रित करने में विफल रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2016) कि, कम्पनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की थी और एस्क्रो बैंक खाते के सम्बन्ध में एस्क्रो बैंक के साथ विभिन्न पत्राचार किए गए थे और रियायत अनुबंध एवं एस्क्रो अनुबंध के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी रियायतग्राही और एस्क्रो बैंक की है।

जबाब मान्य नहीं है क्योंकि (i) कम्पनी ने सी.ए और ई.ए.ए की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की और रियायतग्राही से अपेक्षित सुरक्षा राशि प्राप्त किये बिना ही 11 माह की अवधि के लिए परियोजना संचालित करने की अनुमति दी जिससे की राशि बकाया रही (ii) कम्पनी ने न तो यह जांचा की क्या एस्क्रो एजेंट इसके निर्देशों का पालन कर रहा है और न ही कम्पनी ने ई.ए.ए के प्रावधानों के अनुरूप समय पर एस्क्रो खाते में उपलब्ध धन को अपने पक्ष में समायोजित किया और (iii) कम्पनी द्वारा रियायतग्राही को कारण बताओ नोटिस और अन्य पत्राचार को लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित करने के बाद ही किया गया।

3.5 ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करना

कम्पनी ने सड़क परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती और ठेकेदार को ₹ 7.07 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (कम्पनी) ने राज्य राजमार्ग–09 (शहडोल–सिंगपुर–टुर्ला–पंडरिया रोड) जिसकी कुल लम्बाई 119.10 किमी है के निर्माण का ठेका मेसर्स अटलांटा एआरएसएस संयुक्त उद्यम को प्रदान किया (26 मई 2010)। ठेकेदार द्वारा दायित्वों को पूरा करने की विफलता के कारण यह ठेका दिनांक 20 मई 2013 को समाप्त किया गया। सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का शेष कार्य ₹ 109.95 करोड़ का ठेका कम्पनी ने मेसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड को मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (म.प्र.लों.नि.वि.) के वर्ष 2009 के लिए लागू दर अनुसूची (एसओआर) से 30.12 प्रतिशत अधिक दर पर पुनः प्रदाय किया (अगस्त 2013)। कार्य को वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए 18 माह (अर्थात् 06 फरवरी 2015) के भीतर पूरा किया जाना था। ठेकेदार ने 10 मार्च 2015 को कार्य पूर्ण किया और उसको ₹ 139.77 करोड़ का भुगतान (जून 2015) किया गया।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी द्वारा किये गये सङ्क परियोजना क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ पाईं :

अ) कड़ी चट्टान की खुदाई के लिए उच्च दरों का निर्धारण करने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 5.11 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुच्छेद 12.3 (ब) में निर्दिष्ट है कि अगर कार्य का कोई एक घटक, अनुबंध के अनुच्छेद 13 (परिवर्तन एवं समायोजन) के तहत क्रियान्वयन हेतु निर्देशित है, जिसके लिए अनुबंध में कोई दर/मूल्य निर्दिष्ट नहीं है, तो इस तरह के प्रत्येक कार्य घटक हेतु, नई दर या मूल्य को, अनुबंध की किसी भी अन्य प्रासंगिक दर या मूल्य के निकाला जा सकता है। अगर नई दर या मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध की कोई भी दर या मूल्य प्रासंगिक नहीं है, तो इसको किसी अन्य प्रासंगिक मामलों को क्रियान्वित करने की उचित लागत में लाभ सम्मिलित करते हुए निकला जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि कार्य का एक घटक अर्थात् "परिवहन मार्ग में कड़ी चट्टान की खुदाई (बिना विस्फोट किये)" को ठेकेदार को दिये गए ठेके की अनुसूची या मात्रा का देयक (बीओक्यू) में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सङ्क कार्य के क्रियान्वयन के दौरान कम्पनी के निर्देशों के अनुसार ठेकेदार ने 3,04,061 घनमीटर कड़ी चट्टान (बिना विस्फोट किये) की खुदाई की।

इस संबंध में गठित समिति³ ने ठेकेदार द्वारा की गई कड़ी चट्टान की खुदाई के लिए ₹ 512 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान के लिए सिफारिश की (13 जुलाई 2015)। यह दर समिति ने (i) ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित ₹ 512 प्रति घनमीटर की दर (ii) राजमार्ग और सङ्क परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) की मानक डेटा पुस्तक के अनुरूप कम्पनी द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार ₹ 542 प्रति घनमीटर की दर और (iii) म.प्र.लो.नि.वि. के एसओआर 2009 की मूल्यांकित दर ₹ 729 प्रति घनमीटर⁴ को विचार में रखते हुए की। कम्पनी ने सरकार से मंजूरी की प्रत्याशा में ठेकेदार को इस अतिरिक्त मद के लिए भुगतान कर दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, म.प्र.लो.नि.वि. ने एसओआर में घटक के दर निर्धारण हेतु राजमार्ग और सङ्क परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) की मानक डेटा पुस्तक को अपनाया था। म.प्र.लो.नि.वि. के वर्ष 2013 के एसओआर के अनुसार सङ्क के लिए कड़ी चट्टान (बिना विस्फोट किये) की खुदाई की दर ₹ 344 प्रति घनमीटर आई थी। लेकिन कम्पनी ने इस तथ्य के बावजूद कि, म.प्र.लो.नि.वि. की वर्ष 2013 की एसओआर, फरवरी 2013 से ही प्रभाव में आ चुकी थी, अतिरिक्त घटक के लिए दर निर्धारण करते समय, गलती से म.प्र.लो.नि.वि. के वर्ष 2009 के एसओआर के अनुसार ₹ 542 की दर निर्धारित कर दी। ऐसा करने से कम्पनी ने कड़ी चट्टान की खुदाई के लिए ठेकेदार को ₹ 5.11 करोड़⁵ का अतिरिक्त भुगतान किया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2016) कि परिवहन मार्ग में कड़ी चट्टान के खुदाई (बिना विस्फोट किये) के कार्य को बीओक्यू में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि अतिरिक्त घटक की दर का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दरों पर मोर्थ की मानक डेटा पुस्तक को विचार में रखते हुए किया गया था।

³ संभागीय प्रबंधक, तकनीकी सलाहकार, मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी और उप महाप्रबंधक (सदस्य सचिव) को मिलाकर कम्पनी द्वारा बनाई गई थी।

⁴ (म.प्र.लो.नि.वि. एसओआर 2009 के अनुसार दर ₹ 503 प्रति घन मीटर + अप्रैल 2009 से मई 2014 के दौरान वृद्धि दर 45 प्रतिशत से ₹ 226)= ₹ 729 प्रति घन मीटर।

⁵ निर्धारित उच्च दर ₹ 168 घन मीटर (₹ 512 – ₹ 344) X 3,04,061 घन मीटर उत्खनित कड़ी चट्टाने = ₹ 5.11 करोड़।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, समिति के द्वारा जुलाई 2013 में कड़ी चट्टान की खुदाई (कार्य का अतिरिक्त घटक) की दर सिफारिश करने से पहले ही, प्रभाव में आ चुकी म.प्र.लो.नि.वि की एसओआर 2013 (जो की फरवरी 2013 से ही प्रभाव में आ चुकी थी), को विचार करने में कम्पनी असफल रही।

ब) उत्खनित कड़ी चट्टान की पूरी मात्रा की वसूली न करने से ठेकेदार को ₹ 1.52 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

इस सङ्क परियोजना ठेके को प्रदान करते समय कम्पनी ने म.प्र.लो.नि.वि. की एसओआर दरों को अपनाया था। म.प्र.लो.नि.वि. के सामान्य नोट 23 में निर्दिष्ट था कि कड़ी चट्टान के उत्खनन से उपलब्ध मलबे को मोटी रोड़ी/गिट्टी बनाने में अथवा अन्य निर्माण कार्य में उपयोग किया जा सकता है तथा यह ₹ 100 प्रति घन मीटर की दर से उत्खनित चट्टान ठेकेदार को जारी किया जाएगा। इसके अलावा अनुबंध के बीओक्यु की मद संख्या 2.06 और 8 (ii) 5 के अनुसार, तटबंध के निर्माण और पुल पहुंच निर्माण के लिए चयनित मिट्टी/अनुमोदित मिट्टी की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं की लागत करनी थी। अनुबंध में कार्य के इस मद के लिए सामग्री सहित दरें क्रमशः ₹ 71 प्रति घन मीटर और ₹ 222 प्रति घन मीटर उल्लेखित की गई थी।

ठेकेदार के देयकों में लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि, ठेकेदार ने 3,04,061 घन मीटर कड़ी चट्टान का उत्खनन किया था। कुल उत्खनित कड़ी चट्टान की 3,04,061 घन मीटर मात्रा के विरुद्ध कम्पनी ने ठेकेदार को 100 प्रति घन मीटर की दर से मात्र ₹ 1,52,030.50 घन मीटर (कुल का 50 प्रतिशत) कड़ी चट्टान जारी की। शेष ₹ 1,52,030.50 घन मीटर कड़ी चट्टान को ठेकेदार द्वारा तटबंध और पुल पहुंच के निर्माण के लिए उपयोग किया गया, लेकिन ठेकेदार के देयकों से कम्पनी द्वारा लागू प्रभारों की वसूली नहीं की गई। इससे सरकार को ₹ 1.52 करोड़⁶ की सीमा तक हानि हुई।

सरकार ने कहा (सितंबर 2016) कि उत्खनित कड़ी चट्टान की शेष 50 प्रतिशत (₹ 1,52,030.50 घन मीटर) मात्रा को मोटी रोड़ी/गिट्टी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था और इसको ठेकेदार द्वारा तटबंध और पुल पहुंच के निर्माण के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए अनुबंध की बीओक्यु की मद 2.06 और 8 (ii) के अनुसार केवल जल छिड़काव और संघनन प्रभार का भुगतान किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास में यह दिखाने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था कि उत्खनित 50 प्रतिशत कड़ी चट्टान, मोटी रोड़ी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा क्योंकि 0.5 घन मीटर से अधिक आकार की कड़ी चट्टान को पीस कर किसी भी आकार के इस्तेमाल करने योग्य मोटी रोड़ी या अन्य निर्माण में उपयोग किया जा सकता था, यहीं वजह थी कि एसओआर में कोई प्रयोज्य अनुच्छेद नहीं था। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा कड़ी चट्टान की अपेक्षा अनुमोदित सामग्री/चयनित मिट्टी को स्वयं ही तटबंध और पुल पहुंच निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। चूंकि उत्तर में कम्पनी ने पुष्टि की है कि, ठेकेदार द्वारा तटबंध और पुल पहुंच निर्माण के लिए प्राप्त मलबे को इस्तेमाल किया गया, इसलिए ₹ 100 प्रति घन मीटर की लागू दर से ठेकेदार से वसूली की जानी चाहिए थी। ऐसा न करके, कम्पनी ने सरकार को ₹ 1.52 करोड़ की हानि पहुंचाई।

स) सङ्क तटबंध निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश का उपयोग करने की उसकी विफलता के कारण ठेकेदार को ₹ 44.05 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया

कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों से 100 किलोमीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों में ऊपरी मिट्टी के उत्खनन को प्रतिबंधित करने और फ्लाई ऐश के उपयोग

⁶ 1,52,030.050 घन मीटर X ₹ 100 प्रति घन मीटर = ₹ 1,52,03,050 अर्थात् 1.52 करोड़।

को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) और 5, के अंतर्गत दिनांक 14 सितंबर 1999 और 03 नवंबर 2009 को अधिसूचनाएं जारी की। आगे यह भी निर्देश दिया गया कि, कोई भी व्यक्ति या संगठन एक थर्मल पावर स्टेशन से 100 किलोमीटर के दायरे में, ऊपरी मिट्टी के साथ सड़क निर्माण कार्य या सड़कों या फ्लाईओवर तटबंधों के निर्माण के लिए डिजाइन को मंजूरी का कार्य नहीं करेगा। तदनुसार, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा सड़क परियोजना में फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अपेक्षित दिशा—निर्देश/विनिर्देश जारी किए गए। साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों से 100 किलोमीटर के दायरे में सड़क तटबंध के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि एक थर्मल पावर स्टेशन, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, उमरिया जो कि शहडोल—सिंहपुर—टुर्ला—पंडरिया सड़क परियोजना के 100 किमी के दायरे में स्थित था और तदनुसार उसके डीपीआर एवं मात्रा की अनुसूची में तटबंध निर्माण हेतु फ्लाई ऐश और चयनित मिट्टी⁷ के उपयोग का प्रावधान रखा गया था। तटबंध निर्माण की अनुमानित दर ₹ 276 प्रति घन मीटर के विरुद्ध, ठेकेदार ने 50 से 75 किलोमीटर के लिए ₹ 4 प्रति घन मीटर और 75 से 100 किलोमीटर के लिए ₹ 6 प्रति घन मीटर की दर उद्धृत की। लेकिन निर्माण के समय, ठेकेदार ने फ्लाई ऐश का उपयोग न करते हुए पूरे तटबंध के निर्माण को खदान⁸ से ₹ 147 प्रति घन मीटर की दर से प्राप्त 31,130 घन मीटर वाली कुल ₹ 45.76 लाख मूल्य चयनित मिट्टी से किया। अगर तटबंध निर्माण में ठेकेदार ने फ्लाई ऐश का उपयोग किया होता तो लागत ₹ 1.71⁹ लाख होती। सड़क निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश का उपयोग करने की विफलता से इस हेतु दिए गए भारत सरकार के निर्देशों एवं आईआरसी एसपी: 58—2001 का उल्लंघन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को भी ₹ 44.05 लाख का अधिक भुगतान हुआ (₹ 45.76 लाख — ₹ 1.71 लाख)।

सरकार ने कहा (सितंबर 2016) कि, आईआरसी एसपी: 58—2001 के अनुसार फ्लाई ऐश तटबंध निर्माण में तटबंध के दोनों ओर एक से तीन मीटर मोटाई की मिट्टी से ढाकने की आवश्यकता होती है। इसलिए चौड़ीकरण और निम्न तटबंध परियोजनाओं में फ्लाई ऐश तटबंध बनाना संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं ही तटबंध निर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए डीपीआर में प्रावधान किया। वैकल्पिक सामग्री के उपयोग के कारण कम्पनी ₹ 44.05 लाख का अतिरिक्त व्यय करने को बाध्य हुई और इसे ठेकेदार से वसूला नहीं किया गया। इसके अलावा फ्लाई ऐश का उपयोग करने की विफलता के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण कार्यों हेतु समय—समय पर जारी फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ।

अतः (i) कड़ी चट्टान के उत्खनन की दर निर्धारण करते समय लागू एसओआर 2013 से विचलन करते हुए (ii) पूर्ण उत्खनित कड़ी चट्टान की मात्रा की वसूली न करके (iii) सड़क कार्य में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए ठेकेदार को बाध्य न करके, कम्पनी ने ₹ 7.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया और इस सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदाय किया।

⁷ अर्थात् मिट्टी जिसकी निर्दिष्ट सीबीआर मूल्य हो और आईआरसी विनिर्देश के अनुसार सबग्रेड के निर्माण के लिए उपयोग किया गया हो

⁸ उधार के गड्ढे अर्थात् गड्ढे जो अन्य स्थानों से कार्य स्थल पर लाये गए हो

⁹ 8030 घन मीटर X ₹ 4 प्रति घन मीटर + 23,100 घन मीटर X ₹ 6 प्रति घन मीटर = ₹ 1,70,720

3.6 मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान

कम्पनी द्वारा गलत मूल्य सूचकांक अपनाने से कोलतार मूल्य समायोजन मद में ठेकेदारों को ₹ 2.63 करोड़ अधिक भुगतान हुआ

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 2011 से 2013 के दौरान चार सड़क¹⁰ परियोजनाओं के लिए ठेके दिये। अनुबन्ध का अनुच्छेद 13.9, कोलतार के मूल्य समायोजन करने हेतु तय प्रक्रिया के पालन से सम्बंधित है। उपरोक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट था कि, समायोजन मूल्य की गणना, कार्य में उपयोग के लिए कार्यस्थल पर दिए गए कोलतार के आधार मूल्य और मौजूदा मूल्य के बीच के अंतर को लागू करके तय की जाएगी।

अनुबन्ध के अनुसार, आधार सूचकांक मूल्य के रूप में लिया गया मूल्य, वो मूल्य है, जो कि बोली जमा करने की अंतिम तारीख से 28 दिन पहले प्रचलित था। इसके अलावा, कोलतार/कोलतार इमल्शन के संबंध में समायोजित मूल्य निकालने के सम्बन्ध में वो प्रचलित वर्तमान कीमत है जो कि किसी एक माह से संबंधित विशेष अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र के पहले वाले माह के अंत में प्रचलित थी। अनुबन्ध में निर्दिष्ट था कि कोलतार की वर्तमान कीमत (1) एडीबी परियोजनाओं के संबंध में निकटतम रिफाइनरी की वह एक्स रिफाइनरी कीमत है, जिसमें की उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी लागू कर समावेशी होंगे और (2) अन्य परियोजनाओं के संबंध में, यह सभी लागू करों को सम्मिलित करते हुए निकटतम रिफाइनरी की वह एक्स रिफाइनरी कीमत है, जो कि अनुबन्ध में समायोजन करने के लिए प्रासंगिक तारीख पर प्रचलित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि पचोर—चापिखेड़ा—जीरापुर—सोयत सड़क परियोजना और आगर—बरोड़—आलोट—जावरा के लिए कोयली रिफाइनरी निकटतम थी शहडोल—सिंहपुर और दमोह—हट्टा सड़क परियोजना के लिए मथुरा रिफाइनरी निकटतम थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ठेकेदारों को देय कोलतार मूल्य समायोजन के निर्धारण के लिए, कम्पनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भोपाल संभाग द्वारा प्रदान की गई दर सूची के आधार पर कोलतार सूचकांक को अपनाया। कम्पनी द्वारा अपनाया गया सूचकांक, अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को देय कोलतार मूल्य समायोजन के निर्धारण के लिए एक्स रिफाइनरी कीमत को अपनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार अनुबन्ध की शर्तों को विचलन कर गलत सूचकांक मूल्य अपनाने से ठेकेदारों को मूल्य संयोजन मद में ₹ 21.06 करोड़ की वास्तविक राशि के अपेक्षा ₹ 23.69 करोड़ का भुगतान हुआ जैसा की परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कोलतार की मूल्य वृद्धि मद में ₹ 2.63 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कम्पनी ने कहा है (अक्टूबर 2016) कि, अनुबंध में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था की आईओसी वेबसाइट पर उपलब्ध एक्स रिफाइनरी मूल्य को कोलतार का मूल्य समायोजन का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। यह भी कहा गया कि, निर्धारणीय मूल्य के बुनियादी बिक्री मूल्य का निर्धारण आईओसी द्वारा अपने पत्राचार में प्रमाणित राज्य विशिष्ट लागत को जोड़ने के बाद किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, मूल्य समायोजन निकालने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई दर समझौते के नियम और समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा

¹⁰ तीन ठेके (पचोर—चापिखेड़ा—जीरापुर—माचलपुर—सोयत, दमोह—हट्टा—गैसाबाद, आगर—बरोड़—आलोट—जाओरा) एडीबी परियोजना के तहत और एक ठेका (शहडोल—सिंहपुर) सामान्य ठेके के अंतर्गत दिए गए थे

कोलतार की आधार कीमत जो कि कम्पनी द्वारा ठेकेदारों से एकत्र खरीद के बिलों में दर्शाई गई थी वह भी आईओसी द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित दरों से मेल खाती थी। इसलिए, आईओसी के संभागीय कार्यालय द्वारा घोषित दरों की अपनाने से ठेकेदारों को मूल्य विभिन्नता का अधिक भुगतान हुआ।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त हैं (नवम्बर 2016)।

3.7 अत्यधिक मोटाई अपनाने के कारण अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने सड़क सतह रूपांकन में विनिर्देशों का विचलन किया जिससे ₹ 1.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (कम्पनी) ने आगर-बरोड़-आलोट-जावरा (एसएच-41) के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 133.08 करोड़ का कार्य मेसर्स मॉटेकार्लो कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (ठेकेदार) को आंवटित किया (जुलाई 2011)। कार्य को वर्षा ऋतु को समिलित करते हुए 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था। कार्य पूर्ण हुआ (सितम्बर 2013) और ठेकेदार को ₹ 156.20 करोड़ के पूर्व अन्तिम देयक के लिए भुगतान किया गया (सितम्बर 2013) था।

सड़क की सतह को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश 37-2001 के अनुसार रूपांकन किया जाना था जिसके अनुसार सतह की मोटाई का रूपांकन (1) सड़क के जीवन काल के दौरान उस पर से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों की अनुमानित संख्या और (2) जिस पर सड़क का आधार टिकता है उस सब ग्रेड के कैलिफोर्निया बीअरिंग अनुपात (सीबीआर)¹¹ पर आधारित होगी। सब ग्रेड¹² को अच्छी तरह से संघनित करने की आवश्यकता होती है ताकि उसकी पूरी ताकत का उपयोग किया जा सके और सतह की मोटाई को किफायती रूप से बनाया जा सके। साथ ही सड़क मार्ग के उपरी 500 मिमी भाग को सब ग्रेड के रूप में विचार किया जाना था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के विनिर्देशों (आईआरसी 37-2001) के अनुसार अगर यातायात तीव्रता 10 लाख स्टैण्डर्ड एक्सेल (एमएसए)¹³ हो और आधार स्तर के सब ग्रेड¹⁴ का सीबीआर मूल्य सात प्रतिशत से अधिक हो तो सिर्फ 200 मिमी मोटाई वाले दानेदार सब ग्रेड (जीएसबी)¹⁵ बिछाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में मौजूदा सब ग्रेड की सीबीआर 2.5 से 15.90 प्रतिशत के स्तर पर थी। खदान¹⁶ का सीबीआर मूल्य 11.80 प्रतिशत से 15.58 प्रतिशत के स्तर का था। आईआरसी 37-2001 विनिर्देशों के अनुसार यदि तटबंध के शीर्ष 500 मिमी का निर्माण ऐसी सामग्री से हुआ हो जिसका सीबीआर 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो सड़क सतह की मोटाई, 10 प्रतिशत या इससे अधिक मूल्य वाले सब ग्रेड सीबीआर के उपयुक्त होनी चाहिए। हालांकि, कम्पनी ने सड़क सतह निर्माण हेतु प्रस्तावित मिट्टी जिसका सीबीआर मूल्य 11.80 प्रतिशत था के

¹¹ कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात नए कैरिज वे निर्माण के नीचे की प्राकृतिक जमीन, सबग्रेड और बेस कोर्स की यांत्रिक ताकत के मूल्यांकन का अर्थाबोध परिक्षण है।

¹² सब ग्रेड अर्थात् आधार स्तर का तटबंध जिसमें कि निर्मित और बाहर से उधार ली गई मिट्टी से संघनित किया हुआ सब ग्रेड समिलित है।

¹³ यातायात डिजाइन मानक सड़क की डिजाइन जीवनकाल के दौरान उसपर से निकलने वाले स्टैण्डर्ड एक्सेल की संचयी संख्या के आधार पर माना जाता है।

¹⁴ आधार स्तर अर्थात् अर्थ कार्य और संघनन के पूरा होने के बाद मिट्टी की सतह का निर्णायक स्तर।

¹⁵ कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्राकृतिक रेत, मुरम, बजरी, कुचले पत्थर या इनका संयोजन जो की ग्रेडिंग की आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

¹⁶ निर्माण और स्रिविल इंजीनियरिंग में, बोर्ड क्षेत्र एक ऐसा खनित क्षेत्र जहां सामग्री (आमतौर पर मिट्टी, बजरी या रेत) दूसरे स्थान पर उपयोग के लिए खोदी जाती है।

स्थान पर मौजूदा जमीन मिट्टी के सीबीआर मूल्य के आधार पर छह प्रतिशत सीबीआर की दर को माना। इसके अलावा, आईआरसी 37–2001 विनिर्देशों के अनुसार, 11.80 प्रतिशत सीबीआर मूल्य (10 प्रतिशत से ऊपर सीबीआर) के लिए दानेदार सब ग्रेड (जीएसबी) की आवश्यक मोटाई 200 मिमी होना चाहिए।

इसके अलावा, कम्पनी द्वारा अपनाया गई म.प्र.लो.नि.वि के एसओआर के अनुसार, ऐसे सड़क तटबंध के निर्माण के लिए जिसमें की 5 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत सीबीआर मूल्य की मिट्टी लगनी हो, के लिये मिट्टी को खदान की खुदाई से प्राप्त किया जाना था। चूंकि वर्तमान मामले में कम्पनी ने न्यूनतम 11.80 प्रतिशत सीबीआर मूल्य वाली खदान की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के उपयोग को प्रस्तावित किया था, तदनुसार सतह को आईआरसी 37 के तहत दिए गए विनिर्देशों के अनुसार इस सीबीआर मूल्य वाली मिट्टी के अनुरूप बनाया जाना चाहिए था।

लेकिन कम्पनी ने सतह की गणना करते समय सीबीआर की दर छह प्रतिशत मानी और सतह के जीएसबी को 200 मिमी की आवश्यक मोटाई की अपेक्षा 260 मिमी मोटाई का बनाया। इसके कारण 29840.25 घन.मी जीएसबी का अधिक क्रियान्वयन हुआ जिसके परिणामस्वरूप की ₹ 1.77 करोड़¹⁷ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कम्पनी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सड़क के रूपांकन को सब ग्रेड के निर्माण के प्रयुक्त होने वाली मिट्टी के सबसे कमजोर सीबीआर मूल्य पर या सड़क के दिए गए एक भाग पर बड़े पैमाने पर सब ग्रेवल आधार पर मिलने वाली मिट्टी के सीबीआर मूल्य पर आधारित होना चाहिए था। इसलिए सतह का रूपांकन छः प्रतिशत की सीबीआर के आधार पर तैयार किया गया था और तदनुसार 260 मिमी जीएसबी को विचार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, डीपीआर को विस्तृत सर्वेक्षण और क्षेत्र निरीक्षण के बाद तैयार किया गया था और डीपीआर में खदान की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित किया गया था और इस मिट्टी का सीबीआर मूल्य 11.80 प्रतिशत से 15.58 प्रतिशत के बीच था। इसलिए कम्पनी को छः प्रतिशत की अपेक्षा 11.80 प्रतिशत सीबीआर मूल्य की मिट्टी पर विचार करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से, कम्पनी ने ₹ 1.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

3.8 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 35.58 लाख का परिहार्य दंडात्मक ब्याज भुगतान करना पड़ा

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, हर मामले में, जहां एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि दस हजार रूपये या उससे अधिक है, में अग्रिम कर देय है। अधिनियम की धारा 234 बी में कहा गया है कि जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक निर्धारिती जो की धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा

¹⁷ (अ) बीओक्यू के अनुसार, जीएसबी की कार्यान्वयन मात्रा 1,29,307.75 घन मीटर थी @ ₹ 592.50 प्रति घन मीटर = ₹ 7,66,14,824।

(ब) आईआरसी 37 विनिर्देश के अनुसार 200 घन मीटर के बजाय 260 घन मीटर पर विचार करते हुए जीएसबी की अतिरिक्त क्रियान्वयन मात्रा अर्थात $(1,29,307.75 \times 200/260) = 99,467.50$ घन मीटर X ₹ 592.50 प्रति घन मीटर = ₹ 5,89,34,494 कंपनी द्वारा की गई कुल अतिरिक्त लागत (ए – बी)= 29,840.25 घन मीटर जिसका मूल्य है ₹ 1,76,80,348 अर्थात ₹ 1.77 करोड़।

है या जहां निर्धारिती द्वारा इस तरह के अग्रिम कर का किया गया भुगतान, मूल्यांकन कर का 90 प्रतिशत से कम है, निर्धारिती अग्रिम कर की उस राशि जितनी की मूल्यांकन कर से कम है, पर अप्रैल के पहले दिन से हर महीने के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 234 सी के अनुसार, अगर एक निर्धारिती, अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है, या अग्रिम कर का किया गया भुगतान उनकी देय दिनांको 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को क्रमशः 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 और 100 फीसदी से कम हो, तो निर्धारिती कमी की राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2016) कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), ने नियत दिनांको पर निर्धारित प्रतिशत में अग्रिम कर भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए दंडात्मक ब्याज¹⁸ के रूप में ₹ 35.58 लाख का भुगतान किया, अगर कम्पनी ने सही ढंग से अग्रिम कर का आँकलन कर नियत दिनांको पर निर्धारित अग्रिम कर की तिमाही किस्तों का भुगतान किया होता तो इससे बचा जा सकता था।

सरकार ने कहा (जून 2016) कि (1) निगम की आय उपार्जन आधार पर वर्ष के अंत में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दर्ज कि गई थी (2) बाद में कम्पनी ने आय कर विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से दाखिल की थी जो स्वचालित रूप से मानवीय हस्तक्षेप के बिना टैक्स और ब्याज देनदारी की गणना करती है (3) कम्पनी का अधिशेष धन सावधि के रूप में बैंकों में जमा था और उस पर कम्पनी द्वारा भुगतान किये गए दंडात्मक ब्याज के बराबर ₹ 35.58 लाख ब्याज अर्जित हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, कम्पनी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप अग्रिम आयकर की देनदारी का आँकलन करने में और सरकारी राजस्व को समय पर जमा करने में विफल रही। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर एफडीआर पर ब्याज कमाने को तर्किक नहीं कहा जा सकता और किसी भी मामले में सावधि ब्याज दर (नौ प्रतिशत) हमेशा आयकर विभाग द्वारा आरोपित दंडात्मक ब्याज दर (12 प्रतिशत) की तुलना में कम रहेगी।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

3.9 अनुचित लाभ दिया जाना

कम्पनी ने आरटीई उत्पाद की उत्पादन लागत अन्तिमीकरण में रखे हुए बारदानों का प्राप्य मूल्य समायोजित न करके संयुक्त उपक्रम भागीदार को ₹ 5.68 करोड़ का अनुचित लाभ पँहुचाया

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना (आईसीडीएस) के तहत, भारत सरकार के महिला एवं बाल विभाग (डब्ल्यूसीडी) को खाने के लिए तैयार उत्पाद (आरटीई) की आपूर्ति की जाती थी। आरटीई उत्पादों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर तय किये गए पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य पर आपूर्ति किया जाता रहा।

¹⁸ अग्रिम कर भुगतान में विलम्ब / आस्थगन के कारण धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज – ₹ 17.70 लाख, धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज – ₹ 17.88 लाख।

आरटीई उत्पादों के बिक्री मूल्य का निर्धारण कम्पनी द्वारा प्रदान किए गए लागत डेटा के आधार पर तय होता है जिसमें कच्चे माल हेतु व्यय, प्रक्रिया के दौरान कच्चे माल के नुकसान की निर्दिष्ट प्रतिशत, प्रत्यक्ष लागत, परिवहन लागत और लाभ मार्जिन सहित ओवरहेड्स शामिल हैं। चूँकि कम्पनी के पास माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं थी, इसलिए निजी पक्षों के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) किये गए। इस व्यवस्था के तहत, प्रमुख कच्चे माल (गेहूं और चावल) को भारत सरकार, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड (एमपीएससीएससी) द्वारा रियाईती दरों पर कम्पनी (संयुक्त उद्यम सहित) को आपूर्ति की जाती है। आरटीई उत्पादों के निर्माण के लिए वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान कम्पनी और संयुक्त उपक्रम को 2,19,367 मीट्रिक टन गेहूं और 1,22,410 मीट्रिक टन चावल आवंटित किए गए थे। इसमें से, 1,78,920 मीट्रिक टन गेहूं और 1,22,410 मीट्रिक टन चावल को कम्पनी और संयुक्त उपक्रम द्वारा क्रमशः 36,06,117 और 25,27,984 बारदानों में उठाया गया था। इन बारदानों को कम्पनी और संयुक्त उपक्रम द्वारा अपने पास बनाए रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2015) कि गेहूं और चावल के रखे हुए बारदानों के निपटान के लिए कम्पनी ने अवधि 2010–11 से 2015–16 के दौरान क्रमशः ₹ 11.05 से ₹ 14.31 प्रति बैग एवं ₹ 8.00 से ₹ 13.51 प्रति बैग की निविदा दरों को मंजूरी दी। इस प्रकार, अवधि 2010–11 से 2015–16 के दौरान, बारदानों जिसमें गेहूं और चावल आपूर्ति की गई थी, का प्राप्य मूल्य क्रमशः ₹ 4.75 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ था। (जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत किया गया है)

2010–11 से 2015–16 के दौरान आरटीई उत्पादों के बिक्री मूल्य के निर्धारण के लिए कम्पनी द्वारा डब्लूसीडी को प्रस्तुत लागत डेटा की जांच में लेखापरीक्षा ने आगे पाया (जुलाई 2016) कि आरटीई उत्पादों की उत्पादन लागत निर्धारण के लिये कम्पनी ने बारदानों जिसमें कच्चे माल (गेहूं और चावल) की आपूर्ति की गई थी की वसूली योग्य राशि समायोजित नहीं की थी। इससे आरटीई उत्पादों के उत्पादन लागत में ₹ 6.25 करोड़ की वृद्धि हो गई। (जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में विस्तृत किया गया है)

इस प्रकार, आरटीई उत्पादों की उत्पादन लागत को अंतिम रूप देने में गेहूं और चावल के रखे हुए बारदानों की प्राप्य राशि का समायोजन नहीं करके, कम्पनी और संयुक्त उपक्रम ने डब्लूसीडी से ₹ 6.25 करोड़ का अतिरिक्त दावा किया। इसमें से ₹ 5.68 करोड़ (90.88 प्रतिशत) संयुक्त उद्यम भागीदारों को दिया गया और शेष ₹ 0.57 करोड़ (9.12 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा रखा गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2016) कि रखे हुए बारदानों की प्राप्य राशि को आरटीई उत्पादों की उत्पादन लागत निर्धारण में समायोजित नहीं किया गया था। यह भी कहा गया कि आरटीई उत्पादों के प्रमुख अवयवों की लागत वर्ष 2009 के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया थी, इसलिए रखे हुए बारदानों की प्राप्य राशि के समायोजन नहीं किये जाने से कम्पनी के वित्तीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह तक कि आरटीई उत्पादों के प्रमुख अवयवों की लागत में वृद्धि से, रखे हुए बारदानों की प्राप्य राशि को संयोजित न करने का प्रभाव समाप्त हो गया है, को न्यायोचित नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रमुख सामग्री गेहूं और चावल की आपूर्ति को भारत सरकार/एमपीएससीएससी द्वारा संबंधित लागत पत्रक में दी गई सरकारी अधिसूचित दरों पर किया जा रहा था और वे सीधे बाजार दरों से जुड़ी नहीं थीं। साथ ही, रखे हुए बारदानों की प्राप्य राशि का समायोजन नहीं होने से निजी संयुक्त उद्यम भागीदारों को ₹ 5.68 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) लिमिटेड

3.10 भूमि आवंटन में अनियमितताएँ

कम्पनी ने ₹ 3.88 करोड़ मूल्य भूमि के आवंटन में अनियमितता की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.59 लाख राजस्व हानि हुई

मध्य प्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 के अनुच्छेद 5(IV) के अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में आरक्षित भूमि के उद्देश्य वाले उद्योगों को भूमि आवंटन हेतु राज्य शासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तथापि आईआईडीसी ग्वालियर (कम्पनी) ने राज्य शासन की पूर्व अनुमति लिये बिना ही मेसर्स एमप्रर ग्रेनाइट्स, जो कि उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाती है को 5,576.21 वर्ग.मी. क्षेत्रफल भूमि के आवंटन का आशय पत्र (27 फरवरी 2006) और 900 वर्ग.मी. (0.09 हेक्टेयर) हेतु 14 जुलाई 2006 को जारी किया। भूमि आवंटन पत्र जारी किये बिना ही फर्म को 06 मार्च 2006 को भूमि का अग्रिम कब्जा सौप दिया गया।

चूंकि फर्म की व्यावसायिक गतिविधियाँ ग्वालियर स्टोन पार्क के उद्देश्य से भिन्न थी, कम्पनी के निदेशक मंडल ने फर्म को ग्वालियर स्टोन पार्क में भूमि आवंटन के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा (23 जून 2007)। तथापि वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग राज्य शासन ने प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण मांगा (31 जनवरी 2008) की फर्म को किसी अन्य निकट औद्योगिक इस्टेट जहाँ भूमि किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं है में आवंटित क्यों नहीं की गई। कम्पनी ने उत्तर दिया कि फर्म ने ग्वालियर क्षेत्र में भूमि के लिये आवेदन दिया था हालांकि पास के अनारक्षित स्थानों (मालनपुर/बानमोर) में भूमि उपलब्ध थी।

फर्म ने परिवहन विभाग द्वारा उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट का ठेका न मिलने के कारण स्ट्रोन पार्क में पत्थर से संबंधित उद्योग स्थापित करने की अनुमति माँगी (मार्च 2013)। फर्म ने लीज डीड को मेसर्स एमप्रर ग्रेनाइट्स के स्थान पर मेसर्स एमप्रर एसोसियेट्स के नाम से पंजीकृत करने का अनुरोध किया (19 जून 2014)। तदनुसार कम्पनी के अध्यक्ष ने निर्णय लिया (22 जून 2013) कि चूंकि फर्म द्वारा पत्थर से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाएगी, इसलिये राज्य शासन की अनुमति आवश्यक नहीं हैं और नई फर्म को भूमि आवंटन करने और अग्रिम कब्जे की दिनांक (06 मार्च 2006) से लीज (22 फरवरी 2014) कि लीज रेंट को पुरानी दरों पर एवं बकाय राशि बिना ब्याज लगाए वसूला जाए। तदनुसार 25 नवंबर 2014 को 6,475.15 वर्ग.मी. भूमि आवंटन हेतु मेसर्स एमप्रर एसोसियेट्स को आवंटन पत्र जारी किया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

- प्रथम फर्म को भूमि का अग्रिम कब्जा देकर कम्पनी ने अनियमितता की जो कि उस समय प्रचलित भूमि आवंटन नियम के अनुसार मान्य नहीं था। इस कारण 2006 से 2015 के दौरान ₹ 3.88¹⁹ करोड़ मूल्य की भूमि बिना किसी लाभ के व्यर्थ पड़ी रही।

¹⁹ कलेक्टर ऑफ़ स्टैम्प्स म.प्र ग्वालियर जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 की दरों पर भूमि मूल्य अर्थात् स्टोन पार्क में ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर।

साथ ही वर्ष 2014 में लीज डीड संपादित करते समय लीज रेंट एवं अन्य शुल्क को पुरानी दरों पर वसूलने का कम्पनी अध्यक्ष का निर्णय भी कम्पनी के हित में नहीं था।

- कम्पनी ने फर्म से अतिरिक्त राशि ₹ 19.76 लाख वसूलने के लिये लघु फर्म पर लागू दरों के अनुसार मांग पत्र जारी किया जबकि जून 2014 तक जब तक फर्म का दूसरा नाम नहीं आया था तब तक फर्म लार्ज स्केल फर्म थी। कम्पनी को कम से कम लघु उद्योग पर अप्रैल 2013 से लागू दरों को अपनाया जाना चाहिये था। ऐसा न करने से कम्पनी को ₹ 25.36 लाख की राजस्व हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।
- कम्पनी द्वारा भेजे गए मांग पत्र (अगस्त 2013) के अनुसार उसको लीज रेंट और रखरखाव शुल्क के रूप में 2006–07 से 2014–15 तक प्रतिवर्ष ₹ 1,10,980 प्राप्त होने थे। तथापि कम्पनी को यह नवंबर 2014 में प्राप्त हुए और इसमें मध्य प्रदेश औद्योगिक भूमि आवंटन नियम 2008 के अनुलग्नक—एफ के अनुच्छेद (i) और (iv) के तहत निर्दिष्ट ब्याज भी नहीं लगाया गया। अतः कम्पनी को ₹ 12.12 लाख की ब्याज हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।
- चूंकि द्वितीय फर्म के साथ संपादित लीज डीड, प्रथम फर्म को जारी आशय पत्र पर आधारित थी, अतः इस लीज डीड को हस्तांतरण का प्रकरण मानते हुए भूमि आवंटन नियम 2008 और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 2011 में जारी परिपत्र के अनुसार हस्तांतरण शुल्क लिया जाना चाहिये था। इस प्रकरण में कम्पनी ने प्रथम फर्म से विकास शुल्क नहीं वसूला और द्वितीय फर्म को आवंटन पत्र जारी करते समय ₹ 31.08²⁰ लाख विकास शुल्क की अपेक्षा ₹ 6.97 लाख ही वसूले। इस कारण ₹ 24.11 लाख विकास शुल्क कम वसूल हुए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2006) कि (i) फर्म ने ग्वालियर क्षेत्र में भूमि के लिये प्रार्थना की थी और राज्य शासन के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्टोन पार्क में भूमि आवंटन किया गया (ii) कम्पनी मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज नहीं वसूला गया (iii) द्वितीय फर्म को आवंटन को हस्तांतरण नहीं माना गया क्योंकि मात्र आशय पत्र जारी किया गया था और आवंटन पत्र अहस्ताक्षरित था इसलिये कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) भूमि का अग्रिम कब्जा दिया जाना नियम विरुद्ध था जिससे आठ वर्ष तक भूमि अनुपयोगी पड़ी रही (ii) कम्पनी ने द्वितीय फर्म के साथ लीज डीड संपादित करते समय तात्कालीन प्रचलित दरों के अनुरूप लीज रेंट नहीं वसूला जिससे की कम्पनी को राजस्व हानि हुई (iii) द्वितीय फर्म से उपयुक्त दरों पर विकास शुल्क नहीं वसूला गया।

प्रकरण सरकार को मई 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

²⁰ हस्तांतरण शुल्क में प्रचलित पट्टे की प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत और प्रचलित विकास शुल्क का 100 प्रतिशत शामिल हैं अर्थात (6475.15 वर्ग मीटर X ₹ 400 X 20%) = ₹ 5,18,012 (अ) + (6475.15 वर्ग मीटर X ₹ 400) = ₹ 25,90,060 (ब) ; महायोग (अ + ब) = ₹ 31,08,072।

मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.11 परिहार्य निष्क्रिय खदानें और अनिवार्य भाटक (डेड रेंट) का भुगतान

कम्पनी ने तीन वर्ष से अधिक तक फ्लैगस्टोन पट्टा खदानों को निष्क्रिय रखा और मृत कर ₹ 57.30 लाख का निष्फल व्यय किया

मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मध्य प्रदेश शासन से पट्टे पर प्राप्त खदानों के संचालन और खनिजों अर्थात् ग्रेनाइट, डालराइट, संगमरमर, ध्वज-पत्थर, रेत आदि के विक्रय और निपटान कार्य के लिए विभिन्न ठेकेदारों के साथ खनिजों के उत्खनन और निपटान के लिए अनुबंध किये जाते हैं।

कम्पनी ने बुधोन –राजापुर की फ्लैगस्टोन खदानों से खनन के लिए मध्य प्रदेश शासन के साथ खदान लीज डीड (07 सितम्बर 2010) सम्पादित की। लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन को मध्य प्रदेश माइनरल रूल्स, 1996 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट दरों पर एक वार्षिक डेड रेंट या लागू दरों पर रॉयल्टी जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाना था।

लीज डीड की अनुसूची IV के अनुसार, डेडरेंट देय दर पहले वर्ष के लिए निरंक, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उसके बाद के वर्षों के लिए ₹ 30,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष थी। सितंबर 2014 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा डेड रेंट देय दर को संशोधित करते हुए दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ₹ 30,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष और चौथे वर्ष और उसके बाद के वर्षों के लिए ₹ 40,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2015) कि मध्य प्रदेश शासन ने बुधोन राजापुर स्थित फ्लैगस्टोन खदानों को 10 साल की अवधि के लिए कम्पनी को आवंटित (फरवरी 2011) किया। बदले में, कम्पनी ने मेसर्स बुंदेला रेड ग्रेनाइट (ठेकेदार) के साथ इन खदानों से 10 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 1,055 प्रति घन मीटर की दर से 1,98,395 घन मीटर खुदाई के लिए अनुबंध किया (मई 2011)।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार को तय कार्य योजना के अनुरूप फ्लैग स्टोन की तय की गई न्यूनतम मात्रा को उत्खनित कर निकालना था। अगर ठेकेदार तय की गई न्यूनतम मात्रा का उत्खनन नहीं करता तो भी कार्य योजना के अनुसार वह कम्पनी को एक अग्रिम न्यूनतम मासिक किस्त का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, यह पाया गया कि 09 मार्च 2011 में कार्य शुरू करने से लेकर 18 जुलाई 2013 तक, कभी भी ठेकेदार ने सहमत कार्य योजना में व्यक्त मात्रा के आधार पर किश्तों का भुगतान नहीं किया। इसके बजाय ठेकेदार ने विक्रय किये गए फ्लैगस्टोन की वास्तविक मात्रा के आधार पर भुगतान किया। कार्य योजना के रूप में किश्तों का भुगतान जमा नहीं करने के लिए ठेकेदार ने अनुबंध क्रियान्वयन से पहले इन खदानों में किए गए अनियमित खनन के फलस्वरूप उत्खनन परिचालन में आ रही कठिनाइयों को कारणों के रूप में उद्धृत किया गया।

ठेकेदार के द्वारा मासिक किश्तों का भुगतान न करने के कारण, कम्पनी ने जुलाई 2013 से ठेकेदार का कार्य बंद करा दिया। तत्पश्चात जुलाई 2013 से जनवरी 2014 तक ठेकेदार को उत्खनन खुदाई के कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए अनुस्मारक जारी किए गए/पत्राचार किया गया जिस पर ठेकेदार द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं व्यक्त की गई। ठेकेदार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (जनवरी 2014)

और ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से सुनने का अवसर (सितम्बर 2014) देने के बाद नवंबर 2014 में ठेके को निरस्त किया गया।

तथापि कम्पनी ने अक्टूबर 2016 के अंत तक बुधोन-राजापुर खदानों के लिए नई निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया और ये खदानें निष्क्रिय पड़ी रही जिसके परिणामस्वरूप इन खदानों से रॉयल्टी कमाई नहीं होने से राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा कम्पनी ने वर्ष 2014 और 2015 के लिए निष्क्रिय पड़ी रही खदानों के लिए मध्य प्रदेश शासन को ₹ 57.30 लाख का डेड रेंट का भुगतान किया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि कम्पनी के ठेकेदार द्वारा समझौते के नियम और समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण खनन ठेका समाप्त कर दिया था। आगे यह भी कहा गया कि खदानों से फलैगस्टोन के खनन योग्य व्यावहारिक और उचित मात्रा का पता लगाने के बाद निदेशक मंडल से मंजूरी लेकर नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खदानों के लिए पुनार्निविदा का निर्णय लेने में विलंब के कारण खदानें तीन वर्ष से अधिक तक निष्क्रिय पड़ी रही और ₹ 57.30 लाख के मृत किराए का भुगतान किया गया।

प्रकरण सरकार को जून 2016 में प्रेषित किया गया एवं उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

3.12 ब्याज की हानि

कम्पनी द्वारा खरीदे गए ₹ 6.27 करोड़ के बस रिएक्टर को अपेक्षित बे कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण स्थापित नहीं किया जा सका जिसके कारण ₹ 1.97 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस) हेतु एक 400 केवी, 63 एमवीएआर (मेगा वोल्ट अम्पीयर रिएक्टर)²¹ वाले बस रिएक्टर²² के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण एवं आपूर्ति के लिए मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) को आदेश दिया (19 जून, 2010)। तदनुसार, बस रिएक्टर और उसके पुर्जे मार्च से जून 2012 तक आपूर्ति किये गए और भेल को ₹ 6.27 करोड़ (उपकरणों की लागत ₹ 4.56 करोड़, कीमत विभिन्नता ₹ 1.57 करोड़, अन्य तत्वों ₹ 13.29 लाख सहित) का भुगतान अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2012 के दौरान किया गया। आपूर्ति आदेश के अनुच्छेद 17 के अनुसार, कमीशनिंग की तारीख से 12 माह या आपूर्ति की तारीख से 18 माह की अवधि, जो भी पहले हो के लिए आदेशित उपकरण/सामग्री के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए गारंटी दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2015) मार्च 2012 में बस रिएक्टर और जून 2012 तक उसके पुर्जे की प्राप्ति के बावजूद, उनका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि बस बार की स्थापना के लिए आवश्यक बे उस समय तक तैयार नहीं किया गया था।

²¹ यह वाट की तरह शक्ति का एक और पैमाना है, लेकिन यह विद्युत के उस घटक को नापता है जो कि प्रतिक्रियाशील है अर्थात् विद्युत का घटक जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए तारों में प्रवाहित होता है, लेकिन वास्तव में कार्य में परिवर्तित नहीं होता।

²² बस रिएक्टर एक उपकरण है जो की लोड, नमी, मौसम, जनरेटर एक्स्काइटेशन, तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से होने वाले वोल्टेज उतार चढ़ाव को रिश्वर रखता है। बस बे एक मध्यस्थ प्रणाली है जो कि बस को स्विचयार्ड से जोड़ती है ताकि ताप विद्युत संयंत्र में उत्पादित विद्युत को निकाला जा सके।

कम्पनी ने बे क्रमांक 17 लिए दिसंबर 2014 में देर से एक कार्य आदेश दिया जिसकी कार्यावधि छह महीने (जून 2015) तक थी। हालांकि बस बार सिस्टम के निर्माण का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2015 में उसको प्लिंथ में स्थानांतरित कर दिया गया था और यह 29 दिसंबर, 2015 को कमीशन किया गया था।

चूंकि कम्पनी के पास वित्तीय संस्थानों और मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज युक्त ऋण की विशाल राशि थी, इस कारण अपेक्षित बे का निर्माण नहीं करने से 42 माह के लिए बस रिएक्टर निष्क्रिय रखा जाना अत्यधिक विवेकहीन था। इसके फलस्वरूप ₹ 6.27 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुई साथ ही ब्याज की ₹ 1.97 करोड़²³ की परिणामी हानि हुई। (10.5 फीसदी ब्याज की न्यूनतम दर से जिस पर कम्पनी रकम उधार लेती थी)।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि बस रिएक्टर की स्थापना में देरी के लिए मुख्य कारण (1) मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा सतपुड़ा एक्सटेंशन (10 और 11) के 400 केवी सारणी आस्ता फीडर 1 और 2 का फिर से उन्मुखीकरण किये जाने के कारण, बस रिएक्टर की स्थापना के लिए पुराने 400 केवी स्विच यार्ड के बे क्रमांक 7 के बजाए बे क्रमांक 17 प्रस्तावित किया गया था और (2) बस रिएक्टर की स्थापना के लिए कम्पनी द्वारा आमंत्रित निविदाओं में मिली खराब प्रतिक्रिया थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने अपने आप ही अगस्त 2011 में ही बे संख्या 7 से 17 में परिवर्तन की पुष्टि की थी (मार्च 2012 में बस रिएक्टर की खरीद के छह महीने पहले)। तथापि कम्पनी ने एसटीपीएस को निर्देश देने के लिए 18 महीनों का समय लिया था (फरवरी 2013) कि नई बे संख्या 17 पर सं एवं सन्धा संभाग के माध्यम से कार्य कराया जाए। इसके अलावा इस काम के लिए अनुबंध दिसंबर 2014 में सं एवं सन्धा संभाग को निर्देश देने के बाद 22 माह की देरी से किया किया गया। कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, अनुबंध और चित्र आदि के अनुमोदन देने में विलम्ब किया गया। इसके अलावा, एसटीपीएस बस रिएक्टर के बिना कार्य कर रहा था और इसे म.प्र वि.नि.आ द्वारा गंभीरता से लिया गया था।

3.13 रेलवे मालभाड़ा खाते में निष्क्रिय निधि

अनुचित निधि प्रबंधन से समर्पित रेलवे मालभाड़ा खाते में आवश्यकता से अधिक धन निष्क्रिय पड़ा रहा जिससे की ₹ 1.07 करोड़ ब्याज की हानि हुई

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, खण्डवा (एसएसटीपी) को प्रतिवर्ष 49,93,900 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति के लिए सदर्न ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया (24 जनवरी 2013)। साथ ही कम्पनी ने, प्रारंभिक स्टेशन पर रेलवे को मलभाड़ा ऑपरेशन सूचना प्रणाली (एफओआईएस)²⁴ के माध्यम से भुगतान करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया (01 जनवरी 2014) ताकि मालभाड़े का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। एफएसए के अनुसार रेक की अधिकतम आवश्यक संख्या छह रेक प्रति दिन²⁵ की थी। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा एक समर्पित बैंक खाता खोला गया

²³ $\{(\text{₹ } 4,15,52,043) \times 10.5\% \times 38/12 \text{ माह}\} = \text{₹ } 1,38,16,054 \text{ (अ)} + \{(\text{₹ } 1,86,93,560) \times 10.5\% \times 36/12 \text{ माह}\}$
= ₹ 58,88,471 (ब) = कुल 1,97,04,525 ₹। विचार की गई अवधि भुगतान की तारीख 31 दिसंबर 2012 (38 माह) और दिसंबर 2012 (36 माह) से अंतिम स्थापना दिसंबर 2015 तक मानी गई है।

²⁴ एफओआईएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो कि परेशिती बैंक के सर्वर को रेलवे के सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से जोड़ती है।

²⁵ (वार्षिक मात्रा 49,93,900 मीट्रिक टन / 12) = 416158 मीट्रिक टन प्रति माह / 2500 मीट्रिक टन प्रति रेक = एक माह / 30 दिनों में 166.46 रेक = प्रति दिन 5.54 रेक। मानो 6 रेक प्रति दिन

था जिसमें की एसएसटीपी को प्रत्येक बैंक कार्य दिवस/बैंक अवकाश की स्थिति में दिवसों में तत्काल पिछले कार्य दिवस पर बैंक द्वारा मालभाड़ा के भुगतान की गई राशि के बराबर राशि मालभाड़ा खाते में प्रतिपूर्ति की जानी थी।

समझौते में यह निर्दिष्ट था कि, समझौते की तिथि से तीन महीने के बाद दलों की आपसी सहमति से संशोधन और परिवर्तन को समझौते में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकेगा। त्रिपक्षीय समझौते के डिफॉल्ट भुगतान तंत्र के अनुसार, कम्पनी ने रेलवे के पक्ष में ₹ चार करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) (दिनांक 11 जनवरी 2015 से ₹ 1.40 करोड़ संशोधित की गई) प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने जनवरी 2014 से मार्च 2016 की अवधि के बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण में देखा कि खाते में बनाए रखे गए धन की तुलना में धन का वास्तविक उपयोग बहुत कम था। बैंक विवरण के और विश्लेषण से पता चला कि, रेक की संख्या जिसके लिए रेलवे रसीद (आरआर) जारी किये गए थे वह एफएसए के तहत प्राप्त होने वाली मात्रा की रेक संख्या की तुलना में काफी कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	एक दिवस में रेलवे रसीद जारी करने हेतु उपयोग की गई राशि की सीमा (₹)	रेक संख्या जिसके लिए रेलवे रसीद जारी की गई	दिवसों की संख्या जिन पर इस स्तर का लेनदेन हुआ
1.	34,75,532 से 9818778	01	284
2.	1,01,02,486 से 1,49,74,221	02	178
3.	1,51,41,906 से 1,98,77,787	03	77
4.	2,01,58,157 से 2,45,77,456	04	29
5.	2,60,81,402 से 2,82,02,517	05	11
6.	3,73,62,293	06	4
7.	4,24,57,132	07	2
कुल दिवसों की संख्या			585

स्पष्ट है की एसएसटीपीपी ने अपनी आवश्यकता से अधिक लंबी अवधि के लिए अधिशेष धन को इस दलील पर बनाए रखा कि प्रधान कार्यालय के निर्देश (25 मई 2015) के अनुसार, धन की आवश्यकता को प्रति सप्ताह दो बार (सोमवार और गुरुवार को) सूचित किया जाना था। लेकिन समय समय पर आरआर आवश्यकता के अनुसार धन के वास्तविक उपयोग की निगरानी नहीं की गई जिसके फलस्वरूप मालभाड़ा खाते में धन निष्क्रिय पड़ा रहा, जबकि 11 जनवरी 2015 से बीजी भी कम होकर ₹ 1.40 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार धन की अनुचित निगरानी के परिणामस्वरूप, मालभाड़ा खाते में धन निष्क्रिय पड़ा रहा और ₹ 1,07,05,797²⁶ के ब्याज की परिणामी हानि हुई जैसा की **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत किया गया है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2016), कि एफएसए के अनुसार, छह रेक प्रति दिन प्राप्त होने थे। इसे और कम्पनी मुख्यालय के निर्देशों जिसके अनुसार धन की आवश्यकता को एक सप्ताह में दो बार (सोमवार और गुरुवार) को बताया जाना था, को ध्यान में रखते हुए, अगले तीन दिनों की अवधि के लिए आवश्यक अधिकतम भाड़ा ₹ 11.70 करोड़ था। हालांकि, कम्पनी ने मलभाड़ा खाते में ₹ छ: करोड़ से ₹ सात करोड़ के बीच धन को बनाए रखा। इसके अलावा, रेलवे द्वारा मालभाड़ा टू पे आधार पर आरआर जारी करने की स्थिति में दंड के भुगतान से बचने के लिए इस व्यवस्था का होना आवश्यक था।

²⁶ ब्याज की 12 प्रतिशत दर जिस पर कंपनी विभिन्न संगठनों से अपने ऋण प्राप्त करती है को विचार में रखते हुए

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, जनवरी 2014 और मार्च 2016 के बीच 585 दिनों में से 579 दिनों पर कम्पनी ने छह रेक से कम प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने रेलवे के साथ पर्याप्त बीजी राशि को बनाए रखा ताकि समर्पित मलभाड़ा खाते में धन की आवश्यकता की स्थिति में धन की उपलब्धता में कमी न हो। हालांकि, जनवरी 2014 से मार्च 2016 के दौरान एक भी उदाहरण ऐसा नहीं था, जब की बैंक द्वारा बीजी का उपयोग किया गया हो और रेलवे द्वारा भी कोई दण्ड नहीं लगाया गया था। इससे यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि खाते में धन का अधिशेष बनाए रखा गया।

3.14 उच्च दर पर ठेका दिया जाना

कम्पनी ने पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन न करते हुए रहवासी आवासों के निर्माण का कार्य ₹ 26.13 करोड़ के उच्च दरों पर प्रदाय किया

मध्य प्रदेश पावर जेनरेट्रिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट (एसटीटीपी) खण्डवा में 679 कर्मचारी आवासों के निर्माण का कार्य ₹116.83 करोड़ में प्रदाय किया (20 सितंबर 2010)। चूंकि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में असफल रहा, इस ठेके को निरस्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप एसटीटीपी के कर्मचारी आवास के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु कम्पनी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई.सी.बी.07)²⁷ आमंत्रित की (13 जुलाई 2012) जिसका निविदा खोलने का दिनांक 23 अगस्त 2012 (42) दिन था।

भारत सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आई.सी.बी. के लिये तय समयसीमा के अनुसार बोलीकर्ता को निविदा बुलाने हेतु नोटिस (एनआईटी) के प्रकाशन के बाद न्यूनतम छः सप्ताह का समय दिया जाना चाहिये था जिससे कि बोलीकर्ता बोली व्यापक रूप से तैयार कर सके और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरें पेश कर सके।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2014) कि आईसीबी 07 के अंतर्गत कम्पनी को तीन निविदाएँ प्राप्त हुई और न्यूनतम बोली ₹ 158 करोड़ की थी। चूंकि यह शेष कार्यों के मूल्य (82.26 करोड़), से 92 प्रतिशत अधिक था, इस आईसीबी को निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत, कम्पनी ने 08 अक्टूबर 2012 को आईसीबी 08 के अंतर्गत अन्य एनआईटी जारी की जिसकी निविदा खोलने का दिनांक 30 अक्टूबर 2012 था अतः बोलीकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के लिये 23 दिवसों का समय दिया गया। न्यूनतम बोली जो प्राप्त हुई थी वह ₹ 140.03 करोड़ की मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डौर की थी। चूंकि यह बोली भी शेष कार्यों के मूल्य (₹ 82.26 करोड़) से 70 प्रतिशत अधिक थी, कम्पनी द्वारा आईसीबी 08 को भी निरस्त कर दिया गया था। यह देखते हुए कम्पनी ने 65वीं निदेशक मंडल की बैठक (27 दिसंबर 2012) में संकल्प किया कि आईसीबी 10 के अंतर्गत अन्य एनआईटी आमंत्रित की जाए जिसमें कि बोलीकर्ता को प्रतिक्रिया करने के लिये मात्र 15 दिवस का समय दिया जाए।

इसी के अनुसार 28 दिसंबर 2012 को निविदा जारी की गई जिसकी निविदा/आवेदन के विक्रय की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2013 और बोली जमा करने एवं बोली खोलने

²⁷ आईसीबी 07, 08 और 10 निविदाओं के अंतर्गत एसएसटीपीपी, खण्डवा में स्टाफ क्वार्टर के शेष कार्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के तहत बोली आमंत्रित की गई थी।

की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2013 थी। हांलाकि इस एनआईटी का फाइनेशियल टाईम्स समाचार पत्र के बल्ड वाइड संस्करण में दिनांक 07 जनवरी 2013 को प्रकाशन हुआ जिससे कि संभावित बोलीकर्ता को इस बोली के लिये प्रतिक्रिया करने हेतु नौ दिवस का ही समय मिला।

एनआईटी के फाइनेशियल टाईम्स में प्रकाशन के बाद, तीन अन्य पक्ष जिन्होंने पूर्व निविदाओं (आईसीबी 07 और 08) में भाग नहीं लिया था, ने कम्पनी से समय सीमा में वृद्धि की प्रार्थना की ताकि वो सबसे प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि कार्य के प्रत्येक घटक के अनुमान के लिये व्यापक अध्ययन किया जाना आवश्यक था। इन तीन पक्षों द्वारा 20 से 42 दिवस की समय सीमा वृद्धि की प्रार्थना की गई थी जो कि आई.सी.बी. के लिये भारत सरकार द्वारा तय समय सीमा के अंदर थी। परन्तु कम्पनी द्वारा इन पक्षों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ये तीनों पक्ष अपनी बोली प्रस्तुत नहीं कर सके।

अतः कम्पनी को आईसीबी 10 के अंतर्गत मात्र एक निविदा प्राप्त हुई और उसको दिनांक 16 जनवरी 2013 को खोला गया। कार्य को इस एकल पक्ष (मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड इन्डॉर) को ₹ 134.54 करोड़ में दिया गया (14 फरवरी 2013) जो कि शेष कार्यों के मूल्य ₹ 82.26 करोड़ से 63.55 प्रतिशत अधिक था। इस पक्ष द्वारा आईसीबी 10 के अंतर्गत उल्लेखित मूल्य (₹ 134.54 करोड़) उनके द्वारा आईसीबी 08 के अंतर्गत उल्लेखित मूल्य (₹ 140.03) से 3.92 प्रतिशत कम था जो कि साथ ही आईसीबी 08 के अंतर्गत प्राप्त न्यूनतम मूल्य भी था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कम्पनी ने शेष कार्यों के मूल्य को ₹ 115 करोड़ तक बढ़ा दिया (08 फरवरी 2013) (शेष कार्यों का पुर्नरीक्षित मूल्य ₹ 108.41 करोड़ +18 प्रतिशत की दर से छ: माह अवधि कि वित्तपोषण लागत ₹ 0.98 करोड़ + 8 प्रतिशत की दर से अनुबंध के दौरान मंहगाई दर ₹ 5.42 करोड़) और पक्ष द्वारा उल्लेखित मूल्य को यह कहते हुए न्यायोचित ठहराया गया कि उल्लेखित मूल्य शेष कार्यों के मूल्य से 16.99 प्रतिशत ही अधिक है। इसके चलते 14 फरवरी 2013 को इस पक्ष को ₹ 134.54 करोड़ में ठेका दिया गया और कार्य 13 मई 2014 को पूर्ण हुआ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :

- कम्पनी ने आईसीबी 8 एवं 10 में आईसीबी निविदाओं के लिये भारत सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। कम्पनी ने न्यूनतम आवश्यक छ: सप्ताह की अपेक्षा बोलीकर्ताओं को मात्र 23 दिवस और 15 दिवस का समय ही दिया।
- कम्पनी ने अगर बोलीकर्ताओं को अपेक्षित छ: सप्ताह का समय दिया होता तो उसको और भी प्रतिस्पर्धी दरे मिल सकती थी, क्योंकि निविदा में भाग लेने के लिये और भी अन्य पक्ष मौजूद थे। यह आईसीबी 08 एवं आईसीबी 10 में प्राप्त कम दरों से जाहिर होता है। हालांकि कम्पनी ने इच्छुक पक्षों को छ: सप्ताह का समय नहीं दिया।
- शेष कार्यों का पूर्व मूल्य ₹ 82.26 करोड़ (बैंचमार्क मूल्य) जिसको कि पूर्व दो निविदाओं (आईसीबी 07 और 08) में प्राप्त कम दरों के निरस्तीकरण को न्यायोचित ठहराने के लिये किया गया था उसको तीसरी निविदा (आईसीबी 10) में शिथिल कर दिया गया (₹ 108.41 करोड़) और अतः ठेके पूनरीक्षित बैंचमार्क मूल्य ₹ 134.54 करोड़ से 24.10 प्रतिशत अधिक की दर दिया गया जबकि वह एकल निविदा की स्थिति थी।

● कम्पनी ने ऐसे ठेकेदार, जिसने पूर्व आईसीबी 08 में भाग लिया था और जिसको कि आईसीबी 08 में कम्पनी को प्राप्त निम्नतम उद्घत मूल्य ($\text{₹ } 140.03$ करोड़) का ज्ञान था द्वारा उद्घत उच्चतम मूल्य ($\text{₹ } 134.54$ करोड़) को अनावश्यक रूप से न्यायोचित ठहराया।

● इसके परिणामस्वरूप ठेके को पारदर्शी तरीके से नहीं दिया गया और कम्पनी $\text{₹ } 26.13^{28}$ करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने को बाध्य हुई।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि आईसीबी 08 और 10 के अंतर्गत जारी एनआईटी के व्यापक प्रचार हेतु हर संभव प्रयास किये गए थे। तथापि ईकाइ—। और II के पास आते तुल्यांकालन के चलते इन दो आईसीबी में अपेक्षित छः सप्ताह की प्रचार अवधि नहीं दी गई थी। आगे यह भी कहा गया कि ठेके को पूर्व ठेकेदार के जोखिम और लागत पर दिया गया था और कार्य को पूर्ण करने में हुए सभी अतिरिक्त व्यय पूर्व ठेकेदार द्वारा देय है। यह भी उत्तरित किया गया कि फिनिशिंग कार्यों के लिये पृथक ठेके देकर कम्पनी ने न्यूनतम आवश्यक आवासों का कार्य पूर्ण कराया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, आईसीबी निविदाओं हेतु भारत सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देश में अपेक्षित छः सप्ताह का समय आईसीबी 10 के व्यापक प्रचार में नहीं दिया गया। साथ ही ईकाइ। का वास्तविक तुल्यकालन दिनांक 30 सितम्बर 2013 में हो पाया (आईसीबी 10 हेतु एनआईटी जारी करने की दिनांक 28 दिसम्बर 2012 के नो माह पश्चात) और कम्पनी द्वारा ईकाइ—॥ का तुल्यकालन दिनांक 11 अक्टूबर 2014 को हो पाया (शेष कार्यों के पूर्ण होने की दिनांक 13 मई 2014 के पाँच माह उपरांत)। अतः प्रचार हेतु अपेक्षित छः सप्ताह का समय देने से ईकाइ के तुल्यकालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही कम्पनी का मत कि अतिरिक्त व्यय को पूर्व ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किया गया है भी मान्य नहीं है। तब भी जब कम्पनी को लगातार आईसीबी निविदाए (आईसीबी 07 से आईसीबी 10 तक) में कम दरे उद्घत हो रही थी, कम्पनी ने आईसीबी निविदा में अपेक्षित पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आई.सी.बी. निविदाओं (आई.सी.बी. 07 से आई.सी.बी. 10) तक में कम दरे उद्घत हो रही थी। कम्पनी ने आई.सी.बी. निविदा में अपेक्षित पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

3.15 परिहार्य व्यय

निविदा विशिष्टताओं में संशोधनों के कारण कम्पनी ने आयातित कोयले की खरीद में $\text{₹ } 16.53$ करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अहमदाबाद (ऐईएल) को 8 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी) आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए $\text{₹ } 540.24$ करोड़ का आपूर्ति आदेश (नवंबर 2012) जारी किया। आपूर्ति की शर्तों के अनुसार, आशयित मात्रा को छह से आठ महीने की अवधि के भीतर, दिसंबर 2012 से जुलाई 2013 तक पहुँचना था, जबकि इसके विरुद्ध कोयले की वास्तविक आपूर्ति, मई 2015 में पूर्ण हुई थी। निविदा विशिष्टता (टीएस) क्र. 44/12 और आपूर्ति आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार, कम्पनी यह अधिकार रखती है कि अनुबंध की अवधि

²⁸ आईसीबी 10 के अंतर्गत दिए गए ठेके का मूल्य ($\text{₹ } 134.54$ करोड़) दृ कंपनी द्वारा निर्धारित शेष कार्यों का पुनर्मूल्यांकन मूल्य ($\text{₹ } 108.41$ करोड़)

के भीतर, आपूर्तिकर्ता के साथ आपसी समझौते पर अनुबंधित मात्रा को मूल आदेशित दरों, नियम और शर्तों पर 25 प्रतिशत तक बढ़ा कर आपूर्ति आदेश रख सके।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि, जुलाई 2013 में अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 20 माह पश्चात (मार्च 2015) कम्पनी ने मूल आदेशित मात्रा (8 लाख मीट्रिक टन) के 25 प्रतिशत तक की आपूर्ति के लिए एक विस्तार आदेश जारी करने के अपने इरादे से आपूर्तिकर्ता को अवगत कराया। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने कम्पनी के अतिरिक्त आपूर्ति करने के आदेश जारी करने के इरादे पर अपनी अस्वीकृति (मार्च 2015) इस आधार पर दी कि कम्पनी द्वारा कोयला वितरण कार्यक्रम विलम्ब से दिए जाने के कारण आदेश पूर्ण करने में विलम्ब हुआ था। ठेकेदार द्वारा यह भी कहा गया कि आदेश निश्चित मूल्य पर आधारित था और आपूर्ति प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं जैसे कि करों, शुल्कों और रेलवे माल ढुलाई आदि में परिवर्तन हो चुका था।

यह मुख्य रूप से निविदा में एक बाध्यकारी अनुच्छेद, जिससे कि ठेकेदार को जब भी कम्पनी द्वारा आयातित कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए आदेशित किया जाए, वह आपूर्ति के लिए बाध्य हो, को शामिल करने की विफलता की वजह से था। कम्पनी ने जबकि नवीनतम निविदा (टीएस 44/12) को जारी करते समय अनुच्छेद को संशोधित किया कि "यह आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर होगा कि वो सम्बन्धित बिजली घरों की कोयले की आवश्यकता के अनुसार कोयला वितरण कार्यक्रम को विनियमित/पुनर्निर्धारित कर सके और यह अधिकार भी रखे कि अनुबंध अवधि के दौरान मूल आदेशित दर, नियम और शर्तों पर आपूर्तिकर्ता की आपसी सहमति से अनुबंधित मात्रा का 25 प्रतिशत तक का विस्तार कर सके"।

जबकि, इसके पूर्व उदाहरण में कम्पनी के पास निविदा विशिष्टताओं (टीएस 41/11) (आपूर्ति आदेश सितंबर 2011) में एक अनुच्छेद था कि "कम्पनी अपने विवेक से कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार सुपुर्दग्गी को पुनर्निर्धारित कर सकती है और कम्पनी यह अधिकार भी सुरक्षित रखती है कि आवश्यकता के अनुसार, मूल आदेशित दर, नियम और शर्तों पर अनुबंधित मात्रा को 25 प्रतिशत तक विनियमित/पुनर्निर्धारित करे जो कि आपूर्तिकर्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा"। इस अनुच्छेद का प्रयोग कर, कम्पनी ने टीएस 41/11 के तहत सितंबर 2013 में कार्य पूर्ण होने के निर्धारित समय (जून 2012) से 14 माह के विलम्ब से आयातित कोयले के 2 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए आदेशित किया था और ठेकेदार ने इस आपूर्ति आदेश का पालन करते हुए सितंबर 2011 के मूल आदेश के नियम और शर्तों पर आपूर्ति की थी।

इस प्रकार नवीनतम निविदा (टीएस 44/12) के निविदा विनिर्देशों में संशोधन से ठेकेदार को गुंजाइश मिली कि वो अनुबंध की अवधि के पूरा होने के बाद अतिरिक्त मात्रा के लिए कम्पनी द्वारा दिए गए आदेश की पूर्ति से इंकार कर दे। इसने कम्पनी को ₹ 16.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के लिए बाध्य किया (एक अलग निविदा टीएस 54/15 के तहत 2 लाख मीट्रिक टन कोयले को उच्च कीमत पर खरीदा गया) साथ ही आपूर्तिकर्ता को इस सीमा तक अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा निविदा विशिष्टताओं में संशोधन कम्पनी के निदेशक मंडल से अनुमोदन के बिना किया गया।

सरकार ने कहा (नवंबर 2016) कि पिछले अनुबंधों में बिजली घरों में कोयले की वास्तविक आवश्यकता से तारतम्य बैठाने के लिए कोयला वितरण कार्यक्रम को समय—समय पर संशोधित किया गया था। इसलिए अनुबंध में आदेश विस्तार के

अनुच्छेद को रखने और आपूर्तिकर्ता को लम्बे समय तक बाध्य रखना अविवेकी प्रतीत हुआ क्योंकि लंबी अवधि के लिए प्रत्याशित कारकों के जोखिम के मद्देनजर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बढ़ी हुई दरों पर बोली लगाई जाती। इस पर विचार करते हुए अनुबंध को "आपसी समझौते" के आधार पर संशोधित किया गया था ताकि लंबी अवधि के अनिश्चित कारकों के कारण ठेकेदारों को बढ़ी हुई दरों पर बोली लगाने से रोका जा सके।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयातित कोयले की देरी से प्राप्ति की पिछली प्रवृत्ति को देखते हुए कम्पनी को अनुबंध में अपने पक्ष वाले बाध्यकारी अनुच्छेद को बनाए रखना चाहिए था। इसके अलावा इस अनुच्छेद को कम्पनी अपने विवेकानुसार प्रयोग कर सकती थी। इसलिए निविदा (टीएस 44/12) में इस तरह के अनुकूल अनुच्छेद को हटाने से कम्पनी ने अपने विवेक से किफायती दरों पर अतिरिक्त मात्राओं के लिए आपूर्ति आदेश देने के लाभ को खो दिया।

दीपक कपूर

(दीपक कपूर)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

भोपाल

दिनांक: 09 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2017

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सांराशित वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

(कांडिका 1.1 एवं 1.15 में संदर्भित)

(स्तम्भ 5 से 12 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूंजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूंजी ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
क. कार्यशील सरकारी कंपनियां														
कृषि तथा संबंध														
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2016–17	3.29	—	108.39	1181.05	48.45	—	121.06	48.63	40.17	423	
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	39.32	—	201.12	102.71	70.50	—	271.28	70.50	25.99	701	
क्षेत्रानुसार योग				42.61	—	309.51	1283.76	118.95	—	392.34	119.13	30.36	1124	
वित्त														
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2014–15	2015–16	2.85	—	26.04	26.77	13.41	—	28.89	13.41	46.42	249	
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2015–16	2016–17	3.40	83.01	115.55	222.43	(-) 2.99	(-) 163.92	369.32	(-) 1.76	(-) 0.48	219	
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2015–16	2016–17	3.08	—	7.99	2.75	1.12	(-) 0.20	11.07	1.12	10.12	62	
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2014–15	2015–16	1.80	3.15	5.61	1.87	0.91	—	9.93	1.05	10.57	77	
7	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2015–16	2016–17	10.00	21.23	1.82	2.10	(-) 4.23	1.87	33.05	(-) 4.23	(-) 12.80	33	
8	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन	2015–16	2016–17	1.75	—	4.88	7.48	1.08	—	6.63	1.18	17.80	154	

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर प्रतिवेदन

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	(ग्वालियर) लिमिटेड													
9	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2014–15	2015–16	4.65	—	0.14	1.00	(-) 0.18	—	4.79	(-) 0.18	—	27	
10	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अत्यसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008–09	2014–15	7.55	44.88	0.16	2.41	0.06	—	52.59	0.06	0.11	15	
11	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003–04	2011–12	18.36	11.06	2.51	4.38	1.94	(-) 0.36	20.07	3.27	16.29	—	
12	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2012–13	2014–15	0.50	—	—	3.27	0.84	—	27.19	0.85	3.13	18	
13	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2016–17	81.09	319.66	(-) 464.70	124.99	118.66	(-) 0.52	7.80	118.66	1521.28	61	
क्षेत्रानुसार योग				135.03	482.99	.300.00	399.45	130.62	(-) 163.13	571.33	133.43	23.35	915	
आधार संरचना														
14	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15	4.58	161.24	35.90	17.63	9.10	—	201.60	9.10	4.51	312	
15	म.प्र. रोड विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	20.00	—	135.31	104.99	60.04	(-) 7.76	166.99	60.04	35.95	192	
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	2013–14	2014–15	5.00	—	0.29	—	—	—	4.71	—	—	—	
क्षेत्रानुसार योग				29.58	161.24	171.5	122.62	69.14	(-) 7.76	373.30	69.14	18.52	504	
निर्माण														
17	पोथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2015–16	2016–17	12.12	—	(-) 7.36	11.70	3.36	—	63.08	3.36	5.33	28	

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संवित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	21.91	17.12	5.01	65.71	12.86	—	55.18	12.86	23.31	60
19	फ्रिस्टल आई. टी. पार्क (इन्हौर) लिमिटेड	2015–16	2016–17	0.05	—	(-) 0.08	—	—	—	(-) 0.03	—	—	—
20	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2016–17	1.26	0.38	2.62	51.05	0.08	(-) 0.70	22.27	0.08	0.36	—
21	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	2.20	—	194.86	710.68	107.87	—	260.09	107.90	41.49	340
22	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमिरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	1.00	—	(-) 0.67	—	(-) 0.01	—	0.33	(-) 0.01	—	—
23	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	1.00	—	(-) 0.34	—	(-) 0.01	—	0.66	(-) 0.01	—	—
24	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	1.00	—	(-) 6.20	—	(-) 0.17	—	(-) 5.20	(-) 0.17	—	—
25	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	1.00	—	(-) 1.29	—	(-) 0.01	—	(-) 0.29	(-) 0.01	—	—
26	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2015–16	2016–17	10.00	—	(-) 6.09	—	(-) 0.02	—	3.91	(-) 0.02	—	—
27	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	2.00	—	(-) 0.37	—	(-) 0.01	—	1.63	(-) 0.01	—	164
28	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2014–15	2015–16	61.22	135	(-) 90.02	207.61	(-) 88.67	(-) 2.58	106.20	(-) 88.67	—	—
29	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2015–16	2016–17	10.00	—	(-) 9.65	0.03	0.02	—	0.35	0.02	5.71	—
30	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2015–16	2016–17	33.30	0.64	(-) 0.75	—	(-) 0.02	—	33.19	(-) 0.02	—	—
क्षेत्रानुसार योग		—	—	158.06	153.14	79.67	1046.78	35.27	(-) 3.28	541.37	35.30	6.52	592

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ ⁴	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
कुर्जा													
31	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	0.69	2.01	1.29	20.36	—	(-) 0.74	3.99	—	—	202
32	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	2015–16	2553.14	2031.73	(-) 236.17	2346.36	120.81	(-) 9788.60	4348.70	256.70	5.90	4760
33	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014–15	2015–16	1790.21	11322.88	(-) 9986.02	7099.00	(-) 1161.58	(-) 57.91	4530.64	(-) 910.92	—	12503
34	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	2065.38	1920.61	(-) 10001.41	9730.02	(-) 1207.01	—	(-) 4228.72	(-) 941.36	—	19676
35	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	1944.89	12189.40	(-) 13998.21	6186.86	(-) 2766.08	—	136.08	(-) 2327	—	11474
36	म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	5325.55	10297.89	3120.37	8126.64	26.16	(-) 10.03	12607.35	1642.70	8.81	5750
37	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	0.05	3.72	0.02	0.01	0.01	—	3.79	0.01	0.26	—
38	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	5942.69	21.13	—	23570.01	—	—	5963.82	72.64	1.22	696
39	दादा धुनी वाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड	2015–16	2016–17	45.00	—	(-) 5.51	—	(-) 6.27	(-) 3.3	39.49	(-) 6.27	—	7
40	बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	0.05	4.25	(-) 2.95	0.62	(-) 0.13	—	1.35	0.62	45.93	15
41	श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2015–16	2016–17	0.05	—	(-) 0.01	—	—	—	0.04	—	—	3
क्षेत्रानुसार योग		—	—	19667.70	37793.62	(-) 31108.60	57079.88	(-) 4994.09	(-) 9860.58	23406.53	(-) 2212.88	—	55086

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संवित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सेवाएं													
42	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014–15	2015–16	0.80	916.98	12.73	5.62	2.72	—	930.5	2.72	0.29	34
43	म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड	2013–14	2014–15	2.83	—	93.60	300.95	36.72	3.26	107.69	36.72	34.10	342
44	सेज इन्डौर लिमिटेड	2015–16	2016–17	26.97	—	14.99	—	(-) 0.05	—	41.96	(-) 0.05	—	1
45	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014–15	2015–16	8.47	4754.86	67.52	17301.01	(-) 69.13	(-) 10.04	4830.85	1653.06	34.22	917
46	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2016–17	24.97	—	1.05	149.15	4.58	—	552.18	4.65	0.84	2059
47	अटल इन्डौर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2014–15	2015–16	0.25	0.80	1.70	19.06	(-) 1.72	—	17.93	(-) 1.72	—	—
48	जबलपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2015–16	2016–17	0.25	—	1.40	0.70	0.47	—	1.65	0.47	28.48	7
49	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड	2009–10	2014–15	0.30	—	0.89	0.41	0.03	(-) 0.08	1.19	0.03	2.52	14
50	उज्जैन सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए											
51	कटनी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2010–11	2011–12	0.15	—	(-) 0.01	0	(-) 0.01	—	0.15	(-) 0.01	—	—
52	म.प्र. विक्रम उद्योग पुरी (उज्जैन) लिमिटेड	2014–15	2015–16	112.86	—	1.58	3.57	3.28	—	114.44	3.28	2.87	1
53	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16	0.05	21.00	0.13	0.36	0.17	—	29.79	0.17	0.57	5
54	पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	2015–16	2016–17	35.00	—	4.00	3.14	2.84	—	39.00	2.91	7.46	—

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁴	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁴	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
55	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2014–15	2015–16	40.00	—	(-) 0.20	8.37	1.62	—	39.80	1.62	4.07	62
क्षेत्रानुसार योग		—	—	252.90	5693.64	199.58	17792.34	(-) 18.48	(-) 5.86	6707.13	1703.85	25.40	3442
योग (क) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ		—	—	20285.88	44284.63	(-) 30648.34	77724.83	(-) 4658.59	(-) 10040.61	31992.00	(-) 152.03	—	61663
ख. कार्यशील सांविधिक निगम													
कृषि एवं संबद्ध													
1	म.प्र. राज्य वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2014–15	2015–16	8.06	220.92	256.31	246.31	60.25	—	505.15	63.38	12.54	1321
क्षेत्रानुसार योग		—	—	8.06	220.92	256.31	246.31	60.25	—	505.15	63.38	12.54	1321
थवत													
2	म.प्र. वित्त निगम	2015–16	2016–17	376.10	965.21	7.09	134.75	19.38	(-) 1.54	1179.06	109.80	9.31	175
क्षेत्रानुसार योग		—	—	376.10	965.21	7.09	134.75	19.38	(-) 1.54	1179.06	109.80	9.31	175
सेवाएं													
3	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	2008–09	141.81	716.84	(-) 1024.52	210.05	(-) 13.62	—	(-) 144.80	(-) 3.52	—	300
क्षेत्रानुसार योग		—	—	141.81	716.84	(-) 1024.52	210.05	(-) 13.62	—	(-) 144.80	(-) 3.52	—	300
योग (ख) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम		—	—	525.97	1902.97	(-) 761.12	591.11	66.01	(-) 1.54	1539.41	169.66	11.02	1796
महायोग (क+ख)		—	—	20811.85	46187.6	(-) 31409.46	78315.94	(-) 4592.58	(-) 10042.15	33531.41	17.63	0.05	63459

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संवित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सम्बद्ध														
1	म.प्र. लिप्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003–10	2010–11	5.92	—	(-) 6.33	परिसमापन के अधीन	0.04	—	(-) 0.36	0.04	—	परिसमापन के अधीन	
2	म.प्र. राज्य दुर्घट विकास निगम लिमिटेड	2001–02	2002–03	—	—	—	परिसमापन के अधीन	—	—	—	—	—	परिसमापन के अधीन	
क्षेत्रानुसार योग				5.92	—	(-) 6.33	—	0.04	—	(-) 0.36	0.04	—	—	
वित्त														
3	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009–10	2010–11	1.04	—	—	परिसमापन के अधीन	—	—	1.02	—	—	परिसमापन के अधीन	
4	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005–06	2006–07	0.16	—	0.02	परिसमापन के अधीन	0.03	—	0.16	0.03	18.75	परिसमापन के अधीन	
क्षेत्रानुसार योग		—	—	1.20	—	0.02	—	0.03	—	1.18	0.03	18.75	—	
आधार संरचना														
5	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2011–12	2014–15	13.14	—	(-) 59.63	0.06	(-) 8.69	—	—	(-) 8.69	—	परिसमापन के अधीन	
6	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989–90	1993–94	5.00	—	(-) 2.15	परिसमापन के अधीन	(-) 1.13	—	2.87	(-) 1.13	—	परिसमापन के अधीन	
क्षेत्रानुसार योग		—	—	18.14	—	(-) 61.78	0.06	(-) 9.82	—	2.87	(-) 9.82	—	—	
निर्माण														
7	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009–10	2010–11	23.97	46.6	(-) 131.76	परिसमापन के अधीन	(-) 29.21	—	(-) 24.48	(-) 27.07	—	परिसमापन के अधीन	

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	प्रदत्त पूँजी ¹	वर्ष के अंत में बकाया ऋण	संचित लाभ(+) / हानि (-)	व्यवसाय	निवल लाभ (+) तथा हानि (-)	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव ²	नियोजित पूँजी ³	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ प्रतिशत ⁴	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2008–09	2016–17	6.86	87.84	0.17	0.03	(-) 3.99	--	94.87	(-) 0.17	--	03
9	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	--	--	1.50	--	0.04	परिसमापन के अधीन	--	--	1.50	--	--	--
	क्षेत्रानुसार योग	--	--	32.33	134.44	(-) 131.55	0.03	(-) 33.20	--	71.89	(-) 27.24	--	03
	योग (ग) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां	--	--	57.59	134.44	(-) 199.64	0.09	(-) 42.95	--	75.58	(-) 36.99	--	03
	महायोग (क+ख+ग)	--	--	20869.44	46322.04	(-) 31609.10	78316.03	(-) 4635.53	(-) 10042.15	33606.99	(-) 19.36	--	63462

¹ प्रदत्त पूँजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।

² लेखे के टिप्पणियों के प्रभाव में साधारण लेखापरीक्षक तथा सी.ए.जी. की टिप्पणी का प्रभाव सम्मिलित है। तथा (+) लाभ में वृद्धि/हानि में कमी तथा (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को इंगित करता है

³ नियोजित पूँजी = अंशधारी कोष + दीर्घकालीन ऋण [साधारण निगमों के अतिरिक्त, जहाँ नियोजित पूँजी = निवल स्थाई संपत्ति (पूँजीगत कार्य प्रगति सम्मिलित) + कार्यशील पूँजी]

⁴ नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ, लाभ एवं हानि, लेखाओं पर लाभ एवं व्याज जोड़कर आंकित किया गया है।

परिशिष्ट—1.2

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किया गया निवेश जिनके लेखे
लंबित है को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कांडिका 1.11 में संदर्भित)

(स्तम्भ 4 तथा 6 से 8 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनी का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है	अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया वर्ष जिसमें निवेश प्राप्त हुआ	उन वर्षों के दौरान, जिनके लेखे बकाया है, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					समता पूँजी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ							
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2014–15	39.32	2015–16	—	—	10.1
2	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2008–09	7.55	20	3.1	—	1.95
				14–15 तक	0.6	—	0.6
3	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2003–04	18.36	2014–15 तक	6.33	—	18.30
				2015–16	—	—	—
4	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013–14	81.09	2014–15	—	22.16	—
				2015–16	—	—	—
5	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2013–14	4.58	2014–15	—	27.50	—
				2015–16	—	65.00	—
6	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014–15	2553.14	2015–16	134.56	—	—
7	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2014–15	1790.21	2015–16	—	981.93	77.06
8	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014–15	0.80	2015–16	—	—	3.50
9	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल	2013–14	24.97	2014–15	—	—	47.70
				2015–16	—	—	51.74
10	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2014–15	55.00	2015–16	15.00	—	407.00
योग (क)	कार्यशील कम्पनियाँ				159.59	1096.59	617.95
(ख)	कार्यशील साविधिक निगम						
.	—	—	—	—	—	—	—
योग (ख) कार्यशील साविधिक निगम			—	—	—	—	—
महायोग (क+ख)					159.59	1096.59	617.95
समता पूँजी, ऋण और अनुदान का महायोग						1874.13	

परिशिष्ट—2.1.1

योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में समिलित जिले और संभागों के नाम दर्शाता पत्रक
(कांडिका 2.1.2 में संदर्भित)

प्रथम चरण			
लॉट सं.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	संभाग का नाम
1	इंदौर	इंदौर	इंदौर और देपालपुर
2			महू और पीथमपुर
3	धार	धार	धार और मनावर
4			राजगढ़
5	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी और सेंधवा
6	खरगौन	खरगौन	खरगौन I एवं II
7			बड़वाह और मंडलेश्वर
8	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा I एवं II
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
10	रतलाम	रतलाम	रतलाम
11			जावरा और आलोट
27	खण्डवा	खण्डवा	पंधाना

द्वितीय चरण			
लॉट सं.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	संभाग का नाम
12	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
13		अलीराजपुर	अलीराजपुर
14	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, तराना और बड़नगर
15			नगदा और माहिदपुर
16	देवास	देवास	देवास और सोनकच्छ
17			बागली और कन्नौद
18	शाजापुर	शाजापुर	आगर
19			शाजापुर
20			शुजालपुर
21	मंदसौर	मंदसौर	गरोठ और मल्हारगढ़
22			मंदसौर और सीतामऊ
23	नीमच	नीमच	नीमच
24	लागू नहीं	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगौन	लागू नहीं
25	लागू नहीं	खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर और उज्जैन	लागू नहीं
26	लागू नहीं	देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच	लागू नहीं

परिशिष्ट-2.1.2

30 / 06 / 2016 को फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय चरण) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दर्शाता पत्रक

(कांडिका 2.1.2 में संदर्भित)

प्रथम चरण

लॉट सं.	जिले का नाम	संभाग का नाम	सर्वेक्षण के अनुसार प्रावधान				भौतिक प्रगति				वित्तीय प्रगति (₹करोड़ में)
			11 के व्ही.लाइन (कि.मी.)	डीटीआर (सं.)	तार (कि.मी.)	मीटर (सं.)	11 के व्ही.लाइन (कि.मी.)	डीटीआर (सं.)	तार (कि.मी.)	मीटर (सं.)	
1	झंदौर	झंदौर और देपालपुर	314.8	578	596.3	19910	314.8 (100)	578 (100)	514.57 (86.29)	18610 (93.47)	21.73
2	झंदौर	महू और पीथमपुर	493.7	504	685.51	22425	493.7 (100)	454 (90.08)	484.51 (70.68)	21225 (94.65)	17.52
3	धार	धार और मनावर	692.8	672	693.84	25470	692.8 (100)	672 (100)	693.84 (100)	25470 (100)	43.19
4	धार	राजगढ़	740	545	726	9613	740 (100)	545 (100)	726 (100)	9613 (100)	36.36
5	बड़वानी	बड़वानी और संधवा	601.25	574	542.75	16779	601.25 (100)	565 (98.43)	352.47 (64.94)	14686 (87.53)	23.78
6	खरगौन	खरगौन I और II	469.9	234	683.18	26344	469.9 (100)	234 (100)	682.98 (99.97)	26344 (100)	22.50
7	खरगौन	बड़वाह और मंडलेश्वर	746.16	375	936.05	17668	751.39 (100)	375 (100)	507.2 (54.19)	15868 (89.81)	28.23
8	खण्डवा	खण्डवा I और II	881.3	591	873.67	43815	881.3 (100)	591 (100)	543.68 (62.23)	43019 (98.18)	40.28
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	450	557	581.02	25606	450 (100)	557 (100)	581.02 (100)	25606 (100)	31.77
10	रत्लाम	रत्लाम	439.19	569	452.74	17788	439.19 (100)	569 (100)	452.74 (100)	17788 (100)	22.08
11	रत्लाम	जावरा और आलोट	795.8	840	739	26000	795.8 (100)	840 (100)	739 (100)	26000 (100)	39.66
			6624.9	6039	7510.06	251418	6630.13	5980	6278.01	244229	327.1
27	खण्डवा	पंधाना	353.86	299	309	22500	362.67 (100)	272 (100)	249.66 (80.80)	13188 (58.61)	26.87

द्वितीय चरण

लॉट सं.	जिले का नाम	संभाग का नाम	सर्वेक्षण के अनुसार प्रावधान				भौतिक प्रगति (प्रतिशत)				वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)
			11 के.व्ही.लाइन (कि.मी.)	डीटीआर (सं.)	तार (कि.मी.)	मीटर (सं.)	11 के.व्ही.लाइन (कि.मी.)	डीटीआर (सं.)	तार (कि.मी.)	मीटर (सं.)	
12	झाबुआ	झाबुआ	487.08	438	320.05	18631	487.08 (100)	438 (100)	320.05 (100)	18631 (100)	21.54
13	अलीराजपुर	अलीराजपुर	300.36	347	192.12	9956	300.36 (100)	347 (100)	192.12 (100)	9956 (100)	18.45
14	उज्जैन	उज्जैन, तराना और बड़नगर	681.27	1142	424.29	26569	681.27 (100)	1143 (100)	424.29 (100)	26569 (100)	38.02
15	उज्जैन	नगदा और माहिदपुर	705.44	854	496.55	36639	705.44 (100)	854 (100)	496.55 (100)	36639 (100)	41.31
16	देवास	देवास और सोनकच्छ	561.41	1325	454.86	29650	560.45 (100)	1302 (98.26)	437.47 (96.18)	29863 (100)	39.76
17	देवास	बागली और कन्नौद	769.48	950	485.65	27973	782.73 (100)	967 (100)	520.2 (100)	29034 (100)	39.08
18	आगर	आगर	745.14	941	519.76	38373	745.14 (100)	904 (96.07)	345.91 (66.55)	32573 (84.89)	33.29
19	शाजापुर	शाजापुर	489.39	746	482.91	27305	464.91 (95)	625 (83.78)	282.61 (58.52)	22105 (80.96)	13.36
20	शाजापुर	शुजालपुर	379	490	549	40074	335.15 (88.43)	483 (98.57)	231.96 (42.25)	17133 (42.75)	9.53
21	मंदसौर	गरोठ और मल्हारगढ़	1101.1	1273	759.07	51418	1101.1 (100)	1273 (100)	759.07 (100)	51418 (100)	53.93
22	मंदसौर	मंदसौर और सीतामऊ	1130.3	1350	768.1	45552	1130.3 (100)	1350 (100)	768.1 (100)	45552 (100)	53.57
23	नीमच	नीमच	1141.6	1252	935.82	48616	1141.6 (100)	1252 (100)	935.82 (100)	48616 (100)	54.89
कुल			8491.57	11108	6388.18	400756	8435.53	10938	5714.15	368089	416.73
33/11 के.व्ही. सबस्टेशन सुदृढीकरण कार्य											
लॉट सं.			कार्य पूर्णता / ठेका निरस्तीकरण दिनांक*								
लॉट 24			18-04-2015*								3.28
लॉट 25			28-04-2014								28.46
लॉट 26			25-07-2014*								3.68
			कुल								35.42
			समस्त लॉटों का महा योग (वित्तीय प्रगति)								798.96

परिशिष्ट—2.1.3

मई 2016 की स्थिति में आपूर्ति भाग पर कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली को दर्शाता पत्रक
(कंडिका 2.1.14 में संदर्भित)

	लॉट सं.	ठेके का मूल्य (₹ करोड़ में)	ठेके के आपूर्ति भाग के विरुद्ध पारित सकल देयक (₹)	आपूर्ति भाग पर कर्मकार कल्याण उपकर (कालम 3 पर @ 1 % ₹ में)
	1	2	3	4
प्रथम चरण	1	48.20	194200605	1942006.05
	2	35.85	126342899	1263428.99
	3	47.26	377319210	3773192.1
	4	37.92	315329496	3153294.96
	5	43.64	121129768	1211297.68
	6	55.27	184007475	1840074.75
	7	57.74	182573695	1825736.95
	8	55.42	303588716	3035887.16
	9	34.22	283060267	2830602.67
	10	39.06	171715107	1717151.07
	11	48.11	342622240	3426222.4
	27	23.19	208550730	2085507.3
	कुल		2810440208	28104402.08
द्वितीय चरण	12	38.84	170491070	1704910.7
	13	27.00	150167125	1501671.25
	14	59.77	326268081	3262680.81
	15	47.39	382369616	3823696.16
	16	45.36	322081847	3220818.47
	17	46.25	333266746	3332667.46
	18	59.82	276037250	2760372.5
	19	42.39	137594250	1375942.5
	21	71.56	402582180	4025821.8
	22	75.71	396742950	3967429.5
	23	74.81	406490090	4064900.9
	24	32.33	29593967	295939.67
	25	32.25	227731100	2277311
	26	36.51	36415084	364150.84
	कुल		3597831356	35978313.56
महा योग (चरण I+II)			6408271564	64082715.64

परिशिष्ट—2.1.4

योजना के अन्तर्गत दिये गये ठेको में अप्रैल 2016 की स्थिति में मोबिलाइजेशन एवं सामग्री अग्रिम के ब्याज की कम वसूली को दर्शाता पत्रक
(कंडिका 2.1.15 में संदर्भित)

(राशि ₹ में)

लॉट	सामग्री अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली					मेबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली					कुल
	वसूल न किया गया सामग्री अग्रिम	समग्री अग्रिम पर वसूला गया ब्याज	ठेके की शर्तों अनुसार सामग्री अग्रिम पर वसूला जाने योग्य ब्याज	वापिस की गई राशि	सामग्री अग्रिम पर कम वसूला गया ब्याज	वसूल न किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम	मेबिलाइजे शन अग्रिम पर वसूला गया ब्याज	ठेके की शर्तों अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम पर वसूला जाने योग्य ब्याज	वापिस की गई राशि	मेबिलाइजेशन अग्रिम पर कम वसूला गया ब्याज	
1	0	0	0	0	0	0	4395908	5129621	0	733713	733713
2	7388418	4853704	6788496	2057619	3992411	21160944	2214349	11038574	1119059	9943284	13935695
3	0	5572212	9563425	0	3991213	0	0	0	0	0	3991213
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	43658173	9767583	41189858	0	31422275	41498846	4036319	31380346	0	27344027	58766302
6	2675638	10523130	20076050	0	9552920	29645827	6464030	24061358	0	17597328	27150248
7	49338837	8971784	21521703	0	12549919	36592253	3634393	14418023	0	10783630	23333549
8	26586491	8278560	18458026	3371549	13551015	37452796	3841204	19761159	1336382	17256337	30807352
9	0	3283415	8032074	0	4748659	0	914115	2024341	0	1110226	5858885
10	0	0	0	0	0	0	8934152	10170727	0	1236575	1236575
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	22701192	2781131	9380087	2152457	8751413	0	2986074	3411654	866341	1291921	10043334
13	0	3961115	4797045	0	835930	0	221530	3700196	0	3478666	4314596
14	0				0	3261539				0	0
15	0	8209076	7904342	1559467	1254733	0	2605852	2333455	549450	277053	1531786

16	0				0	0				0	0
17	15468203	12053918	19041277	1621276	8608635	2877996	4082708	4619650	535850	1072792	9681427
18	22443205	6548171	11784853	2848222	8084904	0	3006591	2386154	1081312	460875	8545779
19	28861344	6717042	12541791		5824749	0			0	0	5824749
20	13303186	2759974	5277342		2517368	29708710	87350	6043425	0	5956075	8473443
21	0	0	0	0	0	0	177541	256888	0	79347	79347
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	46635652	122785	15525673		15402888	20871556	48758	6882679	0	6833921	22236809
25	0	738104	1085495		347391	0	535436	718263	0	182827	530218
26	34876123	693326	8272097		7578771	23742646	162861	5095132	0	4932271	12511042
27	11652960	6115933	6361706	32777	278550	0	382779	451618	12862	81701	360251
	325589422				139293744	246813113				110652569	249946313

परिशिष्ट—2.1.5

योजना के अन्तर्गत टर्नकी ठेके की पूर्णता में हुए विलम्ब के विवरण को दर्शाता पत्रक

(कांडिका 2.1.19 में संदर्भित)

प्रथम चरण								
लॉट सं.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश का प्रभावी दिनांक	कार्य पूर्णता की प्रस्तावित दिनांक	दिनांक जिस तक ईओटी प्रदान की गई	जून 2016 तक कार्य पूर्णता का वास्तविक दिनांक	लॉट पूर्ण होने में हुआ विलंब	डब्ल्यूआईपी (जून 2016 की स्थिति में विलंब)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)	9
1	मैसर्स हाइथ्रो पावर लिमिटेड	30-11-2010	31-01-2011	31-07-2012	30-06-2013	डब्ल्यूआईपी	0	48
2	मैसर्स सीसीपीएल—एएमआरसीएल	01-12-2010	29-01-2011	29-07-2012	03-08-2013	डब्ल्यूआईपी	0	48
3	मैसर्स श्याम इण्डस पावर सोल्युशन लिमिटेड	19-11-2010	05-02-2011	05-08-2012	29-04-2013	12-05-2014	22	0
4	मैसर्स आनन्द इलैक्ट्रिकल	18-11-2010	05-02-2011	05-08-2012	29-11-2013	20-03-2014	20	0
5	मैसर्स विश्वनाथ गायत्री (जेवी)	04-12-2010	31-01-2011	31-07-2012		डब्ल्यूआईपी	0	48
6	मैसर्स सीसीपीएल—एएमआरसीएल	30-11-2010	29-01-2011	29-07-2012		30-06-2016	48	0
7	मैसर्स एस्टर टेली. सर्विसेस, हैदराबाद	30-11-2010	29-01-2011	29-07-2012	02-05-2013	डब्ल्यूआईपी	0	48
8	मैसर्स एस्टर टेली. सर्विसेस, हैदराबाद	30-11-2010	29-01-2011	29-07-2012	30-05-2013	डब्ल्यूआईपी	0	48
9	मैसर्स विन्ध्य टेलीलिंक लिमिटेड	30-11-2010	31-01-2011	31-07-2012	16-03-2013	09-02-2014	19	0
10	मैसर्स विश्वनाथ गायत्री (जेवी)	30-11-2010	31-01-2011	31-07-2012	14-10-2013	31-07-2014	24	0
11	मैसर्स यूबीटैक लिमिटेड	18-11-2010	21-01-2011	21-07-2012	15-06-2013	28-05-2014	23	0
27	मैसर्स यूबीटैक लिमिटेड	13-04-2012	15-06-2012	15-12-2013	23-10-2014	डब्ल्यूआईपी	0	31

द्वितीय चरण									
12	मैसर्स विश्वा इन्फा एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	01-08-2011	26-09-2011	26-03-2013	13-03-2014	30-06-2016		40	0
13	मैसर्स एनसीसी लिमिटेड	01-08-2011	26-09-2011	26-03-2013	0	16-01-2014		10	0
14	मैसर्स विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	26-07-2011	04-10-2011	04-04-2013	31-03-2014	30-06-2016		39	0
15	मैसर्स एनसीसी लिमिटेड	30-07-2011	26-09-2011	26-03-2013	26-12-2013	25-01-2015		22	0
16	मैसर्स विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	01-08-2011	11-10-2011	11-04-2013	01-12-2013	30-06-2016		39	0
17	मैसर्स एनसीसी लिमिटेड	01-08-2011	26-09-2011	26-03-2013	27-01-2014	30-06-2016		40	0
18	मैसर्स विश्वा इन्फा एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	01-08-2011	26-09-2011	26-03-2013	22-03-2014	डब्ल्यूआईपी		0	40
19	मैसर्स विश्वा इन्फा एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	01-08-2011	26-09-2011	26-03-2013	24-02-2014	डब्ल्यूआईपी		0	40
20	मैसर्स स्कालटैक ऑटोमेशन लिमिटेड	01-08-2011	11-10-2011	11-04-2013		27-08-2015		29	0
21	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फा लिमिटेड	01-08-2011	04-10-2011	04-04-2013	07-07-2014	25-11-2014		20	0
22	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फा लिमिटेड	01-08-2011	04-10-2011	04-04-2013	03-07-2014	14-10-2014		19	0
23	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फा लिमिटेड	01-08-2011	04-10-2011	04-04-2013	06-11-2013	17-12-2014		21	0
24	मैसर्स सॉफ्टसुधीर इन्फास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	01-08-2011	05-11-2011	04-05-2013		18-04-2015		24	0
25	मैसर्स गोदरेज एण्ड बोयसे मैनुफेक्चुरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	01-08-2011	04-10-2011	03-04-2013	29-12-2013	28-04-2014		13	0
26	मैसर्स सॉफ्टसुधीर इन्फास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	01-08-2011	05-11-2011	04-05-2013		25-07-2014		15	0

नोट : लॉट क्रमांक 20, 24 एवं 26 निरस्त कर दिये गये। वास्तविक कार्य पूर्णता दिनांक की जगह पर निरस्तीकरण दिनांक वर्णित किया गया है।

परिशिष्ट-2.1.6

ठेकेदारों को दिये गये अनुचित विस्तार दर्शाता पत्रक

(कांडिका 2.1.24 में संदर्भित)

(राशि ₹ में)

लॉट सं.	दिनों का विस्तार		विस्तार का औचित्य सर्वेक्षण के दौरान कंडक्टर, सामग्री की चोरी	विस्तार अवधि	अनुचित विस्तार अवधि	सामग्री अग्रिम पर ब्याज	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	
	सामग्री चोरी पर विस्तार	सर्वेक्षण करने हेतु विस्तार						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	48	30	कंडक्टर, खम्बा और तार की चोरी	सर्वेक्षण में विलंब	31/07/12 to 30/06/13 (330 दिवस)	14/04/13 to 30/06/13 (78 दिवस)	2097703	831314
2	91	30	कंडक्टर, खम्बा और इंसुलेटर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	29/07/12 to 03/08/13 (371 दिवस)	05/04/13 to 03/08/13 (121 दिवस)	1387627	1659041
3	30	30	कंडक्टर, खम्बा और इंसुलेटर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	04/08/12 to 29/04/13 (265 दिवस)	01/03/13 to 29/04/13 (60 दिवस)	2642078	819349
4	30	30	कंडक्टर, खम्बा और इंसुलेटर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	04/08/12 to 14/04/13 (250 दिवस)	14/02/13 to 14/04/13 (60 दिवस)	0	0
7	17	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	29/07/12 to 02/05/13 (277 दिवस)	18/03/13 to 02/05/13 (47 दिवस)	1808254	1027542
8	65	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	29/07/12 to 30/05/13 (305 दिवस)	25/02/13 to 30/05/13 (95 दिवस)	3482185	2411528
9	0	30	0	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	31/07/12 to 16/03/13 (227 दिवस)	15/02/13 to 16/03/13 (30 दिवस)	924248	251770
10	35	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	31/07/12 to 10/05/13 (280 दिवस)	06/03/13 to 10/05/13 (65 दिवस)	2167517	1107520
11	0	30	0	सर्वेक्षण साफ्टवेयर नया था	11/07/12 to 15/06/13 (324 दिवस)	17/05/13 to 15/06/13 (30 दिवस)	531525	310797

12	40	60	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	25/03/13 to 13/03/14 (346 दिवस)	03/12/13 to 13/03/14 (100 दिवस)	1361190	1530045
14	60	30	कंडक्टर की चोरी	पीएमसी कार्यालय की स्थापना से सर्वेक्षण कार्यालय में विलंब	04/04/13 to 25/12/13 (261 दिवस)	28/09/13 to 25/12/13 (90 दिवस)	3455403	1386848
15	60	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	26/03/13 to 26/12/13 (270 दिवस)	28/09/13 to 26/12/13 (90 दिवस)	2537658	1059266
16	50	0	कंडक्टर की चोरी	0	10/04/13 to 01/12/13 (231 दिवस)	13/10/13 to 01/12/13 (50 दिवस)	538268	386012
18	60	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	25/03/13 to 22/03/14 (358 दिवस)	13/12/13 to 22/03/14 (90 दिवस)	2369546	1078740
19	30	30	कंडक्टर की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	25/03/13 to 24/03/14 (363 दिवस)	15/12/13 to 24/03/14 (90 दिवस)	2184389	1364268
21	45	30	कंडक्टर और अन्य एचटी एवं एलटी सामग्री की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	03/04/13 to 03/12/13 (248 दिवस)	20/09/13 to 03/12/13 (75 दिवस)	2772148	868272
22	45	30	कंडक्टर और अन्य एचटी एवं एलटी सामग्री की चोरी	सर्वेक्षण सापटवेयर नया था	03/04/13 to 03/02/14 (309 दिवस)	21/11/13 to 03/02/14 (75 दिवस)	2610068	934157
23	0	30	0	पीएमसी कार्यालय की स्थापना से सर्वेक्षण कार्यालय में विलंब	03/04/13 to 03/11/13 (213 दिवस)	05/10/13 to 03/11/13 (30 दिवस)	1289762	534246
द्वितीय विस्तार								
14	22	0	कंडक्टर की चोरी	0	25/12/13 to 25/04/14 (120 दिवस)	03/04/14 to 25/04/14 (22 दिवस)	656534	276454
15	21	0	कंडक्टर की चोरी	0	26/12/13 to 27/06/14 (181 दिवस)	07/06/14 to 27/06/14 (21 दिवस)	638408	272310

21	30	0	कंडक्टर की चोरी	0	04/12/13 to 03/07/14 (211 दिवस)	04/06/14 to 03/07/14 (30 दिवस)	547943	151878
22	10	0	कंडक्टर की चोरी	0	04/02/14 to 03/07/14 (150 दिवस)	24/06/14 to 03/07/14 (10 दिवस)	130539	50006
कुल							36132993	18311363
कुल योग							54444356	

परिशिष्ट—2.1.7

फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेको के निरस्तीकरण में हुए विलंब के कारण टीएण्डडी हानि में कमी के रूप में परिकल्पित लाभों का मूल्य न मिलने को दर्शाता पत्रक

(कांडिका 2.1.27 में संदर्भित)

लॉट 24 एवं 26 के शेष कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण हानि की गणना					
क्रम सं.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	औसत वार्षिक विद्युत बचत प्रति कि.मी. (एल.यू.)	सम्मावित वार्षिक विद्युत बचत (एल.यू.)
1	2	3	4	5	6
1	33 के व्ही. लाइन				(4*5)
अ	नये इएचवी सबस्टेशन से पावर इवेक्यूयेशन	कि. मी.	148	2.29	338.92
2	33 / 11 के व्ही सब स्टेशन				
अ	अस्थायी 3.15 एमवीए सबस्टेशन इंटरकनैकिटिंग लाइन सहित का स्थायी में परिवर्तन	सं.	15	8.48	127.2
ब	इंटरकनैकिटिंग लाइन सहित नया 3.15 एमवीए सबस्टेशन	सं.	7	8.48	59.36
4	क्षमता वृद्धि				0
अ	पावर ट्रांसफार्मर का 1.6 से 3.15 एमवीए में आग्र्यूमेंटेशन	सं.	2	0.09	0.18
ब	पावर ट्रांसफार्मर का 3.15 से 5.0 एमवीए में आग्र्यूमेंटेशन	सं.	40	0.1	0.4
स	अतिरिक्त 3.15 / 5.0 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर	सं.	11	0.1	1.1
	कुल सम्मावित वार्षिक विद्युत हानि में बचत	एल यू			527.16
	औसत विद्युत खरीद लागत	₹/ केडल्यू एच			2.5
	कुल सम्मावित वार्षिक विद्युत बचत	₹ करोड़ में			13.18 (527.16 X 2.5)

जनवरी से मार्च 2016 तक हानि (27 माह) = $27 \times ₹ 13.18$ करोड़/12 = ₹ 29.65 करोड़

परिशिष्ट—2.2.1

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गये आई.टी. पार्क / पी.ओ.पी. / सीएससी

(कंडिकाओं 2.2.5, 2.2.23 एवं 2.2.26 में संदर्भित)

क्रम सं.	ई.एम.सी / आई.टी. पार्क	पी.ओ.पी.	सीएससी
1	आई.टी. पार्क, भोपाल	इन्दौर (डी.एच.क्यु)	छोटाबांगरदा (इन्दौर)
2	आई.टी. पार्क, इन्दौर सिम्हासा	विदिशा (डी.एच.क्यु)	बड़ाबांगरदा (इन्दौर)
3	आई.टी. पार्क, इन्दौर परदेशीपुरा	देवास (डी.एच.क्यु)	रंवागसा (इन्दौर)
4	ई.एम.सी., भोपाल	सिहोर (डी.एच.क्यु)	नवादपथ (इन्दौर)
5		उज्जैन (डी.एच.क्यु)	राऊ (इन्दौर)
6		होशंगाबाद (डी.एच.क्यु)	ग्वालिपलासिया (इन्दौर)
7		सांची (बी.एच.क्यु)	जामली (इन्दौर)
8		मऊ (बी.एच.क्यु)	पनवासा (उज्जैन)
9		घटिया (बी.एस.क्यु)	उन्दासा (उज्जैन)
10		सोनकच्छ (बी.एच.क्यु)	जैथल (उज्जैन)
11		आष्टा (बी.एच. क्यु)	ग्राम पिपलई(उज्जैन)
12		औबेदुल्लागंज (बी.एच.क्यु)	पन बिहार (उज्जैन)
13		बाड़ी (बी.एच.क्यु)	नजरपुर (उज्जैन)
14		बरेली (बी.एच.क्यु)	सुरसा (उज्जैन)
15		गोहरगंज (बी.एच.क्यु)	मांगल्या (सावरे)
16		उदयपुरा (बी.एच.क्यु)	डाकच्चा (इन्दौर)
17		सोहागपुर (बी.एच.क्यु)	क्षिप्रा (इन्दौर)
18		सांवेर (बी.एच.क्यु)	आष्टा (सीहोर)
19			सिमराई (रायसेन)
20			औबेदुल्लागंज (रायसेन)
21			हरसिली (रायसेन)
22			तामोट (रायसेन)
23			बाड़ी (रायसेन)
24			गैहरगंज (रायसेन)
25			गडाघाट (होशंगाबाद)
26			करनपूरा (होशंगाबाद)
27			खापरखेडा (होशंगाबाद)
28			छिन्द (रायसेन)
29			चाटर (रायसेन)
30			चीकली (रायसेन)
31			रहेली (रायसेन)
32			बमहोरी (रायसेन)
33			नयाखेड़ा (रायसेन)
34			रजवाड़ा (रायसेन)
35			संडिया (होशंगाबाद)
36			उदयपुरा (रायसेन)

परिशिष्ट—2.2.2

विभागों का विवरण जिन्हे स्वान परियोजना के अंतर्गत होरिजोन्टल कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी तथा राज्य डाटा सेन्टर परियोजना के अंतर्गत होस्ट किए गए डॉटा/एप्लीकेशन का विवरण

(कॉडिकाओं 2.2.22 तथा 2.2.27 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग जिन्हे स्वान के अंतर्गत होरिजोन्टल कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी	राज्य डाटा सेन्टर परियोजना के अंतर्गत विभागों का डाटा/एप्लीकेशन जो राज्य डाटा सेन्टर के अंतर्गत होस्ट किया गया
1	राजस्व विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग
2	परिवहन विभाग	मत्स्य विभाग
3	आबकारी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4	वाणिज्य कर विभाग	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
5	वन विभाग	विधि एवं विधायिका मामलों का विभाग
6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	उच्च शिक्षा विभाग
7	खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8	विधि एवं विधायिका मामलों का विभाग	पर्यटन विभाग
9	मत्स्य विभाग	लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग
10	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	जन संपर्क विभाग
11	उद्यानिकी विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
12	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
13	जेल विभाग	नव एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
14	महिला एवं बाल विकास विभाग	राजस्व विभाग
15	स्कूल शिक्षा विभाग	लोक निर्माण विभाग
16	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	लोक स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग
17	लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग	गृह विभाग
18	चिकित्सीय शिक्षा विभाग	ग्रामीण उद्योग विभाग
19	लोक निर्माण विभाग	नर्मदा घाटी विकास विभाग
20	नागरिक उड्डयन विभाग	वन विभाग
21	जल संसाधन विभाग	वाणिज्य कर विभाग
22	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग
23	उच्च शिक्षा विभाग	वित्त विभाग
24	सामान्य प्रशासन विभाग	जल संसाधन विभाग
25	खनन विभाग	
26	अनुसूचित जनजातिय कल्याण विभाग	
27	जन संपर्क विभाग	

परिशिष्ट—2.2.3

अवधि 2011–12 से 2015–16 के दौरान भोपाल तथा इन्दौर की कैलेब्रेशन प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन

(काँड़िका 2.2.36 में संदर्भित)

भोपाल प्रयोगशाला:

(₹ में)

वर्ष	आय का लक्ष्य	आय	व्यय			हानि	हानि का प्रतिशत
			संचालन	स्थापना	योग		
2011–12	10,00,000	10,12,712	4,52,866	13,94,452	18,47,318	8,34,606	82.41
2012–13	12,00,000	12,13,195	4,63,729	15,19,420	19,83,149	7,69,954	63.46
2013–14	12,00,000	12,19,291	5,46,644	27,76,164	33,22,808	21,03,517	172.52
2014–15	12,50,000	12,35,203	5,10,724	30,02,552	35,13,276	22,78,073	184.43
2015–16	12,50,000	11,62,367	5,48,337	32,14,677	37,63,014	26,00,647	223.74
						85,86,797	

इन्दौर प्रयोगशाला:

(₹ में)

वर्ष	आय का लक्ष्य	आय	व्यय			हानि	हानि का प्रतिशत
			संचालन	स्थापना	योग		
2011–12	18,00,000	16,90,706	5,84,973	26,45,435	32,30,408	15,39,702	91.07
2012–13	30,00,000	17,51,788	9,66,043	31,49,865	41,15,908	23,64,120	134.95
2013–14	30,00,000	16,20,751	5,01,433	36,51,563	41,52,996	25,32,245	156.24
2014–15	24,00,000	15,38,225	7,90,897	38,76,691	46,67,588	31,29,363	203.44
2015–16	20,00,000	9,23,450	4,38,477	33,67,589	38,06,066	28,82,616	312.16
						124,48,046	

परिशिष्ट—2.3.1

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खाद्यान्नों के उपार्जन लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध वास्तविक उपार्जन

(कांडिका 2.3.10 में सन्दर्भित)

(मात्रा: लाख मीट्रिक टन में)

उत्पाद	वर्ष	राज्य में उपार्जन की लक्षित मात्रा	वास्तविक उपार्जित मात्रा ¹	खाद्यान्नों के उपार्जन हेतु तय लक्ष्य के संदर्भ में उपार्जन में कमी (-)/ अधिक्य (+)	
				मात्रा	प्रतिशत
गेहूँ	2011-12	35.00	49.64	14.64	41.83
	2012-13	65.00	85.07	20.07	30.87
	2013-14	115.00	63.51	(51.49)	(44.77)
	2014-15	80.00	71.88	(8.12)	(10.15)
	2015-16	100.00	73.45	(26.55)	(26.55)
घान	2011-12	5.50	9.4	3.90	70.91
	2012-13	15.36	13.4	(1.96)	(12.76)
	2013-14	16.00	15.59	(0.41)	(2.56)
	2014-15	17.00	12.04	(4.96)	(29.17)
	2015-16	15.00	12.66	(2.34)	(15.60)
मोटे अनाज (मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि)	2011-12	0.15	0.168	0.02	12.00
	2012-13	2.08	0.079	(2.00)	(96.20)
	2013-14	0.30	0.869	0.57	189.67
	2014-15	1.00	3.06	2.06	206.00
	2015-16	4.00	2.79	(1.21)	(30.25)
चीनी	2011-12	1.54	1.46	(0.08)	(5.19)
	2012-13	1.56	1.62	0.06	3.84
	2013-14	1.51	1.53	0.02	1.32
	2014-15	1.41	1.41	0.00	0.00
	2015-16	1.37	1.23	0.14	10.22
नमक	2011-12	0.31	0.22	(0.09)	(29.03)
	2012-13	0.33	0.31	(0.02)	(6.06)
	2013-14	0.83	0.84	0.01	1.20
	2014-15	1.28	1.27	(0.01)	(0.78)
	2015-16	1.02	1.35	0.33	32.35

¹ कम्पनी एवं मध्य प्रदेश मार्कफौल द्वारा की गई उपर्जन शामिल है।

परिशिष्ट—2.3.2

परिवहन ठेकेदारों से किये गये अनुबन्ध के प्रकार

(कांडिका 2.3.20 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	परिवहन अनुबन्ध का प्रकार	अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाले गतिविधियों का विवरण
1	लम्बी दूरी परिवहन उपार्जन (एल.आर.टी. उपार्जन)–धान	उपार्जन केन्द्र से भण्डारण केन्द्र तक धान का परिवहन
2	लम्बी दूरी परिवहन उपार्जन (एल.आर.टी. उपार्जन)–गेहूँ	उपार्जन केन्द्र से भण्डारण केन्द्र तक गेहूँ का परिवहन
3	लम्बी दूरी परिवहन सामान्य (एल.आर.टी.–सामान्य)	एक गोदाम से दूसरे गोदम तक खाद्यान्नों का परिवहन
4	लम्बी दूरी परिवहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एल.आर.टी.–पी.डी.एस.) चावल	योजना के अन्तर्गत चावल के वितरण हेतु परिक्षेत्र के अन्दर एवं बाहर परिवहन
5	लम्बी दूरी परिवहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एल.आर.टी.–पी.डी.एस.) गेहूँ	योजना के अन्तर्गत गेहूँ के वितरण हेतु परिक्षेत्र के अन्दर एवं बाहर परिवहन
6	लम्बी दूरी परिवहन एवं रखरखाव पी.डी.एस. (एच.एल.आर.टी.–पी.डी.एस.) गेहूँ	रेलवे रैक पॉइंट से गोदाम एवं वापिस गेहूँ का परिवहन
7	लम्बी दूरी परिवहन एवं रखरखाव पी.डी.एस. (एच.एल.आर.टी.–पी.डी.एस.) चावल	रेलवे रैक पॉइंट से गोदाम एवं वापिस चावल का परिवहन
8	लम्बी दूरी परिवहन रखरखाव (बारदाना) एच.एल.आर.टी. बारदाना	बारदानों का गोदाम से रेलवे रैक पॉइंट तक परिवहन एवं वापसी
9	लम्बी दूरी परिवहन द्वार प्रदाय योजना (एल.आर.टी.–डी.पी.वाई)	अप्रैल, 2014 से भण्डार केन्द्र से उचित मूल्य की दुकान तक द्वार प्रदाय योजना के तहत खाद्यान्नों का परिवहन

परिशिष्ट—2.3.3

लम्बी दूरी परिवहन (उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं लम्बी दूरी परिवहन एवं रखरखाव अनुबन्ध के लिये 25 किलोमीटर तक की लोकल लीड हेतु परिवहन दरों की तुलना दर्शाता विवरण पत्रक

(कांडिका 2.3.21 में सन्दर्भित)

(दर ₹ प्रति टन)

क्रम संख्या	उज्जैन क्षेत्र						भोपाल क्षेत्र					
	परिषेक्त्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	परिषेक्त्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
एल.आर.टी. उपार्जन लोकल दूरी 1 -25 किलोमीटर												
1	देवास	170	206	214	231	240	भोपाल	260	323	406	466	521
2	मन्दसौर	149	160	179	190	210	व्याबरा	192	196	---	205	191
3	रतलाम	189	207	239	265	249	रायसेन	210	309	290	333	359
4	शाजापुर	154	188	175	164	---	सिहोर	162	240	229	197	189
5	नीमच	149	148	169	168	200	राजगढ़	---	---	198	190	188
6	उज्जैन	204	247	278	257	220	-----					
अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	55	99	109	101	49	अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	98	127	208	276	333	
अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	37	67	64	62	25	अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	60	65	105	145	177	
एल.आर.टी.—पी.डी.एस. लोकल दूरी (1-25) किलोमीटर												
1	देवास	142	172	150	198	206	भोपाल	200	274	320	378	348
2	मन्दसौर	131	152	170	181	---	व्याबरा	170	178	---	---	---
3	रतलाम	138	227	269	306	337	रायसेन	109	140	199	199	182
4	शाजापुर	155	165	173	190	---	विदिशा	101	---	215	184	179
5	नीमच	149	149	188	---	220	सिहोर	---	175	210	---	198
6	उज्जैन	166	201	247	243	239	राजगढ़	---	---	195	195	180

अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	35	78	99	125	131	अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	99	134	125	194	169	
अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	27	52	58	69	64	अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	98	96	64	105	94	
एच.एल.आर.टी. खाद्यान्न लोकल दूरी (1- 25) किलोमीटर												
1	देवास	238	297	330	365	---	भोपाल	230	299	391	469	539
2	रतलाम	138	174	183	210	221	व्याबरा	210	---	297	279	297
3	शाजापुर	190	200	198	232	249	रायसेन	137	260	268	280	255
4	नीमच	198	229	278	325	304	सिहोर	229	237	306	333	270
5	उज्जैन	190	269	311	315	319	विदिशा	275	326	375	325	351
अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	100	123	147	155	98	अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच अन्तर	93	89	123	190	284	
अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	72	71	80	74	44	अधिकतम एवं न्यूनतम लीड के बीच अन्तर का प्रतिशत	68	38	46	68	111	

परिशिष्ट—2.3.4

कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक
 (कांडिका 2.3.28 में सन्दर्भित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
दायित्व				
(ए) प्रदत्त अंशपूँजी	8.47	8.47	8.47	8.47
(बी) संचय एवं अधिक्य	144.18	145.80	135.98	67.52
दीर्घकालीन ऋण				
(सी) संरक्षित ऋण (दीर्घकालीन ऋण)	1215.75	772.37	3071.47	4071.48
(डी) असंरक्षित ऋण (दीर्घकालीन ऋण)	1332.55	737.81	872.05	683.39
(ई) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	470.25	460.33	332.30	298.73
(एफ) दीर्घकालीन प्रावधान	11.91	480.31	342.31	300.15
चालू दायित्व				
(जी) चालू दायित्व (लघुकालीन ऋण)	2015.27	6637.94	6311.52	6648.28
(एच) अन्य चालू दायित्व	61.97	331.13	64.04	74.21
(आई) लघुकालीन दायित्व	1089.34	886.36	1075.64	1250.07
कुल चालू दायित्व	3166.58	7855.47	7451.20	7972.56
कुल दायित्व	6349.69	10460.52	12213.78	13402.30
परिसम्पत्तियाँ				
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	5.62	6.13	5.62	5.14
प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य	1.53	0.00	0.00	0.94
अस्थगित परिसम्पत्तियाँ	1.93	2.61	3.11	3.90
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
(i) नगदी एवम् बैंक शेष	31.07	28.40	2.47	2.40
(ii) स्कन्ध	2901.70	3946.77	5600.93	5453.85
(iii) विविध देनदार	33.80	1559.43	1123.24	1423.16
(iv) ऋण एवम् अग्रिम	3374.04	4917.18	5478.41	6512.91
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ	6340.61	10451.78	12205.05	13392.32
कुल परिसम्पत्तियाँ	6349.69	10460.52	12213.78	13402.30

(₹ करोड़ में)

आय				
परियालन से आय				
बिक्री (मूल्य अंतर राशि / सब्सिडी / विकेन्ट्रीकृत उपार्जन सहित)	8403.01	13785.5	10698.69	13806.5
प्राप्त सब्सिडी / हानि प्रतिपूर्ति / मध्यप्रदेश शासन एवं भा.खा.नि. से मूल्य अंतर	35.70	151.94	242.70	1633.25
कुल	8438.71	13937.44	10941.39	15439.75
अन्य आय (सुगर प्राईज इक्वाजाइजेशन फण्ड एवं योजना कर्मीशन सहित)	1207.77	2039.06	1601.09	1861.26
कुल आय	9646.48	15976.5	12542.48	17301.01
व्यय				
क्रय मूल्य एवं अन्य सम्बन्धित व्यय	9764.81	15806.44	12721.29	15329.76
स्टॉक में बदलाव	-871.49	-1045.06	-1654.16	147.07
कर्मचारी हितकारी व्यय	39.33	49.91	58.13	60.95
वित्तीय लागत	701.60	1283.37	1408.67	1722.18
दूसरे	0.70	1.05	0.69	0.61
अन्य व्यय	8.60	6.52	7.31	39.77
कुल व्यय	9643.55	16102.23	12541.93	17300.34
असाधारण अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ	2.93	2.94	0.55	0.66
असाधारण एवम् अपवादात्मक मदें	2.32	0.49	-2.20	- 69.79
कर पूर्व लाभ / हानि	5.25	3.43	-1.66	-69.12
वर्ष से सम्बन्धित भुगतान किया गया निगम कर	1.93	2.38	0.00	0.00
विक्रय लाभ अनुपात [†]	0.03	0.02	0.01	0.00
कार्यशील पूँजी [‡]	3174.03	2596.31	4753.85	5419.76
निवल मूल्य [§]	152.65	154.27	144.45	75.99
निवल पूँजी का प्रदत्त अंश पूँजी से अनुपात **	18.02	18.21	17.05	8.97
नियोजित पूँजी ^{††}	3181.18	2602.48	4759.47	5425.84
नियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय ^{‡‡}	704.53	1286.31	1409.22	1722.84
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय का प्रतिशत ^{§§}	22.15	49.43	29.60	31.75

[†] लाभ का विक्रय से प्रतिशत = असाधारण अपवादात्मक मदों एवम् कर पूर्व लाभ
विक्रय

[‡] कार्यशील पूँजी = चालू परिसम्पत्तियाँ – चालू दायित्व

[§] निवल मूल्य = प्रदत्त अंश पूँजी + संचय एवं आधिक्य

^{**} निवल मूल्य का प्रदत्त अंश पूँजी से अनुपात = निवल मूल्य / प्रदत्त अंश पूँजी

^{††} नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + संचय एवं आधिक्य + दीर्घकालीन ऋण – डिफर्ड परिसम्पत्तियाँ

^{‡‡} नियोजित पूँजी पर प्रत्याय = असाधारण, अपवादात्मक मदों एवम् कर पूर्व लाभ + वित्तीय लागत

^{§§} नियोजित पूँजी पर प्रत्याय का प्रतिशत = नियोजित पूँजी पर प्रत्याय X 100
नियोजित पूँजी

परिशिष्ट—2.3.5

भारतीय खाद्य निगम को समर्पित गेहूँ के विरुद्ध प्राप्य योग्य राशि

(कंडिका 2.3.32 में सन्दर्भित)

(₹ करोड़ में)

उपार्जन मौसम	भा.खा.नि. को समर्पित गेहूँ की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	प्राप्त योग्य राशि	दावा की गई राशि	दावा करने हेतु शेष राशि	प्राप्त राशि	भा.खा.नि. द्वारा कटौती की गई राशि	भा.खा.नि. से दावा की राशि में प्राप्त योग्य शेष राशि	भा.खा.नि. को समर्पित करने हेतु शेष मात्रा (लाख मीट्रिक टन)
रबी उपार्जन 2011	32.85	4510.14	4509.27	0.87	4442.40	66.80	0.07	3.27
रबी उपार्जन 2012	57.06	8534.73	8518.99	15.74	8377.41	115.63	25.95	1.20
रबी उपार्जन 2013	34.05	5400.63	5322.14	78.48	5260.54	51.84	9.76	2.42
रबी उपार्जन 2014	45.02	7429.65	7371.48	58.17	7266.63	57.27	47.58	7.74
रबी उपार्जन 2015	46.23	7890.36	7644.86	245.50	7391.15	68.39	185.31	49.87
योग	215.21	33765.51	33366.74	398.77	32738.13	359.93	268.67	64.50

कैरीओवर व्ययों एवं क्रय कर के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम से प्राप्य राशि

(₹ करोड़ में)

उपार्जन मौसम	प्राप्य कुल कैरी ओवर व्यय			प्राप्त	प्राप्य शेष राशि	प्राप्य एवं भुगतान किया गया क्रय कर	प्राप्त क्रय कर	अप्राप्त क्रय कर राशि
	व्याज प्रभार	भण्डारण व्यय	कुल कैरी ओवर व्यय					
रबी उपार्जन 2011	141.07	51.87	192.94	191.26	1.68	159.53	158.82	0.71
रबी उपार्जन 2012	401.74	88.63	490.37	475.93	14.44	344.99	340.47	4.52
रबी उपार्जन 2013	307.80	87.14	394.94	373.95	20.99	225.27	225.09	0.18
रबी उपार्जन 2014	419.91	105.89	525.80	345.02	180.78	259.21	251.75	7.46
रबी उपार्जन 2015	287.48	175.16	462.64	102.82	359.82	297.31	254.92	42.39
योग	1558	508.69	2066.70	1488.98	577.71	1286.31	1231.05	55.26

परिशिष्ट-3.1

निविदा अंतिमीकरण के अभाव में निष्क्रिय रहे नवसृजित पर्यटक मार्ग सुविधा परिसम्पत्तियों को दर्शाता पत्रक
 (कंडिका 3.1 में संदर्भित)

(अ) पर्यटक मार्ग सुविधाओं केन्द्रों की सूची जिनके लिए मार्च 2015 के दौरान निविदाएँ आमंत्रित की गईं

क्र. स.	पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्र का नाम	बोलीदाता का नाम	विवरण	अनुमोदित राशि (₹ लाख में)	व्यय (कार्य पूर्णता की लागत) (₹ लाख में)	कार्य पूर्णता का दिनांक	निविदा मूल्य खोलने का दिनांक तथा निविदा को अन्तिमीकृत न किया जाना	जुलाई 16 तक परिसम्पत्तियों की निष्क्रियता अवधि (माह में)	उच्चतम वार्षिक बोली मूल्य (₹ में)	लीज रेन्ट मद में हुई राजस्व हानि (₹ में)	
1	बड़वानी, जिला बड़वानी	श्री रतन इम्पोरियम धार	रेस्ट्रां, रसोई,धुलाई क्षेत्र, पांकिंग,शौचालय खण्ड, भण्डार कक्ष, प्रबंधक कार्यालय,दुकानें	48.19	33.38	30.04.14	05.03.15	23	370000	709167	
2	मोटा, जिला बुरहानपुर	श्री रतन इम्पोरियम धार	रेस्ट्रां, रसोई,धुलाई क्षेत्र, पांकिंग,शौचालय खण्ड, भण्डार कक्ष, प्रबंधक कार्यालय	49.12	41.14	20.03.14	05.03.15	22	406000	744333	
3	गैरतगंज , जिला रायसेन	त्रिशूल कंस्ट्रक्शन	रसोई, भण्डार कक्ष,धुलाई क्षेत्र ,पटल प्रभारी कक्ष, फेमिली रेस्ट्रां,पेयजल क्षेत्र,सामान्य शौचालय खण्ड	48.78	41.40	08.08.13	05.03.15	31	410000	1059167	
4	बाढ़ी , जिला रायसेन	त्रिशूल कंस्ट्रक्शन	रसोई, भण्डार कक्ष,धुलाई क्षेत्र, पटल प्रभारी कक्ष, फेमिली रेस्ट्रां,पेयजल क्षेत्र,सामान्य शौचालय खण्ड	49.06	37.52	10.05.13	05.03.15	34	465000	1317500	
5	मुंगवानी , जिला नरसिंहपुर	रतन इम्पोरियम धार	बैठक लाज,प्रबंधक केबिन ,रसोई,भण्डार कक्ष, सामान्य शौचालय, पांकिंग, धुलाई क्षेत्र, भोजन क्षेत्र	65.00	64.43	23.06.14	05.03.15	22	370000	678333	
6	नागोद , जिला सतना	रतन इम्पोरियम धार	शौचालय खण्ड (महिला एवं पूरुष) बैठक लाज, प्रबंधक कार्यालय रसोई एवं धुलाई क्षेत्र,स्वागत / सेवा पटल	69.00	65.79	15.05.15	05.03.15	10	110800 0	923333	
7	चुरहट , जिला सीधी	श्री रतन इम्पोरियम धार	रेस्ट्रां हाल,किचन, भण्डार कक्ष ,वाश एवं सर्विंग क्षेत्र ,शौचालय (महिला एवं पूरुष) प्रबंधक कार्यालय,टोकन / टिकिट काउन्टर	49.20	48.63	23.02.15	05.03.15	13	460000	498333	
विकसित किये गये पर्यटक मार्ग सुविधा परिसंपत्तियों का कुल मूल्य					332.29	पूर्ण हुये पर्यटक मार्ग सुविधा परिसम्पत्तियों की निष्क्रियता के कारण हुआ राजस्व नुकसान (अ)			5930167		
(ब) पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्रों की सूची जिनके लिए मई 2015 एवं जनवरी 2016 के दौरान निविदाएँ आमंत्रित की गईं											
क्र. स.	पर्यटक मार्ग सुविधा	बोलीदाता का नाम	विवरण	अनुमोदित	व्यय (कार्य पूर्णता)	कार्य पूर्णता	निविदा मूल्य	जुलाई 16	प्रतिवर्ष	लीज रेन्ट	

	केन्द्र का नाम			राशि (₹ लाख में)	की लागत) (₹ लाख में)	दिनांक	खोलने का दिनांक तथा निविदा को अन्तिमीकृत न किया जाना	तक परिसंपत्तियों की अवधि (माह में)	आफसेट लीज रेन्ट (₹ में)	मद में राजस्व हानि (₹ में)			
1	जोगी टिकरिया , जिला डिंडोरी	अनिश त्रिवेदी, बालघाट	रेस्ट्रां, आउट डोर डायनिंग,उपहार वस्तु की दुकान,सामान्य शौचालय,रसोइँ, प्रबंधक कार्यालय,मार्ग,उपयोगिता प्रांगण	48.03	47.75	18.03.14	15.05.15 /08.01.16	24	400000	800000			
2	सारंगपूर , जिला राजगढ़	दत्तात्रेय उपहार गृह, भुसावल	रसोइँ भण्डार कक्ष, धुलाई क्षेत्र प्रबंधक केबिन, रेस्ट्रां,ओपन डायनिंग क्षेत्र शौचालय खण्ड	81.00	78.22	02.11.14	15.05.15 /08.01.16	17	450000	637500			
3	मनपिछोली , जिला राजगढ़	दत्तात्रेय उपहार गृह, भुसावल	रसोइँ, भण्डार कक्ष, धुलाई क्षेत्र,पटल ,प्रबंधक कक्ष,04 कमरे,रेस्ट्रां,पेयजल क्षेत्र,सामान्य शौचालय खण्ड	93.54	92.00	25.01.13	15.05.15 /08.01.16	38	600000	1900000			
4	छैगाँव माखन, जिला खण्डवा	दत्तात्रेय उपहार गृह, भुसावल	रेस्ट्रां शौचालय रसोइँ पार्किंग भण्डार, धुलाई क्षेत्र	49.12	49.12	10.02.14	15.05.15 /08.01.16	25	600000	1250000			
5	हनुमना, जिला रीवा	रतन इम्पोरियम धार	रसोइँ भण्डार कक्ष, धुलाई क्षेत्र,पटल ,प्रबंधक कक्ष, रेस्ट्रां,पेयजल क्षेत्र, सामान्य शौचालय खण्ड	69.00	64.13	31.01.15	15.05.15 /08.01.16	14	500000	583333			
6	शालाखेड़ी , जिला रतलाम	रतन इम्पोरियम धार	रसोइँ भण्डार कक्ष, धुलाई क्षेत्र,पटल ,प्रबंधक कक्ष, रेस्ट्रां, पेयजल गलियारा क्षेत्र,सामान्य शौचालय खण्ड,06 कमरे	49.12	49.12	24.06.13	15.05.15 /08.01.16	33	800000	2200000			
योग					380.34	पूर्ण हुए पर्यटक मार्ग सुविधा परिसंपत्तियों की निष्क्रियता के कारण हुआ राजस्व नुकसान (ब)			7370833	5930167			
पूर्ण हुए पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्रों की निष्क्रियता के कारण हुई राजस्व हानि का महायोग (अ+ब)													
13301000													

टिप्पणी: निविदा एवं ठेका जारी करने के लिए 120 दिन का समय उचित माना गया है।

परिशिष्ट-3.2

सड़क परियोजनाओं में कोलतार के लिए किये गए अतिरिक्त पी.व्ही. राशि भुगतान का नियंत्रण पत्रक

(कांडिका-3.6 में संदर्भित)

क्र. स.	सड़क का नाम	निकटतम रिफाइनरी	वास्तविक भुगतान की गई पी.व्ही. राशि (₹)	देय पी.व्ही.राशि (₹)	अतिरिक्त भुगतान (₹)
1	पचोर – चापीखेड़ा – जीरापुर – माचलपुर –सोयत	कोयली	80266044	68815058	11450985
2	आगर – बरोद – आलोट – जावरा	कोयली	63851077	59063767	4787309
3	दमोह – हत्ता – गैसाबाद	मथुरा	72481833	65066583	7415250
4	भाहड़ोल – सिंगपुर	कोयली	20304550	17667910	2636640
	योग		236903504	210613318	26290184

परिशिष्ट-3.3

वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को मीट्रिक टन में आवंटित गेहूं और चावल, जूट बारदाने में उठाई गई मात्रा एवं रखे हुए बारदाने का प्राप्य मूल्य जिसको आर.टी.ई. उत्पादों की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किया गया को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कॉडिका-3.9 में संदर्भित)

वर्ष	बारदाने की संख्या जिनमें आपूर्ति प्रदाय की गई		बाड़ी का % (गेहूं)	बाड़ी का % (चावल)	बारदाने की दर (गेहूं)	बारदाने की दर (चावल)	गेहूं का विकी मूल्य			चावल का विकी मूल्य		
	गेहूं	चावल					योग	बाड़ी का भाग	संयुक्त उपकरण की मात्रा	योग	बाड़ी का भाग	संयुक्त उपकरण का भाग
2010-11	447440	269798	5.64	0.17	11.05	उपलब्ध नहीं	4944212	278853.56	4665358.44	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	489420	313506	9.32	0.41	13.57	उपलब्ध नहीं	6641429	618981.22	6022448.18	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	778142	458329	10.96	0.67	14.31	उपलब्ध नहीं	11135212	1220419.24	9914792.78	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	358677	479054	13.41	0.61	12.55	8	4501396	603637.25	3897759.10	3832432	23377.84	3809054.16
2014-15	656383	488549	15.73	0.75	12.91	8.51	8473905	1332945.18	7140959.35	4157552	31181.64	4126370.35
2015-16	876055	518748	12.85	0.72	13.51	13.51	11835503	1520862.14	10314640.91	7008285	50459.66	6957825.82
योग	3606117	2527984					47531657	5575698.59	41955958.76	14998269	105019.13	14893250.34
							योग बाड़ी	5680717.72	9.08			
							योग संयुक्त उपकरण	56849209.10	90.92			
								62529926.82	100			

परिशिष्ट-3.4

आई.आई.डी.सी. गवालियर द्वारा भूमि आवंटन में गलत दरों के प्रयोग के कारण कम्पनी को हुई राजस्व हानि को दर्शाता पत्रक

(कंडिका-3.10 में संदर्भित)

क्र. स.	विवरण	एल.ओ.आई. दिनांक 27.02.06 एवं 14.07.06 के अनुसार प्रभारित (₹)	निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 22.02.2013 को अनूमोदित प्रचलित दरों के रूप में प्रभारित की जाने वाली राशि (₹)	अंतर राशि (₹)
1.	भूमि अधिशुल्क (6475.15 वर्ग मी. @ 400 प्रति वर्ग.मी.)	2090521	2590060	499539
2.	अतिरिक्त भूमि अधिशुल्क (@ 15 %)	313578	388509	74931
3.	वार्षिक पट्टे की रकम (@ 3 %)	72123	89357	17234
4.	सुरक्षा निधि (3 गुणा)	216369	268071	51702
5.	वार्षिक भूमि, रखरखाव प्रभार (@ (₹) 6 / वर्ग.मी)	38857	38851	-6
6.	विकास प्रभार @ ₹ 400 प्रति वर्ग.मी	696840	2590060	1893220
योग (अ)		3428288	5964908	2536620

समय पर कम्पनी को प्राप्त न होने वाली बकाया राशि पर ब्याज हानि को दर्शाता पत्रक

क्र. स.	वर्ष	लीज रेन्ट, रखरखाव (₹)	संचयी राशि (₹)	ब्याज @ 10% (₹)	अधिशुल्क, अतिरिक्त अधिशुल्क और विकास प्रभार (₹)	2006 से 2014 (नवम्बर) तक ब्याज (₹)
1	2006-07	9248	9248	77	963790	835284
2	2007-08	110980	120228	12023	निरंक	
3	2008-09	110980	231208	23121	निरंक	
4	2009-10	110980	342188	34219	निरंक	
5	2010-11	110980	453168	45317	निरंक	
6	2011-12	110980	564148	56415	निरंक	
7	2012-13	110980	675128	67513	निरंक	
8	2013-14	110980	786108	78610	निरंक	
9	2014-15 (नवम्बर 2014 तक)	110980	897088	59805	निरंक	
योग			377100			835284
कुल ब्याज हानि (ब)						1212384
कुल योग (अ+ब)						3749004

परिशिष्ट-3.5

समर्पित रेलवे मालभाड़ा खाते में राशि निष्क्रिय रहने के कारण ब्याज की हानि को दर्शाता
पत्रक (चालू खाता संख्या 33504078211, एस.बी.आई., सीवरिया शाखा)

(कांडिका-3.13 में संदर्भित)

माह	कुल दिनों की संख्या जिन पर अधिशेष राशि बनाए रखी गई	अधिशेष राशि के रखने के कारण ब्याज हानि की राशि @ 12 % प्रति वर्ष (₹ में)
जनवरी -14	5	26317.64
फरवरी -14	28	308949.12
मार्च -14	31	452528.35
अप्रैल -14	29	495329.46
मई -14	31	582036.90
जून -14	30	517441.72
जुलाई - 14	31	519713.69
अगस्त- 14	31	488508.04
सितम्बर -14	30	456042.97
अक्टूबर - 14	32	481997.86
नवम्बर -14	29	246609.59
दिसम्बर -14	31	455108.86
जनवरी.15	33	423163.70
फरवरी -15	26	368986.75
मार्च-15	31	257147.20
अप्रैल-15	30	211459.06
मई -15	32	351691.18
जून-15	29	463061.71
जुलाई -15	31	379880.37
अगस्त - 15	31	514218.21
सितम्बर -15	30	495293.95
अक्टूबर-15	31	454218.89
नवम्बर-15	30	439616.95
दिसम्बर-15	31	482504.13
जनवरी-16	31	436303.81
फरवरी -16	29	288122.38
मार्च-16	30	109544.06
योग		10705796.55

टिप्पणी : 1. जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान खाते में ₹ 2 करोड़ से अधिक के अधिशेष पर ब्याज हानि की गणना की गई क्योंकि इस अवधि के दौरान ज्यादातर 3 रैक हो अधिकतम बुक किये गए थे।

2: नवम्बर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 3 करोड़ से अधिक के अधिशेष पर बचत हानि की गणना की गयी क्योंकि इस अवधि के दौरान ज्यादातर मात्र 4 से 5 रैक्स ही अधिकतम बुक किये गये थे।

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2016
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in